Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] चतुर्थ विधान सभा के छठे सत्र का छठा दिवस [संख्या 4

मंगलवार,

दिनांक 20 जनवरी, 1970

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[चिकित्सा, शिक्षा, सिंचाई, वन, समाज कल्याण, अकाल सहायता, परिवार नियोजन, वित्त, चुनाव, पंचायत विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

झालावाड़ के चिकित्सालय में लेडी डॉक्टर की व्यवस्था

43. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) झालावाड़ जिला चिकित्सालय में लेडी डॉक्टर के लिये कितने स्थान हैं ? क्या अभी केवल एक ही लेडी डॉक्टर काम कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि यहां की लेडी डॉक्टर को उदयपुर डेपुटेशन पर लगाया हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? आवश्यकतानुसार यहां लेडी डॉक्टर की अब कब तक व्यवस्था करदी जायगी ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) महिला अस्पताल, झालावाड़ में लेडी डॉक्टर के दो पद स्वीकृत हैं, जिनमें से एक पर महिला चिकित्सक वर्तमान में कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। दूसरी महिला चिकित्सक की नियुक्ति शीघ्र कर दी जावेगी।

श्री रामप्रसाद बोहरा : इस लेडी डॉक्टर की काफी शिकायतें होने के बावजूद दो पोस्ट्स होते हुए इसी को वहां रखा जा रहा है। पांच साल से एक ही लेडी डॉक्टर को वहां रख रखा है। इस लेडी डॉक्टर ने एक दिन में पांच डिलीवरी करवाई उन पांचों ही जच्चाओं की मौत हो गई इसकी जब शिकायत की गई तो उसका रेकार्ड गायब कर दिया गया। इस प्रकार के कई केसेज हो गये हैं फिर भी दूसरी लेडी डॉक्टर को नियुक्ति नहीं की जाती इसका क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह अलग से सवाल है। दो लेडी डॉक्टर्स की जगह है आप कोई लेडी डॉक्टर बतादें जो झालावाड़ जाने को तैयार हो तो मैं उसे आज ही भेज सकता हूं।

श्री रामप्रसाद बोहरा : जब वहां दो लेडी डॉक्टर्स की पोस्ट्स हैं तो एक ही को क्यों रखा जा रहा है, जिसके खिलाफ शिकायतें हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह डी० एम० एच० ओ० की पत्नी हैं जब उनका ट्रान्सफर हो जावेगा तब उनका भी ट्रान्सफर हो जायगा।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : जब उस लेडी डॉक्टर के खिलाफ जनता की शिकायतें हैं उस बारे में उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इसका क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वैसी कोई खास शिकायतें नहीं आई हैं। यह सही है कि वहां एक लेडी डॉक्टर से काम नहीं चलता और उसका वर्ताव भी ठीक नहीं है दो लेडी डॉक्टर हो जायेंगे तो उनका वर्ताव भी ठीक हो जायगा।

श्री विट्ठलप्रसाद (अकलेरा): जब पांच डिलीवरी केसेज में पांचों ही जच्चाओं की की मृत्यु हो गई इस पर भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हरजीराम बुरड़क।

शिक्षा प्रसार अधिकारी, लाडनूं के विरुद्ध मामले

44. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री गोविन्द लाल, शिक्षा प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर ने बी० एड० की ट्रेनिंग पास की थी ? यदि हां, तो कब किस ट्रेनिंग सेन्टर से और कब से कब तक ट्रेनिंग सेन्टर में रहे तथा उस समय उनकी नियुक्ति किस पद पर कहां की हुई थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी कभी किसी मामले में निलंबित (सस्पेण्ड) भी हुआ था ? यदि हां, तो कब किस अधिकारी द्वारा निलंबित किया गया और उसके खिलाफ क्या क्या आरोप थे तथा कब तक निलम्बित रहे और उनकी नियुक्ति कहां पर किस पद पर थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त अधिकारी के खिलाफ लगाये गये आरोपों की जांच किस अधिकारी ने कब से कब तक की और सरकार को कब क्या रिपोर्ट दी ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह): (1) श्री गोविन्दलाल, शिक्षा प्रसार अधिकारी, लाडनूं ने महेश टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जोधपुर से सत्र 1963-64 में बी० एड० प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उस समय वे शिक्षा प्रसार अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, डीडवाना में नियुक्त थे।

(2) उक्त अधिकारी दिनांक 28-11-63 से 27-2-65 तक निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा निलम्बित रहे उस समय पंचायत समिति, डीडवाना में शिक्षा प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। निलम्बित किये गये आरोपों की प्रति संलग्न है।

Page No 3

(राव श्री धीरसिंह)

(3) उक्त अधिकारी के खिलाफ लगाये गये आरोपों की जांच श्री गिरधारीलाल उप-विद्यालय निरीक्षक, नागौर ने की है जिन्होंने अपनी जांच प्रतिवेदन प्रेषित करदी है इस प्रकरण में अब निर्णय शीघ्र दिया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है कि सस्पेन्शन के समय उन्होंने ट्रेनिंग जोइन किया था ?

राव श्री धीरसिंह : ट्रेनिंग जोइन उन्होंने 63 को जुलाई में किया था और उनको 28-11-63 को सस्पेण्ड किया गया। पहले उन्होंने एडमिशन ले लिया था उस साल के 11वें महीने के अन्दर सस्पेन्शन होने के बाद प्रतिनियुक्ति नहीं दी गई ।

श्री हरजीराम बुरड़क : पहले जब ऑर्डर सस्पेन्शन का दिया गया तो फिर ट्रेनिंग के लिये क्यों इजाजत दी गई ?

राव श्री धीरसिंह : ट्रेनिंग से विथड्रा करने का प्रावधान नहीं है। जब वे सर्विस में तभी ट्रेनिंग के लिये प्रतिनियुक्ति कर दी थी लेकिन यह मामला विचाराधीन है कि सस्पेन्शन पीरियड के अन्दर जो स्टाइपन्ड दिया गया था उसको विथड्रा कर सकते हैं या नहीं ? ट्रेनिंग से विथड्रा करने का प्रावधान नहीं है। उस पीरियड में जो इमोल्यूमट्स मिले हैं क्या वे सस्पेन्शन पीरियड में लेने के अधिकारी थे या नहीं इसके बारे में जानकारी की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : राजस्थान सर्विस रूल्स के अन्दर सस्पेन्शन की परिभाषा दी गई है उसके अनुसार अगर कोई ट्रेनिंग में चला गया है और वह सस्पेण्डेड है तो उसको ट्रेनिंग से विथड्रा किया जा सकता है तो फिर इनको अनुमति किस आधार पर दी गई ?

राव श्री धीरसिंह : ट्रेनिंग के अन्दर जाने के बाद उनको विथड्रा करने का सवाल है वह सस्पेन्शन से ओटोमेटिकली लागू नहीं हो जाता। इसी नियम के अनुसार उनको ट्रेनिंग से विथड्रा नहीं किया गया और ट्रेनिंग करने का मौका दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : आपने स्पेशल ऑर्डर ट्रेनिंग के लिये दिया है तो क्या सस्पेन्शन पीरियड में वह उस पोस्ट पर नियुक्त रह सकता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : उनका जुलाई, 63 में बी० एड० के लिये एडमिशन हो गया था उनको सस्पेण्ड 28-11-63 को किया गया यानी उनके एडमिशन पीरियड के बाद हुआ। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रेनिंग के लिये सिलेक्शन होगया इसलिये सस्पेन्शन पीरियड में ट्रेनिंग से विथड्रा करने की बात आती नहीं। ट्रेनिंग पीरियड में वे सस्पेण्ड थे उस समय का स्टाइपण्ड मिलना चाहिये या नहीं यह देखने का है। अगर वे पाने के अधिकारी नहीं होंगे तो उनसे स्टाइपण्ड वसूल कर लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : सर्विस रूल्स में जो सस्पेन्शन की परिभाषा दे रखी है उस परिभाषा के अन्तर्गत जिसको सस्पेण्ड

(श्री भैंरोंसिंह)

किया गया है ट्रेनिंग की ड्यूटीज को अन्जाम दे सकता है ?

श्री शिवचरण माथुर : इसमें दिक्कत क्या है। यह तो बी० एड० की ट्रेनिंग है कोई भी प्राइवेट आदमी भी ले सकता है।

श्री भैरोंसिंह : मुझे याद है आपने सस्पेण्ड हुए अधिकारियों को ट्रेनिंग से वापिस बुलाया है पुलिस का जो रिफ्रेशर कोर्स होता है उसमें जिन सब इन्स्पेक्टर्स को भेजा है उनके सस्पेन्शन पर उनको वापिस बुला लिया गया है ?

श्री शिवचरण माथुर : रिफ्रेशर कोर्स और बी० एड० ट्रेनिग में भिन्नता है।

श्री हरजीराम बुरड़क : इनको चार्ज शीट कब दी गई, इन्क्वारी ऑफिसर को वह कब मिली और उसकी इन्क्वायरी कब शुरू हुई ?

राव श्री धीरसिंह : विकास विभाग से यह शिक्षा विभाग को 19-11-63 को भेजी गई। उसके बाद डाइरेक्टर, प्राइमरी और सेकण्डरी एज्युकेशन इन्सपेक्टर को इन्क्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया गया इनको चार्ज शीट की तारीख तो पता नहीं लेकिन 64 के बिगनिंग के अन्दर दी गई। जिनको इन्क्वायरी का भार सौंपा गया था वे इन्सपेक्टर इस बीच रिटायर हो गये उसके बाद उप-विद्यालय, निरीक्षक श्री गिरधारीलाल को 19-9-69 को दी है इस बारे में रिपोर्ट आई है वह डायरेक्टोरेट के विचाराधीन है।

श्री हरजीराम बुरड़क : उस पर निर्णय कब तक ले लिया जायगा ?

राव श्री धीरसिंह : जल्दी ही लिया जायगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : आखिर जल्दी की परिभाषा क्या है ? क्या यह सही है कि सस्पेण्ड करके जांच रिपोर्ट पर निर्णय लेने से पहले ही उनको बीच में बहाल कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट। श्री गंगासहाय।

रामपुरा–कोलाबास बान्ध

45. **श्री गंगासहाय (कठूमर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है की रामपुरा कोलां का बास-बजला-अलवर का बान्ध पहली वर्षा के पानी से ही टूट गया था ? यदि हां, तो क्या इसकी टेक्निकल जांच कराई गई थी ? उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बान्ध के टूटने में जिस अभियन्ता को दोषी पाया गया उसे ही अब एस० ई० आई० बनाया जा रहा है ? उनकी योग्यता क्या है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दोषी अभियन्ता आजकल भरतपुर में हैं और उसने 35 लाख रुपये का खर्चा बिना एस्टीमेट की स्वीकृति के कर दिया है, जिसको नियमित कराने में केन्द्रीय मंत्रियों का भी हस्तक्षेप हुआ है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (1) जी हां, इसकी विभागीय जांच कराई गई थी जिसमें कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी नहीं ।

श्री गंगासहाय : क्या यह सही है कि बान्ध इसलिये बनाया जाता है कि वह वर्षा के पानी को रोके ?

श्री जसराज: जी हां ।

श्री गंगासहाय: तो जो बान्ध यह बनाया गया वह पहली वर्षा के पानी में ही टूट कर वह गया तो क्या ऐसा किसी टेक्निकल गलती के कारण से हुआ ?

श्री जसराज : जो बान्ध बना उसमें वर्षा का अधिक पानी आ गया और वर्षा ज्यादा हो गई तो उस अधिक पानी के बाढ़ का रूप धारण कर लिया इसलिये टूटा ।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट । श्री फूलचन्द बाफना ।

जंगलों की कटाई

46. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जंगल बहुत काट दिये जाने के कारण वर्षा प्रति वर्ष कम से कम होने लगी है और फलतः अकाल पड़ने लगे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह विचार रखती है कि जंगलों की कटाई रोकी जाय ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने पिछले तीन वर्षों में एक बार जंगल काटना बन्द करने की व्यवस्था की थी ? यदि हां, तो उस आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे ।

(3) क्या इस वर्ष जंगल कटवाने की आज्ञा सरकार ने दे दी है और सरकार अब स्वयं जंगल कटवाकर कोयले बनायेगी ? यदि हां, तो इस आज्ञा की प्रतिलिपि भी सदन पटल पर रखी जावे । फिर से जंगल कटवाना तय करने का कारण क्या है ?

वन मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) योजनानुसार जंगलों के काटे जाने से वर्षा पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ता । परन्तु वनों के अनियमित तथा अवैज्ञानिक कटान से स्थानीय जलवायु पर अवश्य कुप्रभाव पड़ता है । वनों की कटाई वैज्ञानिक रूप से नियमित क्षेत्रों में ही कराना उचित होता है । सरकार वनों की कटाई वैज्ञानिक प्रणाली पर ही वर्किंग प्लान के अनुसार कराती है ।

(2) यह सही है कि सरकार ने सन् 1968 में राज्य में लकड़ी कोयले के वनों की ठेकेदारी प्रथा से कटान पर स्थायी रूप से रोक लगा दी । आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(3) सरकार ने इस वर्ष से जंगल कटवाने का कार्य विभागीय प्रणाली द्वारा प्रारम्भ कर दिया है जिसके लिये राज्य सरकार ने राजकीय व्यापार योजना की स्वीकृति दी है । आज्ञा की प्रति संलग्न है । वृक्षों के परिपक्व हो जाने पर ही योजनानुसार वनों के कटाने से जनता को

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

लकड़ी कोयले की आवश्यकता भी पूरी होती है और राज्य की आय में भी मदद मिलती है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : यह वैज्ञानिक प्रणाली क्या है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ।

श्री नारायणसिंह : वैज्ञानिक प्रणाली होती है केटरिंग करते हैं वृक्षों का इत्यादि ।

श्री फूलचन्द बाफना : वैज्ञानिक प्रणाली सरकार की यह है कि कागजों में तो योजना लिख दी जाती है पर उधर जंगलों में लोग ट्रक के ट्रक लकड़ी काट काट कर पार करते रहते हैं । उनको रोकने की सरकार के पास कोई योजना नहीं है । चोरी रोकने की योजना भी नहीं है । मैं जिन जंगलों में रहता हूं एक समय वे बहुत घने भरे हुए थे पर आज सब कट कटाकर साफ हो गये हैं, सफाचट चांद की तरह बनते जा रहे हैं। यही रफ्तार रही तो पृथ्वी चांद बन जावेगी । पहले जब जंगल घने थे वर्षा की भी झड़ी लगी रहती थी पर अब वह भी कम हो गई है । तो इस तरह से सरकार की इन योजनाओं ने राजस्थान में स्थायी अकाल का इन्तजाम कर दिया है और करती जा रही है ।

श्री नारायणसिंह : माननीय सदस्य का यह कहना है कि जंगलों के अधिक कटने से वर्षा कम होती है तो यही एक कारण कम होने का नहीं है, और भी कई जोग्राफिकल कारण हैं । फिर यह कटाई की हालत देखते हुए ही लकड़ी कोयले को ठेके पर देने की प्रथा बन्द कर दी गई । पर इसके बाद में यह भी अनुभव किया गया कि कुछ दरख्तों की आयु होती है तो उनको काटना जरूरी होता है जिस प्रकार कि सिर में बाल ज्यादा हो जाने पर कटाना पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष : हज्जाम को बुलाना पड़ता है ।

श्री भैरोंसिंह : माथुर साहब रहते हैं आपके पास । जरा ध्यान रखना ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यहां की लकड़ी कोयला की आवश्यकता है उन पर असर पड़ा, भावों पर भी असर पड़ा । फिर पुनर्विचार किया गया और विभागीय योजना के अन्तर्गत ही यह काटना शुरू करने की प्रणाली अख्तियार की गई ।

और पहले जहां ठेके पर 30 हजार एकड़ जमीन की कटाई हर साल होती थी वहां अब हमने विभागीय कटाई में 14 हजार एकड़ पर ही काम करने का तय किया है । आमदनी में इससे अन्तर नहीं आवेगा । ठेकेदार को जहां प्रति एकड़ से सौ रुपया मिलता था वहां हम 250 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग आमदनी कर सकेंगे ।

श्री फूलचन्द बाफना : अध्यक्ष महोदय, क्या वैज्ञानिक प्रणाली के अन्दर यह है कि जंगल बिलकुल नंगे कर दिये जावें । आज जंगल बहुत छिछले और दरख्तों से

(श्री फूलचन्द बाफना)

रहित हो गये हैं तो क्या वैज्ञानिक प्रणाली का यह नतीजा है कि जंगल साफ हो जावें ।

श्री नारायणसिंह : ऐसी बात नहीं है । वज्ञानिक प्रणाली का गलत अर्थ लगाया गया है । जंगल काटे हैं लोगों ने क्योंकि आबादी तेजी से बढ़ी है इधर लोगों की आवश्यकता भी काफी बढी है । तो ये और भी कई कारण हैं जो खेद-जनक हैं ही । आज सारी दुनिया मोटी होती जा रही है । फिर भी प्रयत्न किया जा रहा है कि वैज्ञानिक तरीकों से काटे जावें ।

श्री अध्यक्ष : बचाया जावे ।

श्री फूलचन्द बाफना : वर्षा का हिसाब प्रति वर्ष का देखा जावे तो वर्षा का औसत कम हो रहा है यह आपको मालूम है ?

श्री नारायणसिंह : इकोनोमिकली इम्बेलेन्स होने से बरसात की कमी होती है और कई कारणों से होती है, केवल इससे ही वर्षा की कमी होती हो-ऐसा नहीं है ।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : वैज्ञानिक ढंग से आपने जंगलों को प्रीजर्व करने का उनको फेन्सिग और एन्कलोजर्स किया है । उसकी प्रोग्रेस किया है ?

श्री नारायणसिंह : मैंने देखा भी है इसमें काफी प्रगति हुई है । पर मानता हूं कि इसमें और प्रगति होनी चाहिये । नहीं हुई, इसके लिये कमेटी भी बैठाई है कि वह जांच करे ।

श्री अध्यक्ष : आप तो पूरक प्रश्नों को और उकसाते हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : राजस्थान की आब हवा को देखते हुए वनों की वृद्धि होनी चाहिये, होती नहीं है, और इसके विपरीत इतनी तेजी से कटाई होती जा रही है जो राजस्थान की ही पूर्ति के लिये नहीं है बल्कि बाहर भेजी जा रही है लकड़ी आदि । दूसरा यह कि आपने यह नियम बनाया कि तीन साल में एक साल कटाई नहीं होगी । यह किस आधार पर बनाया और किस आधार पर मन्सूख किया ?

श्री नारायणसिंह : पहला प्रश्न क्या है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : एक एक करें तो अच्छा होगा ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : पहला प्रश्न मेरा यह है कि राजस्थान की आब हवा को देखते हुए जंगलों की वृद्धि तो धीमी गति से ही होती है पर जंगल काटे तेजी से जाते हैं ?

श्री नारायणसिंह : राजस्थान की क्लाइमेट और इकोनोमिकल पोजीशन से यों ही कम होती है । पर इसके साथ ही आबादी बढ़ रही है जितनी भूमि बर्दाश्त नहीं कर पा रही है इसलिये फेमिली प्लानिंग का काम चल रहा है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि राजस्थान की आवश्यकता के अनुसार ही कटाई की जाती है या बाहर भेजने के लिये भी कटाई की जाती है ?

Page No 8

श्री नारायणसिंह : आवश्यकतानुसार।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : बाहर नहीं भेजी जा रही है ?

श्री नारायणसिंह : बाहर क्या ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : लकड़ी कोयला।

श्री नारायणसिंह : लकड़ी ईंधन और कोयला यह तो हमारे यहां की आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती है, बाहर से यहां आता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): एक क्वेश्चन, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से।

: क्या मन्त्री महोदय जिस प्रकार जिस रफ्तार से हमारी वन सम्पत्ति का ह्रास हो रहा है, उसको देखते हुए यह अनुभव नहीं करते कि कम से कम अमुक वन खण्ड को 10 वर्ष के लिये काटने से बिलकुल विमुक्त रखा जावे, फुल प्रोटेक्शन उसे दिया जावे दस वर्ष तक।

श्री नारायणसिंह : इसी को ध्यान में रखतें हुए पांच साल के लिये लकड़ी कोयला के वनों म रोक लगा दी गई है। पर टेक्निकल राय यह रही है कि यह दरख्त की जो अवस्था होती है उससे वह गिरने लगता है तो उसे काटना आवश्यक ही है। तो इसलिये 30 हजार एकड़ जहां कटता था उसकी जगह 15 हजार एकड़ की कटाई ही रखी है और वह भी विभागीय प्रणाली से।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : शायद मन्त्री महोदय मेरे प्रश्न को स्पष्टतया नहीं समझ सके हैं। आपकी टेक्निकल बात तो ठीक है। उसके लिये मुझे कुछ नहीं कहना है। पर जिस तरह से चोरी छिपे जंगल कट रहे हैं तो अमुक वन खण्ड की भौगोलिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यह सुझाव है मेरे खयाल में कि अमुक वन खण्ड को दस वर्ष के लिये फुल प्रोटेक्शन दे दिया जावे और वहां पर चोरी नहीं होने दें। अध्यक्ष महोदय, जिस रफ्तार से वनों का ह्रास हो रहा है उससे मैं तो यह अनुभव करता हूं कि शायद पांच वर्ष में मुर्दा जलाने के लिये भी लकड़ी नहीं मिलेगी।

श्री नारायणसिंह : यह रफ्तार की बात अलग है। इस बात की जांच की जा सकती है कि दस वर्ष तक रोका जा सकता है या नहीं।

श्री फूलचन्द बाफना : चोरी का मतलब बिल्कुल अलग है, चोरी का मतलब कटाई बन्द से है।

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब यह है कि 10 साल के लिये कटाई बन्द कर दें तो यह खतरा मिट जायगा ?

श्री नारायणसिंह : नहीं मिटेगा।

श्री अध्यक्ष : फिर भी चलता रहेगा ?

श्री नारायणसिंह : जो निजी सम्पत्ति में वन हैं उन पर कुठाराघात होता है, उनको कैसे रोकें ?

श्री भेरोंसिंह : क्या यह सही है कि विभागीय प्रणाली अपनाने के बाद कुछ

(श्री भैरोंसिंह)

कॉन्ट्रेक्टर्स फॉरेस्ट अभी तक काट रहे हैं और पहले के कॉन्ट्रेक्ट और लीजेज को रिन्यू कराया है?

श्री नारायणसिंह : विभागीय प्रणाली...

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न अलग से है। फिर भी निवेदन कर रहे हैं।

श्री नारायणसिंह : तथ्य यह है कि उनको भी धीरे धीरे हटाया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह जिस परपज के लिये विभागीय प्रणाली अपनाई गई है उसमें पुराने लाइसेन्स के आधार पर रिन्यू कराकर काम कर रहे हैं?

श्री नारायणसिंह : कोई फॉरेस्ट ड्यूज है उसी के लिये रिन्यू करा रहे हैं लेकिन अब दूसरी बात यह है कि लकड़ी और कोयले के अन्दर या तो कॉपरेटिव है या विभागीय प्रणाली है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री विट्ठलप्रसाद।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह आपके आदेश से जंगल काटे गये हैं?

श्री नारायणसिंह : आदेश तो सरकार देती है। तभी काटे जाते हैं।

श्री जुझारसिंह : बेजा आदेश से।

श्री अध्यक्ष : आदेश बेजा होते ही नहीं हैं।

श्री नारायणसिंह : मेरे आदेश बेजा होते ही नहीं हैं।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, गागरोन के जंगलों को काटा गया है ये सब बेजा आदेश से ही काटे गये हैं।

श्री अध्यक्ष : एम्बीग्यूअस। अलग से प्रश्न।

श्री फूलचन्द बाफना : मैंने पूछा था उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या रेन-फाल प्रति वर्ष गिर रही है?

श्री अध्यक्ष : कई डेटाज बताये हैं उनसे गिर रही है।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय कल सदन में बिल पेश किया जा रहा था उस समय राज्य मंत्री महोदय उपस्थित नहीं थे। उनके लिये आपकी तरफ से प्रताड़ना मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मौका अच्छा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उनसे पूछा जाय कि उपस्थित क्यों नहीं हुये? आन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। अध्यक्ष महोदय कल जिस समय बालक विधेयक प्रस्तुत होने वाला था तो माननीय राज्य मंत्रीजी (श्री बी० एन० जोशी) उपस्थित नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति से सदन की प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा है। माननीय राज्य मंत्रीजी उपस्थित नहीं थे। मैं चाहूंगा सदन के द्वारा राज्य मंत्रीजी को प्रताड़ना दी जानी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाने का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं मानता, सजेशन मान लेता हूं।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : क्वेश्चन आवर के अन्दर दूसरे प्रश्न पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर से नहीं उठाने चाहियें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो य कह रहा हूं कि इनको अनुमति नहीं दी जाय बोलने की जब तक हाउस से क्षमा याचना न कर लें।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन को जानकारी दे देना चाहता हूं। मैंने मंत्री महोदय से बात की है। उन्होंने स्वयं ने खेद प्रकट किया है। कल वे बड़े परेशानी में थे। माननीय मंत्री महोदय ने बड़ी कोशिश की लेकिन कल की स्थिति आपको मालूम है। बड़ी विषम स्थिति थी। दो चार जगह रोक लगा दी, इसलिये नहीं पहुंच पाये। एक्सप्लेनेशन ठीक है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (चिकित्सा मंत्री) : रुकवा तो दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा।

महिला समाज कल्याण योजना

47. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मनोहरथाना महिला समाज कल्याण योजना कब से कार्यरत है?

(2) उक्त परियोजना की वर्तमान अध्यक्षा एवं कार्यकारिणी के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त परियोजना की अध्यक्ष महिला न होकर कोई पुरुष है? क्या इस क्षेत्र में किसी योग्य महिला के अभाव के कारण ही ऐसा किया गया है?

(4) क्या बोर्ड न होने के कारण वहां की धनराशि एवं जीप गाड़ी का दुरुपयोग निरन्तर होता रहा है और शिकायतों के उपरान्त भी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री बी० एन० जोशी) : (1) समाज कल्याण योजना, मनोहरथाना माह दिसम्बर, 1959 से कार्यरत है।

(2) परियोजना के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची संलग्न है।

(3) जी हां। वर्तमान में वहां श्री कैलाश चन्द्र पाठक नामक पुरुष कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वे नई समिति के गठन तक कार्य करेंगे। नई समिति का गठन अध्यक्षा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के विचाराधीन है।

(4) जी नहीं। शिकायत की जांच करने पर किसी प्रकार का कोई दुरुपयोग नहीं पाया गया।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या आप बता सकेंगे कि कैलाश चन्द्र पाठक कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर कब से कार्य कर रहे हैं?

श्री बी० एन० जोशी : कैलाश चन्द्र पाठक तारीख 2-12-69 से कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर काय कर रहे हैं।

Page No 11

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : बोर्ड के अध्यक्ष का समाज कल्याण बोर्ड, दिल्ली से कब तक गठन हो जायगा इसकी क्या उम्मीद है ?

श्री बी० एन० जोशी : नाम भेज दिये गये हैं। मैं आशा करता हूं चन्द सप्ताहों में आज्ञा प्राप्त हो जायगी, इसके बाद अन्य व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त हो जायेंगे।

प्रश्न संख्या 48

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री बाल सिंह सोढा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गंगासहाय।

जिला परिवार नियोजन अधिकारियों की नियुक्ति

49. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में जिला परिवार नियोजन अधिकारियों के कितने पद हैं? नियमानुसार इन पदों पर किस योग्यता के डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिये ? निर्धारित योग्यता से रहित कितने व्यक्ति इन पदों पर कहां कहां कब से कार्य कर रहे हैं ? निर्धारित योग्यता न रखते हुये भी उनको इन पदों पर नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

राज्य मंत्री, परिवार नियोजन (श्रीमती सुमित्रा) : राजस्थान में जिला परिवार नियोजन अधिकारियों के कुल 26 पद सृजित हैं। विभागीय नियमों के अनुसार इन पदों में से 75 प्रतिशत पदों पर उन चिकित्सकों की नियुक्ति की जाती है जिनका एम० बी० बी० एस० पास होने पर सात वर्ष का सेवाकाल होता है तथा लाईसेन्सियेट होने पर दस वर्ष का सेवाकाल होता हैं। इस प्रतिशत के अन्तर्गत नियुक्तियां वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। शेष 25 प्रतिशत पदों पर उन चिकित्सकों की नियुक्तियां की जाती हैं जो एम० बी० बी० एस० योग्यता के साथ डी० पी० एच० प्रशिक्षण उत्तीर्ण होते हैं। वर्तमान में इन पदों पर उपरोक्त वर्णित योग्यता के व्यक्ति ही कार्य कर रहे हैं। निर्धारित योग्यता न रखते हुये इन पदों पर किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है।

श्री गंगासहाय : क्या यह सही है कि जो योग्यता इसमें बताई गई है इसके अतिरिक्त भी यह योग्यता नहीं रखने वाले व्यक्ति को परिवार नियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था ?

श्रीमती सुमित्रा : मैंने निवेदन कर दिया एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निर्धारित योग्यता नहीं रखता हो।

श्री गंगासहाय : इसके पहले नियुक्त किया गया था ?

श्रीमती सुमित्रा : कभी भी नियुक्त नहीं किया गया।

श्री गंगासहाय : क्या यह सही है श्री रूपनारायण शुक्ला जो निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं फिर भी उनको परिवार नियोजन अधिकारी के पद पर रखा गया है ?

श्रीमती सुमित्रा : जो लाइसेन्सियेट होते हैं और 10 वर्ष का सेवाकाल होता है उनको भी नियुक्त किया जाता है, यह बता दिया गया है और इसीलिये उनकी नियुक्ति की गई थी।

प्रश्न संख्या 50

श्री अध्यक्ष : श्री केशरी सिंह हाडा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 51

श्री दिग्विजय सिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 52

श्री दुर्गालाल बाददार।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 53

श्री देवीलाल बुरासिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नथमल चौहला।

ग्राम पंचायत, बादुसर के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध गबन का मामला

54. **श्री नथमल चौहला (लक्ष्मणगढ़) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सीकर जिला पंचायत समिति, फतेहपुर की ग्राम पंचायत, बादुसर के भूतपूर्व सरपंच, श्री गोरूराम को कूप निर्माण हेतु 1,500) रु० का अनुदान सन् 1962 व 63 में तथा 1,000) रु० स्कूल भवन हेतु सन् 1960 में मिला था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच ने उस 2,500) रु० का गबन किया जिसकी जांच जनता द्वारा सम्बन्धित अधिकारी के पास शिकायत करने पर हुई थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जांच की रिपोर्ट उप-जिला विकास अधिकारी ने दिनांक 23-10-67 को पेश की जिसमें गबन होना पाया गया ?

(4) क्या यह सही है कि यह गबन का मामला अधिकारियों द्वारा दबाया जाने की चेष्टा की जा रही है ? यदि नहीं, तो अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) :

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार को दिनांक 23-12-67 को प्रारम्भिक प्रतिवेदन मिलने पर मार्च, 68 में उप-जिलाधीश, फतेहपुर को जांच अधिकारी नियुक्त कर विस्तृत जांच करवाई गई। जांच प्रतिवेदन मिलने पर अब राज्य सरकार द्वारा अन्तिम सुनवाई का दिनांक 3-2-70 नियत किया गया है।

श्री नथमल चौहला : क्या यह सही है कि रकम 60 में दी गई थी और जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं हो पाई है ?

श्री परसराम मदेरणा : कुछ रकम 62 में दी गई थी।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या उप-सरपंच को सस्पेन्ड कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री श्रवणलाल।

खाद्य पदार्थों के लाइसेन्स

55. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) क्या यह सच है कि दुकानदारों के खाद्य पदार्थों के जो लाइसेन्स बनाये जाते है वह प्रति वर्ष फीस जमा कराने पर बदले जाते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि लाइसेन्सों की फीस दुकानदार प्रति वर्ष दिसम्बर के अन्तिम दिनों में बैंकों या तहसीलों में जमा करके रसीद प्राप्त कर लेते हैं ?

(3) क्या यह भी सच है कि समय पर फीस जमा करा देने पर भी लाइसेन्स समय पर नहीं मिलते हैं ?

(4) क्या यह भी सच है कि लाइसेन्स एक एक साल तक प्राप्त नहीं होते हैं ?

(5) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त समय पर नहीं मिलने पर फूड इन्सपैक्टर लाइसेन्स मांगते हैं और रसीद उनको मिलती है उसको दिखाने पर भी चालान कर देते हैं ?

(6) क्या यह भी सच है कि इन रसीदों को कोर्ट नहीं मानती है और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करती है ?

(7) क्या यह सच है कि रसीद मौजूद होते हुये भी नानगराम पुरोहित निवासी बस्सी को जेल में भेज दिया गया था जबकि उसके नाम में लाइसेन्स की फीस जमा करा दी गई थी ? यदि हां, तो सरकार इस प्रकार के मामलों में क्या कदम उठाने जा रही है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी हां। नये लाइसेन्स बनाये जाते हैं व पुराने लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जाता है।

(2) नियमानुसार दुकानदार लाइसेन्स नवीनीकरण कराने की फीस 31 दिसम्बर से पहले चालान पर लोकल ओथोरिटि या उनके द्वारा अधिकार दिये गये अधिकारी के हस्ताक्षर करवा कर ट्रेजरी या बैंक में जमा करवा कर रसीद प्राप्त करते हैं।

(3) जी नहीं। प्रार्थना-पत्र व फीस जमा होने की रसीद व पुराना लाइसेन्स कार्यालय में प्राप्त होने पर लाइसेन्स का नवीनीकरण करके शीघ्र भेज दिया जाता है।

(4) जी नहीं। कभी किसी केस में कोई कमी होती है तो उसको पूरा करवाने में कुछ समय लग सकता है।

(5) जी हां। यह सच है कि रुपया जमा कराने की रसीद दिखाने से वह चालान से वंचित नहीं रहता जब तक कि लाइसेन्स नवीनीकरण कराने या बनवाने के लिये कार्यालय में दिये गये प्रार्थना-पत्र की रसीद पेश न करें।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

(6) जी हां । विभाग का कोर्ट पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(7) इस केस में सम्बन्धित रिकार्ड देखने से ज्ञात होता है कि श्री नानगराम पुरोहित निवासी बस्सी की कोई दरख्वास्त लाइसेन्स के लिये जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई और न ही इनके खिलाफ लाइसेन्स न होने का चालान जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पेश किया गया।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि जिस प्रकार से आपने प्रश्न के भाग (1) में बताया कि इस प्रकार की परेशानी जो कि हर साल प्रत्येक दुकानदार के सामने आती है तो एक साल की अवधि को सरकार 5 साल की अवधि करने पर विचार करेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह सोचता हूं कि इस प्रिवेन्शन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के रूल्स में तरमीम हो जिससे लोगों की दिक्कत कम हो और लोगों की परेशानी हो सकती है क्योंकि एक साल की मियाद से क्या होता है कि रुपया भज देते हैं और लाइसेन्स रिन्यू होकर आने में देरी लगती है। तो मैं समझता हूं कि रूल्स के मातहत जैसा माननीय सदस्य ने भी सुझाव दिया है 3 साल या 5 साल की अवधि का कोई लाइसेन्स लेना चाहे तो उसको एक दफा में दे दिया जाय और उसके बाद यह परेशानी दूर हो सकती है। मैं इसको वाजिब मानता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपल एरिया के सिवाय गावों में लाइसेन्स लेना क्यों जरूरी है। यह म्यूनिसिपल एरिया तक ही रहना चाहिए ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रिवेन्शन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट को यदि माननीय सदस्य देखें तो वह भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है और उसमें हम तरमीम नहीं कर सकते कि म्युनिसिपल एरिया में लागू रहे और दूसरे गावों में लागू नहीं रहे। यह तब्दीली हो सकती है तो मेन एक्ट में ही हो सकती है।

श्री श्रवणलाल : क्या इस प्रकार जो पैसा जमा कराया जाता है और उनको लाइसेन्स प्राप्त नहीं होता तब तक के लिए वह रुपयों की रसीद फूड इन्सपेक्टर को दिखा देता है तो क्या सरकार पुनः विचार करेगी कि इस प्रकार के केसेज में जबकि पैसा जमा कराने की रसीद बता देता है तो उनका चालान नहीं किया जाये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कुछ केसेज में चालान किया गया है तो कोर्ट ने नहीं माना कि वास्तव में जैसे मोटर लाइसेन्स में होता है कि जमा कराने की रसीद को नहीं मानते और यह भी होना चाहिए कि पुराने लाइसेन्स को जमा करा दिया है तो उसकी रसीद होनी चाहिए तब तो बैठ सकता है। क्योंकि पुराना लाइसेन्स रहता नहीं है और पता नहीं लगता है। पुराने लाइसेन्स की रसीद हो तो बैठ सकता है।

Page No 15

श्री श्रवणलाल : जब पुराने लाइसेंसों को जमा करा देते हैं और उसके साथ में फीस भी जमा करा देते हैं और जमा रसीद अधिकारी को बता देते हैं तो वह उसको नहीं मानता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पुराने लाइसेन्स को जमा कराने की रसीदें तो उसके पास होनी चाहिए कि पुराना लाइसेन्स भी जमा करा दिया है।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, परेशानी यह है कि पुराने लाइसेंस को जमा कराते हैं तो उसकी रसीद ही नहीं देते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक पुराने लाइसेन्स के डिपोजिट का सवाल है मेरी जानकारी में ऐसे केसेज नहीं आये हैं कि पुराना लाइसेन्स जमा करा दिया है और रिन्यूअल के लिए पेश किया और उसकी रसीद नहीं ली हो। हर आदमी लाइसेन्स देकर आता है तो उनकी रसीद लेकर आता है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या राज्य सरकार ने नियम बना रखा है कि पुराने लाइसेन्स दें तो उसकी रसीद उसको मिलनी चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इसकी जानकारी करता हूं और अगर इसमें यह भी बात है तो यह भी इन्ट्रोड्यूज कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 56।

श्री देवीदत्त गाडिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गंगासहाय

नागरिक शास्त्र के अध्यापकों की वरिष्ठता सूची

57. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या शिक्षा निदेशक, राजस्थान ने कोई ऐसी आज्ञायें अथवा आज्ञा, शास्त्र के वरिष्ठ अध्यापकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित होने से पूर्व निकाली थी कि जो अध्यापक वरिष्ठाध्यापकों के पद पर पूर्व से लगे हुए हैं उन्हें पदोवनत न किया जावे ? यदि हां, तो इस आज्ञा की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और साथ ही नागरिक शास्त्र के अध्यापकों की वरिष्ठता सूची की प्रति भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : जी नहीं, नागरिक शास्त्र के अध्यापकों की कोई वरिष्ठता सूची अलग से नहीं बनाई जाती है।

श्री गंगासहाय : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि नागरिक शास्त्र के अध्यापकों को पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने इन्टरव्यू को नहीं जाने दिया गया और उस समय ऐसा आश्वासन दिया था कि उनके रिप्रेजेन्टेशन पर विचार करके बाद में प्रमोशन दिया जायेगा ?

राव श्री धीरसिंह : ऐसी कोई बात नहीं है। जब पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई केन्डिडेट सिलेक्ट होकर नहीं आता है तो एडहाक प्रमोशन बीच में कर दिया जाता है जब वह सिलेक्ट होकर आ जाता है तो उनको वापिस रिवर्ट कर दिया जाता

(राव श्री वीरसिंह)

है। जो सिनियोरिटी लिस्ट है वह राज्य स्तर पर सब सैकेण्डरी स्कूल की स्टेज की एक ही है और जब आवश्यकता होती है तो जो सीनियर-मोस्ट होता है उसको प्रमोट कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 58.

श्री रावतराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क।

राजस्थान विकास मासिक-पत्र के सम्पादक

59. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा प्रकाशित राजस्थान विकास मासिक पत्र के मौजूदा सम्पादक की शैक्षणिक योग्यता क्या है?

(2) ये राज्य सेवा में कब नियुक्त किये गये और नियुक्ति के समय शैक्षणिक योग्यता क्या थी तथा किस पद पर कहां नियुक्त किये गये थे व अब तक किस किस पद पर कहां कहां पर नियुक्त रहे? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य सेवा में नियुक्ति के बाद कोई शिक्षा ग्रहण करके डिग्री हाँसिल की हो तो कब, कहां से और कौनसी डिग्री?

(4) क्या राज्य सेवा में आने के बाद शिक्षा ग्रहण करने संबंधी कोई मामला इस विभाग में चला? यदि हां, तो कौनसा मामला कब चला व उसका क्या परिणाम निकला?

(5) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उपरोक्त अधिकारी ने यहां जयपुर में राज्य सेवा में अपनी उपस्थिति बताई और दूसरी ओर अजमेर में किसी कॉलेज में भी अपनी उपस्थिति उसी समय में बता कर कॉलेज से एम० ए० की परीक्षा पास की यदि हां, तो कब और किस कॉलेज से?

पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) एम० ए०, साहित्य रत्न, आयुर्वेदाचार्य व संपादनकला विशारद् हैं।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) वर्ष 1957 में आगरा यूनिवर्सिटी से एम० ए० की डिग्री हासिल की।

(4) जी हां, राज्य सेवा में रहते हुए अनुचित रूप से अध्ययन कर डिग्री प्राप्त करने के आरोप का मामला वर्ष 1965 में चला जिसमें विभागीय जांच सम्पूर्ण होकर जांच रिपोर्ट निर्णय हेतु राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(5) इस प्रकार के आरोपों की विभागीय जांच की जा चुकी है। परीक्षा गवर्नमेन्ट कॉलेज, अजमेर से वर्ष 1957 में उत्तीर्ण की।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है कि इस मामले की जांच राजस्थान सतर्कता आयोग ने या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने की थी और राज्य सरकार को सुझाव दिया था कि इस मामले को अदालत में चालान किया जाये?

श्री परसराम मदेरणा : विभागीय जांच की गई है और वह जांच रिपोर्ट अपाइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट के पास विचाराधीन है।

श्री हरजीराम बुरड़क : मेरा प्रश्न यह है कि विभागीय जांच करने के पहले यह मामला सतर्कता आयोग में चला और उसने राज्य सरकार को लिखा था कि इस मामले को अदालत में चालान किया जाये। विभागीय जांच करने का क्या मतलब है। एक तरफ तो यह है कि गवर्नमेन्ट की सेवा में वह उपस्थित रहा और कालेज में भी उसकी अटेंडेन्स रही। इसमें कौनसी जांच है? यह तो एक सही बात है कि दोनों जगह वह एक ही साथ रहा और 65 से इस मामले को आपने ढिलाई में डाल रखा है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे मानने का प्रश्न नहीं है। अपाइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट डिसीप्लीनेरी एक्शन लेने वाला डिपार्टमेन्ट है और जांच रिपोर्ट उसके विचाराधीन है। यह सही है कि जांच रिपोर्ट से पाया गया है कि जिस समय राज्य सेवा में काम कर रहा था उस समय की अटेन्डेन्स कॉलेज में भी है और उसके साथ ही साथ कभी छुट्टी ली है और छुट्टी के दिनों में कॉलेज जाता रहा। यह दोनों आरोप साबित हो चुके हैं और अब अपाइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट डिसीप्लीनेरी एक्शन लेने वाला संबंधित विभाग है और वह उस पर निर्णय लेगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह तो क्लियर कट 420 का मामला है। अदालत में चालान होना चाहिए. डिपार्टमेन्ट इसमें क्या करता और जांच करता। यह 1965 से आज तक मामला चल रहा है। बात तो एक ही है कि यह उपस्थित रहे अजमेर कॉलेज में।

श्री अध्यक्ष : हां जो भी है वह अपॉइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट के पास है आपके पास नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : अपॉइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट जो निर्णय लेगा वही लागू होगा।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : विभागीय जांच जो करवाई है वह कब पूरी हुई और अब तक उस रिपोर्ट का क्या हुआ?

श्री परसराम मदेरणा : इस समय तारीख नहीं है लेकिन यह शिकायत जो है वह 1965 में हुई है।

श्री श्रवणलाल : आप यह बतायें कि विभागीय जांच कब पूरी हुई।

श्री परसराम मदेरणा : यह जांच कमिश्नर फोर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी ने की है और यही प्रोसीजर एडाप्ट किया जाता है। किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत हो तो कमिश्नर को आरोप-पत्र के साथ में उनके पास भेजा जाता है और उसके बाद सुनवाई होती है और कमिश्नर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी ने रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है जो कि अपाइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट के पास विचाराधीन है।

श्री श्रवणलाल : 65 से यह मामला चल रहा है और 70 चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न अपॉइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट के पास है। जांच होकर वहीं कार्यवाही हो रही है।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है कि पंचायत विभाग में जब इसको तहसीलदार अपोइन्ट किया था उस समय राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया था कि यह फर्जी डिग्री हासिल की है और दूसरे आप कह रहे हैं कि 65 में मामला ध्यान में आया तो एम० ए० का सैकिन्ड पार्ट का इम्तिहान दिया वह मामला है। फर्स्ट पार्ट कहां से किया था और उसका क्या हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा : इस पद पर उनकी नियुक्ति राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनका चयन कर दिया उसके बाद की गई। इस तथ्य की मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि एम० ए० के फर्स्ट पार्ट का जब उनका चयन हुआ उस वक्त यह फेक्ट गवर्नमेन्ट की जानकारी में था, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जो एपाइंटमेन्ट किया है वह पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेक्शन के बाद में किया गया है, और राज्य सरकार के पास जो अभी सूचना है उसके अनुसार पहले पहले 65 में राजस्थान सरकार के सामने यह आया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और है कि फर्स्ट पार्ट एम० ए० का उन्होंने सन् 51 में अध्यापक बनकर दिया था और सैकण्ड का... ... ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। सिचाई मंत्री।

ग्राम सामरिया में सिंचाई कार्यों पर व्यय

60. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सामरिया ग्राम जिला झालावाड़ में नदी के पास लिफ्ट इर्रिगेशन हेतु कुआ बनाकर नहरें निकाली गई हैं ? यदि हां, तो इस योजना में कितना रुपया खर्च हो गया और अब कितना कार्य बाकी है ?

(2) क्या यह सही है कि नहरें जिसे पूर्व स्थान पर निकालनी थी उस पर नहीं निकालो जाकर नीचे की साइड में निकाल दी गई जिससे ग्राम की जमीन सिंचाई होने से रह गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम सामरिया के किसानों की जमीन नहर से खराब हो गई और सिंचाई का लाभ गांव सुनेल के किसानों को मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (1) जी हां, इस कार्य पर 27,300 रु० का खर्चा हो चुका है। अभी केवल नहर की एवं कुए की नींव की खुदाई का कार्य हुआ है एवं बाकी काम शेष है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। बनाई जाने वाली नहर से गांव सामरिया, अरनिया एवं सुनेल के किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जावेगी।

श्री रामप्रसाद बोहरा : इन तीनों गांवों में कितनी सिंचाई हो सकेगी इस योजना से यह नहीं बताया गया है ।

श्री जसराज : 400 एकड़ भूमि सिंचित होने की सम्भावना है ।

श्री रामप्रसाद बोहरा : मेरा निवेदन यह है कि सांमरिया, सुनेल, अरनिया में कितने 2 बीघा पर सिंचाई होगी ?

श्री जसराज : अलग 2 की सूचना अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है । यह आप पूछेंगे तो बतला दी जायगी ।

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : मैं इसकी सूचना दे देता हूं । सामरिया में 140 एकड़, अरनिया में 88 एकड़ और सुनेल में 179 एकड़ है, इस तरह से लगभग 413 एकड़ भूमि सिंचित होगी ।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या यह सही है कि वहां के गांव वालों ने यह मांग की है कि वहां पर मौके पर जाकर जिस जगह पर नहरें निकलनी चाहिए थी उसका मुआयना किया जाकर उसके बाद में निर्णय लिया जाय कि जिस जगह से नहरें निकाली गई हैं वहीं से निकाली जायं या और दूसरी जगह से ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं मौके पर गया था और नहर बनाने का सभी जगह पर स्वागत किया गया है ।

श्री जुझारसिंह : नहरें बनाने का तो सभी स्वागत करेंगे लेकिन दूसरी जगह से अगर नहरें निकाली जातीं तो ज्यादा सिंचाई होती उसके मुकाबले में जहां कि अभी नहरें निकाली गई हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लिफ्ट इरिगेशन से 413 एकड़ की योजना काफी है और दूसरी तरफ से निकाली जाती तो इसमें ज्यादा वह बात नहीं है ।

प्रश्न संख्या 61

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 62

श्री केशरीसिंह हाड़ा

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 63

श्री दुर्गालाल बाढ़दार

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह : प्रश्न संख्या 51 है अभी शार्ट नोटिस में भी वही प्रश्न उठाया गया है इसलिए इसको पोस्टपोन करता हूं ।

श्री देवीलाल बुरासिया ।

राजकीय माध्यमिक कन्या पाठशाला केकड़ी में कमरों की कमी

63. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय माध्यमिक कन्या पाठशाला केकड़ी में कमरे की कमी के

(श्री देवीलाल बुरासिया)
कारण छात्राओं को खुले में धूप व बरसात में पढ़ाया जाता है ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार ने अब तक क्या व्यवस्था की और अगर नहीं तो, अब तक क्यों नहीं की गई ?

(3) क्या उक्त शाला में अध्यापिकाओं की कमी के कारण छात्राओं की शिक्षा में हानि होती है ? राज्य सरकार ने स्टाफ के बढ़ाने में क्या कदम उठाये हैं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) जी नहीं ।

(2) धनाभाव के कारण भवन की कठिनाई है जिसकी पूर्ति हेतु साधन अनुसार प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(3) जी नहीं । राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर सभी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ।

श्री देवीलाल बुरासिया : आपने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा है 'जी नहीं' और दूसरे में कहा है 'भवन की कठिनाई है' यह कहां तक सत्य है ?

राव श्री धीरसिंह : जो आपने यह कहा है कि बाहर बैठी हैं लड़कियां, भवन के अन्दर नहीं बैठी हैं तो यह बात गलत है । जहां तक मैंने खुद ने उस स्कूल को देखा है मैं कह सकता हूं कि वह कितने ही बहुत से स्कूलों के मुकाबले में बहुत अच्छा है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसके मुताबिक एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि धनाभाव है, और यह दिक्कत सभी जगह हमारे सामने है ।

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : क्या आपकी बच्चियां ऐसे स्कूल में पढ़ सकती हैं ?

श्री अध्यक्ष : बच्चे हैं कि नहीं !

राव श्री धीरसिंह : दूसरे स्कूलों के मुकाबले में वह ज्यादा अच्छा है और बड़ा है ।

श्री देवीलाल बुरासिया : वहां आठवीं क्लास तक तो चल रही हैं लेकिन मास्टरनियां 5 ही हैं और वहां पर 6 मास्टरनियों की कमी है ।

राव श्री धीरसिंह : वहां इस वक्त में एक तो प्रधान अध्यापक हैं, तीन द्वितीय श्रेणी के अध्यापक हैं, तीन तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं और जो बजट में प्रोवाइडेड जगहें हैं सभी भरी हुई हैं । इसके अलावा एक अतिरिक्त अध्यापक और दे रखा है । एडिशनल टीचर्स देने की स्थिति धनाभाव के कारण नहीं है ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : उनके यहां से चार टीचर्स किसी दूसरी जगह पर डेपुटेशन पर लिये गये हैं ।

राव श्री धीरसिंह : वे वहीं वर्क कर रहे हैं । दे आर वर्किंग देअर ।

श्री देवीलाल बुरासिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी की जानकारी गलत है । चार अध्यापक वर्तमान में दूसरी जगह काम कर रहे हैं । इनको मेरे ख्याल से गलत सूचना दी गई है ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि धनाभाव नहीं है ? (हंसी) धनाभाव होता तो साढ़े दस लाख इस भवन पर लगाने की अकाल में क्या जरूरत थी ?

श्री अध्यक्ष : यह बात सही है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह गलत बोल रहे हैं। इनकी करनी और कथनी में अन्तर है। धनाभाव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री देवीलाल बुरासिया : आपके द्वारा सरकार को यह बताया गया था कि विरोधी पक्ष को धनाभाव का कोई कारण न बतावें लेकिन ये बार बार धनाभाव-धनाभाव चिल्लाते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या कहा गया मेरे द्वारा ?

श्री देवीलाल बुरासिया : यह कहा गया था कि धनाभाव को नहीं बताएं।

श्री अध्यक्ष : मुझ कोई जानकारी नहीं इसकी।

श्री देवीलाल बुरासिय : आज धनाभाव का नहीं कहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह राज्य के साथ लगा हुआ है।

प्रश्न संख्या 56

श्री गाड़िया

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री परसराम मंगाराम : यह दिवाला कब खत्म होगा।

प्रश्न संख्या 58

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 61

श्री दुर्गालाल बाढदार।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 62

श्री केसरीसिंह हाड़ा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

घास का ठेका

48. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अकाल सहायता विभाग ने वन विभाग के पास घास होते हुए भी वहां से न मंगवाकर ठेकेदारों द्वारा बाहर से घास मंगाया जो महंगा व समय पर मांग की पूर्ति नहीं कर सका ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष में बार बार ठेके किये गये जिससे जनता व ठेकेदारों दोनों को कठिनाई हुई और समय पर घास नहीं मिल सका ? अगर हां, तो क्यों ? किस किस ठेकेदारों को कब कब

(श्री बालसिंह सोढा)

व किस किस दर पर ठेका दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह भी सही है कि वन विभाग के पास आज भी गत वर्ष का घास पड़ा है जो वर्षा व पानी से सड़ा है जबकि अकाल क्षेत्र में घास की मांग हमेशा रही ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं । वन विभाग के पास आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में घास नहीं होने के कारण ही ठेकेदारों द्वारा बाहर से चारा मंगवाया गया । यह सही नहीं है कि यह मंहगा था व समय पर मांग की पूर्ति नही कर सका ।

(2) जी हां । वर्ष 1969 में बाजार की स्थिति, उपलब्धि तथा परिवहन व्यवस्था आदि को मद्दे नजर रखते हुए आवश्यकतानुसार ठेके दिये गये, किन्तु इससे जनता एवं ठेकेदारों को कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई एवं यथासम्भव चारा समय पर उपलब्ध कराया गया । जिस जिस ठेकेदार को जब जब जिस जिस दर पर ठेका दिया गया, उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(3) जी नहीं । वन विभाग के अधिकार में गत वर्ष का घास नहीं पड़ा है जो वर्षा एवं पानी से सड़ा । वन विभाग के पास उपयोग में आने लायक उपलब्ध घास को अभावग्रस्त क्षेत्रों में काम में लिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

ओवर ड्राफ्ट की रकम का भुगतान

50. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डौली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान सरकार ने 31 दिसम्बर, 1969 तक ओवर ड्राफ्ट 43·96 करोड़ का किया है ?

(2) यह रकम किस मद में ली है और इसका सूद कितना देना होगा ?

(3) ओवर ड्राफ्ट की रकम का राज्य सरकार किस प्रकार भुगतान करेगी ?

उत्तर

(1) रिजर्व बैंक के साथ राज्य सरकार के खाते में 31 दिसम्बर, 1969 को 1·31 करोड़ के मार्गोपाय अग्रिम के अतिरिक्त 60,53 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट था ।

(2) राज्य सरकार का बैंक के साथ केवल एक ही सम्मिलित खाता होने के कारण मदवार ओवर ड्राफ्ट नहीं लिया जाता है । बैंक से लिए गए ओवर ड्राफ्ट पर सूद कटवां मिति के हिसाब से प्रतिदिन के लेन देन के आधार पर दिया जाता है । ओवर ड्राफ्ट पर सूद 5 प्रतिशत वार्षिक (बैंक ब्याज दर) के हिसाब से दिया जाता है (मार्गोपाय अग्रिम पर सूद की दर केवल 4 प्रतिशत वार्षिक ही है ।)

(3) अकाल राहत कार्यों पर हो रहे व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त

(वित्त मंत्री)

मात्रा में अनुदान व ऋण प्राप्त हो जाने तथा ऋणों के चुकाने की शर्तें व अवधि के पुनर्निरधारण हो जाने पर भारत सरकार से मिलने वाली राहत का समायोजन होते ही बहुत कुछ ओवर ड्राफ्ट चुकता हो जावेगा। दोनों ही विषय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं। ओवर ड्राफ्ट का एक भाग पंचम वित्तआयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर आशा के अनुकूल अनुदान प्राप्त न होने के कारण भी है। इस कमी को व्यय में मितव्ययता करके प्रतिपूर्ति की जावेगी। पंचम वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटे की पूर्ति न किये जाने पर राज्य सरकार ने अपना पक्ष केन्द्रीय सरकार के सामन रख दिया है।

ग्रामसेवक को बकाया वेतन का भुगतान

52. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है की पंचायत समिति, सिकराय के एक ग्रामसेवक, श्री रामस्वरूप शर्मा को विकास अधिकारी ने पंचायत समिति की आज्ञा के बावजूद 6-7 माह का वेतन नहीं दिया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति की स्थायी समिति ने विकास अधिकारी को आदेश दिये हैं कि श्री रामस्वरूप शर्मा के वेतन, एरियर, खाद, बीज की रकम आदि का निपटारा कर उसे नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र दिया जावे और उसे स्थानान्तरण पर रिलीव कर दिया जावे ?

(3) यदि हां, तो इतने लम्बे समय तक एक साधारण कर्मचारी को वेतन नहीं दिया जाना व ड्यूटी पर नहीं लिया जाना क्या विकास अधिकारी की ज्यादती नहीं है ?

(4) क्या सरकार ने इस विषय की कोई जांच की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार इस कर्मचारी को वेतन दिये जाने का विचार रखती है ?

(6) यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।
(2) जी हां।
(3) जी नहीं।
(4) जी हां।
(5) जी नहीं।
(6) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

पत्रकार को भुगतान

56. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां): क्या पंचायत मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर क्षेत्र की करौली, हिन्डौन, सवाई माधोपुर एवं गंगापुर आदि पंचायत समितियों ने कुछ वर्षों पूर्व श्री गजानन्द डरोलिया पत्रकार को सोविनियर या किसी पत्रिका आदि के निकालने और उसमें पंचायत समिति के विकास की प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करने आदि के नाम से करीब तीन चार सौ रुपये की राशि बिल लेकर दी थी ?

(2) यदि हां, तो किस वर्ष में किस किस पंचायत समिति ने श्री गजानन्द डरोलिया,

Page No 24

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

पत्रकार को किस बिल के द्वारा और किस निमित्त अग्रिम कितनी कितनी धनराशि किन नियमों के अन्तर्गत दी ? सूची सदन की ेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि श्री डरोलिया ने अभी तक बिल के अनुसार न तो सोविनियर या पत्रिका आदि ही निकाली ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जिले की आठ पंचायत समितियों द्वारा धनराशि अग्रिम के रूप में दी गई थी।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। राशि अनियमित रूप से दी गई।

(3) जी हां, अग्रिम दी गई धनराशि सम्बन्धित पंचायत समितियों को वापिस लौटा दी गई है। केवल एक पंचायत समिति को अभी तक रकम वापिस प्राप्त नहीं हुई है।

(परिशिष्ट 5 देखिये)

चूरू जिले में राहत कार्य और गबन तथा भ्रष्टाचार के मामले

58. **श्री रावतराम** (छापर-सु०): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) गत वर्ष सन् 1969 में चूरू जिले के विभिन्न स्थानों पर चालू राहत कार्यों में कितने गबन एवं भ्रष्टाचार के मामले सरकार के सामने आये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मामले किन किन के खिलाफ थे और वे किन तारीखों में दर्ज किये गये तथा उन पर अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(3) गबन एवं भ्रष्टाचार के मामलों से सम्बन्धित जिन लोगों को अब तक सजा दिलादी गई है, उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत वर्ष सन् 1969 में चूरू जिले के विभिन्न स्थानों पर चालू राहत कार्यों में 46 गबन एवं भ्रष्टाचार के मामले सामने आये। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त मामले जिन जिनके खिलाफ थे तथा जिन जिन तारीखों में दर्ज किये गये उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। इनमें से 39 मामले पुलिस को सुपुर्द कर दिये गये हैं, जिनमें से एक मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दे दी, एक का चालान पेश कर दिया गया, शेष 37 मामले जेर तफतीश है। 7 मामले भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भेज दिये गये थे, जिनके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

(3) अभी तक किसी को सजा नहीं दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विकास अधिकारी द्वारा यात्रा

61. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि विकास अधिकारी, श्री रामलाल मीणा ने दिनांक 6-5-1968 को 102 किलोमिटर की यात्रा की जिसका इन्द्राज पंचायत समिति, सिकराय की लॉग-बुक में है।

(2) यह यात्रा पंचायत के किस कार्य के संदर्भ में की गई थी और किस क्षेत्र में ?

(3) क्या श्री रामकृष्ण शर्मा ने इस यात्रा के विषय में लॉग-बुक में इन्द्राज किए ? यदि हां, तो उन इन्द्राज के आधार पर विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) लॉगबुक में अंकित विवरण के अनुसार ब्रह्मबाद, करौडी, बालाजी, हेहाबसेडी, सिकन्दरा व सिकराय क्षेत्र में खरीफ हाई ईल्डिंग प्रोग्राम के बारे में कृषकों को मार्गदर्शन व जानकारी देने के लिए यात्रा की गई थी।

(3) जी हां, जांच की जा रही है।

काश्तकारों से जुर्माने की वसूली

62. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1966-67 में तहसील हिन्डोली के गुढा बांध के कमान्ड एरिया में गन्ना बिना इजाजत बोने के कारण कितने काश्तकारों पर जुर्माने किये गये थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य नहीं कि श्री मदनलाल तापडिया ने भी बिना स्वीकृति के गन्ना लगाया था ? यदि हां, तो कितने बीघे में ? क्या यह सत्य है कि श्री तापड़िया पर लगाया गया 2,000) रुपये का तावान माफ पर दिया गया था ?

(3) क्या यह सत्य नहीं कि जिन काश्तकारों ने अपने कुओं पर गन्ना लगाया और कुए से ही सिंचाई की उन पर भी विभाग द्वारा जुर्माने किये गये हैं? यदि हां, तो किन किन पर ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सन् 66-67 में तहसील हिण्डोली के गुढा बान्ध के कमाण्ड एरिया में 69 काश्तकारों पर बिना इजाजत गन्ना पिलाने पर जुर्माना किया गया था। सूची संलग्न है।

(2) जी हां, यह सत्य है। मॉडल एग्रीकल्चर फार्म ने 13,1/2 बीघा भूमि में व बीचडी एग्रीकल्चर फार्म में 36 बीघा 9 बिस्वा भूमि में नया गन्ना लगाया था जिस पर तावान के रूप में क्रमशः 118.87 व 320.76 ० लगाया गया था और जो तावान लगाया गया था उसकी खतौनियां वसूली हेतु तहसील हिण्डोली को भेजी जा चुकी है। कोई तावान माफ नहीं किया गया है।

(सिंचाई मंत्री)

(3) जी नहीं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विकास अधिकारी द्वारा कर्मचारियों के स्थानान्तरण

63. **श्री दुर्गालाल बादशाह** (हवामहल, जयपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विकास विभाग द्वारा पंचायत समिति, सिकराय से पंचायत समिति, सेवा के कुछ कर्मचारियों के स्थानान्तरण, बिना कर्मचारियों की इच्छा, पंचायत समिति की राय व जिला संस्थापन समिति अथवा पंचायत राज सलेक्शन कमीशन की राय के किये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो इन कर्मचारियों के स्थानान्तरण का क्या कारण है ?

(3) क्या इन कर्मचारियों के विषय में जनता की कोई शिकायत सरकार के पास है ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय की जांच करवाई है?

(5) क्या यह भी सही है कि इन कर्मचारियों के स्थानान्तरण इनकी कार्य कुशलता का उल्लेख करते हुए कैंसिल किए जाने की मांग स्थायी समिति, पंचायत समिति ने राज्य सरकार को की है ?

(6) क्या इन कर्मचारियों को विकास अधिकारी द्वारा अन्यत्र रिलीव किए जाने के पूर्व पंचायत समिति से जो कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति अधिकारिणी है, पूछा गया है ?

(7) यदि पंचायत समिति, सेवा में कार्य कर रहे कर्मचारी के स्थानान्तरण करने में राज्य सरकार पंचायत समिति से नहीं पूछना चाहती तथा विकास अधिकारी रिलीव करने में नहीं पूछना चाहता तो पंचायत समिति का क्या अस्तित्व रह जाता है ?

(8) पंचायत समिति के प्रशासन में विकास अधिकारी से बार बार राज्य सरकार का सम्पर्क किस प्रजातन्त्र का द्योतक है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किये गये ।

(3) जी नहीं ।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है

(5) जी हां ।

(6) जी नहीं ।

(7) राज्य सरकार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम की धारा 86 (9) के अन्तर्गत बिना पंचायत समिति से पूछे स्थानान्तरण करने में सक्षम है अतः इससे पंचायत समितियों के अस्तित्व समाप्त होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(8) पंचायती राज में राज्य सरकार व विकास अधिकारी का सम्पर्क वर्जित नहीं है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

छात्रवृत्ति के लिये प्रार्थना-पत्र

40. श्री गंगासहाय (कठूमर–सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत वर्ष शाला निरीक्षक, अलवर के कार्यालय में अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों के कितने प्रार्थना-पत्र छात्र वृत्ति हेतु प्राप्त हुए ? स्कूलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रार्थना-पत्र देने वाले छात्रों में से कितनों को छात्रवृत्ति दी गई और कितनों को नहीं दी गई ?

उत्तर

(1) सन् 68-69 में अलवर निरीक्षणालय में अनुसूचित जाति के 1671 व जन जाति के 990 छात्रों के प्रार्थना-पत्र छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त हुये। स्कूलवार सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) अनुसूचित जाति के 390 को व जन जाति के 720 को छात्रवृत्ति दी गई। बाकी को बजट में प्रावधान न होने के कारण नहीं दी जा सकी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

समाज शिक्षा अधिकारियों के मामले

41. श्री गंगासहाय (कठूमर–सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे:–

राजस्थान में कितने समाज शिक्षा अधिकारियों (एस० ई० ओज०) के केसेज उच्च न्यायालय में चल रहे हैं ? कितने केसेज में उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर दिए जा चुके हैं ? उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

उत्तर

ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

माडर्न मिडिल स्कूल, सरदारशहर

42. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि अपनी शिकायत में राजकीय सहायता प्राप्त मॉडर्न मिडिल स्कल, सरदारशहर के अध्यापकों और तहसील शिक्षक संघ, सरदारशहर न उक्त शाला की प्रबन्ध समिति को जाली, बदलू और प्रधान अध्यापक को जेबी बताया है ?

(2) शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इतने संगीन आरोप के बावजूद संस्था की पूरी जांच क्यों नहीं की ?

(3) विद्यालय निरीक्षक, चूरू ने अपर निदेशक, प्रा० एवं मा० शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रबन्ध समिति की सन 1966 से अप्रेल, 68 तक कोई बैठक नहीं हुई ? क्या शिक्षा विभाग को प्रधानाध्यापक (संस्था के मंत्री) ने हर साल चार-चार और पांच-पांच बैठक हुई दिखाई हैं ? यदि हां, तो विभाग की आंखों में धूल झोंकने व गलत सूचना देने के आरोप में प्रधानाध्यापक (मंत्री) के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(4) शाला के कर्मचारियों को पांच महीने से वेतन नहीं मिला है और उन्होंने

Page No 28

(श्री हरजीराम बुरड़क)

सीधे विभाग द्वारा वेतन के भुगतान की मांग की है फिर भी विभाग ने अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ? यदि की है, तो क्या ?

(5) क्या यह सही है कि विद्यालय निरीक्षक, चूरू ने प्रशासक नियुक्त करने और विभाग द्वारा वेतन का भुगतान करने के सम्बन्ध में शाला के अध्यापकों को लिखा व अध्यापकों ने उसे स्वीकार कर लिया ? यदि हां, तो फिर विद्यालय निरीक्षक ने अपने निर्णय को क्यों बदल दिया ?

(6) क्या यह सही है कि विद्यालय निरीक्षक, चूरू के सामने प्रधानाध्यापक ने स्वीकार किया कि वे शाला महीनों बाद एक बार जाकर एक साथ उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करते हैं ? इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(7) क्या यह सच है कि शाला के अध्यापकों के प्रतिनिधि को शिक्षा मंत्री जी ने 19 जुलाई को शाला की पूरी जांच करवाने तथा 13 अगस्त को कर्मचारियों को विभाग द्वारा वेतन चुकाये जाने व प्रशासक नियुक्त करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु अब नई समिति का गठन कर लिया गया है।

(2) विभागीय अधिकारी द्वारा जांच की गई एवं कर्मचारियों तथा व्यवस्थापक के बीच समझौता कराया गया।

(3) जी हां।

जी नहीं। कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) अप्रेल से लेकर अक्टूबर, 68 तक का पूरा वेतन नवम्बर, 68 में विद्यालय उप-निरीक्षक द्वारा भुगतान करवाया गया।

(5) प्रशासक नियुक्त करने की आवश्यकता उस समय पड़ सकती थी जबकि प्रबन्ध समिति का चयन न होता। प्रबन्ध समिति का चयन होने पर रजिस्ट्रार द्वारा प्रबन्ध समिति की स्वीकृति के बाद यह प्रश्न नहीं उठता।

(6) यह सही नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

(7) संस्था की जांच कार्यवाही के लिए उप-निदेशक, शिक्षा, जोधपुर को आदेश दे दिये हैं कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान करा दिया गया है। वेतन सम्बन्धी कर्मचारियों की अब कोई शिकायत नहीं है। संस्था का काम नियमित चालू हो जाने के कारण प्रशासक को नियुक्ति नहीं की गई।

बाल भारती राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षण संस्थाएं

43. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं, जिला नागौर में कोई बाल भारती व

Page No 29

(श्री हरजीराम बुरड़क)

राष्ट्रीय विद्यालय नाम की सहायता अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं ? यदि हां, तो उन संस्थाओं को गत तीन वर्षों में कितनी कितनी सहायता दी गई ?

(2) क्या यह संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं और इनकी मैनेजिंग कमेटियां बनी हुई हैं?

(3) उक्त संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान की राशि को उपरोक्त समय में किस-किस व्यक्ति ने कब-कब सरकारी कोष से उठाई और संस्था में कब-कब जमा की तथा कब-कब खर्च की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सत्य है कि इनमें से किसी एक संस्था में कोई सरकारी अध्यापक मैनेजर रहा और उसने ही अनुदान की राशि सरकारी कोष से उठाई और संस्था में जमा करवा कर अपने पास लम्बे समय तक रखी ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और उक्त व्यक्ति कौन थे तथा किस स्कूल में अध्यापक थे तथा कौनसी संस्था के कितने पैसे उठाये तथा कितने समय तक अपने पास रखे ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) यह सही है। गत 3 वर्षों में इन्हें अनुदान निम्न प्रकार दिया गया:—

नाम संस्था	66-67	67-68	68-69
बाल भारती विद्यालय	4,128	5,322	1,358 अन्तर 5,095
राष्ट्रीय विद्यालय, लाडनूं	7,633	6,346	1,899 अन्तर 7,596

(2) जी हां।

(3) इन संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान की राशि को उपरोक्त समय किस-किस व्यक्ति ने कब-कब जमा की तथा कब-कब खर्च की, के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है।

(4) श्री हनुमानदत्त शास्त्री, अध्यापक, जौहरी उ० मा० विद्यालय, लाडनूं मैनेजर के पद पर दिनांक 4-9-64 से 21-7-68 तक रहे। श्री शास्त्री ने अपने समय काल में हस्ताक्षर कर कोई भुगतान नहीं उठाया, अतः उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्कूलों में प्रवेश के समय भेंट अथवा चन्दे लिये जाना

44. **श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुमेरपुर (जिला पाली) की सभी सरकारी स्कूलों में जुलाई, 69 में प्रवेश के समय भेंट अथवा चन्दे लिये जाते हैं ? यदि हां, तो किस-किस स्कूल द्वारा (सुमेरपुर की) किस-किस विषय का कितना-कितना चन्दा इकट्ठा किया गया तथा कुल दाताओं की संख्या कित है ?

(श्री फूलचन्द बाफना)

(2) क्या सुमेरपुर स्थित स्कूलों ने ली हुई वस्तु या रोकड़ रुपये की रसीद प्रत्येक संबंधित दानदाता को दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या संबंधित भेंट या रोकड़ रुपये का चन्दा संबंधित स्कूलों के मुख्याध्यापकों ने किसी की आज्ञा लेकर प्राप्त किया ? यदि नहीं तो क्या ऐसी आज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है ?

(3) इन उपर्युक्त प्राप्त या रोकड़ रकम का उपयोग संबंधित मुख्याध्यापकजी ने किस-किस कार्य में कितना-कितना किया व किस की अनुमति से ?

उत्तर

(1) सुमेरपुर, जिला पाली की सरकारी स्कूलों में जुलाई, 69 में प्रवेश के समय सिर्फ राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सुमेरपुर में चन्दे लिये गये जो किसी विषय के लिये सबन्धित नहीं थ। 15 दानदाताओं से कल रु० 921) इकट्ठा किया गया। अन्य किसी शाला में चन्दा नहीं लिया गया।

(2) सिर्फ 15 दानदाताओं ने चन्दा दिया किन्तु जिनमें से कुछ ने रसीदें नहीं लीं जिसका कारण दानदाता ही बतला सकते हैं। यह चन्दा आदेशानुसार शाला के विकास क्रम में लिया गया।

(3) एकत्रित चन्दा निम्न कार्य में उपयोग किया गया :—

(1) गरीब छात्रों की सहायता के लिये	370.00
(2) भवन निर्माण में	551.00
कुल	921.00

उदयपुर विद्यापीठ की जांच

45. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा सन् 62 अथवा इसके पूर्व एवं बाद में हिन्दी विश्वविद्यापीठ, उदयपुर उर्फ विद्यापीठ उदयपुर के द्वारा की गई वित्तीय अथवा प्रशासन संबंधी अनियमितताओं के संबंध में जांच राज्य सरकार द्वारा कराई गई ?

(2) उक्त जांच कराने में प्रमुख आरोप क्या थे ?

(3) क्या राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा इसकी जांच की जाकर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजी गई ? यदि हां, तो कब ? उक्त रिपोर्ट कि प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त जांच शिक्षा विभाग के किस अधिकारी द्वारा कराई गई थी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 1. साहित्य संस्थान के लिए पुस्तकों पर अनावर्तक अनुदान के सम्बन्ध में।

2. जनता कॉलेज डबोक के भवन निर्माण एवं छात्रावास भवन निर्माण के लिए अनावर्तक अनुदान के सम्बन्ध में।

3. कम्युनिटी सेन्टर के इन्टेग्रेटेड लाईब्रेरी के लिए अनावर्तक अनुदान के सम्बन्ध में।

(शिक्षा मन्त्री)

जी हां । दिनांक 20-1-64 को भेजी गई ।

जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(4) श्री शम्भूलाल शर्मा, तत्कालीन उप-निदेशक, शिक्षा विभाग, उदयपुर एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा कराई गई थी ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विध न सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वेतन निर्धारण के मामले

46. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री बी० डी० अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी, उप-निदेशक, शिक्षा विभाग, जयपुर के कार्यालय में सन् 1964 से कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि पूर्व में इनके स्थानान्तरण के दो बार आदेश हो चुके हैं ? यदि हां, तो फिर इनके निरस्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि नियमानुसार एक लेखाधिकारी को एक राज्य कार्यालय में 3 वर्ष की सेवा अवधि के लिए ही रखा जाना चाहिये ? यदि हां, तो श्री अग्रवाल की सेवा अवधि में किस आधार पर वृद्धि की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी का पद केवल कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण के लिये ही स्वीकृत है ? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति के पश्चात् वेतन स्थिरीकरण के कितने मामले तय किये गये और कितने तय होने शेष हैं ?

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 1 सितम्बर, 61 से पुनरीक्षित वेतन श्रृंखला में वेतन-निर्धारण के 50 प्रतिशत से अधिक मामलों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या यह भी सही है कि कुछ कर्मचारी सेवा-निवृत्त भी हो चुके हैं और कुछ शीघ्र ही सेवा-निवृत्त होने को हैं, लेकिन उनका 1-9-61 से वेतन-निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है ?

(5) क्या यह सही है कि जिन कर्मचारियों को वेतन-निर्धारण किया गया है उनमें मे अधिकतर मामलों में गलत वेतन-निर्धारण के कारण अंकेक्षा आपत्तियां उठाई गई हैं ? नियमानुसार इनके कार्य-काल में कितने वेतन-निर्धारण के मामले तय हो जाने चाहिये थे और नका औसत क्या रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां । विभाग ने राज्य हित में इनको हटाना उचित न समझ कर स्थानान्तरण आदेश निरस्त करवाये उनका अब सितम्बर, 69 में स्थानान्तरण हो गया है ।

(2) जी नहीं । ऐसा राज्य सरकार का नियम विभाग की जानकारी में नहीं है ।

(3) जी नहीं । सहायक लेखाधिकारी का पद केवल वेतन स्थिरीकरण के लिये ही नहीं है, फिर भी जहां तक 1961 के स्थिरीकरण के मामलों का प्रश्न है इनकी नियुक्ति

[(शिक्षा मंत्री)

के पूर्व 2,513 स्थिरीकरण के मामले विचाराधीन थे जिसमें से इनके द्वारा केवल 46 मामलों को छोड़कर समस्त मामले निपटाये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त पुन: स्थिरीकरण के 1,428 मामले भी इन्होंने निपटाये हैं।

(4) जी नहीं। प्रश्न सं० 3 के जवाब से स्थिति स्पष्ट है। सेवा-निवृत्त हो चुके व शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले कुछ कर्मचारियों जिनके स्थिरीकरण के मामले योग्यता में शिथिलता व पुरानी वेतन श्रृंखला का स्थिरीकरण न होने से विचाराधीन है।

(5) जी नहीं। वेतन स्थिरीकरण के नियमों में समय-समय पर संशोधन होने के कारण ही नियमानुसार आपत्तियां की गई हैं। ऐसा कोई नियम निर्धारित नहीं किया हुआ है। निपटाये गये मामलों की संख्या भाग 3 में अंकित है।

राजस्थान ललित कला अकादमी

47. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान ललित कला अकादमी को राज्य सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि ललित कला अकादमी की कुल सहायता का केवल साढ़े 6 प्रतिशत भाग ही कलाकारों के हित में काम आता है और शेष राशि अकादमी के स्टॉफ तथा भवन किराये में व्यय होती है ?

(3) क्या यह सही है कि अकादमी गत दो वर्षों में बिलकुल निष्क्रिय रही है और वार्षिक कला प्रदर्शनी के अपने दायित्व को अभी तक पूरा नहीं कर पाई है ?

(4) क्या यह सही है कि ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष पद पर रहकर भी श्री गोवर्धन लाल जोशी नाम के व्यक्ति अकादमी से पांच-पांच सौ रुपयों के अनेक पुरस्कार प्राप्त करते रहे हैं ?

(5) क्या यह सही है कि राजकीय सहायता की केवल साढ़े 6 प्रतिशत राशि को वर्ष भर में केवल एक प्रदर्शनी आयोजित करके, बांटने के लिये ललित कला अकादमी को चलाया जा रहा है ?

(6) यदि हां, तो क्या सरकार इस अकादमी को तुरन्त बन्द कर के इसको दी जाने वाली सहायता की राशि में $93\frac{1}{2}$ प्रतिशत की बचत करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान ललित कला अकादमी को गत 6 वर्षों में निम्न वार्षिक अनुदान प्राप्त हुआ:—

1962-63	75,000.00
1963-64	50,000.00
1964-65	50,000.00
1965-66	50,000.00
1966-67	75,000.00
1967-68	75,000.00

अकादमी को 1962-63 तक 75,000.00 रु० वार्षिक अनुदान स्वरूप प्राप्त होते थे।

(शिक्षा मन्त्री)

विदेशी आक्रमण होने के फलस्वरूप 1963-64 में अनुदान में कटौती की गई, जिससे अगले तीन वर्षों में 50,000) का वार्षिक अनुदान प्राप्त हुआ। 1966-67 से पुन: 75,000) का अनुदान मिलने लगा है।

(2) जी नहीं। अकादमी के एस्टेब्लिशमेन्ट व भवन किराये पर होने वाले गत तीन वर्षों के व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	प्रतिशत
1965-66	45
1966-67	48
1967-68	40

उपरोक्त दी गई राशि से यह स्पष्ट होता है कि कलाकारों के हित में 60 प्रतिशत तक व्यय किया गया है। जो राशि 1966-67 में 48 प्रतिशत दिखाई गई है इसका कारण यह है कि 1965-66 में 25,000) की अचानक कटौती हो जाने से वेतन का कुछ भाग (लगभग 6,000) 66-67 में दिया गया और 1965-66 में व्यय का प्रतिशत बढ़ने का कारण अचानक अनुदान में कटौती होना है। यह प्रतिशत बढ़ा हुआ इसलिये लगता है कि अनुदान की राशि 75,000) के बजाय 50,000) रह गई।

(3) जी नहीं। वित्तीय साधनों की कमी होते हुए भी अकादमी ने यथासंभव अपने दायित्व को निभाने की गत दो वर्षों में भी पूर्ण चेष्टा की है। अकादमी का अनुदान काफी समय से स्थिर है और आम मूल्य वृद्धि तथा एस्टेब्लिशमेन्ट पर (वेतन वृद्धि तथा समय समय पर बढ़ाये जाने वाले भत्तों के फलस्वरूप) अधिक व्यय के कारण जो राशि बचती है वह पहले के मुकाबले में काफी कम है फिर भी अकादमी की चेष्टा रही है कि अपने सीमित साधनों के अन्दर वह अधिक से अधिक कार्य करे।

1966-67 में पांच प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। इसी प्रकार 1967-68 में भी पांच प्रदर्शनियां राज्य के भीतर तथा राज्य के बाहर लगाई गईं। 1967-68 में श्री देवकीनन्दन शर्मा के चित्रों की एक व्यक्ति प्रदर्शनी बम्बई में तथा श्री कृष्ण चन्द्र जोशी की जोधपुर में हुई। 1967-68 में इसी प्रकार श्री. ज्योति स्वरूप को विदेश में एक व्यक्ति प्रदर्शनी करने के लिये आर्थिक अनुदान दिया गया।

अकादमी के पुस्तकालय में 1966-67 में 620) रु० के मूल्य की तथा 1967-68 में 850) रु० के मूल्य की पुस्तकों की अभिवृद्धि हुई। संगोष्ठी आयोजन की श्रृंखला को गत दो वर्षों में कायम रखा गया। 1966-67 में एक गोष्ठी का वनस्थली विद्यापीठ में आयोजन हुआ जिसमें दिल्ली के प्रोफेसर भट्टाचार्य, प्रो० सेन तथा श्री पसरीचा ने भाग लिया। 1967-68 में एक संगोष्ठी का आयोजन नवलगढ़ हाउस, जयपुर में हुआ जिसमें अमरीका के प्रोफेसर गालब्रेथ का भाषण हुआ। दूसरी संगोष्ठी खासा कोठी, जयपुर में हुई जिसमें रूस की मैडम अवलीदीवा ने भाषण दिया।

(शिक्षा मन्त्री)

अकादमी प्रति वर्ष 75) रु० मासिक की चार तथा 25) रु० मासिक की 8 छात्रवृत्तियां देती हैं। 1966-67 में आठ छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई। शेष ने वार्षिक प्रगति नहीं भेजी थी इसलिये उन्हें नहीं दी गई। 1967-68 में रोकी गई छात्रवृत्तियों का भुगतान किया गया।

अकादमी एक त्रैमासिक पत्रिका, 'आकृति' का प्रकाशन करती है। 1966-67 तथा 1967-68 में यह अबाध रूप से प्रकाशित होती रही।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि गत दो वर्षों में अकादमी निष्क्रिय नहीं रही।

(4) जी हां। श्री गोवर्धन लाल जोशी गत कई वर्षों से अकादमी के उपाध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं, किन्तु यह भी निर्विवाद तथ्य है कि ये राज्य के लब्ध प्रतिष्ठ कलाकार हैं। अकादमी की वार्षिक प्रतियोगिता में वे कलाकार की हैसियत से सम्मिलित होते हैं, और यदि उन्हें पुरस्कार मिला है तो वह उनकी कलाकृतियों की उत्कृष्ठता के कारण। पुरस्कार का उनके उपाध्यक्ष पद से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके अलावा वे कभी भी निर्णायक समिति के सदस्य नहीं रहे और न ही चयन के समय वे इस नगर में मौजूद रहे।

(5) जी नहीं। विस्तृत सूचना ऊपर वर्णित की जा चुकी है।

(6) जी नहीं।

टी० बी० क्लिनिक, सीकर

48. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टी० बी० क्लिनिक, सीकर में आरोग्य सदन, सांवली में 36,000) रु० टी० बी० के बीमारों के लिये दिये जाते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि आरोग्य सदन में सरकार द्वारा 20 सीट्स सुरक्षित रहती है ? यदि हां, तो क्या बीमारों को टाइम पर भर्ती किया जाता है ?

(3) क्या बीमारों को सीरियल नम्बर से भर्ती किया जाता है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि टी० बी० क्लिनिक, सीकर में बीमारों को फ्री इन्जेक्शन देने का प्रावधान है ? अगर हां, तो क्या बीमारों को इन्जेक्शन फ्री दिये जाते हैं ?

(5) क्या यह सही है कि टी० बी० हैल्थ विजीटर की ड्यूटी बीमारों को घर से लाने की है ? अगर है, तो कितने बीमारों को देखा जाता है ?

(6) क्या यह सही है कि टी० बी० क्लिनिक, सीकर में बी० सी० जी० की गाड़ी का पैट्रोल खर्चा सीमा से ज्यादा हुआ ? अगर हुआ, तो कितना हुआ ?

(7) क्या यह सही है कि टी० बी० क्लिनिक, सीकर में नई गाड़ियों पर 4,000) रु० का खर्चा हुआ ? यदि हां, तो कौनसी चीजों पर हुआ ?

Page No 35

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(8) क्या यह सही है कि टी० बी० क्लिनिक, सीकर के डॉक्टर का कार्य असन्तोषजनक होते हुए भी तबादला नहीं हो रहा है ? क्या सरकार तबादला करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) वर्तमान समय में टी० बी० क्लिनिक, सीकर में आरोग्य सदन, सांवली में 42,000) रु० टी० बी० के बीमारों के लिए प्रावधान है ।

(2) जी हां ।

(3) सामान्यतया बीमारों को सीरियल नम्बर से वेटिंग लिस्ट के आधार पर भर्ती किया जाता है । परन्तु गम्भीर स्थिति में (एमरजेन्सी) तत्काल भर्ती किये जाते हैं ।

(4) जी हां ।

(5) जी नहीं । उनका काम केवल उन बीमारों से सम्पर्क स्थापित करने का है जो समय पर दवा लेने नहीं आते हैं ।

(6) सामान्यतया बजट में गाड़ी के मेन्टीनेन्स एवं रनिंग के लिए 5,000) रु० का प्रावधान सन् 1969-70 में रखा, बाद में आवश्यकता पड़ने पर रु० 2,000) की विशेष स्वीकृति और दी गयी ।

(7) टी०बी० क्लिनिक, सीकर में गाड़ी नं० आर.जे.जी. 1089 बी० सी० जी०) पर दिनांक 1-4-68 से 31-3-69 तक रु० 4858.27 पै० खर्च हुए हैं ।

गाड़ी पर किये गये खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1.	पैट्रोल	4,174.50	रु०
2.	सर्विसिंग	97.00	,,
3.	रिपेयर	77.04	,,
4.	मोबिल ऑयल, केरोसीन ऑयल, ब्रेक ऑयल इत्यादि	326.89	,,
5.	हॉट प्रेच वॉक्स	69.50	,,
6.	ट्यूब टायर रिपेयर	83.04	,,
7.	डिस्टिल्ड वॉटर	0.75	,,
8.	पाइन्ट सैट प्लास्टिक रबर इत्यादि	29.20	,,
	कुल योग	4,858.27	रु०

(8) कार्य असन्तोषजनक होने की कोई शिकायत इस निदेशालय में प्राप्त नहीं हुई है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

डॉक्टरों का सिलेक्शन

49. देवीलाल बुरासिया: (केकड़ी सु०): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सन् 1954 में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा डॉक्टरों के सिलेक्शन के लिये छ: लिस्टें निकाली थीं ?

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(2) क्या यह सही है कि इसमें से पांच लिस्टें तो कन्फर्म कर ली गईं और एक लिस्ट रोक ली गई ?

(3) एक लिस्ट रोकने का क्या कारण था ?

(4) क्या रोकी गई लिस्ट में सब क्लास फर्स्ट व स्टेट नोमीनेट डॉक्टर थे ?

(5) क्या जो पांच लिस्ट कन्फर्म की गई उनमें क्लास टू डॉक्टर भी थे ?

(6) क्या यह सही है कि रोकी गई लिस्ट सन् 1956 में कन्फर्म की गई ?

(7) क्या प्रश्न के भाग (5) में वर्णित डॉक्टर क्लास टू होते हुए भी सन् 56 वालों से सीनियर हो गए हैं ?

(8) क्या यह सही है कि रोकी गई लिस्ट के डॉक्टर्स क्लास फर्स्ट होते हुए भी प्रश्न के भाग (5) के डॉक्टरों से जूनियर रह गए ?

(9) क्या सरकार इन लोगों को सीनियोरिटी में समान करने का विचार रखती है जब कि ये सब डॉक्टर्स क्लास फर्स्ट हैं ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

मन्दिरों की श्रेणियां

50. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु०): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) देवस्थान विभाग में मन्दिरों की कितनी प्रकार की श्रेणियां हैं ? ये श्रेणियां कब कायम की गईं और किस आधार पर की गईं ?

(2) क्या ऐसे भी मन्दिर हैं जो दोनों श्रेणियों में आते हैं ? यदि हां, तो वे मन्दिर कौन से हैं ?

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग में मन्दिरों की 5 प्रकार की श्रेणियां हैं। यह श्रेणियां राज्य सरकार के आदेश सं० (1) एफ०/एफ० (5) देव-बी-आर-57 दिनांक 16-9-57 के कायम की गई हैं। उक्त आज्ञा की प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें श्रेणियों की कायमी का आधार अंकित है।

(2) जी हां, आत्म निर्भर मंदिर, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के मन्दिर तथा सुपुर्दगी श्रेणी के मंदिर ऐसे मंदिर हैं जो अपनी अपनी श्रेणी के अलावा सहायता प्राप्त मंदिरों की श्रेणी में भी आते हैं। चूंकि इन मंदिरों को सरकार से सहायता भी मिलती है अतः बजट कन्ट्रोल करने की दृष्टि से इन्हें सहायता प्राप्त मंदिरों की श्रेणी में भी दिखाना पड़ता है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

परिचालक के विरुद्ध जांच

51. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री शंकरलाल दवे, निवासी सोजत सिटी, राज्य परिवहन निगम में परिचालक 'कन्डक्टर'

(श्री फूलचन्द बाफना)

के पद पर आगार अजमेर के अन्तर्गत हैं ? यदि हां, तो कब से नियुक्त हैं ?

(2) क्या श्री शेरसिंह, आई० ए० एस०, तत्कालीन अध्यक्ष, यातायात राज्य परिवहन निगम के आदेश संख्या जांच शाखा आज्ञा संख्या 1619, दिनांक 29-3-67 द्वारा उपयुक्त श्री शंकरलाल को निलम्बित किया हुआ है ?

(3) क्या श्री सुमेरचन्द भंडारी, विशेषाधिकारी (जांच), गृह विभाग, जोधपुर ने केस नम्बर 70/67 वि० अ०, जोधपुर की जांच की, तो जांच में दोष प्रमाणित नहीं हुए और फलत: ये श्री शंकरलाल निर्दोष हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उपयुक्त फाइल अब सरकार के सम्मुख पेन्डिंग है ? यदि हां, तो यह कब से पेन्डिंग है और इसका अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

(5) यह फाइल किसके पास पेन्डिंग पड़ी हुई है ?

(6) इस मामले में निर्णय में इतनी देरी किये जाने का रहस्य क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां, श्री शंकरलाल दवे, दिनांक 1-12-64 से परिचालक के पद पर कार्य कर रहे हैं ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । अजमेर आगार में दो शंकरलाल परिचालक थे । गलती से शंकरलाल यादव के बजाय शंकरलाल दवे को निलम्बित कर दिया गया । इसका निर्णय 4-10-68 को हो चुका है और श्री दवे को बहाल कर दिया गया है ।

(4) जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(5) प्रश्न नहीं उठता ।

(6) जांच के दौरान दो बार जांच अधिकारियों का स्थानान्तर हो जाने से विलम्ब हुआ ।

जयपुर चिड़ियाघर में निर्माण कार्य

52. **श्री गंगा सहाय (कठूमर-सु०)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर चिड़ियाघर (जन्तुवालय) (Zoo) में निर्माण कार्य के लिये सन् 1967 के बजट में 28,000) रु० का प्रावधान था ?

(2) उक्त राशि में से किस किस कार्य पर कितना कितना खर्चा हुआ ? पूर्ण जानकारी सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, किन्तु 28,000, के स्थान पर 26,500, रु० का ही प्रावधान था ।

(2) व्यय निम्नानुसार निर्माण कार्य पर हुआ :—

1. सांभर के पिंजड़े के बाहरी भाग की मरम्मत । 3,389.99

(वन मन्त्री)

2. सांभर के पिंजड़ की दीवार का निर्माण तथा मरम्मत ।	3,203.38
3. सांभर के पिंजड़े के सामने पिचिंग तथा अन्य कार्य ।	6,424.44
4. बब्बर शेर के पिंजड़े के पास नाली का निर्माण ।	4,704.44
5. लुहार, खाती, पेन्टर के कार्य, बब्बर शेर के ताल (टैंक) की सफाई आदि के कार्य ।	8,752.75
योग ..	26,475.00

जंगलों से घास की कटाई

53. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर) क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितने जंगल हैं जिनमें घास काटी जाती है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस वर्ष में कौन से जंगल में कितनी घास काटी गई ? जंगलवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि इस वर्ष वन विभाग ने बाड़मेर, जसलमेर की 60 हजार मवेशी को अपने जंगलों में चरा कर बचाने का आश्वासन दिया था ? अगर हां, तो किस जंगल में कितनी कितनी मवेशी चराने की व्यवस्था की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें। अगर अश्वासन पूरा नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि कुछ जंगलों में बाड़मेर, जैसलमेर की मवेशी चराने के आदेश होते हुवे भी वन विभाग ने पैसे लेकर दूसरी मवेशी चराने की स्वीकृति दे दी थी ? अगर हां, तो किस जोड़ में कितनी मवेशी पैसे लेकर छोड़ी गई और कितनी मवेशी फ्री चराई गई ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान में जहां घास कटवाई जाती है उन वन क्षेत्रों की सूची 'क' संलग्न है ।

(2) सूची 'ख' संलग्न है ।

(3) 1969-70 में अकाल ग्रस्त क्षेत्रों की उत्तम नस्ल की 60,000 मवेशियों को वन क्षेत्रों में चराने की व्यवस्था के विरुद्ध जून 69 तक सूची 'ग' के अनुसार 67,220 मवेशियों को वन क्षेत्रों में चराने की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

(4) जून, 69 तक राज्य के वनों और बीड़ों में स्थानीय मवेशी सदैव की भांति चराई शुल्क लेकर चराई गई थी । बाड़मेर, जैसलमेर की मवेशी के साथ जिन स्थानों पर स्थानीय मवेशी इस प्रकार चराई शुल्क लेकर चराई गई उनकी सूचना सूची 'घ' में संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति, पिड़ावा के क्लर्क के विरुद्ध शिकायत

54. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री कन्हीराम पुत्र धूला निवासी काली तलाई, पंचायत समिति, पिड़ावा, जिला झालावाड़ से पंचायत समिति, पिड़ावा के क्लर्क श्री घासीलाल, एल० डी० सी० ने 25) रु० प्राप्त कर कच्ची रसीद दी थी और आज तक पक्की रसीद अथवा सर्टिफिकेट नहीं दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार की शिकायत तारीख 29-3-68 को पंचायत समिति के प्रधान को की गई ? यदि हां, तो इसके बाद क्या कार्यवाही हुई ?

(3) क्या यह सही है कि संबंधित क्लर्क द्वारा सही जवाब न देने के कारण जिला विकास अधिकारी को इसकी शिकायत बावत करने चालान की गई थी ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई और वह कच्ची रसीद किसको तहवील में है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, दिनांक 29-6-68 को शिकायती दरख्वास्त पेश हुई थी जिस पर जांच की कार्यवाही शुरू की गई।

(3) जी नहीं। विकास अधिकारी द्वारा केवल यह नोटिस दिया गया था कि सफाई न देने की सूरत में आरोप सही मानकर मामला पुलिस में दर्ज करा दिया जायगा। रसीद सम्बन्धित रिकार्ड सहित उप-जिला विकास अधिकारी, झालावाड़ के यहां है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 25) रुपये के बन चुके हैं।

पंचायत जैतसीसर के सरपंच के विरुद्ध मामले

55. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरदारशहर पंचायत समिति की पंचायत जैतसीसर के सरपंच, श्री भंवरलाल शर्मा के विरुद्ध पंचायत के दो पंचों (बीरबल व सुगनाराम) ने 20-12-67 को विकास अधिकारी को पंचायत में गबन होने की लिखित शिकायत की थी और विकास अधिकारी के निरीक्षण में 2,679) 19 रोकड़ पोते बाकी सरपंच ने गिनती के लिये प्रस्तुत नहीं किये और लिखित देने पर लिखा हुआ आदेश लेने से इन्कार कर दिया ?

(2) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी ने जिलाधीश, चूरू को गबन की रिपोर्ट की थी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश को विकास अधिकारी ने श्री भंवरलाल, सरपंच द्वारा पंचायत समिति के कार्यालय में आकर धमकी देने, निलम्बित करवा देने और अभद्र व्यवहार करने के संबंध में भी लिखित शिकायत की थी ?

(4) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री दौलतराम सारण)

(5) क्या यह सही है कि एक निश्चित राशि से अधिक पंचायत की रकम सरपंच अपने पास नहीं रख सकता ? इस सरपंच ने निश्चित राशि से अधिक रकम कितने समय तक अपने पास रखकर निजी उपयोग में ली और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? अब कब तक कार्यवाही की जायगी ?

(6) क्या यह सही है कि इस सरपंच ने कालवासियां कुए के लिए पंचायत समिति द्वारा इनसे पूर्व सरपंच को दिये गये रुपये पंच महसूदखां से कुर्की के जरिए वसूल किये और वे रुपये पंचायत समिति द्वारा बार बार लिखने पर भी जमा नहीं करवा रहे हैं और सन् 66 से यह एक हजार रुपये पंचायत समिति को नहीं दे रहे हैं ? इन रुपयों की वसूली के संबंध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? सरपंच की इसकारगुजारी पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(7) क्या यह भी सही है कि गत अकालों में गांवाई सांडों और कुए जुताने हेतु दी गई हजारों रुपये की सरकारी धनराशि इसमें सांडों और कुए जुताने हेतु नहीं दी और न सरकारी खजाने में वापिस जमा करवाई अपितु वे अभी तक अपने पास रखे हुए हैं ?

(8) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार, सरदारशहर द्वारा सरकारी कोटे के गेहूं बोरी 50 कीमत 2,024) 6,0 के गबन की रिपोर्ट पर पुलिस थाना, सरदारशहर ने एफ०आई०आर० नम्बर 38, दिनांक 25-5-68 जुर्म जेर दफा 409, आई० पी० सी० का मुकद्दमा भंवरलाल, सरपंच के विरुद्ध दर्ज किया हुआ है ?

(9) क्या अन्य अनेक गबन घोटाले और गम्भीर अनियमितताओं की शिकायतें भी सरपंच के विरुद्ध जैतसीसर के पंचों, ग्रामीणों द्वारा जिलाधीश व राज्य सरकार के पास अनेक बार रजिस्टर्ड पत्रों द्वारा आई हैं ?

यदि हां, तो इतने गम्भीर आरोप होते हुए भी इसे निलम्बित कर 17 (4) की कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रारम्भिक जांच कराने पर गबन सिद्ध नहीं होने से मामला समाप्त किया गया।

(3) जी हां।

(4) प्रारम्भिक जांच तहसीलदार से कराई जा रही है।

(5) जी हां, दिनांक 12-1-68 से 4-3-68 तक अधिक रकम पंचायत कोष में रखी। बाद में पोस्ट ऑफिस में जमा करवा दी गई।

(6) जी हां, भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही जारी है।

(7) सांड सहायता एवं कुए जुताने की राशि का उपयोग हो चुका है।

(8) जी हां।

(9) जी हां, प्रारम्भिक जांच तहसीलदार, सरदारशहर से करवाई जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

Page No 41

पंचायत जैतसीसर का ऑडिट

56. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले की सरदारशहर पंचायत समिति क्षेत्र की पंचायत जैतसीसर के सरपंच, श्री भंवरलाल शर्मा के कार्यकाल में पंचायत का आडिट और निरीक्षण कब कब हुआ ?

(2) उन ऑडिट और निरीक्षणों में क्या कोई गबन, गड़बड़ घोटाला और गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं ? यदि हां, तो क्या क्या ?

(3) क्या यह सही है कि इस सरपंच के विरुद्ध कुछ पंचों और ग्रामीणों ने जिला विकास अधिकारी, विकास विभाग और मंत्रीजी के नाम से अनेक गबन, गड़बड़ घोटालों और गंभीर अनियमितताओं की कई बार शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो क्या क्या और कब कब प्राप्त हुई ? कृपया इनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(4) इन शिकायतों पर राज्य सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? अब राज्य सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 64-65 व 65-66 का ऑडिट दिनांक 13-7-65 को तथा वर्ष 66-67 का दिनांक 2-3-68 को ऑडिट किया गया, तथा निरीक्षण दिनांक 19-11-68 को विकास अधिकारी द्वारा किया गया। प्रतियें मेज पर नहीं रखी जा रही हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, प्राप्त होने की सूची एवं शिकायतों की प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई है।

(4) प्रारम्भिक जांच करवाई जा रही है, रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति की बैठकों में सरपंचों की अनुपस्थिति

57. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सरदारशहर की पंचायत जैतसीसर के सरपंच, श्री भंवरलाल शर्मा और पंचायत शिमला के सरपंच, श्री उम्मेदसिंह 14-11-66, 3-1-67, 14-3-67, 15-5-67, 21-8-67, 27-9-67 तारीखों को पंचायत समिति की बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति, सरदारशहर ने अपने पत्र संख्या पंचा० स/स/रि/67/1751, दिनांक 23-10-67 के द्वारा सहायक सचिव, पंचायत विकास विभाग को नियमानुसार उपरोक्त सरपंचों को सदस्यता से पृथक करने के लिए लिखा था और प्रतिलिपि जिला विकास अधिकारी को भी भेजी थी और स्मरण पत्र 14-2-68 को दिया जिसमें विकास अधिकारी को लिखा गया कि जिलाधीश को सम्मति हेतु भेजने पर उनसे उत्तर

Page No 42

(श्री दौलतराम सारण)

पुनः प्राप्त नहीं हुआ है ? क्या यह सत्य है कि दिनांक 20-6-68 को विकास अधिकारी ने जिलाधीश को पुनः लिखा और प्रति सहायक सचिव को भेजी थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सरपंच आज तक भी पंचायत समिति की बैठकों में नहीं आये हैं ?

(4) नियमानुसार इस संबंध में कार्यवाही कितने समय में आवश्यक थी ? क्या वह कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

(5) अब उपरोक्त सरपंचों की लगातार अनुपस्थिति के संबंध में क्या कार्यवाही कब तक पूरी करदी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। श्री उम्मेदसिंह दिनांक 10-11-67 तथा श्री भंवरलाल दिनांक 10-11-67 व 20-3-68 की बैठकों में उपस्थित हुए थे।

(4) पांच लगातार बैठकों में उपस्थित न होने पर पद से हटाया जा सकता है जिसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है इनको हटाए जाने की कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है और दिनांक 30-1-70 सुनवाई हेतु निश्चित है। इस दिनांक पर इन्हें सुनकर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

(5) दिनांक 30-1-70 को इन्हें सुन कर अंतिम उचित निर्णय लिया जा सकेगा।

ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, सवाई माधोपुर के प्राध्यापक के विरुद्ध शिकायतें

58. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री खैरा, कृषि प्राध्यापक, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, सवाई माधोपुर उक्त केन्द्र से दिनांक 18-10-66 से लेकर दिनांक 29-10-66 तक अनुपस्थित रहे और न छुट्टी ही ली ? यदि हां, तो क्यों और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त तारीखों में हाजरी रजिस्टर खाली पड़ा है और उन्होंने तनख्वाह उठाई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी दिनांक 6-7-67 व 18-8-67 को भी अनुपस्थित रहे, यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी दिनांक 10-7-67 को भी अवकाश लेकर गए और अवकाश भुगतने के बाद वापिस आकर रजिस्टर में हाजरी भी भरी गई, यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या उक्त अधिकारी के खिलाफ और भी कोई शिकायतें इस प्रकार की हैं ? यदि हां, तो कौन कौन सी कब कब से और उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

(1) जी.हां, जांच की जारही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(2) जी हां। राजपत्रित अधिकारी होने के नाते स्वयं ही वेतन उठाने के लिए संक्षम होने के कारण वेतन प्राप्त कर लिया।

(3) जी हां। अनुपस्थित रहने का कारण जांच पूरी होने पर ही ज्ञात हो सकेगा।

(4) जी हां। जांच पूरी होने पर ही ऐसा करने का कारण ज्ञात हो सकेगा।

(5) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। शिकायतों की जांच की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

विकास अधिकारी, लाडनूं के विरुद्ध शिकायतें

59. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर के खिलाफ क्या क्या शिकायतें कब कब प्राप्त हुई और उन पर अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या उक्त अधिकारी के खिलाफ कोई विभागीय जांच चल रही है? यदि हां, तो कौन कौन सी व कब कब से?

(3) उस अधिकारी के खिलाफ हुई शिकायतों के संबंध में या विभागीय जांच में किस किस अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) दिनांक 28-10-68 को हुई पंचायत समिति की साधारण सभा की कार्यवाही गलत लिखने बावत दिनांक 13-2-69 को शिकायत प्राप्त हुई। जिलाधीश की प्रारम्भिक जांच के अनुसार कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं समझी गई।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

पंचायत समिति, लाडनूं की बैठकों के नोटिस

60. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर के विकास अधिकारी द्वारा समिति की बैठकों का नोटिस नियमानुसार 1-4-65 से अब तक जारी नहीं करने व बैठकों की कार्यवाही फर्जी लिखने की शिकायतें राज्य सरकार को कब कब प्राप्त हुई और उस पर क्या क्या कार्यवाही की गई? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या ऐसी ही शिकायतें जिलाधीश नागौर को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उनका विवरण भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस प्रकार से अनियमित रूप से बैठकों की कार्यवाही को निरस्त करने के संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

Page No 44

(हरजीराम बुरड़क)

(4) क्या सरकार ने ऐसी जानकारी की है कि उक्त विकास अधिकारी अब भी बैठकों के नोटिस नियमित रूप से जारी नहीं करते हैं ?

उत्तर

(1) दिनांक 28-10-68 को हुई पचायत समिति की साधारण सभा की कार्यवाही को गलत रूप से लिखने की शिकायत माह नवम्बर, 68 में प्राप्त हुई थी जिसे जांच हेतु जिलाधीश, नागौर को भेज दिया गया था।

(2) जी हां। शिकायत की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पंचायत समिति की बैठक दिनांक 17-1-69 में दिनांक 28-10-68 की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि, शिकायतकर्त्ता श्री पूरणा राम द्वारा अनुमोदन कर देने पर कार्यवाही निरस्त करने के लिये कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं समझी गई।

(4) ऐसी कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

तहसील रायपुर में राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य

61. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील रायपुर (जिलाधीश) में ग्राम रामपुरा (कलां) और बासनी ददवाड़िया के बीच सड़क बन रही है ? यदि हां,तो किसकी स्वीकृति या आज्ञा से कार्य चल रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश, पाली ने अपने पत्रांक 7813, दिनांक 31-7-69 द्वारा अनधिकृत निर्माण होने के कारण बताकर इस सड़क के निर्माण का स्थगन आदेश ए०ई०एन०, पी०डब्लू०डी, सोजत (अकाल राहत कार्य) को दिया है और फिर भी सड़क का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(3) क्या सरकार इस अनधिकृत निर्माण को अनधिकृत ही मानती है ? यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) तहसील रायपुर में ग्राम रामपुरा (कलां) और बासनी ददवाड़िया के बीच अकालराहत कार्य के रूप में कोई सड़क स्वीकृत नहीं की गई है। कुछ मजदूरों ने दिनांक 30 व 31 जुलाई के आस पास स्वेच्छा से इस रास्ते पर कहीं कहीं टुकड़ों में सड़कपर कार्य करने का प्रयत्न किया है।

(2) जी हां।

जिलाधीश, पाली ने अपने पत्रांक 7813 दि० 31-7-69 द्वारा अनधिकृत निर्माण के रुकवाने के आदेश सहायक अभियन्ता, फैमिन खंड, सोजत को श्री बालूदान पुत्र श्री शक्तिदान के आवेदन पत्र पर दिये थे। सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट है कि ऐसा कोई काम उन्होंने न चालू किया और न

(अकाल राहत मन्त्री)

उसे चालू रखा है, इसलिये जिम्मेदारी का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) सरकार की ओर से ऐसा किसी सड़क पर निर्माण कार्य न स्वीकृत किया गया और न करवाया गया है। अतः उत्तरदायित्व निर्धारण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

परिवार नियोजन शिविर

62. **श्री गंगासहाय** (कठूमर-सु०) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, नीमराणा व मुण्डावर में परिवार नियोजन शिविर किस किस तारीखों में आयोजित किये गये और प्रत्येक में कितने कितने लोगों के नसबन्दी के ऑपरेशन किये गये? ऑपरेशन कराने वालों के नाम, वल्दियत, ग्राम, उनकी आयु, उनमें अविवाहित कितने थे और विधुर कितने थे? विवरण देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिला परिवार नियोजन कार्यालय, अलवर में कर्मचारियों के टी० ए० बिल्स भुगतान हेतु कब से किन किन कर्मचारियों के किन कारणों से पड़े हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या श्री रमेशचन्द्र शर्मा, परिवार नियोजन प्रसार शिक्षक, मालाखेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगभग एक वर्ष पूर्व मुण्डावर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य सहायक के पद पर कार्य कर रहे थे? नियमानुसार इनका हैड क्वार्टर कहां कहां पर था और वास्तव में ये रहते कहां थे? इनको परिवार नियोजन प्रसार शिक्षक के पद पर पदोन्नत किस आधार पर किया गया?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, नीमराणा व मुण्डावर में आयोजित किये गये शिविरों की तारीखें, उनमें किये गये ऑपरेशनों की संख्या, ऑपरेशन कराने वालों के नाम मय वल्दियत, ग्राम एवं आयु की सूचना परिशिष्ट 'अ' पर तथा 'ब' पर संलग्न है। इनमें अविवाहित तथा विधुर आदि की सूचना भी अंकित है।

(2) जिला परिवार नियोजन कार्यालय में कर्मचारियों के अवशेष टी० ए० बिल्स के संबंध में वांछित सूचना परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है। इन बिलों के अवशेष रहने का मुख्यतः कारण जिला परिवार नियोजन संस्थान को यात्रा भत्ता व्यय हेतु स्वीकृत प्रावधान के समाप्त हो जाने का है।

(3) जी हां। श्री रमेशचन्द्र शर्मा एक वर्ष पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुण्डावर के अन्तर्गत स्वास्थ्य सहायक के पद पर कार्य कर रहे थे। नियमानुसार इनका हैडक्वार्टर मुण्डावर ही होना चाहिए था। किन्तु राज्य परिवार नियोजन अधिकारी के आदेश दिनांक 17-5-67 द्वारा इनका मुख्यावास अलवर कर दिया गया। मुख्यावास बदलने का कारण यह था कि जिन 2 स्थानों पर श्री रमेशचन्द्र को जाना पड़ता था वे मुण्डावर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से दूर पड़ते थे और अलवर से निकट पड़ते थे। मुख्यावास में यह परिवर्तन जिला परिवार नियोजन अधिकारी के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। श्री रमेशचन्द्र शर्मा को विकास खण्ड शिक्षा प्रसारक के पद पर इनका मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई नियुक्ति की दिनांक

Page No 46

(परिवार नियोजन मंत्री)

ध्यान में रखकर वरिष्ठता के आधार पर राज्य परिवार नियोजन अधिकारी द्वारा की गई है। यह नियुक्ति भी तदर्थ रूप से एवं अस्थाई रूप से की गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

परिवार नियोजन विभाग की गाड़ियां

63. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) परिवार नियोजन विभाग में किस किस प्रकार की कितनी गाड़ियां हैं ? ये गाड़ियां कहां 2 किस किस काम आ रही हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें:—

(2) प्रत्येक गाड़ी जनवरी, 1969 से दिसम्बर, 1969 तक कितने मील चली ? उसमें पैट्रोल, ऑयल, मरम्मत आदि पर कितना कितना खर्च हुआ ?

(3) इन गाड़ियों द्वारा दौरा करने वाले अधिकारियों के टी० ए०, डी० ए० आदि पर उपरोक्त समय में कुल कितना खर्चा हुआ ?

(स्थगित किया गया)

समाज कल्याण सप्ताह समारोह

64. **श्री भवरलाल** (हिन्डौन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि राज्य में समाज कल्याण सप्ताह समारोह अभियान चलाया गया था ?

(2) यदि हां, तो राज्य में कहां कहां पर कब कब मनाये गये और उसके ऊपर कितना खर्च किस किस मद में हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में दिनांक 2अक्टूबर, 1969 से 8 अक्टूबर, 1969 तक समाज कल्याण सप्ताह मनाया गया था।

(2) यह सप्ताह राज्य भर में तथा मुख्य रूप से जिला एवं पंचायत समिति मुख्यालयों, नगरपालिकाओं एवं अन्य सभी स्थानों पर जहां समाज कल्याण की अन्य प्रवृत्तियां चलती हैं दिनांक 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया था। इस सप्ताह में स्वच्छ हरिजन बस्तियों, बेबी शो, प्रतियोगिता, खेलकूद, सहभोज, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में सफल प्रतियोगियों को पारितोषिक आदि पर समस्त जिलों में कुल 8,100) रुपये व्यय किये गये जिसकी सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। श्रम मंत्री, औद्योगिक विवाद ....

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र, प्रतिवेदन लखे

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर शुगर मिल्स

लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, 1969 को सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचना

श्री अध्यक्ष : यातायात मंत्री गृह विभाग की अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यातायात मंत्री कहां गए ?

श्री अध्यक्ष : उद्योग मंत्री, गंगानगर शुगर मिल का प्रतिवेदन रखेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वो उन्होंने रख दिया है। यातायात मंत्री को कहें तो उद्योग मंत्री खड़े हो जायं और उद्योग मंत्री को कहें तो.....

अध्यादेश

श्रम मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : कुछ गलतफहमी होगई अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश संख्या 2।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश सं० 2, सन् 1970) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : यातायात मंत्रीजी।

यातायात मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, मैं—

(1) अधिसूचना संख्या एफ० 1(3) 7/परिवहन/68, दिनांक 13 नवम्बर, 1969।

(2) अधिसूचना संख्या एफ० 1(3)/17/एच (ख—गृ—1) 63, दिनांक 31 दिसम्बर, 1969,

(3) अधिसूचना संख्या एफ० ज (3)/7/एच (ख—गृ—1) 64, दिनांक 31 दिसम्बर, 1969, को सदन की मेज पर रखता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं, माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने ब्यावर में एडवर्ड मिल के बन्द हो जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें उन्होंने यह भी कहा है कि कारखाने के बन्द हो जाने के कारण पिछले पांच महीने से मजदूर बेकार बैठे हैं।

इसके अतिरिक्त एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री जयनारायण सालोदिया, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें राज्य में प्रति वर्ष पड़ने वाले अकाल पर होने वाले खर्च एवं अकालराहत कार्य चालू न करने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त दोनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर उस विषय में सदन को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

(2) इनके अतिरिक्त श्री नत्थीसिंह, श्री हीराभाई व श्री विट्ठलभाई, सदस्य, विधान सभा ने राज्य में पंचायत एवं नगरपालिकाओं के चुनावों को स्थगित कर देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। पंचायतों के चुनावों को स्थगित करने के संबंध में एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना श्री जयनारायण

(श्री अध्यक्ष)

सालोदिया, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि इस विषय का एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आज की अनुपूरक कार्य सूची में सम्मिलित किया गया है और इस पर आज विचार किया जायेगा। संबंधित माननीय सदस्य जिन्होंने उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं दी हैं उन्हें भी इस विषय में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

नगरपालिकाओं एवं पंचायतों के निर्वाचन स्थगित किये जाने के संबंध में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल निर्वाचन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : अध्यक्ष महोदय, आज चूरू के मामले में स्टेटमेंट दिलाने का आपने आदेश दिया था। उस आदेश के अनुसार चूरू गोलीकाण्ड के संबंध में आज वक्तव्य देने वाले थे गृह मंत्री, वह नहीं होगा, क्या ?

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में बिजनैस एड्वाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ निर्णय लिया गया कि गोलीकाण्ड के प्रश्न पर वाद-विवाद हो रहा है, वह दो दिन तक चलेगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को यद्यपि शीघ्र लिया जाना आवश्यक है, किन्तु अभिभाषण पर इस कारण से जो देरी हुई उसको पूरा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पर इससे पूर्व स्टेटमेंट्स नहीं दिये जावें। यह एक निर्णय बिजनैस एड्वाइजरी कमेटी का था इसलिए अभिभाषण पर बहस समाप्त होने पर ही मैं इसकी व्यवस्था दूंगा।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैंने उस समय भी आपत्ति उठाई थी, भादरा और सांगरिया में हुए गोलीकाण्ड के स्थगन प्रस्ताव के संबंध में मैंने कहा था कि चूरू में हुए गोलीकाण्ड को भी इसमें शामिल कर लिया जाय तो आपने आदेश दिया था कि चूरू को इसमें शामिल न करें, उस पर अलग से वक्तव्य दिलाया जायगा। आपके उस आदेश को हमने शिरोधार्य करके चूरू में हुए गोलीकाण्ड के संबंध में हमने उस बहस के दौरान कुछ नहीं कहा। आज आप यह आदेश दे रहे हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण से पहले इस पर वक्तव्य नहीं दिलाया जायगा....

श्री अध्यक्ष : यह मेरा आदेश नहीं है, बिजनैस एड्वाइजरी कमेटी का निर्णय है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा गम्भीर मामला है, उस गोलीकाण्ड में विद्यार्थी की मृत्यु हुई है, अनेकों घायल हुए हैं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण लोक महत्व का प्रश्न है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर गृह मंत्रीजी का वक्तव्य दिलाया जाय, वहां विद्यार्थियों की हड़ताल चल रही है, तथ्यों को छुपाया जा रहा है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस संबंध में आज ही वक्तव्य दिलाया जाय, इस संबंध में वहां बड़ा असन्तोष है....

श्री अध्यक्ष : जैसा कि मैंने निवेदन किया यह मेरी व्यवस्था नहीं थी, बिजनैस एड्वाइजरी कमेटी ने निर्णय लिया। उसकी ओर मैंने संकेत किया ।

श्री नत्थीसिंह : बिजनैस एड्वाइजरी कमेटी का कोई ऐसा निर्णय सदन के सामने नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। मैं कोई ऐसी बात नहीं रखूंगा जो निरर्थक हो। मैंने उसमें निवेदन किया कि एड्जॉर्नमेन्ट मोशन के लिए दो घंटे का समय है, किन्तु इसके बजाय बिजनैस एड्वाइजरी कमेटी ने दो दिन का वाद-विवाद उस एड्जोर्नमेन्ट मोशन के लिए रखा। जब दो दिन का वाद-विवाद चाहा गया तो यह प्रश्न समिति के समक्ष आया। बिजनैस एड्वाइजरी कमेटी में यह निर्णय लिया गया कि दूसरे एड्जोर्नमेंट मोशन्स के प्रश्न को अभिभाषण के बाद में लिया जाय। उचित तो यह होता कि पहले अभिभाषण को लिया जाता किन्तु एड्जोर्नमेन्ट मोशन्स को पहले लिया गया। ऐसा बिजनैस एड्वाइजरी कमेटी ने निर्णय लिया। यह मेरी व्यवस्था नहीं थी, समिति का निर्णय था ।

प्रश्न यह उठता है कि आज ही लिया जाय किन्तु आज लिये जाने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि आज का बिजनैस आज की बिजनैस सूची पर आ चुका है। इस पर मैं अभी जानकारी नहीं दे सकता, इस पर मैं बाद में विचार कर सकता हूं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, चूरू के गोलीकाण्ड के संबंध में आपने पहले व्यवस्था दी थी कि इसको भादरा और सांगरिया में हुए गोलीकाण्डों के साथ में नहीं लिया जाय, गवर्नमेन्ट से इसके संबंध अलग से स्टेटमेन्ट दिलाऊंगा। इसके बाद बिजनैस एड्वाइजरी कमेटी में जो निर्णय आ, उसकी सूचना सदन को मिल जाती तो जो दो दिन तक भादरा और सांगरिया के गोलीकाण्डों के संबंध में सदन में बहस हुई उसमें चूरू में हुए गोलीकाण्ड पर भी बहस कर सकते थे, चूरू के मामले को अलग से मसला रखा इसलिए उस मसले को इस दो दिन की बहस के दौरान नहीं उठाया। जो चूरू के मामले के ति लोगों के जज्बात हैं, चिन्ता हो रही है, 304 ए. में मुकदमा बनाया गया, आज तथ्यों को छुपाया जा रहा है, इससे लोगों में बड़ा असंतोष है, होम मिनिस्टर साहब को उसके संबंध में जानकारी देनी चाहिये, हमें उस सारे मामले के संबंध में जानकारी मिलनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि मैंने निवेदन किया....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : चूरू के संबंध में बिजनैस एड्वाइजरी कमेटी के निर्णय का हवाला दिया, उसके संबंध में कोई आपत्ति नहीं थी पर कल मुख्य मंत्रीजी ने चूरू के संबंध में जूडिशियल इन्क्वायरी कराने की बात कही, जब कि चूरू का फायरिंग अनोथोराइज्ड था, केसेज दर्ज किये गये, जूडिशियल इन्क्वायरी से अब उसको कवर करके सब मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिजनैस एड्वाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई उस स्थिति में और आज की स्थिति में अन्तर आ गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं.....

श्री अध्यक्ष : बहस आज की स्थिति में कराने में मैं समर्थ नहीं हूं। माननीय सदस्य ने शंकाएं प्रकट की हैं, यदि स्थिति में कोई

(श्री अध्यक्ष)

परिवर्तन हुआ है तो मैं बिजनैस एड्वाइजरी कमेटी के माननीय सदस्यों को अपने चैम्बर में आमन्त्रित करूंगा और इस प्रश्न को रखूंगा ताकि इस संबंध में विचार कर लिया जाय।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : सीमेंट फैक्टरी के बारें में एड्जोर्नमेन्ट मोशन रखा था....

श्री अध्यक्ष : अभी यही तो बात हुई थी। यह सब मामले उसमें आ जाते हैं। एक अपवाद के रूप में चूरू का मसला है, जिस पर मैंने अपनी व्यवस्था दी है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : सीमेंट फैक्टरी के वर्कर्स....

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से मिले हैं, आपके और मेरे बीच चैम्बर में बात हो चुकी है। आपने मुझे विश्वास दिलाया था कि इस बात को सदन में नहीं उठाएंगे। फिर वह जो 15 मिनिट तक जो बात हुई वह तो निरर्थक रही।

आज ये सारे प्रश्न मैं बिजनैस एड्वाइजरी कमेटी में ले लूंगा।

श्री दिग्विजयसिंह : चैम्बर की बात यहां नहीं कही जाय, यह आपकी तरफ से व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : मैं भी तो विवश हो गया, चैम्बर की बात यहां उठा देते हैं तो मुझे कहना पड़ता है।

श्री नत्थीसिंह : चैम्बर की बात सदन में कहने की परम्परा तो नहीं रही है।

श्री अध्यक्ष : यहां तो डेमोक्रेटिक चैम्बर है, दूसरों जैसा नहीं है।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत नगरपालिकाओं एवं पंचायतों के निर्वाचन राजस्थान सरकार ने स्थगित किये हैं उसकी ओर निर्वाचन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद का विषय है कि राजस्थान के अन्दर नगरपालिकाओं के और पंचायतों के चुनाव अनिश्चित काल के लिये एक प्रकार से स्थगित कर दिये गये हैं। राजस्थान की जनता में यह भावना बलवती होती जा रही है कि राजस्थान सरकार इन चुनावों को नहीं कराना चाहती। अध्यक्ष महोदय, सदन के प्रत्येक सत्र में हमने इस बात की मांग की है कि स्वायत्त शासन संस्थाओं के चुनाव स्थगित नहीं किये जायें। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान के अन्दर नगरपालिकाओं के और पंचायतों के चुनाव हर बार स्थगित किये जाते रहे हैं। अध्यक्षजी, अक्टूबर के महीने में जब, जयपुर में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्षों का, जिला मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था तो मुझे याद है उस समय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि पंचायतों के चुनाव 5 जनवरी से कराये जायेंगे। पंचायतों के चुनाव जो 5 जनवरी को कराये जाने वाले थे 23 दिसम्बर को यकायक राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिये गये हैं। इसके कारण

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(12 मध्यान्ह)

जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं वह यह है कि कॉन्स्टीट्यूशन अमेन्डमेंट बिल राज्य विधान सभा के द्वारा रेटीफाइ करने के कारण विधान सभा का अधिवेशन जल्दी बुलाया जायेगा और इसके कारण पंचायतों के चुनाव कराये जाना सम्भव नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार का एक बहाना था। मैं तो राज्य सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के टुकड़े होने के बाद आपने पंचायतों के और नगरपालिकाओं के चुनावों को अपनी सम्भावित हार को देखकर इन चुनावों को स्थगित किया है। राज्य विधान सभा का अधिवेशन उस कानून के संशोधन के लिए यदि बुलाया जाना जरूरी था तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचायतों के चुनावों की तारीख 5 जनवरी की घोषणा राज्य के मुख्य मंत्री महोदय ने कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों और जिला मंत्रियों की बैठक में की थी और वह अक्टूबर में की थी। 4-5 जनवरी को यह चुनाव होने थे, 10 जनवरी तक चुनाव समाप्त हो सकते थे, 15 जनवरी को विधान सभा का अधिवेशन हो सकता था और 15 जनवरी के अलावा यदि आवश्यकता समझी जाती तो यही विधान सभा का अधिवेशन बुलाकर हमें कॉन्स्टीट्यूशन अमेन्डमेन्ट बिल 26 जनवरी से पहले पास करना है तो यही अधिवेशन 15 दिन बाद बुलाया जा सकता था। यह अधिवेशन का केवल बहाना है क्योंकि 15 जनवरी से बुलाने का विचार है और इसके कारण पंचायतों के और नगरपालिकाओं के चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये गये, केन्द्रीय सरकार का निर्देश प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि यह सारा केवल ढोंग है, यह सारी बहानेबाजी है और केवल जो देश के अन्दर और राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार की हवा और जिस प्रकार की फिजां बनी जिसके कारण से महात्मा गांधी शताब्दी वर्ष में कांग्रेस के दो टुकड़े हुए। अच्छा होता इस गांधी शताब्दी वर्ष में कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया जाता तो महात्मा गांधी की आत्मा को शांति मिलती। लेकिन वह दफनाई नहीं गयी, दफनाने के प्रोसेस में है और उसके दो टुकड़े हुए हैं...

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : राजस्थान कांग्रेस की एकता अटूट है।

श्री नत्थीसिंह : हां, यहां भेड़ें ज्यादा हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस आदमी की नैतिकता समाप्त हो जाती है वह आदमी जिन्दा रहता है लेकिन वह मरने वाले के बराबर है। आज कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की कांग्रेस के यह सदस्य श्री मूलचन्द जी डागा जो बढ़ बढ़ कर बातें कर रहे हैं इनकी क्या नैतिकता है अध्यक्ष महोदय, जो शाम को सिन्डीकेट और सवेरे इन्डीकेट ? नैतिकतावादियों को कितनी फटकार सुखाड़ियाजी ने दी थी कि अगर इन्डीकेट का साथ देते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और वह अड़े रहे लेकिन उन्होंने देखा कि सुखाड़िया राज्य की समाप्ति हो जायेगी वह साथ आने को तैयार नहीं थे इसलिए सुखाड़ियाजी ने देखा डीडवाना के प्रस्ताव और सिंडीकेट का साथ दिया, सिन्डीकेट के साथ रहे तो

Page No 52

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सारा राज्य चला जायेगा। लेकिन जिस समय प्रधान मंत्री ने दिल्ली में बुलाया-छोटी सादड़ी के सोने काण्ड का मामला उठाया और दूसरे काण्ड उठाये और सुखाड़ियाजी को घुड़की बताई और कहा कि तुम्हारी फाइल फाइनेन्स डिपार्टमेंट में पड़ी है, जेल के सींखचों को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने आत्म समर्पण कर दिया और कहा कि हम आपका समर्थन करेंगे और फिर वह इन्दरा गांधी के साथ चले गये। सुखाड़ियाजी ने इन्दिरा जी का साथ देकर जो काण्डों की फाइलें बनी हुई थी उनके बारे में इन्दिराजी के साथ में ब्लैक मेल किया है और...

श्री मूलचन्द डागा : पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पोइन्ट ऑफ आर्डर है तो ठीक है लेकिन पाइन्ट ऑफ डिसऑर्डर हो तो बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों की तिथि निश्चित हो चुकी थी...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ऑर्डर, आर्डर। पाइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन सरकार ने रवैया अपनाया है वह बड़ा निन्दनीय है।

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है, माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इतना ही था कि चुनावों के बारे में आपने अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित किया था और आपका ध्यान तो माननीय सदस्य ने आकर्षण ही नहीं किया और न जाने किधर किधर बह रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने शुरूआत की थी।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने शुरूआत नहीं की थी। सवाल यह था कि चुनाव होने चाहिए उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए था और आप दूसरी तरफ बह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैं माननीय सदस्य का ध्यान रूल 131 की तरफ दिलाता हूं :

"A member may, with the previous permission of the Speaker call the attention of Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement, or ask for time to make a statement at a later hour or date.

There shall be no debate on such statement at the time it is made."

इसलिए पॉइन्ट आफ आर्डर में तो वजन है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर ही आयें कहीं प्रोवोकेशन हो तो उससे बचते हुए भी इसी प्रश्न पर आयें।

श्री दौलतराम सारण : उसके कारण तो बताने पड़ेंगे। अगर नहीं बताये जायेंगे तो यह बहस बिल्कुल बेकार होगी।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में निवेदन कर रहा था और उस चीज का हवाला मुझे इसलिए देना पड़ा क्योंकि राज्य सरकार ने यह कहा कि विधान सभा का अधिवेशन 15 जनवरी से होगा और इसलिए चुनाव कराये जाने सम्भव नहीं हैं। यह तर्क दिया है और मैं उस तर्क को काटना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं और राज्य सरकार पर आरोप लगाता हूं कि यह चुनाव विधान सभा का अधिवेशन होने के कारण से स्थगित नहीं किये गये लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो दरार पड़ी, कांग्रेस के जो टुकड़े हुए उसके परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान में कांग्रेस के खिलाफ जो हवा बनी, जो फिजां बनी उसके कारण राजस्थान के कांग्रेसी के नेताओं ने नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों में अपनी संम्भावित हार को देखकर के चुनावों को स्थगित किया है। अध्यक्ष महोदय, इसी तर्क की पुष्टि में मैंने कुछ तथ्य रखे थे लेकिन मेरे वह तथ्य मेरे डागाजी को प्रिय नहीं लगे। लेकिन चौधरी ब्रह्मप्रकाशजी की तरह वे न जाने कब किधर जायेंगे इसलिए पता नहीं लगता। तो अध्यक्ष महोदय, 5 जनवरी को तारीख पंचायतों के चुनावों की तय की थी और अक्टूबर में तय की थी। यदि राज्य विधान सभा का अधिवेशन 15 तारीख को होने वाला था तो क्या 5, 8 या 10 को चुनाव सम्पन्न नहीं हो सकते थे। उससे यहां विधान सभा पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है —और पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव हो सकते थे और 7 दिन के लिए चलाने वाले थे कॉन्स्टीट्यूशन अमेन्डमेन्ट बिल को केवल रेटीफाइड करना था। इसलिए अध्यक्ष महोदय, सरकार कोई भी तर्क देने को दे सकती है। मुझे आपके तर्कों की सफाई नहीं देनी है। राज्य के गृह मंत्रीजी कल एक अध्यादेश रखते हैं सदन की मेज पर और मुख्य मंत्री जी उसको रद्द करते हैं। यही सरकार है कि एक मंत्री गृह मंत्रीजी सदन की मेज पर रखें और मुख्य मंत्री जी वापिस लेलें और रद्द कर दें यह इसी सरकार में हो सकता है तो अध्यक्ष महोदय दो दिन पहले भादरा और संगरिया के गोली कांड को गृह मंत्री जी ने उचित ठहराया और दो दिन के बाद मुख्य मंत्रीजी खड़े होकर उसको अनुचित मानते हुए गोलीकांड की जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा करें यह राजस्थान सरकार दोमुही की सरकार है, डबल स्टैण्डर्ड की सरकार है इसलिए आपके तर्कों में वजन नहीं है। केवल चिल्लाने से काम होने वाला नहीं है आपका पर्दाफाश हो गया है। आज नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव राजस्थान में कराये जायें हो सकता है कि सुखाड़ियाजी ने, कुछ कांग्रेस के नेताओं को अपने साथ बांधकर रखा होगा लेकिन आज राजस्थान के अन्दर यह निश्चित है कि कांग्रेस आज नीचे के मण्डलों तक बंटी हुई है। आज मंडल लेविल पर कांग्रेस के लोग सुखाड़िया का नेतृत्व स्वीकार नहीं करते, सुखाड़िया के नेतृत्व को राजस्थान में खतरा पैदा हो गया है, उनकी कुर्सी डगमगाने लगी है। उनको लगता है कि चुनावों में भारी बहुमत कांग्रेस के खिलाफ जायगा, विरोधी दल जीत जायेंगे, नहीं तो 1972 का चुनाव निश्चित रूप से उनके विपरीत जायगा।

श्री मूलचन्द डागा : चुनाव के परिणाम बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष : शीघ्र समाप्त करें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चुनाव के परिणाम क्या बतायेंगे । हम तो 1957 से आ रहे हैं, आप बीच में कहीं छुट्टी पर चले गए थे ?

श्री मूलचन्द डागा : सिंडीकेट इन्डीकेट नहीं है, कांग्रेस आगे बढ़ रही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो ऐसा चिल्लाता है वह दूसरे दिन सिंडीकेट में जाता है । चौधरी ब्रह्मप्रकाश यही बात कर रहे थे । हमारे लिए सिंडीकेट और इंडीकेट में कोई अंतर नहीं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं । आप जैसे लोगों का पता नहीं रात रात का पता नहीं चलता ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : सिंडीकेट बोल रही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हां, हां, आप भी आ सकते हैं । आप उसी सिंडीकेट की निंदा करते हैं जिन्होंने 1967 में आपको टिकट दिया, जिन्होंने आपको यहां बिठाया, वही निजलिंगप्पा, वही मोरारजीभाई, वही कामराज जिनके आप गीत गाते थे कि समाजवादी हैं, रिक्शा चलाने वाला कांग्रेस प्रधान बना, वह कामराज रातों रात प्रतिक्रियावादी हो गया और 10 साल के आयकर का चोर वह समाजवादी हो गया । आज सुमित्रा बहनजी आपको भरोसा नहीं । हमारा राज बनेगा तो आप हमारे साथ बैठेंगे । आप फिर कांग्रेस के साथ थोड़े ही बैठेंगे ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप उन बातों को क्यों कहलवाते हो । मैं इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहूंगा नगरपालिका चुनावों के सिलसिले में । राजस्थान में करीब 150 नगरपालिकायें हैं । उन पर अनेक वर्षों से प्रशासक कार्य कर रहे हैं । मैं जयपुर नगरपालिका का उदाहरण दूं । पिछले 30 सालों में यहां मुश्किल से 7-8 साल निर्वाचित नगर-पालिका रही होगी । 3-4 बार जयपुर शहर के अन्दर प्रशासक रहे हैं । इससे ज्यादा शर्म और लज्जा की बात राज्य सरकार के लिए क्या हो सकती है ? जहां हमारे देश के अन्दर संसदीय लोकतंत्र अपनाया है, वहां लोकतंत्र की न्यूनतम इकाई स्वायत्त शासन संस्था है । इनके लिए राज्य सरकार ने एक और वित्तीय प्रश्न खड़ा कर दिया है तो दूसरी ओर चुनाव न कराकर इन प्रशासकों की नियुक्ति करके राज्य के तीन चौथाई भाग पर जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर आघात किया है । जयपुर में पिछले 3-4 साल से प्रशासक कार्य कर रहा है । 1963 से पहले यह प्रशासक था, 1958 से लेकर 1961 तक प्रशासक रहा । अधिकांश समय प्रशासक नियुक्ति रहा और वह भी ऐसा प्रशासक जिनका कार्यकाल समाप्त हो जाय, जो रिटायरमेंट की एज पर पहुंच जांय और उसके बाद टेम्परेरी इन्टेरिम पीरियड के लिए उनको प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जाता है । सरकार का प्रगतिशील कदम यह होता है कि जयपुर जैसे बड़े शहर, जोधपुर जैसे बड़े शहर, उदयपुर, अजमेर जो बड़े 2 शहर हैं जहां पर दो विधान सभा कॉन्स्टीटूएन्सीज है या एक लाख से ज्यादा आबादी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है, इन शहरों के अंदर सरकार कॉरपोरेशन बनाने की व्यवस्था करे, कानून में संशोधन करे, जयपुर में जैसे 7 लाख की आबादी है, नगरपालिका के स्थान पर निगम होनी चाहिए, निगम के लिए कानून में आवश्यक संशोधन करना चाहिये, वह संशोधन नहीं किया । निगम नहीं बनाया, निगम की व्यवस्था नहीं की, अजमेर निगम हो सकता है, जोधपुर निगम हो सकता है, वहां जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाते वह नहीं किया । पंचायत के चुनाव स्थगित कर दिए । इसके लिए सरकार के पास कोई लोजिक नहीं, रीजनिंग नहीं । दुर्भाग्य यह है कि चुनाव विभाग के जो मंत्री महोदय हैं, वह बिल्कुल सीधे सादे हैं, इनके पास जो हुक्म आ जाय सुखाड़िया के नाम से, सुखाड़िया का चपरासी भी टेलीफोन कर दे तो अपनी कुर्सी से खड़े हो जाय, सीधे-सादे हैं, भोले-भाले है, विचार नहीं करते, चुनाव करने का अधिकार उनके पास है, चुनाव एक पवित्र व्यवस्था है । विधान सभा के चुनाव 1972 में होने वाले हैं । अगर उस समय को बढ़ाया जाय, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाय, विधान सभा भंग की जाय, चुनाव नहीं कराए तो हमें कैसे लगेगा ? यह चुनाव विभाग की जिम्मेदारी थी कि वह चुनाव कराए लेकिन, चुनावों की व्यवस्था पूरी नहीं की चुनाव नहीं हो सकते थे और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 15 जनवरी से चुनाव, विधान सभा अधिवेशन नहीं होता, तो भी नहीं होते । चुनाव विभाग इस दृष्टि से पूरा तैयार नहीं तथा । इसलिए राजस्थान में नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को स्थगित कराने के निर्णय की निंदा करनी चाहिए और इस संबंध में निश्चित नीति की घोषणा करें,- तारीख निर्धारित करें कि किन्हीं भी परिस्थितियों में चुनाव स्थगित नहीं किये जायेंगे सदन में घोषणा होनी चाहिये ।

इसके साथ मेरा एक और निवेदन है । वह कानूनी मसला है । राजस्थान में संभवत: 12 यू० आइ० टीज० हैं । नगर सुधार न्यासों के कारण एक डूप्लीकेशन म्यूनिसिपल एरियाज में हो रही है । आपस में विवाद खड़े होते हैं, जमीन बेचने के अधिकार यू० आइ० टी० को हैं, यू०आइ०टी० नोमीनेटेड बाडी है, नामीनेशन के अधिकार सरकार को हैं, मनचाहे लोगों को वहां पर नोमीनेट करती है, शहर की भूमि बेचने का अधिकार यू० आइ० टी० को है, विकास की जिम्मेदारी उन पर है, यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है । इसलिए राजस्थान में जितने न्यास बने हैं उन सबको एबालिश करना चाहिए, बड़ी नगरपालिकाओं को निगम बनाना चाहिए, उनको भूमि विक्रय के अधिकार, विकास के अधिकार, बस्तियों के विकास के अधिकार देने चाहिए । कानून में आवश्यक संशोधन किया जाय, यही मेरी मांग है । यू० आई० टीज० में किस प्रकार नामीनेशन होता है, इस समय वह चर्चा मैं नहीं उठाना चाहता लेकिन यह निश्चित बात है कि वे सरकार के खुशामदी लोग हैं, उनको इस तरह से लादने की परम्परा बन गई है । आवश्यकता इस बात की है कि शहरों में समुचित विकास हो, राज्य सरकार की अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट की स्कीम खत्म में चली गई, शहरों का विकास नहीं, हुआ, नगरपालिकाओं के पास पैसा नहीं, आमदनी का जरिया नहीं । इसलिए भूमि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बिक्री का एक मात्र जरिया भी उनके पास से चला गया। तो ऐसी व्यवस्था को समाप्त करके कानून में संशोधन करके नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराने की सरकार निश्चित नीति और तिथि इस सदन में घोषित करे, इस ओर मैं निर्वाचन मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): इस संबंध में जो माननीय सदस्य प्रस्ताव देने वाले हैं....

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। जैसा मैंने नियमों का उल्लेख किया, डिबेट नहीं होगी और मैं समय माननीय सदस्यों को दूं, इसका अर्थ यह होगा कि डिबेट हो, यह नियमों के अनुकूल नहीं है। फिर भी जिन माननीय सदस्यों के प्रश्न इस पर हैं जैसे माननीय श्री दिग्विजयसिंह के प्रश्न मैंने उस पर कहा कि अभी इस पर कुछ प्रश्न आने वाले हैं। ऐसे माननीय सदस्य जिनके प्रश्न थे, उनको 5 मिनिट का समय इस विषय पर बोलने के लिए दूंगा।

श्री दिग्विजयसिंह।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था। आपने कहा था कि समय मिलेगा। 5 मिनिट से क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष: विस्तृत डिबेट नहीं है। जिनके स्थगन प्रस्ताव या प्रश्न हैं, उनको सीमा में बोलने का समय दूंगा।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार बार बार चुनावों की तिथि बदलती है, यह बिल्कुल अशोभनीय है क्योंकि पंचायतों के चुनावों की घोषणा 5, 8 व 10 जनवरी के लिए की गई थी, उसको फिर बदलकर 15, 18 और 21 किया। अगर आपका यह इरादा था कि चुनाव नहीं कराने हैं तो घोषणा कर सकते थे कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए, फिर भी एक विचित्रता यह है कि पहले उन्होंने 6 जिलों में चुनाव न कराने की घोषणा की थी क्योंकि वहां अकाल था बाद में 15 दिन के बाद उन जिलों के लिए भी घोषणा की गई कि सब जिलों में चुनाव फरवरी, 1971 तक जाकर कम्पलीट होंगे। फिर सबको स्थगित करा दिया, यह गलत तरीका है। आपने गत सत्र में घोषणा की थी कि निश्चित तौर से फरवरी-मार्च 1970 में चुनाव कराए जायेंगे। पर अभी आपने यह आदेश दिया कि मई, 1970 तक अवधि बढ़ा दी और जिन नगरपालिकाओं में एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको भी 70 तक का एक्सटेन्शन दे दिया। मुझे जो प्रश्न का उत्तर दिया गया उसमें यह कहा सम्भवतः 1970 के अन्त तक करा देंगे। वह भी संभवतः निश्चित नहीं है कि करा देंगे। आप सरकार चला रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। आप कह नहीं सकते कि चुनाव कब करा देंगे और उसके बाद फिर कोई तिथि नहीं बदली जावेगी ? बहुत सारी बातें न कहते हुए क्योंकि सतीशचन्द्रजी काफी बातें कह गये हैं, मैं तो यही कहूंगा कि मंत्री महोदय सदन में यह निश्चित रूप से बता दें कि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के

(श्री दिग्विजयसिंह)

चुनाव अमुक तिथि तक निश्चित रूप से हो जावेंगे और नगरपालिकाओं के चुनाव मई, 70 से आगे निश्चित रूप से नहीं बढ़ाये जावेंगे। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि निश्चित तिथि चुनाव को घोषित करें कि कब चुनाव करा देंगे। एक बात याद आती है कि दिसम्बर के महीने में सुखाड़ियाजी बार बार यह स्टेटमेन्ट दे रहे थे कि जनवरी में निश्चित रूप से चुनाव होंगे। एक बुजर्ग कांग्रेसी मिल गये। उन्होंने कहा कि जब सुखाड़ियाजी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जनवरी में चुनाव होंगे और उन्होंने कहा कि निश्चित होंगे तो यह निश्चित रूप से मान कर चलो कि चुनाव नहीं होंगे। सुखाड़ियाजी को आपने पहिचाना ही नहीं है। पिछली बार एक बिल आया था उस समय भी कहा था तीन वर्ष की मियाद बढ़ा कर पांच वर्ष की मियाद कर रहे हो यह तो जनतन्त्र का गला घोट रहे हो। पंचायतों की चार वर्ष की मियाद को पांच साल का कर दिया। दो साल के बाद पंचायतों ने काम करना बन्द कर दिया। गली साफ नहीं करायेंगे, वोटरों को बना कर रखना है। कई कांग्रेस वाले कपड़े, मिठाइयां लेजाते हैं, अपनी कोन्स्टिटुएन्सी में घूमते हैं, ऐसा ही पंच और सरपंच भी करने लगे। दो साल पहले ही काम करना बन्द कर दिया। फिर मौजूदा बिल आया, फिर काम बन्द और दो साल से काम करना बन्द कर दिया पंचायतों ने, उनके अधिकार कम कर दिये और म्युनिसिपैलिटी में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिये। इस तरह से पंचायती राज को मुर्दा किया है और इससे यही नतीजा निकलता है कि निश्चित रूप से यह सरकार चुनावों से कतराती है। अब की बार चुनाव कब बन्द किये गये ? हर हालत में यह घोषणा हुई कि चुनाव होंगे। लोग अखाड़ों में उतर गये। लोगों का खर्चा हो गया और लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। क्षेत्रों में जावें तो पूछें, जिस सरकार की वाणी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, किसको बेईमान कहें, सरकारी अफसर चुनाव कराने के जिम्मेदार हैं। हमने कहा कि चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव होंगे। डब्बे आगये हैं, मतदाता सूचियां तैयार होगयीं, वार्ड तय कर दिये फिर भी जो सुखाड़ियाजी को जानते थे वे कहते थे कि चुनाव किसी न किसी बहाने से टाल दिये जावेंगे। नगर-पालिकाओं में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिये। सरकारीकरण कर दिया। अलवर में जब झगड़ा आया और इधर और उधर बैठने वाले लोग कांग्रेस में थे, प्रशासक नियुक्त कर रहे थे, अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे जिसको कोई रोक नहीं सकता है, उसमें परिवर्तन किया और संशोधन किया। शासक बैठे हुए हैं जगह जगह। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में यह कह कर चुनाव करा रहे हैं कि कितनी ही पंचायतें ऐसी हैं कि जहां पर प्रधान नहीं हैं, या तो उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो गये या हट गये; प्रधानों का चुनाव नहीं कराया गया। 31 पंचायतें ऐसी हैं जहां प्रधान नहीं हैं। और इसीलिये चुनाव नहीं करा रहे हैं कि 6 महीने कानून आ रहा है। इसलिये चुनाव

(श्री नत्थीसिंह)

मत कराओ । वहां समय हमेशा बढ़ा दिया जाता है और मियाद पूरी नहीं होती है । इस प्रकार आप जनतन्त्र के साथ मखौल करते हैं । यदि यही प्रक्रिया जारी रही तो देश में इस बात का खतरा है कि जनतन्त्र का ही गला न घोंट दिया जाये। सन् 1935 में केन्द्रीय असेम्बली चल रही थी । वह कितने दिन जिन्दा रही ? आज समय बदल गया है । इन्डीकेट और सिन्डीकेट बन गयी हैं । दोनों ही टूटेंगी । आज पार्लियामेन्ट में राज करने वाले लोग बहुमत में नहीं हैं । इसलिये मिड टर्म इलेक्शन चाहते हैं । जनता में जाने से डर लगता है जिस प्रकार इस समय डर लगता है कि तो कहीं पार्लियामेन्ट और असेम्बली की मियाद को भी न बढ़ा दिया जाय । मैं चुनाव मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि आप संभवतः जोर लगा रहे हैं । आप 70 का कह रहे हैं । कहीं आपके दिमाग में एक बात आयेगी कि 70 में नक्शा बिगड़ेगा हमारे सपोर्टर भी आपस में लड़ेंगे इसलिये पंचायतों की मियाद सात वर्ष कर दें और चुनाव मत कराओ । इस तरह से मखौल किया जा रहा है पंचायत राज संस्थाओं के साथ में । और जनता के मानस में यह बात बैठती जा रही है कि चुनाव नहीं होते हैं तो जनतन्त्र में उनका विश्वास ही हट जायगा । जो संस्थाएं बनी हुई हैं उनका चुनाव होना ही चाहिये । उनमें कोई देर नहीं होनी चाहिये । इलेक्शन कमीशन को पूरा अधिकार हो और राज्य के मंत्रिमंडल को कोई अधिकार न हो कि वह उसमें दखल दे सके और उनके लिये सामान और पैसे की व्यवस्था करे । निर्धारित समय में ही इन संस्थाओं के चुनाव कराये जाने चाहियें । सुखाड़ियाजी ने अकाल ही अकाल दिया है । और रेगिस्तान में अकाल पड़ता है और बड़े अधिकारियों और मंत्रियों के जितने अकाल आते हैं उतने ही अधिक घर भरते जाते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चुनाव की तिथि बढ़ायी जाना यह जनतन्त्र के साथ खिलवाड़ है यह कभी नहीं होना चाहिये । इन संस्थाओं के चुनाव को रोकने के लिये जो दोषी हैं वे बच नहीं सकते । इस सदन को यह सोचना चाहिये कि हम इस तरह का फैसला करें कि चुनाव ऑटोमेटिक तरीके से हों और सरकार को उनको रोकने का हक न हो । वरना तो सरकार एक न एक बहाने से अपने आश्वासन से हटती जावेगी और पंचायतों के चुनाव इस प्रकार से हटाये जाते रहेंगे । म्युनिसिपैलिटी के चुनाव भी हटाये गये हैं । दोनों ही की प्रक्रिया एक सी है । कहा गया कि नगरपालिकाओं के चुनाव होंगे, मतदाता सूचियां और सब तैयार हो गयीं और फिर एक साथ हटा दिया यही हाल यहां है । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मुझे दुख है इस बात का सरकार सदन में जो बात कहती है उसमें तनिक भी सच्चाई नहीं होती है, सदन में जो आश्वासन दिये जाते हैं उनका पालन नहीं होता । पहले तीन तीन बार कहा कि निश्चित रूप से चुनाव करायेंगे। आप आसन पर बिराजमान हैं । यहां यह एक बात कहते हैं और सदन से जाते ही दूसरी बात कह देते हैं । इनके लिये कोई व्यवस्था करनी चाहिये ताकि जनतन्त्र के साथ खिलवाड़ न कर सकें । वरना तो यह हो सकता है जनता, जैसे किसानों ने अपनी मांगों के लिये अन्दोलन किया गंगानगर में और फिर कहते हैं सुखाड़ियाजी जनदल के सामने

(श्री नत्थीसिंह)

झुकने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है, तो, राजस्थान के नागरिकों को चुनावों के लिये आन्दोलन नहीं चलाना पड़े। उनको आन्दोलन के लिये मजबूर नहीं होना पड़े। हमारी स्वायत्त शासन संस्थाओं को सुखाड़िया जी धीरे धीरे जहर देकर, अफीम देकर खत्म करना चाहते हैं और चुनावों की जो प्रक्रिया है उससे धीरे धीरे जनता को बेखबर करना चाहते हैं। केवल पांच वर्षों में चुनाव हो। जनता को मत देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह जो साजिश, षड्यंत्र चल रहा है इस कांग्रेसी शासन का उसमें आप अध्यक्ष महोदय मार्गदर्शन करें। जो लोग विश्वास दिलाते हैं उन मंत्रियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिये, उनको कन्डैम करना चाहिये। वे इन कुर्सियों पर बैठने के योग्य नहीं हैं। ये इन कुर्सियों को छोड़कर चले जायें उनके आश्वासन पूरे नहीं होते हैं तो जनता के साथ उनकी ऐसी मखौल बर्दाश्त नहीं की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष (श्री हीरा भाई एवं अन्य सदस्यों द्वारा समय की मांग करने पर): जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं उनको मैं पहले मौका दे रहा हूं और वे ही बोलें। यह डिबेट नहीं है माननीय सदस्य। मैंने यह व्यवस्था दी थी कि जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव थे, प्रश्न थे और उनके स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया गया है, प्रश्नों को स्वीकार नहीं किया गया है, वे ही इस पर बोलें।

श्री रामनारायण चौधरी : नियमों में ऐसी व्यवस्था है, अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने पूर्व में निवेदन किया है उनको बोलने का मौका दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा प्रावधान मैंने नियमों में नहीं देखा। श्री विट्ठल भाई। वे यहां (सभापति पद पर) आ जाते हैं तो उनको नियमों का आभास हो जाता है।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूट) : अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के जो चुनाव तीन, चार बार सरकार ने रखे हैं। पहले भी जो चुनाव होने चाहिये थे अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : हीराभाई तो नहीं बोले, विट्ठल भाई बोल रहे हैं।

श्री विट्ठल भाई : उस वक्त भी सरकार ने दो साल के लिये कानून बनवाया था—विधान सभा में हमने सोचा और जनता ने सोचा सरकार की मर्जी। पांच साल के लिये चुनाव बढ़ गये, कोई बात नहीं है। अब इस साल चार बार सरकार ने तारीख बदली। जनता में असन्तोष हो रहा है। बार बार सरकार घोषणा करती है और बाद में चुनावों को आगे बढ़ाने की घोषणा भी कर देती है। इसका क्या कारण है? अगर चुनाव इसी तरह से बढ़ते रहे तो जनता में इसके कारण असन्तोष होगा। पहला कारण तो यह है कि तीन साल का पांच साल आपने किया और पांच साल में चुनाव कराने की आपने घोषणा की है। इसके कारण आज प्रधान, प्रमुख, सरपंच, पंच वहां के जिलों में ऐसे हावी बन कर बैठे हुए हैं जो कि जनता के साथ, राजनीतिक किसी भी ढंग से जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। इसके लिये उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कारण आज राजनीति इस पंचायती राज में इस तरह से चल रही

(श्री विट्ठल भाई)

है और पंचायती राज में राजनीति चलने के कारण आज जनता यह सोच रही है कि किस वक्त चुनाव हों और हम इन प्रमुखों को बदल। किस वक्त चुनाव हों और प्रधान को बदलें, सरपच और पंचों को बदलें। लेकिन यहां की सरकार जान बूझकर पंच, सरपंच, प्रमुख और प्रधानों के साथ भ्रष्टाचार करवाना चाहती है और दिन पर दिन इन चुनावों को आगे बढ़वाना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इन चुनावों को बच्चों का खेल नहीं समझना चाहिये। यह प्रजातन्त्र है। इसके अन्दर आपको समय पर, 5 साल के बाद, दिसम्बर के बाद आपको चुनाव करा देना चाहिये थे। लेकिन आपको डर है। चाहे जनता भाड़ में जाय कितनी ही मुसीबत पड़े इसके लिये आपको चिन्ता नहीं है। आप अपनी कुर्सी टिकाने के लिये यह कर रहे हैं। क्योंकि अभी के चुनावों में आप हारने वाले थे और इसलिये तारीखें बढ़ाई हैं। सभी जिलों में इस चुनाव के स्थगित होने के खिलाफ, कांग्रेस का विरोध बढ़ा है और आज जनता में असन्तोष है। जनता चाहती है कि इस चुनाव की मारफत इस कांग्रेस की हकूमत को बदले। चाहे वह पंचायती राज में बदले या आगे आने वाले चुनावों में बदले। इस वक्त इस कांग्रेसी हकूमत को पंचायती राज में जरूर ही बदलें। हर इंसान के दिल में यह हो गया है। चुनाव होने चाहियें चाहे आप जीत कांग्रेस जीते, चाहे विरोधी पार्टी जीते, इससे हमें कोई मतलब नहीं है लेकिन आज जनता के साथ जो व्यवहार हो रहा है यह अध्यक्ष महोदय, ठीक नहीं है। यह चुनाव इस साल हो जाने चाहियें और करना चाहियें। अगर नहीं किये तो और आगे के साल के लिये बढ़ाये गये तो जनता में असन्तोष होगा, विरोध होगा और आन्दोलन होगा और जिसको संभालना आपको मुश्किल हो जायेगा जैसा गंगानगर में हुआ और जिसके आगे इस शासन को, मुख्य मंत्री को झुकना पड़ा। इस तरह से यह नहीं हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रक्रिया के द्वारा राज्य सरकार सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इन प्रजातांत्रिक इकाइयों के प्रति एक मखौल का वातावरण बना रही है। यह प्रजातंत्र के लिये निहायत खतरे की घंटी है। जो प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं, जो चुनाव प्रणाली को अपना कर इसके द्वारा पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख को चुनते ह, विधान सभा और लोक सभा के प्रतिनिधियों को चुनकर और उनके द्वारा कार्य संचालन में अस्था रखते हैं, उन लोगों के लिये भी यह एक तरह से चुनौती है। अध्यक्ष महोदय, कोई कारण नहीं है जिसके कारण कि चुनाव स्थगित किये जायें। सरकार का काम बदस्तूर चल रहा है तो फिर क्या कारण है कि ये चुनाव आगे बढ़ा दिये जाते हैं और यह सरकार टाइम पर चुनाव नहीं करा सकती। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे बदनीयती है। यह सरकार का जनता के प्रति धोखा है। सरकार को चुनावों से डर है और यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। इस सरकार को चुनावों के परिणामों से डर है कि कहीं कांग्रेस खतम न हो जाये क्योंकि इसके बाद तुरन्त ही आम चुनाव आने वाले हैं, कहीं उनसे कांग्रेस न चली जावे। इस डर के कारण, सिर्फ एक मात्र इस डर के कारण सरकार ने इन चुनावों को स्थगित किया है। अध्यक्ष महोदय, चुनाव किन

(श्री जयनारायण सालोदिया)

परिस्थितियों में स्थगित हो सकते हैं? किन्तु सरकार बार बार चुनाव स्थगित करती है, जो प्रजातन्त्र में एक गलत रिवाज है। हम प्रजातन्त्र को जिन्दा रखना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और प्रजातन्त्र से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। इन पंचायतों को चुनावों को स्थगित करने से यह साफ जाहिर होता है कि हम चनाव की प्रणाली से दूर हटते जा रहे हैं और येन केन प्रकारेण सरकार इसकी पुष्टि करती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि पंचायतों के चुनावों को सरकार को अगर स्थगित करना था तो फिर टाइमली जनता को सूचना देनी चाहिये थी। चुनाव की तारीखें नजदीक आ गई थीं, फार्म भरने की डेट नजदीक आ गई, लोगों ने गाड़ियां किराये पर ले लीं। प्रचार शुरू कर दिया, लोग आमने सामने खड़े हो गये, मोर्चे बन गये। एक दो दिन पहले यह कह देते तो सरकार का और जनता का जो पैसा खर्च हुआ वह बच जाता। यह प्रजातन्त्र है, एकतन्त्र नहीं है कि बंगले में बैठकर हुक्म जारी कर दिया। इसके लिये टाइमली जनता को सूचना देनी चाहिये थी जिससे जनता का जो लाखों रुपया खर्च हुआ है वह नहीं होता। सरकार का भी जो रुपया खर्च हुआ, वह नहीं होता। आप सीरियसली लेते तो अच्छा होता। इसका एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। आप पंचायत समितियों के चुनाव ही पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं हमारी विधान सभा के दो स्थान खाली हैं उनके चुनाव भी नहीं करवा रहे हैं। टोंक शहर के चुनाव के बारे में निवेदन करना चाहता हूं वहां से दामोदरजी को इस्तीफा दिये हुए तीन साल पूरे हो गये लेकिन अभी तक चुनाव नहीं करवाया....

श्री अध्यक्ष : यहां एसेम्बली के चुनाव का प्रश्न नहीं है पंचायतों के चुनाव का है।

श्री. जयनारायण सालोदिया : मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में पंचायतों के चुनाव के साथ साथ एसेम्बली के चुनाव के बारे में भी उल्लेख किया था।

श्री अध्यक्ष : वह संविधान से संबन्धित है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने एसेम्बली के चुनाव का जिक्र उदाहरण की तौर पर किया है। चुनाव मंत्रीजी बतायें कि एसेम्बली टोंक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं तीन साल हो गये स्तीफा दिये हुए....

श्री अध्यक्ष : यह इनके अधिकार की बात नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप चुनाव कराना क्यों नहीं चाहते? इसका एक ही कारण मेरी समझ में आया है आपको वहां से भय है कि आप जीत सकेंगे या नहीं। आप वहां की जनता को विधान सभा में बिना प्रतिनिधि के रख रहे हैं, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है।

म, इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं हमारी चुनाव प्रक्रिया में आस्था है। एक जगह के प्रतिनिधि के लिये

(श्री जयनारायण सालोदिया)

तीन साल तक आप चुनाव नहीं कराते यह बहुत ही खेद की बात है। जिस आदमी को तीन साल एक स्थान पर काम करते हो गये अब वह जनता चाहती है कि उसको हटाया जाय उसकी जगह दूसरे आदमी को लाया जाय। जनता के इस अधिकार को आप छीन रहे हैं तीन साल बाद भी आप उनको अवसर देना नहीं चाहते। जिस को जनता चाहती नहीं उसको आप अपने आदेश से और तीन साल के लिये बिठाना चाहते हैं? यह क्या है प्रजातन्त्र है नहीं, यह तो एक तरह से प्रजातन्त्र के साथ मखौल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री-सीधे सादे हैं भोले-भाले हैं हम इनको परेशान करना नहीं चाहते। ये जो भी कहेंगे इनकी बात चलने वाली नहीं है क्योंकि कि ये सीधे हैं सज्जन हैं। इनकी जगह किसी ऐसे मंत्री को जवाब देने के लिये कहा जाय जिसकी चलती हो।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है सरसता का प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, गत बार भी माननीय मंत्री ने उत्तर दिया था और निश्चित तौर पर कहा था कि चुनाव जनवरी में करा दिये जायेंगे। उस समय भी मैंने यह प्रश्न किया था क्या आप निश्चित तौर से चुनाव करा देंगे तब फिर मंत्री महोदय ने कहा जरूर करा दिये जायेंगे। लेकिन ये चुनाव नहीं करा सके इससे साफ यह प्रगट है कि मंत्रीजी की चलती नहीं है। इसलिये ये फिर चुनाव करवाने की घोषणा करने की स्थिति में नहीं अतः इसका जवाब मुख्य मंत्रीजी से दिलवाया जाय। इनकी मंत्रिमंडल में कोई हैसियत नहीं है ये तो केवल जो लिखा हुआ आता है उसको पढ़ देते हैं। अतः अच्छा यही होगा कि मुख्य मंत्रीजी से इस बारे में जवाब दिलवाया जाय। ये तो बेचारे जो लिखा हुआ आता है उसी को पढ़ देते हैं....

श्री अध्यक्ष : बेचारे मत कहिये...

श्री नत्थीसिंह : सहानुभूति से कहा है, दया से नहीं।

श्री नारायणसिंह (चुनाव मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनावों के विषय में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उस पर विभिन्न सदस्यों ने अपने मत व्यक्त किये और चुनावों के बारे में व्यग्रता जाहिर की। इस व्यग्रता के अन्दर आप निश्चित समझें मैं और हमारे इधर बैठने वाले सदस्य भी शरीक हैं।

यह सही बात है कि प्रजातंत्र के अन्दर किसी तरह से यह कहने के लिये तैयार हो जाय तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रशासन के चलाने के अन्दर कुछ इविल्स होती है उसी तरह प्रजातंत्र के संरक्षण के लिये, चुनाव भी एक प्रकार से इविल मान ली है....

एक माननीय सदस्य : जनतन्त्र में इविल?

श्री नारायणसिंह : इस प्रकार कहने की मैं लिबर्टी ले रहा हूं वह इसलिये कि

(श्री नारायणसिंह)

अभी जो भाषण हुए हैं वह केवल चुनाव तक ही सीमित नहीं थे उनमें कई पहेलुओं का उल्लेख किया गया था।

यह हम भी मानते हैं कि चुनाव की जो पद्धति है वह प्रजातंत्र के लिये आवश्यक है इसी से प्रजातंत्र सुरक्षित रहता है। इसलिये आवश्यक है कि चुनाव बराबर समय पर होते रहें तो हम भी उसमें सक्रिय होते हैं। इसी में प्रत्येक का हित है। प्रजातन्त्र में यदि कोई सत्य बात कही जाय जो इसी से संबंधित है तो उसको अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिये।

मैं, सर्व प्रथम आपसे निवेदन करना चाहता हूं पंचायतों के और म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव स्थगित होते रहे हैं। जितनी माननीय सदस्यों को इन चुनावों को कराने की व्यग्रता है उससे किसी कदर हम को कम नहीं है। चुनाव जनतंत्र को प्रस्फुटित करने का एक साधन है यह जनता का बुनियादी अधिकार है। उस जनता के बुनियादी अधिकार को सुरक्षित रखना सब का कर्तव्य है। यद्यपि यह एक प्रमाण है हम इस पद्धति के अन्दर परस्पर जो मौलिक चीजें हैं उनको भूल जाते हैं इसलिये कभी कभी पद्धति छद्म वेष में मौलिकता को अपहरित कर लेती है....

श्री नाथूसिंह : क्या कहने मौलिकता के।

श्री अध्यक्ष : छद्म वेष में...

श्री दौलतराम सारण : आपने तो सगुण और निर्गुण सब को एक ही कर दिया है।

श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं इस पद्धति और मौलिकता की जब बातें करते हैं तो मैं संकेत करना चाहता हूं अकाल की भयंकर विभिषिका की तरफ जिसकी तरफ सब की रुचि और सब का ध्यान आकर्षित होना आवश्यक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 1200 आदमी बरात में जायें और अकाल की विभिषिका ?

श्री दौलतराम सारण : जोधपुर में चुनाव हो वहां भी अकाल था?

श्री अध्यक्ष : ताण्डव नृत्य से मतलब है।

श्री दौलतराम सारण : ताण्डव नृत्य नहीं ललित नृत्य भाव भंगिमा सहित।

श्री अध्यक्ष : अकाल में सभी प्रकार के नृत्य होते हैं दारिद्रय, दुख आदि सभी प्रकार के नृत्य होते हैं।

श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन कर रहा था राजस्थान के अन्दर भयंकर अकाल पड़ा हुआ है और आप चुनाव की बातें करते हैं। मैं जब इस बारे में गांवों में गया हूं वहां लोग कहते पाये गये "थाने तो चुनाव री सूझेयोड़ी है और म्हाने रोटियां री सुझयोड़ी है" ऐसी स्थिति में हम उनकी बातों को नजरअन्दाज़ करके कैसे चल सकते हैं...

श्री दौलतराम सारण : थाने कांई की सूझयोड़ी है ?

श्री अध्यक्ष : यह जन भावना बतायी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमको चुनाव की सूझ रही है जनता को रोटी की सूझ रही और आपको यू आर You have been blessed with a son at this stage.

श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि पंचायतों के चुनाव पहले जो स्थगित हुए उसका कारण अकाल था। उसी अकाल की विभिषिका के कारण इस बार भी चुनाव नहीं हो सके। अब की बार तो हमने द्रढ़ निश्चय कर लिया था कि पंचायतों के चुनाव करवा लेंगे। गांवों में जो इस प्रकार की बातें हुई उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने चाहा था कि अब की बार चुनाव हो जायें। हम यह भले ही औपचारिकता के तौर पर मानें प्रजातंत्र का तब तक कोई आनन्द ही नहीं जब तक उसमें चुनाव न लड़ते रहें चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों। इस बार हमने निर्णय कर लिया था कि जनवरी में चुनाव प्रारम्भ करा दिये जाय लेकिन मैं आपको नम्रतापूर्वक याद दिलाना चाहूंगा जब अगस्त के महीने में यह प्रश्न आया था उस समय मैंने कहा था हमने जनवरी के महीने में चुनाव कराने का संकल्प किया था। उस समय विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने इस बात को फिर से पूछा मैंने उस समय जोर देकर कहा था कि 99 प्रतिशत तो जनवरी में चुनाव कराने की उम्मीद है। इस समय विधान सभा की कार्यवाही उठाकर देखी जावे तो उसमें किसी ने, शायद भैरोंसिहजी ने कहा था कि यह एक परसेन्ट रह गया है तो इसमें कहीं जीरो जीरो नहीं लग जावे। और उस वक्त अकाल की आशंका भी व्यक्त की गई थी। उस वक्त मैंने निवेदन किया था कि ऐसा सोचना भी पाप है। अकाल की बात सोचना भी पाप है। आना ही नहीं चाहिये। परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल अकाल के कार्य इस तेजी से इस वेलफेयर स्टेट में चलते हैं गांवों में कि मैं देखता हूं लोग यह सोचने लगे हैं कि कब अकाल पड़े और कब वहां के काम शुरू हों। तो लोग अकाल की सोचते हैं बजाय इसके कि सुकाल हो और इसलिये अकाल पटक दिया है भगवान ने शायद। अब अकाल की परिस्थिति आई पर फिर भी हम डटे रहे। हमने सारा प्रोग्राम जारी कर दिया कि 15 जनवरी से प्रारम्भ कर देंगे। घर घर जाकर वोटर लिस्ट हमने 69 में ही समाप्त कर ली। 15 जनवरी से पहला दौर, 18 को दूसरा और 21 को तीसरा दौर। तो इस तरह से सारा प्रोग्राम भी हमने इजरा कर दिया था। एक महीने में पंचायतों के चुनाव कराकर नगरपालिकाओं के चुनाव भी करा दिये जावेंगे, यह भी मैंने कहा था।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हुईं और जिसको माननीय जौहरी बाजार से आने वाले सदस्य ने बहुत ही मिनिएचर बनाने की कोशिश की। पर एक ऐसे तबके के लिये अमेण्डमेंट बिल विधान सभा में आ रहा था कि जो बहुत पिछड़ा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है, जिसको हमने संविधान और कानून में परिगणित जाति और परिगणित जन जाति के रूप में वर्गीकरण करके सम्बोधित किया है। इस तरह वर्गीकृत करने में भी हमारी हिमाकत है। पर जो संकेतात्मक रूप से कर रखा है वह वर्ग इस व्यग्रता से कैसे महरूम हो सकता था? तो उसकी इकोनोमिक स्थिति को जो अब भी नहीं बढ़ पाई उसको बढ़ाने के लिये इस अमेण्डमेंट को हम कैसे नजरअन्दाज कर सकते थे। यह व्यग्रता थी कि जितना जल्दी हो सके, इसको स्पष्ट करना आवश्यक था और यह हुआ। तो हम हमारी कॉन्स्टीटयुएन्सी में जड़ तक किस प्रकार सिंचन करते रहें। यदि चुनाव घोषित कर दिये जाते और माननीय विरोधी पक्ष के नेता अथवा इधर.....

श्री दौलतराम सारण : अब समझ में आ गया।

श्री नत्थीसिंह : ये चुनाव होने ही नहीं हैं। आपने समझा दिया हमें।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये।

श्री नारायणसिंह : तो मैं यह निवेदन करता हूं कि अगर अधिकांश सदस्य यहां पर मौजूद नहीं होते तो उस अमेण्डमेन्ट की मखौल कैसे बर्दाश्त कर सकते थे।

श्री मदनसिंह : अगर चुनाव हो जाते तो वे पास करते इसको।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ही रखिये। मुझे आगे का बिजनैस पूरा करना है।

श्री नारायणसिंह : अब निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारी वस्तु स्थिति को देखते हुए म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव का प्रश्न आता है और पंचायतों के चुनाव का प्रश्न आता है। म्युनिसिपैलिटियां इस देश में लिटिन और रिपिन के वक्त में बनी थीं। तब डेमोक्रेसी देश में शुरू ही हुई थी। आज तो डेमोक्रेसी का विस्तार ज्यादा हो रहा है। माननीय जो प्रस्तावक थे उन्होंने चिन्ता व्यक्त की थी कि यू० आई० टी० का एक्ट संशोधित किया जावे और पूर्णरूपेण जनतन्त्र व्यवस्था में ढाला जावे। यदि यह करना होगा तो चुनाव होकर आगे बढ़ गये तो चुनाव मात्र की आपत्ति आ जावेगी। माननीय अध्यक्ष मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप 99 परसेन्ट की बात मत कहना।

श्री नारायणसिंह : चुनाव मंत्री का काम चुनाव कराना है। तो अब अगर विधि विधान में तब्दीलियां होने लगीं और सम्बन्धित मंत्री उसमें जुड़ गया तो वादा खिलाफी का इल्जाम भुगतने को खड़ा होना पड़ेगा। इसलिये निवेदन करता हूं कि यह जो है हमें पूर्ण संकल्प करना चाहिये कि कोई अमेण्डमेन्ट उसमें नहीं होगा। खैर यह बात तो हुई।

मैं अब यह निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव अब सारी वस्तु-स्थिति को देखते हुए जून अथवा मई के आखीर में, यदि व्यग्र हैं आप तो, अथवा जून के प्रारम्भ तक म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव कराये जा सकते हैं और इसके अलावा जो पंचायतों के चुनाव हैं उसकी भी अभी अवधि बढ़ा दी गई है और उनकी अवधि को जनवरी, 71 तक हो गई है। उनको भी इस अवधि में दिसम्बर में या जनवरी में जैसा भी हो सम्पादित कराया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि चुनाव इसलिये आगे बढ़ाये जा रहे हैं कि जनरल इलेक्शन पर इसका असर पड़ेगा। आप स्वयं सोच सकते हैं कि अगर कुछ भी हुआ होता, अगर होना है तो मध्यावधि में हो जाता। अब यदि असर पड़ता या निकटवर्ती आ जावेगा तब होगा।

श्री नत्थीसिंह : मध्यावधि हो रहा है क्या?

श्री नारायणसिंह : मध्यावधि। कम से कम मेरे क्षेत्र के लोग ऐसे उदास हुए मेरे समर्थक उदास हुए कि इस वक्त चुनाव हो जाते तो सब कुछ ठीक हो जाता। परन्तु नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष : विधि का विधान है।

श्री नारायणसिंह: विधि का विधान है और इस विषय में जैसा निवेदन किया कि आम आदमी का अपना काश्त कुआ कैसा है, रोटी कितनी चपडी होती है इसमें दिलचस्पी होती है न कि इण्डीकेट या सिंडीकेट या दूसरी कैंटों में और इसके अन्दर चुनाव गौण वस्तु है यद्यपि आवश्यक है क्योंकि नहीं तो राज बनेगा कैसे? सारी मौब को लेकर तो डेमोक्रेसी चल नहीं सकती। चुनाव की पद्धति को लेना ही पड़ता है। इससे भी डेमोक्रेसी कितनी सिद्ध होती है यह बाकी रह जाता है। जो रिसर्च का विषय रह जाता है। चुनाव कराने से ही जनतन्त्र सुरक्षित रहता है यह भी मानने को तैयार नहीं हूं। जनतन्त्र दिलों में बैठना चाहिये। हमारे व्यवहार में जनतन्त्र होना चाहिये। तब जनतन्त्र बन सकता है। उस व्यवहार के लिये आज किस प्रकार से बैठकर इस पद्धति को उद्घाटित करना चाहते हैं उसको उद्घाटित करते हुए यह तो निश्चित कह सकता हूं कि डेमोक्रेसी इज एश्योर्ड एट टोप लेवल। आज एक एक विधायक यह नहीं कह सकता. वह अपनी क्षेत्र का रिप्रेजेन्टेटिव नहीं है। डेमोक्रेसी सुरक्षित है।

(1 म० प०)

श्री अध्यक्ष : जहां लेटी हुई है, वहां सुरक्षित है।

श्री नारायणसिंह : छोटे मोटे चुनाव हो जाय, यह सफाई नहीं हुई वह नहीं हुई उससे कोई डेमोक्रेसी समाप्त नहीं हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करेंगे।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : पंचायत राज की क्या बढ़िया व्याख्या की है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर।

शासकीय संकल्प

संविधान के तेईसवां संशोधन विधेयक, 1969 से सम्बन्धित

श्री बरकतुल्ला खां : शासकीय संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के परन्तुक की परिधि में आने वाले संशोधनों का, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (तेइसवां संशोधन) विधेयक, 1969 द्वारा प्रस्थापित है, अनुसमर्थन करता है"।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरगढ) : अध्यक्ष महोदय, इस तेईसवें संविधान के संशोधन विधेयक का में समर्थन करता हूं किन्तु 20 वर्ष के अन्दर जो कुछ भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के सम्बन्ध में प्रगति हुई है इस संरक्षण के द्वारा उसका सिंहावलोकन करना परम आवश्यक है मैं सदन का विशेष समय नहीं लेना चाहता। मेरे दल के भी आदिमजाति के सम्माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में दिलचस्पी रखते हैं और वे इस सम्बन्ध में अपने विचार रखेंगे खास खास बात पर ही सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा अध्यक्ष महोदय, मैं एक उस क्षेत्र से आता हूं कि जहां पर आदिवासियों का बाहुल्य है और आदिवासियों के सम्बन्ध में

(1.04 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)
(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मैं निश्चित रूप से निवेदन करूंगा कि इस संरक्षण के द्वारा जो आदिवासी जाति के अन्दर प्रगति होनी चाहिये थी वह प्रगति नहीं हुई है । 30 वर्ष के संरक्षण के अन्दर डूंगरगढ़ जिले के अन्दर मैं समझता हूं जितनी विपुल धनराशि सरकार के द्वारा खर्च की गई है उतनी शायद अन्य क्षेत्र में राजस्थान में आदिवासियों के लिये खर्च नहीं की होगी, किन्तु आज खेद के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि मुश्किल से 5 प्रतिशत आदिवासियों को लाभ पहुंचा हो, प्रगति हुई हो अन्यथा 95 प्रतिशत आदिवासियों को कोई हित हुआ हो, ऐसे मैं अनुभव नहीं करता। आज हजारों आदिवासी मेरे क्षेत्र के अन्दर ऐसे हैं जिनके पास बैल भी नहीं हैं, बीज भी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है और पहनने को कपड़ा नहीं है। इसके अतिरिक्त आदिवासियों को प्रोत्साहन देकर स्वार्थी तत्वों ने उनके लिये एक आत्म हत्या की व्यवस्था जंगल कटवा कर की है। आज अगर वास्तविक रूप से देखा जाय तो आदिवासियों को रहने को मकान नहीं है। उनके वस्त्रों को देखकर आप निश्चित रूप से इस अभिमत पर पहुंचेंगे कि उनके घर पर कोई पहनने के लिये वस्त्र नहीं है, रहने के लिये कोई मकान नहीं है । एक मंजिले मकान भी नहीं है । आज इस सम्बन्ध में सिंहावलोकन करके आप विचार कर सकते हैं इसके अतिरिक्त मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि आदिवासियों का अगर आप हित चाहते हैं तो कम से कम इस कडाना डेम के सम्बन्ध में गंभीरतापूर्वक विचार करते। गुजरात को लाभ देना और हजारों आदिवासियों के वस्थापितों के लिये आपने कडाना योजना स्वीकार की है। यह मेरे ख्याल से आदिवासियों के लिये घातक नीति है । मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता हूं कि आदिवासियों के लिये विपुल धनराशि सरकार के द्वारा खर्च की गई है किन्तु उसमें आधी से ज्यादा राशि स्वर्णों की जब में गई है, आदिवासियों की प्रगति के लिये नहीं गई है। मैं मानता हूं अगर आप 20 प्रतिशत आदिवासियों का भी लाभ करते और मैं समझता आपकी उपलब्धि कुछ न कुछ इस हद तक होती और मैं आपकी इस सम्बन्ध में प्रशंसा करता One swallow does not make summer. उसी उदाहरण के रूप में ब्रिटिश शासकों के जमाने में एक जगजीवनराम हो गये या इधर उधर भीखा भाई हो गये--राजाओं के जमाने में तो उसी तरह 20 वर्ष के अन्दर मेरे ख्याल से मेरे क्षेत्र के अन्दर आपने एक भी योग्य आदिवासी नहीं पनपाया और न ही उनको आगे लाये जैसे उदाहरणार्थ में निवेदन करूं श्री नाथूलाल करौल सम्माननीय सदस्य हैं जो कोई सुरक्षित सीट से खड़े न होकर जनरल सीट से चुनाव लड़ते हैं चाहे वे जीतें या हारें किन्तु इसके उपरान्त भी आपको कम से कम ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिसके द्वारा स्वावलम्बी हो, उनका स्वावलम्बन बढ़े किन्तु स्वावलम्बन की जगह परावलम्बन की पराकाष्ठा हो रही है उस परावलम्बन के साथ में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि उनकी दुर्दशा एक गुलामी के रूप धारण करती जा रही है । इस अवसरवादी जमाने के अन्दर जनतन्त्र के साथ अगर आप कान्सस का वोट रखते, भावना का या सिद्धान्त का वोट रखते तो यह जनतन्त्र के लिये घातक है। एक तरफ सरकार की स्वार्थ सिद्धि को पूरा करने वाली व्यवस्था है, ऐसी मुझे आशंका है। आदिवासियों की

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

बेइज्जती करने के लिये उनको दल बदलू बनाने के लिये अगर यह व्यवस्था है तो मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय संरक्षण, रिजर्वेशन का सिद्धान्त यह है कि वह एक स्थायी चीज नहीं है क्रमशः उसके अन्दर नवीनता आनी चाहिये तब तो वास्तविक रूप से रिजर्वेशन है। मैं सरकार को यह निवेदन करूंगा कि आपने 10 वर्ष के लिये यह संरक्षण दिया, 20 वर्ष के लिये दिया उसका मुझे विरोध नहीं है, उसका स्वागत है। 10 वर्ष के लिये संरक्षण आप और देते हैं उसका भी समर्थन करता हूं लेकिन आखिरकार 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत कोई नवीनता लानी चाहिए तब तो वास्तविक रिजर्वेशन है अन्यथा यह रिजर्वेशन नहीं है। एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा राज्य सरकारें स्पष्टतया यह निकम्मी राजस्थान की सरकार अपने आपको जीवित रखना चाहे ऐसी व्यवस्था की मुझे आशंका है। मेरा इतना ही निवेदन है कि वास्तविक रूप से प्रगति करना है तो कोई ठोस प्रगति द्वारा लक्ष्य प्राप्त करें वरना यह एक आडम्बर और धूतक है इतना कहते हुये मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जसराज।

श्री जसराज (उप-मंत्री, मध्यम व लघु सिंचाई योजना) : आदरणीय उपाध्यक्षजी, संविधान का 23 वां संशोधन माननीय सदस्यों के सामने है। इसकी चर्चा लोक सभा और राज्य सभा में भी हुई और वहां पर जो इसका स्वागत हुआ उसके लिये हम शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यल्ड ट्राइब्ज के लोग अपना आभार प्रकट करते हैं। और यहां पर भी जो हमारे विरोधी दल के नेता महोदय ने इसका समर्थन किया है उसके लिये भी हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। पर इसके साथ साथ हम शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यल्ड ट्राइब्स के लोगों का जो मानस है वह भी मैं यहां पर बता देना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग इस रिजर्वेशन की अपेक्षा नहीं करते हैं। हम एक घड़ी के लिये भी, एक पल के लिये भी रिजर्वेशन नहीं चाहते। हम चाहते हैं तो केवल यह कि हमको समान अवसर प्रदान किये जायें और हमारे लिये समान ही परिस्थितियां पैदा की जायें। अगर यह प्राप्त हो जाती हैं तो हमारी सही प्रगति हो सकती है।

आज एक बच्चा तो पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और दूसरा बेसिक स्कूल में पढ़ता है। एक गरीब लड़का तो दिये की टिमटिमाती हुई रोशनी में पढ़ता है और दूसरी ओर एक लड़के को टेबल लैम्प और दूसरी सब तरह की सुविधाएं मिली हुई हैं। तो इन दोनों को समान अवसर नहीं, प्रगति करने के लिये समान सुविधाएं उपलब्ध नहीं, फिर आप उनको एक ही कॉम्पीटीशन से जज करना चाहें, तो यह उचित नहीं है। इसलिये ही, और इसी दृष्टिकोण से ही ये रिजर्वेशन्स रखना चाहते हैं। हजारों वर्षों से जो पद दलित चलते आये हैं, जिनकी उपेक्षा होती रही है, वे एक दम दूसरों के साथ कॉम्पिटीशन में नहीं आ सकते। आज बीस साल आजादी को हो गये, उस समय में इन लोगों ने कुछ प्रगति की है और इनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है, लेकिन केवल आर्थिक स्थिति सुधरने से ही इन लोगों का डवलपमेंट नहीं हो जाता। आज तक लोगों

Page No 69

(श्री जसराज)

के मानस का परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी मैं चाहे यहां बैठे हुआ हूं फिर भी चमार कहलाता हूं। मेरा बेटा इन्जीनियर बन जायेगा तो भी चमार कहलायेगा। और जिस वक्त यह शब्द वे लोग सुनेंगे तो उनके दिमाग में यही बात आयेगी कि अभी तक समाज ने हमको अपनाया नहीं।

आज जगद्गुरु शंकराचार्य जैसे आदमी यह कहें कि हमारे धर्म की ऐसी व्यवस्था है कि अछूत अछूत ही रहना चाहिये। तो कुछ समय के लिये मेरे दिमाग में यह भावना थी कि हमारी आर्थिक दृष्टि से उन्नति हो जाये तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की बातें जगदगुरु शंकराचार्य और दूसरे जो अपने को गुरु कहलाते हैं कहें, और वह भी बीस साल की आजादी के बाद, और धर्म की आड़ लेकर कहें तो हमारे मानस पर क्या असर पड़ता है? यह जो वर्ग भेद हमारी समाज में चला आ रहा है....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जगद्गुरु शंकराचार्य का सवाल है, मैं समझता हूं बार बार उनका नाम लेना उनके साथ अन्याय करना है। उन्होंने किसी जाति के लिये नहीं कहा कि वे अछूत हैं। एक राजपूत की स्त्री भी अछूत हो सकती है। इसलिये इस तरह से उनका नाम लिया जाना यह उचित नहीं है।

श्री जसराज : पहले मुझे बोलने दिया जाये, उसके बाद आप जो भी कहेंगे उसका जवाब मैं दूंगा।

श्री मदनसिंह : आपके साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले आपकी टोली में बैठे हैं। आज सुखाड़ियाजी अपने लड़के का विवाह आपकी लड़की के साथ कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जगद्गुरु ने जो कहा है उस पर शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों में रोष है और मैं समझता हूं कि माननीय उप-मंत्री अगर उस रोष को प्रकट कर रहे हैं तो माननीय सदस्य उनको यह भी नहीं करना देना चाहें, तो यह उचित नहीं है!

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जगद्गुरु के शब्दों को गलत समझा गया है। आज राजस्थान में आपके साथ जो कुर्सियों पर बैठे हैं वे ही आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उप-मंत्रीजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।

राजवी श्री रूपसिंह : इसके लिये हाई कोर्ट में फैसला हो चुका है, इसलिये कह रहे हैं।

श्री जसराज : यह बीमारी हजार सालों से चली आ रही है, यह हमारे मानस में बैठी हुई बीमारी है। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र, ये हमारे मानस में इस प्रकार से बैठ गये हैं कि बीस साल के लगातार प्रयत्नों के बाद भी नहीं निकल सके। यहां पर सेक्रेटेरियेट में भी अलग सुराही और अलग ग्लास रखा जाता है। इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि कानून में परिवर्तन

(श्री जनराज)

लाने से कुछ नहीं होता जब तक कि लोगों के मानस में परिवर्तन नहीं हो। इसलिये संविधान में जो संशोधन है उसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं, चाहे इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने वाले, उन सबका यह दायित्व है कि समाज में नई चेतना लावें। आज समाज में नई चेतना लाने की जरूरत है और यह हम सबका कर्तव्य है इन नई चेतना का लाना एक नया विश्वास लाना पड़ेगा। यह हमारे ऊपर जिम्मेदारी है इस पिछड़े हुए वर्ग को आगे लावें। नहीं तो हमारे आने वाले बच्चे हमारी आने वाली संतान पूछेगी कि आपने हमारे लिये क्या किया? इसलिये मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमें अपने स्वाभिमान को भी कायम रखते हुए एक नये नेतृत्व, एक नये वर्तमान और एक नये समाज का निर्माण करना होगा। मैं यहां पर यह भी कह देना उचित समझता हूं कि राज्य के द्वारा जो भी विशेष प्रकार की सुविधायें मिलती हैं उनके सम्बन्ध में कुछ थोड़ा सा सरकार को भी मैं निवेदन कर देना उचित समझता हूं कि हमारे में स्वाभिमान की कुछ कमी आई है। हम आज वजीफा चाहते हैं, वजीफ के साथ साथ हम छात्रावास चाहते हैं लेकिन, उसके उपरान्त भी हमारे बच्चों में स्वाभिमान पैदा नहीं होता है। इसलिए आने वाले दस सालों में समें कुछ अमेंडमेंट किया जाय, वह अमेंडमेंट यह किया जाय कि इस प्रकार की जो छात्रवृत्ति हमारे बच्चों को दी जायं तो उसके साथ साथ उनसे घण्टा भर काम लिया जाय, दो घण्टे काम लिया जाय, कुछ न कुछ उनसे काम अवश्य लिया जाय ताकि उनके दिमाग में यह भावना पैदा हो कि हम यह भीख के रूप में नहीं ले रहे हैं। आज तक का सारे संसार का इतिहास यह कहता है कि भिखारियों में कभी नेता पैदा नहीं होते हैं, इसलिए हम भिखारी नहीं बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हममें से स्वाभिमानी व्यक्ति निकलें, हम चाहते हैं कि इस प्रकार का नेतृत्व देने वाले व्यक्ति हमम से निकलें जो आने वाले समय में समाज का नये रूप में पथ प्रदर्शन कर सकें। इसलिये मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो भी सुविधायें हरिजन और आदिवासियों को दें उन सुविधाओं को देने के साथ साथ यह जरूर ध्यान में रखें कि यह लोग अपने स्वाभिमान को नहीं खोयें। एक नई चेतना, एक नया सामाजिक वातावरण पैदा हो जिससे हर व्यक्ति के एक इस प्रकार का विचार उत्पन्न हो कि हम सब समान हैं, हम नीचे नहीं हैं, हम ऊंचे नहीं हैं तो नीचे भी नहीं हैं। यह भावना जब तक उत्पन्न नहीं होगी तब तक समाज और देश के लिए उचित नहीं होगा। मैं नहीं कहता हूं कि इन जातियों की आर्थिक दृष्टिकोण से काफी तरक्की हुई है। मैं मानता हूं कि तरक्की हुई है लेकिन वह तरक्की बहुत अधिक नहीं हुई है। इस लिए आज आवश्यकता है कि आर्थिक प्रगति के तरीके में मोड़ दिया जावे। इस सम्बन्ध में नौकरियों के लिए जो आज तक बहुत कुछ कहते आये हैं, उसके लिए तो धन्यवाद है सुखाड़ियाजी का कि नौकरियों में अट्ठाइस प्रतिशत किया है रिजर्वेशन लेकिन एक तरफ अट्ठाइस प्रतिशत रिजर्वेशन किया....

श्री नत्थीसिंह : दूसरी तरफ दूसरे दिन नई नियुक्ति बन्द कर दीं।

श्री जसराज : दूसरी तरफ नौकरियों पर आज जो बैन लगा हुआ है। मेरा निवेदन है कि इस बेन को तत्काल हटा कर अ ठाइस प्रतिशत के इस रिजर्वेशन को नियुक्तियों में पूरा किया जाय ।

इसके साथ साथ एक दूसरी चीज निवेदन कर देना चाहता हूं कि हम आज तक बेगार बहुत अर्से से करते आये हैं। आज नौकरी करके योर्स फेथफुली लिख कर हमारा कल्याण हो जायगा-- यह सम्भव नहीं है इसलिए हरिजन और आदिवासियों की आर्थिक प्रगति करने के लिए उन्हें बिजनेस में भी लगाना पड़ेगा उन्हें उद्योग धन्धों में भी लगाना पड़ेगा । आज जो शाप्स का जितना एलाटमेंट होता है, उसमें भी जिस प्रकार से अट्ठाइस प्रतिशत रिजर्वेशन नौकरियों के लिए किया है, उसी प्रकार से आवश्यक है कि जो भी शाप्स का एलाटमेन्ट किया जाय उसमें भी अट्ठाइस प्रतिशत रिजर्वेशन हरिजन और आदिवासियों की पापूलेशन के आधार पर रहे। अगर इस प्रकार शिड्यल्ड कास्ट्स और शिड्यल्ड ट्राइब्स के लोग बिजनेस और उद्योग धन्धों में काम करने लगें तो उनके मानस में परिवर्तन आयेगा और समाज के मानस में भी परिवर्तन आयेगा । इसलिए आज केवल नौकरियों की हमें इतनी आवश्यकता नहीं है – मैं यह नहीं कहता कि हमें नौकरियां नहीं चाहिएं, मैं यह चाहता हूं कि कुछ डाइवर्शन ऑफ माइण्ड किया जाय और इसके लिए शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को बिजनेस और अलग अलग उद्योग धन्धों में लगाया जाय। हम जानते हैं कि आज हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आज इस प्रकार की आर्थिक स्थिति नहीं है जिससे बिजनेस और उद्योग धन्धों में पूरा पैसा हम लगा सकें। इस प्रकार के आज हमारे पास साधन नहीं है। इसके लिए कुछ राज्यों ने हरिजनों के लिए अलग से औद्योगिक बैंक बनाये हैं। उसी प्रकार से राजस्थान में भी औद्योगिक बैंक हरिजनों के लिए बनाया जाय जो कि हरिजनों को सहायता दे सके ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आज व्यवसाय के कारण हर व्यक्ति के दिमाग में एक स्पष्ट भावना उत्पन्न होती है। जब तक कोई व्यक्ति चमार की दुकान लगाता रहेगा तब तक वह चमार ही कहलायेगा, लेकिन अगर वह बाटा के जैसी दुकान लगा लेता है तो वह सेठ साहब बन जायगा । मेरा केवल विचार यह है कि व्यवसाय के साथ समाज के मानस में परिवर्तन आता है, इसलिए आज आवश्यकता है हरिजनों के द्वारा बड़े बड़े उद्योग धन्धे खुलवाने की। इस आवश्यकता की आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से पूर्ति करने की आवश्यकता है । इसलिए आज जो दस साल का समय और बढ़ा रहे हैं, इन आने वाले दस सालों में अपने दिमाग में एक इस प्रकार का दृष्टिकोण लेकर चलना होगा कि आने वाले दस साल में इस प्रकार से प्रगति करनी है तब तो इस अमेंडमेंट का कुछ उपयोग होगा अन्यथा नहीं ।

इसके साथ साथ एक चीज और है आपने जो नौकरियों में रिजर्वेशन रखा है उसके साथ ही जब तक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन मे एक सदस्य हरिजनों का नहीं होगा तब तक हरिजनों का अधिक हित नहीं होगा। क्योंकि कई दफा चयन के प्रश्न में यह स्थिति आती है, यदि सूटेबल केन्डीडेट अवेलेबल नहीं हो तो ही विल नाट बी टेकन

(श्री जसराज)

अपप्रोवाइटेड सम सूटेबल केन्डीडेट इज नोट अवेलेबल। इस प्रकार के क्राइटेरिया के लोग कई दफा नहीं आते हैं। हम नियम कितने ही बना दें परन्तु जो चयन करने वाले हैं उनके अन्दर इस प्रकार की भावना है ही नहीं। हमारा जो मानस है उसमें इस प्रकार की भावना बैठी हुई है, उस भावना के कारण जब तक हरिजनों की उपेक्षा बरती जायगी तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में इस प्रकार से हरिजनों का प्रतिनिधि होना चाहिए जो उनके राइट्स की और उनके अधिकारों की रक्षा कर सके पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठ कर।

इसके साथ साथ एक चीज और निवेदन करना चाहूंगा। जिस प्रकार हम पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी अथवा और जो कमेटी हैं उनके द्वारा हर साल अध्ययन कराते हैं कि कितनी प्रगति हुई है विभिन्न क्षेत्रों में और कितनी हानि हुई है या कितना लाभ हुआ है और उनका प्रतिवेदन इस सदन के सदस्यों के सम्मुख पेश किया जाता है, उसी प्रकार आगे आने वाले दस सालों के अन्दर दस प्रतिवेदन इस प्रकार की कमेटी नियुक्त करके इस हाउस के सामने आते हैं तो उनके द्वारा इस हाउस के सामने कुछ स्टेअर केसेज रहेंगे कि पिछले साल इतना मापदण्ड रखा था लेकिन इतनी प्रगति हुई है, पूरी प्रगति कहां पर रुक गई और क्यों रुक गई? इसलिये इस प्रकार की विधान सभा की कमेटी होना नितान्त आवश्यक है। इससे जो साल, दो साल के अन्दर प्रगति होती है उसकी प्रगति का विवरण इस सदन के सामने रख कर उस प्रगति की जांच कर सकते हैं। यह बहुत आवश्यक है। तो मेरा निवेदन है कि हमें आगे आने वाले दस साल में जो कुछ करना है उसके लिए एक पूरे योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ना होगा। योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ने से ही हमारा कल्याण होगा और इनका कल्याण होगा, और इससे जो हिन्दुस्तान के अन्दर यह अछूत जातियां हैं, यह जो हिन्दुस्तान पर ब्लाट है, यह ब्लाट भी धुल सकेगा अन्यथा जो आज जिस प्रकार की सामाजिक कुरीतियां हैं, जिस प्रकार की सामाजिक बुराइयां हैं वह इतनी आसानी से दूर होने वाली नहीं हैं।

साथ ही साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा, आने वाले दिनों में बजट सैशन भी होगा, उसमें यह ध्यान रखा जाय कि 1951 में हरिजनों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं और जितना बजट उस समय रखा गया था, उसके बाद से आज तक जो उनकी पापूलेशन में वृद्धि हुई है और उनको दी जाने वाली सुविधाओं को देखते हुए बजट में जितना प्रावधान रखा जाता है, इसी प्रकार से जो स्कालरशिप आदि 1951 में बच्चों को दे रहे थे, उसके बाद में कीमत कितनी बढ़ी हैं—उसके उपरान्त भी आज भी हरिजनों के बच्चों को छात्रावासों में चालीस रुपये प्रति छात्र छात्रवृत्ति देते हैं और उसी में उनको सारी सुविधायें देना चाहते हैं—उसी में उनको पुस्तकें देना चाहते हैं, उसी में और सारी सुविधायें देना चाहते हैं, पढ़ने की, पहनने की, खाने की, पीने की। लेकिन आज चालीस रुपये में वह पूरी नहीं हो पाती हैं। यह बहुत छोटी मोटी चीजें हैं परन्तु फिर भी महत्वपूर्ण चीजें हैं इसलिए इनका ध्यान रखना पड़ेगा।

(श्री हंसराज)

तो मैंने इस सदन के सामने इस संशोधन पर यह विचार रखे हैं कि आर्थिक प्रगति आवश्यक है परन्तु आर्थिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक प्रगति भी आवश्यक है इसलिए चाहे हरिजन भाई हों, अथवा दूसरे भाई हों—उनका समाज के प्रति भी कुछ दायित्व है। इसलिए दायित्व होने के नाते से समाज में एक नया परिवर्तन लाना होगा, एक नया मोड़ और एक नई जिन्दगी देनी होगी। इस दिशा में कुछ कर पायें तो मैं सोचता हूं कि दस सालों में बहुत कुछ हो सकता है अन्यथा जिस कार बीस साल का समय गुजर गया है उसी प्रकार राज्य के आसरे दस साल और गजर जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरा भाई

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भारत के संवि ान में जो तेइसवां संशोधन का प्रस्ताव यहां पर आया है, इस प्रकार के पहले भी यहां आये हैं और पांच पांच साल, दस दस साल बढ़ाते गये हैं, उसी तरह से यह दस साल और बढ़ाने के लिए प्रस्ताव आया है। इस विधेयक का तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी देखना होगा कि इस विधेयक के जरिये हमको सिर्फ पंचायत समितियों में, या विधान सभा में या पार्लियामेंन्ट, या नगरपालिकाओं में रिजर्व सीट के जरिये पहुंचाना है लेकिन वहां बैठाने के अलावा उसके साथ साथ और क्या करना है। उसके बाद जितने हरिजन और आदिवासियों के परिवार हैं या उनकी जनसंख्या है इस देश में, उनको हमें खश करना है या सिर्फ उनकी नाम मात्र को मूर्ति की तरह पूजा करनी है। क्या इस देश में हरिजनों और आदिवासियों की स्थिति को ऊंचा करना है उनको अच्छा वातावरण देना है। मुझे इस बात की शंका है। इसलिए इसका समर्थन करते हुए भी जो सरकार का तरीका है उस तरीके को मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता हूं। यह तरीका बड़ा गन्दा है। इसको गन्दा मैं इसलिए मानता हूं कि लोगों की आर्थिक स्थिति को हमें इस दृष्टिकोण से देखना है कि एक तरफ तो रेल गाड़ी दौड़ कर जा रही है, दूसरी तरफ उसके पीछे एक रिक्शे वाले को दौड़ायेंगे तो निश्चित रूप से वह रिक्शे वाला रास्ते में गिरेगा। यदि उससे हमें रेल का मुकाबला करान है तो रेल के जितने साधन हैं, रेल में जितने ईंधन या डीजल है, रेल में जितने अच्छे अच्छे पुर्जे हैं, उसी तरह के पुर्जे, उसी तरह के साधन हमें रिक्शे के लिए भी तैयार करने होंगे। उसी प्रकार हरिजनों के लिए भी उसी प्रकार के साधन और सुविधायें जुटानी पड़ेंगी जो कि आज एक सवर्ण जाति के व्यक्ति को उपलब्ध हैं। आज जो एक कलेक्टर है, उसको डेढ हजार रुपये माहवार तनख्वाह मिलती है और डेढ हजार रुपये महीने के उसको टूर प्रोग्राम के भत्ते के मिल जाते हैं। उस तीन हजार रुपये माहवार पाने वाले कलेक्टर का छोरा पढ़ेगा उसका मुकाबला आप हरिजन के लड़के से करवाना चाहते हैं और यह विश्वास करते हैं कि हरिजन लड़के को चालीस, पचास, पच्चीस पये माहवार देकर, छात्रावास की सुविधा देकर कुछ सहायता और सहयोग देकर उससे कलेक्टर और कमिश्नर के लड़के का मुकाबला करा सकेंगे—यह बात गलत है। इस प्रकार से आप इस देश की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। आज देश के अन्दर जो सवर्ण जाति के लोग हैं, उनसे

(श्री हीराभाई)

मेरा कोई विरोध नहीं है, सवर्ण जाति में, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत से लोग आते होंगे उनको मेरी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन योजना बनाने वालों को आज मैं चुनौती देता हूं कि आप जब तक रेल का मुकाबला करने के लिए रिक्शे में रेल के जैसे साधन नहीं जुटायेंगे तब तक वह मुकाबला नहीं कर सकता है। उसी प्रकार हरिजनों को सवर्ण जैसे साधन देंगे तब ही हरिजन और सवर्ण एक हो सकते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े ताज्जुब की बात है, आज हरिजन और आदिवासियों के बच्चों को छात्रावास और स्कूलों में न जाने कब का सड़ा सड़ाया दलिया खिला कर राजी रखना चाहते हैं और फिर उनको कहते हैं कि अब तुम जाकर सवर्ण का मुकाबला करो, तीन हजार रुपये माहवार पाने वाले कलेक्टर के लड़के का मुकाबला करो, उनके बराबर चलो और उनके साथ में हार जीत करो, चुनाव लड़ो, कुछ भी करो यह बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि सिर्फ आंसू पूछने की हैं। इससे कोई नहीं होता है। मैं उस बात में विश्वास नहीं रखता हूं कि अमेरिका या कहीं से दलिया लेकर हमको खिलायें। डॉक्टर भी उसकी जांच नहीं करता है और उसको बच्चों को खिलाते हैं। सड़ा और गन्दा है क्या मालूम क्या है? लेकिन हमारे जो नेता हैं, जिनके हाथ में सरकार की सत्ता है वे बहुत बड़े चालाक और सतर्क हैं और चाहते हैं कि इनको सिर्फ गन्दा और सड़ा खिलाकर इनके दिलों को अपनी तरफ मोड़े रखो ताकि हमारी सरकार चलती रहे।

इसी तरह से, माननीय उपाध्यक्षजी, यह कॉन्स्टीट्यूशनल बिल लायें या और किसी तरह से मदद करें, मगर मेरा कहना यह है कि अगर मैं उस एरिया के लोगों के साथ में अच्छाई रखता हूं और बुराई का मुकाबला करता हूं तो उस एरिया के लोग मुझे वोट देंगे, और मैं अगर वोट लेकर के बिक गया और लोगों के साथ में धोखा किया तो लोग मुझे वोट नहीं देंगे दुबारा। तो यह भी हमें ख्याल रखना है कि हमारी मान और मर्यादा कायम रहे। तभी जाकर हम देश की रक्षा कर सकते हैं, लोकतन्त्र की रक्षा कर सकते है, वर्ना यह सड़ा दलिया खाकर और किसी छात्रावास में जाकर सड़े और गन्दे कमरे में पड़े रहकर देश का उत्थान नहीं कर सकते हैं।

तो उसके बारे में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जरूरत इस बात की है और मैं, और मेरी पार्टी, मेरा दल यह कहता है कि कम से कम 60 पर्सेन्ट लोगों को नौकरी, धन्धे में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाय और बाद में दूसरों के लिए हो। लेकिन राजस्थान में सरकारी नौकरियों में 28 पर्सेन्ट का निर्णय करते हैं और दूसरे दिन उस पर बान लगा देते हैं। फिर यह कैसे समस्या हल होगी?

मेरे माननीय मित्र जसराजजी बोल गये। यह बात मैं मानता हूं कि इनके दिल में दुःख है, लेकिन दुःख लेकर खाली रोने से ही काम नहीं चलेगा, किसी के मुनीम बने रहने से काम नहीं चलेगा। आप दूसरों को कह रहे थे, और मुझे विश्वास है कि वे पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं और समझते हैं, उनके लिए मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा, लेकिन आपने यह कहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था

(श्री हीराभाई)

में सब तरह का सुधार आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मुझको यह भी निवेदन करना है कि हम इतनी ही कोशिश न करें क्योंकि दूसरे लोग बड़े चालाक और चतुर हैं और हमको बगल में रखकर काम निकालना चाहते हैं। आपको और हमको क्या करना है? हमको अपनी मान और मर्यादा बनानी चाहिए या नहीं? अगर मान और मर्यादा बनानी है तो किसी की बगल में जाकर, किसी का मुनीम बनकर रहने की आदत को दिमाग से बाहर निकालना होगा, क्योंकि यह तरीका वही हो जाता है जो ढोली, भाट और चामटा और दूसरे नाटक करने वाले लोगों का है। सुखाड़ियाजी जैसा भी नाटक करेंगे तो ढोली, चामटा और भाट उनके पीछे डोलते फिरेंगे। अगर उसी तरह से करना है तो हमें अपनी राजनीति की भावना को खत्म कर देना चाहिए। सुखाड़िया जिन्दा रहेगा उसकी जय-जय बोलो और देवता के नाम से पूजो। वह मरा तो दूसरा नेता तैयार है। उसको पूजो और अपना काम निकालो। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जसराजजी से मुझको ऐतराज नहीं है। वे मेरे भाई हैं, लेकिन हमारे देश की मान-मर्यादा को खत्म करने की बात के बारे में कदम उठाने की बात को सोचना पड़ेगा। हम इस देश के नागरिक हैं। यह क्यों कहते हैं कि हरिजन भाई हैं। मैं भील हूं। खायो नी खायो म्हारो काई लेगो। मैं भी इन्सान हूं। एक मां की कोख से मैं भी पैदा हुआ हूं, मैं क्यों डरूं? चाहे महाराजा जयपुर हों या देश का बहुत बड़ा नेता हो अपने आपसे तो भी नहीं डरूंगा। उनका और मेरा अलग अलग होता है। एक डाक्टर का काम करता है और एक सिपाही 10 मील जाकर डाक की तामील कराता है तो डाक्टर से भी वह बहुत बड़ा काम करता है तो सिपाही छोटा थोड़े ही होता है, लेकिन सुखाड़िया सरकार यह करती है कि हरिजनों, भीलों को छोटे लोगों को नौकर रखकर ऑफिसरों की औरतों के कपड़े धुलाते हैं। उनकी बगल में जाकर जसराजजी बैठें और बात करें तो यह कहना पड़ता है। वहां पर कन्ट्रोल की कार्यवाही नहीं तो फिर इस बात को क्यों दोहराते हैं? हम फिर भी नहीं डरते हैं। रिज़र्व्ड सीट हो या न हो हमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे दल का एक मिशन है अन्याय का मुकाबला करना। उस ओर हमारा दल कदम उठाता चला जा रहा है और सरकार को रास्ते पर चलाने के लिए अंकुश रखता है। चाहे वह कांग्रेसी हुकूमत हो या और कोई दूसरी हुकूमत हो हमारा दल जो रास्ता बनायेगा उस रास्ते पर उनको चलना पड़ता है और चलाते जा रहे हैं। उनके पीछे जनता ने अंकुश लेकर पीछा कर रखा है। अगर उलटे रास्ते जायेंगे तो जैसे हाथी को भाला घुसोकर रास्ते पर लाते हैं उसी तरह से उनको रास्ते पर ले आयेंगे। यह हम उम्मीद करते है लेकिन लोगों को भीखमंगे बनाये रखकर और लोगों को ऐसी इन्सानियत का तरीका सिखायें, यह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्जूर नहीं करता हूं, और न मेरी समझ में जैसा एक सूखी रोटी पर नमक रखकर खाने वाला आदमी, उस पर विश्वास राखबा वालो आदमी भी नहीं करेगा। हो सकता है कि विदेशी सभ्यता के अन्दर फंसे हुए आदमी जो हैं, जो इस तरह के इन्सान या व्यक्ति हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। उनका 2-4 हजार रुपयों से कम में खर्चा नहीं चलता हो, लेकिन मेरे

Page No 76

(श्री हीराभाई)

जैसा आदमी जिसको रोटी पर नमक मिर्च मिले तो ठीक है और नहीं मिले तो ठीक है, इस बात में विश्वास करने वाला आदमी इसको मन्जूर नहीं करेगा, वह न तो गुलाम बनने वाला है और न बनेगा।

तो इस तरह से आज सिर्फ लोगों को राजी रखकर काम नहीं चलेगा, और अगर मुकाबला करना है कि हरिजन, आदिवासी या पिछड़ी जाति वालों के साथ अन्याय हो रहा है और उस अन्याय का मुकाबला करना है तो जनता के पैसे के खजाने को गैरवाजिब तरीके से लूटकर और मनमाने ढंग से भत्ता बनाकर देश का पैसा बरबाद कर रहे हैं बड़े बड़े लोग। खास तौर से हरिजनों की बात आती है किसी तरह से स्कूल खुलवाने की तो यह कह दिया जाता है धनाभाव है। हमारा अभी समाजकल्याण का दिवस मनाया गया था वहां पर हमारे साथी गये तो उन्होंने देखा था कि वहां पर करीब करीब 8 हजार रुपया खर्च हुआ। उसकी क्या जरूरत थी? लोगों का मन बढ़ाने की बात है तो वहां पर पैसा खर्च करने की बात कैसे आ गई? यह जो तरीका है गलत है। उस गलत तरीके को कन्ट्रोल करने के लिए हमें खड़े होने की जरूरत है।

उसके साथ साथ लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है? हमारे स्वर्गीय नेता राम मनोहरजी लोहिया ने कहा है कि जहां एक तरफ एक व्यक्ति तीन आने में गुजर कर रहा है और दूसरा व्यक्ति अतुल धन प्राप्त करके एशोआराम में चल रहा है। तो यह भी संशोधन करना बहुत जरूरी है। आज भारत में एक संविधान है उस भारत के संविधान के तहत भारत के नागरिकों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। उनको रोजी, रोटी, पढ़ाई, आदि का बराबर अधिकार दिया जाय। लेकिन उसमें कोई किसी तरह से नहीं दिया जायगा जब तक कि आप ऊपर की तनख्वाह वालों पर कन्ट्रोल नहीं करेंगे। आप यह बता देते हैं कि धनाभाव है, तो जब तक बढ़ी हुई तनख्वाहों को नहीं रोकेंगे, डेढ़ हजार से ज्यादा वाली तनख्वाहों पल अंकुश नहीं लगायेंगे, उनके बड़े-बड़े विशेष अधिकारों पर जो पैसा बरबाद किया जा रहा है उसको नहीं रोकेंगे, अपने मंत्री-मंडल को जो कांग्रेस पार्टी को जिन्दा रखने के लिए बढ़ाया है, उस अलीबाबा और चालीस चोर को खत्म नहीं करेंगे, तब तक धन ज्यादा बचने वाला नहीं है।

वह धन बचे नहीं तो हरिजनों की सेवा होती नहीं है, इसलिये यह बाकी जो सब कुछ है वह सब दिखावटी और कहावत मात्र है, केवल कहने के लिये है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तो यह अपील है कि हरिजनों को सबसे पहले पीने के लिये शुद्ध पानी, खाने के लिये रोटी और पहनने को कपड़ा दीजिये। कपड़ा उसके पास कब आयेगा, तभी आयेगा जबकि उसको आमदनी हो। आपने देखा होगा यहां के पुलिस थानेदार की तनख्वाह 250-300 रुपया माहवार है जबकि वे बी० ए० भी नहीं हैं, नये थानेदार हैं पर पुराने थानेदार तो मिडिल और छट्टी क्लास फेल हैं पर दूसरी तरफ यहां का हरिजन जो मैट्रिक पास है वह जयपुर की नगरपालिका में 60-70 या 80 रुपये माहवार में काम करेगा क्या थानेदार उसके मुकाबले में ज्यादा काम करता है?

(श्री हीराभाई)

दोनों केटेगरी बराबर माननी पड़ेगी। यह गंदगी साफ नहीं होगी तो महामारी फैलेगी और हमारे इस मुल्क में मिनख मरेंगे, गंदगी को साफ करके रोगों का मुकाबला करने वाले महतर लोग हैं। जिस तरह बोर्डर पर लड़ाई लड़ने वाला सिपाही बाहर के दुश्मन से हमारे देश की रक्षा के लिये मुकाबला करता है, उसी तरह शहरों के महतर हमारी फैलाने वाली गन्दगी से मुकाबला करके रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। पर सफाई करने वाले की तनख्वाह 60-70 रुपया और थानेदार की तनख्वाह 300 रुपया और फिर ऊपर से हजारों रुपयों की रिश्वत और। दोनों में इतना अन्तर और फिर आप हरिजन को कहें कि उसका मुकाबला करले तो वह उसका मुकाबला कैसे करेगा। जब तक इन हरिजनों आदिवासियों के आर्थिक साधनों को आप नहीं बढ़ायेंगे तब तक गंगा के पानी को गन्दे नाले में ला कर चाटेंगे तो भी उनकी स्थिति वह की वही रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह मैंने हरिजनों के संबंध में निवेदन किया उसी तरह किसानों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। आज राजस्थान में बड़े ताज्जुब की बात है कि एक तरफ यह विधेयक विधान सभा में लाने वाले हैं पर दूसरी तरफ हमारे जिला बांसवाड़ा में अकाल की घोषणा उन्हीं क्षेत्रों में उन्हीं ग्रामों में की गई है जहां ज्यादा सवर्ण लोग रहते हैं, जहां हरिदेव जोशी के लोग रहते हैं, जहां पानी पड़ा वहां जोशीजी के एरिया में अकाल राहत के काम खोले और विरोधी पार्टी के एरिया में वसूली के लिये डंडा चला रहे हैं। आप जिसका सुधार करने की, जिसको ऊंचा उठाने की बात यहां कह रहे हैं उनकी जमीनें नीलाम हो रही हैं,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, टाइम तो मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि पूरा चित्र तो इनका मुझे रखना है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल का 20 मिनिट टाइम है और आपको 20 मिनिट होने आये हैं।

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरिजन भी तो हूं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता था कि जान बूझ कर कोई भी सरकारी लगान देना बन्द नहीं करता, लगातार अकाल पर अकाल पड़ते है तो मजबूरी की हालत में वह कहां से दे। पर गरीब अगर पहली किश्त का रुपया नहीं भरता है तो उतनी ही पनेल्टी उससे एकमुश्त वसूल की जा रही है वही कार्यवाही उन पर इस साल शुरू कर दी है। पहली किश्त नहीं दे और फिर दूसरी किश्त नहीं दे तो उससे हजारों रुपया जुर्माना का वसूल किया जा रहा है। पुकार की जाती है तो कहा जायगा कि कानून बना हुआ है, तहसीलदार कलेक्टर कहते हैं कि ऊपर वाले हमें नहीं रोकेंगे तब तक हमको उनके आदेश का पालन करना पड़ेगा, जब्तियां करनी पड़ेंगी। वहां गरीब किसान जो भील हैं उनकी वहां जमीनें नीलाम हो रही हैं और यहां आप उनको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उधर उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं आखिर वह कहां जायेंगे, वह चिल्लायेगा तो उसको गोली से मारोगे। यह स्थिति वहां हो रही है। नहीं तो सरकार को चाहिये कि उन क्षेत्रों में अकाल घोषित कर के व ली को

(श्री हीराभाई)

स्थगित करें । जिन लोगों के पास दो दो चार चार बीघा जमीन है वे लोग दो हजार रुपया जर्माना कहां से लायें ।

यही नहीं उन गरीबों पर दो तरह का दंड किया जाता है । पटवारी लिखेगा कि इस खेत में 12 मन होने वाला है, 12 मन की 200 रुपया कीमत पड़ेगी, तो वह रुपया और जमीन का रुपया मिला कर उस पर 1500 रुपया दंड का । यह सरकार क्या है, इसे अंधी कहें, बहरी कहें, हमारे महारावल इसे चाण्डाल कहते हैं मैं तो कहूंगा कि यह सरकार ही नहीं है । एक तरफ तो इन लोगों की भलाई की बातें करती है और दूसरी तरफ उन लोगों की जमीनें नीलाम की जाती हैं । सज्जनगढ़ में एक गरीब की जमीन ही नीलाम नहीं की गई, पटवारी ने उसका एंजिन भी ले कर अपने घर में रख लिया बिना कुर्की के वह गरीब भील क्या जानता है कानून को पर अफसर तो है, अफसर तो सुखाड़ियाजी के ही रखे हुए हैं । पर जिस तरह का ऊपर से इशारा होता होगा उस तरह काम चलाते रहते हैं । एक तरफ तो यह बात कहना कि हम इनकी भलाई करना चाहते हैं और दूसरी तरफ जहां 90 प्रतिशत भील रहते हैं जहां 800 तक लड़कों की संख्या है पर वहां न हायर सेकेन्डरी स्कल है न वहाँ आप जुनियर कॉलेज खोलते हैं और फिर आप हरिजनों और आदिवासियों की भलाई के गीत गाते हैं, आप इस तरह के गीत क्यों गाते हैं, मैं इस तरह के गीत पसंद नहीं करता। कहते हैं तो कहते हैं कि छात्रावास खोल दिये। क्या आप 80 हजार परिवारों के एक एक छात्र को छात्रावास में रखने के लिये तैयार हैं ? नहीं आप रखेंगे 25 छात्रों को 40 छात्रों को या 50 छात्रों को । छात्रावास खोलो या मत खोलो इससे मुझे मोह नहीं पर मैं यह व्यवस्था करने के लिये कहता हूं कि ऐसी व्यवस्था करो कि भीलों के लड़के अपने गांवों में पढ़ने जायें तो उनको पढ़ा दिया जाय, उसके लिये पढ़ाई कराने की व्यवस्था कर दी जाय, उसको बाहर नहीं जाना पड़े । पढ़ना चाहें तो वहीं पढ़ सकता है और अपने दूसरे काम भी कर सकता है, खेती का सफाई का या जो भी दूसरा काम है वह वहां पढ़ने के साथ साथ कर सके इस प्रकार की व्यवस्था कर दो । पर अगर इसी तरह से आपने अपना धंधा चलाया तो इससे काम नहीं चलेगा, यह तो दिखावटी बात ले कर आप चलते हैं यह बड़ी गजब की बात है, यह तो केवल हरिजनों और आदिवासियों को मोहित बनाना है ।

आज हमारे वहां अकाल है, पर जोशी जी के इलाके में तो अकाल सहायता के काम खोल दिये, हमारे यहां क्यों नहीं खोले ? हमने क्या किया है ? आपके विरोधी हैं तो आप मुकाबला करना, हमको पराजित कर देना, पर वहां की जनता के साथ क्यों अन्याय कर रहे हो ? कोई काम भी खोलेंगे तो गलत तरीके के । एक तरफ कड़ाना में डूब में जमीन जा रही है, पर वहां सड़क बना रहे हैं, 30 हजार किसानों की जमीन डूब में आयेगी, कितनी अन्धी बेहूदी सरकार है । पता नहीं चलता क्या करना चाहती है । सरकार को चाहिये कि गुजरात की सरकार से लड़े और वहां के लोगों के अधिकारों को कायम रखे, पर वह नहीं करती । अगर रिश्वत के रूप में गुजरात सरकार से रुपया ले लिया है तो इन 30 हजार गरीब किसानों को जिनकी जमीन घरबार इस कड़ाना बांध

Page No 79

(श्री हीराभाई)

कीडूब में आयेंगे, उनको जहां ले जा कर बसाना है वहां रिलीफ के काम चालू करें, वहां इन लोगों को बसा कर काम दें। तब तो मैं समझूंगा कि हां कोई सरकार है। सरकार के सामने जो मांग रखने वाले आदमी हैं उनके बारे में सरकार समझती है कि गधे रेंगते हैं, लेकिन मैं उनकी बुद्धि सुधारने के लिये अर्ज करूंगा। हरिजन आदिवासी पीड़ित हैं, पीड़ित जनता है। महिलायें हैं, मुसलमान हैं, नाई व धोबी हैं, छोटे दर्जे के लोग हैं। इन सब को एक होना पड़ेगा और एक होकर ऊपर बढ़ाने वाले, ऊपर का जितना आमदनी का हिस्सा, ऊंचे दर्जे वालों पर खर्चा किया जा रहा है, वह आमदनी का हिस्सा कम से कम 70 प्रतिशत इन गरीबों को ऊंचा उठाने के लिये खर्च किया जाय और बाकी 30 प्रतिशत हमारे राज्य का काम काज चलाने में खर्च किया जाय तब जाकर रास्ता निकल सकता है। उसके बारे में अब क्या करना चाहिए? हम लोगों को काम बताया जाय। नहरी जमीन का नारा लगाते हैं, उस समय सुखाड़िया ने आहवान किया, घोषणा की कि नहरी जमीन एक लाख एकड़ जमीन हरिजनों और आदिवासियों के लिए, भूमिहीनों के लिए रखी है लेकिन कौन जायगा वहां? एक महीने की मियाद में कौन जाकर क्या कार्यवाही करेगा? उनका सरकार के पास क्या प्रमाण है कि वह हरिजन है या नहीं? कब जायगा? एक महीने के बाद वह तारीख समाप्त होती है। अगर यह सरकार दावा करती है कि 22 साल के लिये तो बतादें कि 22 साल में सवर्ण के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक और बी० ए० हैं, आज एम० ए०, डबल एम० ए० और आई० ए० एस० हैं। उसके बाद हरिजन और आदिवासी कितनी परसेन्टेज में बढ़े हैं। यह आंकड़ा बतायें, वरना आपका दावा बिल्कुल झूठा है। आप यह भीख मांगने को, दलिया खाने को, गंदे तेल के भुजिए बनाकर लोगों को खिलाने की आदत खराब करते हैं। बच्चों की आदत बिगड़ी तो भीख मांगेंगे, बेईमानी से खाने की तलाश करेंगे और आदमी को अपने पैरों पर खड़ा करना है, तो पढ़ना लिखना व धंधा सिखायें, दूसरी तरह से सहयोग दें और उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था करें। लेकिन एक दो घंटे मास्टर ने भुजिये बनवाये और बच्चों को खिलाया, इससे मैं बिल्कुल नाराज हूं। उनके लिए किताबों व पट्टी वगैरह के लिए सुविधा दें वरना यह तरीका गलत है और उसकी लालच से हम उनसे चिपके रहना पसंद नहीं करेंगे। अब तो सरकार आप पर काबू करती चली जाती है, डंडे मारो, गोली मारो लेकिन जिंदा रहने का जनता को अधिकार है। सरकार पर काबू करने की तैयारी करो और सरकार पर काबू करके इनको जनता इन्हें हुक्म दे और फिर उसके अनुसार सरकार चले वह रास्ता अपनाओगे तब जाकर कुछ हो सकता है। वरना भीख मांगने से कुछ नहीं हो सकता। एकबात के लिए मैं हरिजनों को आह्वान करूंगा कि दूसरा धंधा भी सीखो। झाड़ू निकालना बुरी बात नहीं है। मैं उनको बहुत बहादुर सेवक मानता हूं लेकिन फिर भी उनको सवर्ण जाति को देखना है और उनकी हिम्मत के सामने मुकाबला करना है तो दूसरा धंधा करायें। सवर्ण अपने अपने घर की टट्टी उठायें, टट्टी की टोकरी को खुद ले जाकर डालें। आप कहो उनसे कि हमने काफी समय उठा लिया,

(श्री हीराभाई)

हम अब सिर्फ झाड़ू निकालेंगे। आखिर हम भी इन्सान हैं। हरेक अपने अपने घर का पाखाना साफ करे, वरना टोकड़ी फोड़ डालो। सफाई करें गरीब लोग और एशोआराम मलमल की धोती पहनें लखपति, फिर डंडा आए गरीबों पर।

सिन्धी आए, यहां के महाजन लोगों का सारा व्यापार सिन्धियों ने डुबो दिया है, उसी तरह से यह भी हो सकता है हरिजन धंधा करें, कुछ न कुछ काम करें लेकिन सिर्फ झाड़ू निकालने वाले और गंदगी की टोकरी ले जाने वाले, यह हमारे बेटे हमको खुद को नहीं मान रहे हैं। हरिजन सब का बाप है। मां और बच्चे की टट्टी उठाते हैं और फेंकते हैं इसलिये हरिजन लोग सब के बाप हैं और माता हैं इसलिए वह धुलाई करते हैं और बेटा नालायक निकल जाय और मां बाप पर डंडा चलाए तब जाकर हमें कुछ न कुछ रास्ता अपनाना पड़ेगा, फिर बेटे को भी उस धंधे लगाना पड़ेगा। अब तक हमें प्रजातन्त्र मिला है, उसके अन्तर्गत अधिकार हैं, कुछ करना है तो राज्य पर काबू करके और अंकुश चलाने की कोशिश करें तब जाकर यह बीमारी दूर हो सकती है नहीं तो मैं एम० एल० ए० बन गया, मैं क्या करूंगा? यहां तो जो जोशी करेगा और सुखाड़िया करेगा वही होगा। उनसे कहते हैं कि हमारा अमृत लाल यादव कैबीनेट का मेम्बर है लेकिन एक हरिजन की क्या चलेगी वह तो जो सुखाड़िया चाहेगा, करेगा। भीखाभाई की बड़ी कहानी है। मेरी जाति का है, वह भील है, मैं भी भील हूं। हम तो रोटी पीट कर भी लेते थे। कुशलगढ़ में भीखाभाई कहते हैं कि अगर सुखाड़िया और जोशीजी की मेहरबानी हो जाय तो मैं यहां पर वाटर पम्प लगवा दूंगा। मुझे शर्म आई कि मेरी जाति का बहादुर भील यह कहे, इसका क्या भरोसा, इससे तो हमारे ईमान की बर्बादी होगी।

इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। (2 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवेन्द्र कुमार।

श्री देवेन्द्र कुमार (गोगुन्दा-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के दस साल के लिए और मयाद बढ़ाने का अध्यादेश आया है उसका मैं स्वागत करता हूं। आदिवासियों, हरिजनों को सरकार ने 22 वर्ष में जो मौका दिया है उसमें उनके लिए काफी प्रगति हुई है। साथ ही साथ दस साल के लिए और गवर्नमेन्ट की ओर से मौका दिया गया है इसमें हमें आगे बढ़ना है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों को अधिकार जरूर प्राप्त हैं लेकिन अभी तक हमारी आर्थिक हालत सुचारु रूप से ठीक नहीं हुई है। इसका कारण है कि हम पीढ़ियों से पिछड़े हुए थे, अशिक्षित थे और खेती में और अन्य धन्धों में हमने प्रगति नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने हमारे उत्थान के लिए लाखों रुपया खर्च किया लेकिन उसका उपयोग पूरी तरह से नहीं हुआ। जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने खर्चा किया उसका सही ढंग से उपयोग होता, तो हम आगे और जगह जा पहुंचते। हमारी आर्थिक हालत बहुत पिछड़ी हुई है। खेती के बारे में आपकी मार्फत निवेदन करना

(श्री देवेन्द्र कुमार)

चाहता हूं कि हम खेती करने के अभ्यासी हैं, हम मेहनत करते हैं लेकिन खेती करने के साधन नहीं हैं। खेती में सिचाई के साधन नहीं हैं। बहुत से आदिवासी भाई ऐसे हैं जिनके पास हल चलाने के लिये बैल नहीं है, बहुत से ऐसे हैं जिनको शिक्षा बराबर प्राप्त नहीं हो पायी। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे लिये रिजर्वेशन की यह मियाद बढ़ी है यह ठीक है लेकिन मियाद बढ़ने से ही काम नहीं चल सकता। हमारी आर्थिक हालत को सुधारने के लिये सरकार ज्यादा ध्यान दे। जो गवर्नमेन्ट से पैसा मिलता है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आदिवासियों के लिए गवर्नमेन्ट की तरफ से पैसा मिला, जो कुछ उनके लिए खर्चा किया गया उसमें काफी दुरुपयोग हुआ है। कुओं के लिए पैसा मिलता है। आदिवासी किसान ऐसे होते हैं कि बहुत से अशिक्षित होने के कारण पंचायत समितियों से सहकारी समितियों से पैसा लेते हैं तो उसमें बहुत सा घोटाला होता है। हाउस में भी एक बार सवाल उठाया था और उत्तर भी सही ढंग से दुरुपयोग का मिला था लेकिन कार्यवाही नहीं हो पायी थी। यदि इसकी जांच की जाय तो जो काफी दुरुपयोग हुआ है उसकी असलियत मालूम हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, भूमि आवंटन के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी भूमिहीनों के लिए जो भूमि मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पायी। क्योंकि दूसरे लोगों ने अपने ढंग से अच्छी जमीनों पर कब्जा कर लिया। उदयपुर डिवीजन में ऐसी जमीनें हैं कि पहाड़ों पर पालें बांध कर, टुकड़ों को बांध कर जमीन उपजाते हैं उससे वे अपने परिवार का पालन नहीं कर सकते। मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बीस साल निकल गये और दस साल की अवधि और बढ़ा रहे हैं। उसके अन्दर अब तो हमारे ऊपर पूरा ध्यान दिया जाय और गवर्नमेन्ट जो भी खर्चा करे उसका कतई दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ हमारे पास साधन न होने के कारण क्योंकि एक तो पहाड़ी एरिया है उसमें कुए खोदने के लिए जावें तो पथरीला इलाका होने से इतना पैसा नहीं खर्च किया जा सकता और यह हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। गाड़ी आदि ले जाने के भी रास्ते नहीं हैं। रास्ते हैं ही नहीं। खाली मेहनत करने से कुए नहीं खुदते। इसलिये इस ओर सरकार की ओर से विशेष ध्यान दिया जाय। आदिवासियों के कुए खुदवाने के लिए, उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए, ज्यादा से ज्यादा एक बार और ध्यान दिया जाय ताकि आर्थिक हालत सुधार सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि नब्बे प्रतिशत नहीं तो 75 प्रतिशत ऐसे किसान हैं, 75 प्रतिशत भी नहीं तो कम से कम पचास प्रतिशत तो ऐसे हो सकते हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है। पहले राज्यपाल महोदय ने गत अधिवेशन में घोषणा की थी कि दस बीघा की जोत को माफ किया जावेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दस बीघा की छूट दी जाय, इस पर किसान से लगान माफ किया जावे। इस पर लगान से उनको,

(श्री देवेन्द्रकुमार)

आजाद किया जावे । इन गरीब लोगों के लिए जितना हो सके जमीन के लिए ध्यान दें तो अच्छा होगा ।

इसके साथ ही साथ व्यापार और उद्योग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । आर्थिक हालत आदिवासियों की कैसे सुधर सकती है ? केवल कानून बना देने से कुछ नहीं होता । उनके व्यापार के लिए लघु उद्योग चालू कराये जायें ताकि महनत मजदूरी करके उनकी हालत में सुधार हो सकता है । उनको बिजली दी जाय कुओं में ताकि छोटे 2 प्लाट्स हैं वहां उन कुओं में बिजली लगाने से उनकी सिंचाई की जा सकेगी और आदिवासी महनत करके अपनी आपकी हालत सुधार सकेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय आपकी मार्फत यह भी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 16 तारीख को हाउस में क्वेश्चन उठा था उदयपुर डिवीजन में बिजली दी और कोटा में कम मिली । मुझे दुख है उपाध्यक्ष महोदय आपने देखा होगा आदिवासी एरिया । ऐसा आदिवासी एरिया है कि जहां के आदिवासियों ने बिजली का बल्ब भी नहीं देखा है । आदिवासी तहसीलों में जाकर देखिये : सराड़ा, खेरवाड़ा, गिरवा, गोगन्दा, कोटड़ा, फलासिया, वहां के आदिवासियों को आज तक पता नहीं कि बिजली कैसी होती है ? यह भेदभाव नहीं रखना है । पिछड़ा हुआ इलाका है उसको अधिक सुविधा देनी चाहिये लेकिन कोटा वाले कहते हैं कि हमारे यहां पर बिजली नहीं । लेकिन उदयपुर से तुलना करना और आदिवासियों को पिछड़ा हुआ रखना यह अच्छा नहीं है । आदिवासियों के लिये ज्यादा से ज्यादा बिजली का प्रबन्ध करें ताकि खेती के अलावा और धन्धे आदिवासी शुरू कर सकें जिससे उनकी हालत सुधर सके ।

शिक्षा के बारे में भी, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं । शिक्षा हमारे लिये बहुत जरूरी है । बहुत से एरिया ऐसे हैं जैसे फलासिया, कोटड़ा, गोगुन्दा, खेरवाड़ा और सराड़ा, हमारे लड़के काफी पढ़ते हैं उनकी आर्थिक हालत खराब होने से उदयपुर नहीं जा सकते लेकिन फिर भी आना पड़ता है । हम मिडिल स्कूल के लिए होस्टल देते हैं ताकि शिक्षा प्राप्त कर सकें । लेकिन यह नहीं हो सकता है । जो ज्यादातर लोग हड़ताल करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं वहां आप अधिक सुविधायें देते हैं और जो गांव के लोग हैं और मांग करते हैं, बिल्डिंग तैयार करके देते हैं फिर व्यवस्था नहीं करते हैं जब कि शहरों में गांव गांव का पैसा लाकर बाजार और शिक्षा के लिये खर्च करते हैं लेकिन बड़े कस्बों में मांग करने पर भी होस्टल आदि की व्यवस्था नहीं करते । इसलिए इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे हरिजनों आदिवासियों की हालत में सुधार हो सके और उनके बच्चों को शिक्षा मिल सके । उनको आगे बढ़ने का मौका मिले । यही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष..

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री गोकुलचन्द ।

Page No 83

श्री गोकुलचन्द जाटव (खैरथल-अ०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान में जो यह 23वां संशोधन लोक सभा और राज्य सभा से पारित होकर आया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इससे पहले संविधान में कई संशोधन हुए हैं लेकिन उन संशोधनों में इसका विशेष महत्व है। इस बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उसमें दलीलें भी दी गईं कि यह रिजर्वेशन क्यों किया गया? क्या यह आवश्यक था इस प्रकार के संशोधनों से आदिवासियों को कोई लाभ नहीं हुआ कुछ खास लोगों को ही लाभ हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं वास्तव में उन माननीय सदस्यों ने इस रिजर्वेशन के महत्व को समझने की कोशिश नहीं की। इस रिजर्वेशन से किसी की गरीबी दूर हो जायगी यह मैं नहीं मानता, कुछ लोग इस प्रकार के संरक्षण से विधान सभाओं में या लोक सभाओं में आ जायें और इस तरह से उनकी हैसियत बनती है तो यह कहना भी ठीक नहीं है। यह अवश्य है कि इस प्रकार के संरक्षण से इन जाति के लोगों को आगे आने का अवसर मिलता है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। जहां तक गरीबी के मिटाने का सवाल है आप कोई भी जाति को लीजिये सभी में गरीबी पायी जायेगी? तो फिर यह संरक्षण देने का क्या अभिप्राय है यदि गरीबी मिटाने के लिये ही संरक्षण दिया गया है तो गरीब तो लोग अन्य जातियों में भी हैं। लेकिन इस गरज से यह संरक्षण नहीं दिया गया। यह संरक्षण इस लिये दिया गया है जो मनुष्य मनुष्य में भेद समझा जाता था, रंग गोरा होते हुए खानदान अच्छा होते हुए रहन सहन अच्छा होते हुए भी जब उसको यह पूछा जाता था कि तुम किस जाति के हो, जब उसके मुख से यह कहने पर कि मैं चमार जाति का हूं या मेहतर हूं तो जिस प्रकार की घृणा का भाव दूसरे मनुष्य में जागृत होता था उसे दूर करने के लिये, मानव मानव में जाति के आधार पर ऊंच नीच की प्रवृत्ति को समाप्त करने के अभिप्राय से यह संरक्षण दिया गया है। जब ईश्वर के यहां से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया हुलिया सब का समान बनाया, सभी तरह की समानता होते हुए यह जो जाति का भेद मानव ने मानव के बीच लाकर खड़ा कर दिया उसको मिटाने के उद्देश्य से यह संरक्षण संविधान में इन लोगों को दिया है। अगर ईश्वर के घर से ही जात-पांत का प्रचलन होता तो यह पूछने की कोई आवश्यकता नहीं रहती कि तुम किस जाति के हो। इसी जाति के पूछने की बात आज से पच्चीस साल पहले की है। आज इन्हीं संशोधनों के कारण कुछ लोगों में चेतना आयी आज उसी का परिणाम है कि हम लोग विधान सभाओं में, संसदों में बैठे हैं। आज यह स्थिति देख कर हमको बड़ी खुशी होती है। हमारे साथ यहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। सभी इज्जत की निगाह से देखते हैं हम लोगों के प्रति लोग सहृदय भी हुए हैं यह सब इसी प्रकार के प्रावधानों के कारण है। कम्युनिस्ट लोग इस प्रकार के संकीर्ण विचारों से आगे हैं, वे जाति-पांति को मान्यता नहीं देते हैं। स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ जो हिन्दू धर्म और संस्कृति को मानने वाली संस्थायें हैं वे भी इन जाति वालों से परहेज नहीं करते हम उन सब के आभारी हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब देश आजाद हुआ उस समय जब राजाओं का महाराजाओं का राज था या अंग्रेजों का शासन था उन्होंने

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

चाहे तलवार से राज लिया हो या चतुराई से राज लिया हो उनके समय में इन जाति वालों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता था। जिस समय आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और हिन्दुस्तान आजाद हुआ, देश में चुनी हुई सरकारें बनने लगीं। उस समय इन पद दलित लोगों का ख्याल आया। हिन्दुस्तान आजाद होगया क्या इन जाति के लोगों की क्या पोजीशन उसी प्रकार की रहेगी? इस बारे में लोगों में जागृति आयी, आन्दोलन हुए। उस समय दलित वर्ग के नेताओं ने कांग्रेस में रह कर, अन्य पार्टियों में रह कर इस आन्दोलन में योग दिया और सरकार का मुकाबला किया कि इन जातियों को ऊपर उठाने के लिये इनको संरक्षण दिया जाय। लोक सभा में यह फैसला किया पहले दस साल के लिये संरक्षण दिया। उस समय यह अन्दाज था कि दस साल में हम इनको ऊंचे स्तर पर ले आयेंगे लेकिन वह नहीं हो सका और दस साल के लिये, और मियाद बढ़ायी उस समय में भी निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है इन जातियों का स्तर ऊपर नहीं उठ सका। मुझे आज यह कहते हुए भी कोई संकोच नहीं है कि आज भी हम इनको उस स्तर तक नहीं पहुंचा पाये हैं। इस बात को हम जरूर मानते हैं कि इनमें सुधार हुआ है और हो रहा है। अब यह जो और दस साल के संरक्षण देने का कानून आया है मैं इससे भी यह मानता हूं इन आगामी दस वर्षों में भी यह प्रथा खत्म कर पायेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। जहां तक संविधान के संशोधन का सवाल है उससे तो हमें विधान सभाओं में बैठने का स्थान मिल गया, पंचायतों में हम बैठ सकते हैं नगरपालिकाओं में चुने जा सकते हैं लेकिन मैं यह मानता हूं कि कानून बना देने से यह परिणाम तो आये हैं लेकिन अभी तक आम लोगों की जो भावना बनती हुई है उसमें पूरी तौर से परिवर्तन नहीं ला पाये हैं। आज एक हरिजन पंच अपने पंचायत में ऊंचे स्थान पर बैठ सकता है लेकिन आज आम जनता के साथ उसे उतना स्थान नहीं है अभी तक वे उसको नीच जाति का ही समझते हैं। इन कानूनों से काफी फर्क पड़ा है यह मानने से मैं इन्कार नहीं करता। लेकिन आज भी यह स्थिति है किसी बड़े आदमी के सामने जाते हुए संकोच करता है, वह, सवर्ण जहां पानी भरते हैं, नहीं भर सकता, धर्मशालाओं में जाकर ठहरना चाहे तो नहीं ठहर सकता। अगर कोई चेष्टा करते हैं तो उनको मारा जाता है, लाठियां दिखाई जाती हैं, मारने का भय दिखाया जाता है इस बारे में अभी तक सरकार उदासीन है।

हम यह मानते हैं कि लोकतन्त्र आया और जनता को वोट देने का अधिकार मिला। जिसके लिये आज हरेक को हरिजन के सामने जाना पड़ता है, दलित वर्ग के लोगों के सामने जाना पड़ता है यह लोकतन्त्र की खूबी है कि इसमें हरिजन को और सबको समान अधिकार हैं। जहां यह अधिकार लोकतन्त्र ने दिया वहां मानवता के नाते आप उनको अपने दिलों में जगह दो, अपने मन में स्थान दो, आपको उनके मानवता के अधिकार को मानना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इन जातियों के संबंध में जो भी रिपोर्ट्स आयीं सदन के सामने उन पर विचार व्यक्त करते हुए कई बातें कहीं, उनमें मैंने यह भी कहा, कि आज

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डराया जाता है कि अगर तुमने इन को वोट नहीं दिया तो हम तुम को मार डालेंगे । ऐसी बातें होती हैं यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । इन बातों के लिये मैं क्या करूं और सरकार क्या कर सकती है । इस बारे में मैं अपने इधर बैठने वालों को भी दोषी मानता हूं और उधर बैठने वालों को भी दोषी मानता हूं ।

आज जो भारत सरकार ने संविधान में हमारे संरक्षण की अवधि दस साल के लिये बढ़ा दी है यह स्वागत योग्य है । यह जो अवधि बढ़ाई गई है सरकार को सोचना चाहिये कि दलित वर्ग की हालात को समझते हुए यही जो संरक्षण दिया है वह बहुत बड़ा संरक्षण दिया गया है । अगर यह खत्म कर दिया जाय तो आज जितने सदस्य यहां बैठे हुए हैं उनमें से पांच सदस्य भी न आने पावें । बिना रिजर्वेशन के कितने आदमी जनरल सीट से कामयाब होते हैं यह देख सकते हैं इतना परिमाण आ नहीं सकता बगैर संरक्षण दिये ।

अब मैं सरकारी नौकरियों की बात कहना चाहता हूं आज जो इस जाति के लोग अच्छे अच्छे ओहदे पर पहुंचे हैं कलेक्टर भी बने हैं एस० डी० ओ० भी बने हैं लेकिन आज भी हमने देखा है उनके पास जो चपरासी है वह ब्राह्मण होते हुए उनको पानी का गिलास तो दे देता है लेकिन उसका झूठा गिलास वे नहीं उठाते । वह अपने आपको उच्च कुल का मानता है । यह सब बातें हमें यहां बैठे हुए महसूस नहीं होती हैं । यह जो इस प्रकार से मानवता की जहालत है वह हमारे सामने आती है । एक जमाना था हमें पढ़ने की छूट नहीं थी आज हमें उच्च से उच्च शिक्षा लेने का अधिकार है । राजा महाराजाओं के जमाने में हरिजन छात्र को स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल पाता था उस समय सरकारी सर्विस में नहीं लिया जाता था इस प्रकार से कई अन्याय होते थे । उसको इस लोकतान्त्रिक सरकार ने खतम किया और आज हरिजन लड़के बड़े बड़े ओहदों पर दिखाई देते हैं और यह छिपा नहीं है कि बड़े बड़े काबिल आदमी भी हरिजनों में से पैदा हुए हैं और निकल रहे हैं और अच्छी अच्छी जगहों पर अपने पदों को योग्यता से सम्भाले हुए हैं । तो यह सब लोकतन्त्र का परिणाम है ।

यह मामला किसी एक राजनैतिक पार्टी से सम्बन्धित नहीं है । संसद में इस बिल को पारित करने में कोई मत भेद नहीं था । यहां भी नहीं आने वाला है । यह कोई राजनैतिक सवाल नहीं है । यह तो असमानता का सवाल है । असमानता को दूर करने के लिए ही यह संरक्षण दिया गया है न कि गरीबी मिटाने के लिये । गरीबी तो मिटगी जमीनें देने से, रोजगार देने से और व्यापार में कहीं लगाने से । जब गरीबी की बात आती है तो कहा जाता है कि क्या गरीबी औरों में नहीं है ? यह ठीक है । गरीबी सब में है । पर इसको भी असत्य नहीं कहा जा सकता कि जब कि औरों के लिए व्यापार के धन्धे के अनकों क्षेत्र या कहिये सारे ही क्षेत्र खुले हैं, वहां हरिजन समाज के बच्चों के लिये आज भी उन सब क्षेत्रों में प्रवेश कर पाना आसान नहीं है । आज उनको सभी तरह धन्धे करने की छूट है, पर महतर या चमार को आज यह भी नहीं है । इसलिये यह भी कहता हूं कि आज 30 प्रतिशत

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

रोजगारों में से भी रोजगार इनको दिया जाना चाहिये। जमीनों के वितरण में और नौकरियों में ज्यादा स्थान मिलने चाहियें। तो इस दिशा में भी जो जितना संरक्षण सरकार दे सकती है, देना चाहिये।

इस सिलसिले में उपाध्यक्ष महोदय, कुछ विद्वानों की लिखी हुई कविताएं मुझे प्रसंगवशात् याद आ गई हैं। उनमें से एक दो का उल्लेख यहां कर देना चाहता हूं और इसलिये भी कर देता हूं कि मैं ही नहीं, बल्कि समाज के कर्णधार विद्वान पंडितों ने भी इस पर चिन्ता व्यक्त की है और अपने विचार निर्भीकता से और स्पष्टता से व्यक्त किये हैं हरिजनों की सामाजिक असमानता के बारे में। उन विचारों की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं:

उपाध्यक्ष महोदय, आपने शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, पर मुझे याद है मन्दिरों में पहले जब उत्सव होते थे तो नृत्यांगनाएं वहां नाचा करती थीं।

श्री मूलचन्द डागा : देवदासियां थीं वे।

श्री गोकुलचन्द जाटव : "साबुन से सराबोर, अंग प्रत्यंग कर, नल के
जल से नहा कर मानते पवित्रता,
चपरासी दफ्तर के, अमला कलेक्टर के,
शमशुहीन हेण्डरसन डायस से मित्रता,
बिस्कुट को काट चाय घूंट डाट लेमन की,
जाता न सनातन धर्म कैसी है विचित्रता,
प्यासा हो हरिजन, यदि कुएं से पानी भरे,
तो लोहे के साथ 2 डूब जाती विप्रता।"

श्री उपाध्यक्ष महोदय : "धोसी क डूब डाट जोशीजी जोर कर,

विधर्मी कुम्हारों से मटकियां गार की,
ताजा तरकारी मोल लाते हैं कूंजडों से,
घुली हुई टोंटी दार लोटे की धार की,
खाते हैं खरीद खान भाई की बनाई हींग,
मानकर पवित्र वस्तु व्यन्जनसुधार की।
से उखाड झाड आदर से देता भेंट, लेते
तरकारी क्यों ना रामा चर्मकार की।"

एक और कह देता हूं

"उत्सव के अवसर गन्दे पिसवाज साज,
लेकर के साज बाज मन्दिर में आती हैं।
अंग को उभार कर, नैन सैन संकडो में,
भद्दे से हाव भाव सबको दिखाती हैं।
हीन व्यवसाय कर, करती निवाह नित्य,
मदिरा से मत्त नित्त गौ मांस खती हैं।
गोकुल चमार उस ठौर क्यों न आवें जहां,
बैठ के जहूरन और गफूरन गीत गाती हैं"

एक और

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए तो एक कवि सम्मेलन आयोजित कर दिया जावे।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, बात तो ठीक कह रहे हैं।

श्री गोकुल चन्द जाटव: एक और सिर्फ।

"गंगा की कसम काढि झूठी गवाहियां दें,
फिर भी तो गिरते नहीं हिन्दू आदर्श से।
कन्या को कलंक रूप, दृव्य ले कमा' ब्याज,
दीनन को चूसते हैं, ये कई सौ वर्ष से,
पूंजी पराई मार लेने में न रन्चक पाप,
गणिका की गोद में समागम संघर्ष से,
केवल धर्म जाता है रसातल को एक मात्र
हिन्दू दीन दलितों के संग अंग स्पर्श से।
होती नहीं ठीक अब सन्तानें समान कभी,

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

कौन बाप घर से निकालता कपूतों को,
दुराचार अनाचार चाहे अपार करें,
झकमार बेटे की सहते करतूतों को
बैठक में कमरों में, कोठी में कोठों में,
आने जाने देते हैं विलायती जूतों को
हिन्दू धर्मधारीजी, पुजारीजी, तिवाड़ीजी,
क्या जूतों के समान भी न मानोगे
अछूतों को"।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

श्री मूलचन्द डागा : यह जोशीजी साहब, आपको सुनाया है। वापिस कहो भाई जोशीजी को ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक पर सदन के कई माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं। मैं भी अपनी तरफ से अपने विचार रखना चाहता हूं कि किस कारण से यह संशोधन लाया जा रहा है ।

हमारी सरकार ने इस प्रकार का रिजर्वेशन रख कर हमारे पिछडे वर्ग को हमेशा हमेशा के लिए इस प्रकार पंगू सा बना दिया है इस तरह से निष्क्रिय और संघर्ष विहीन कर दिया है कि जिससे वे आगे कभी भी अपनी तरक्की नहीं कर पावेंगे ।

हमारी सरकार ने अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिये इन पिछड़ी जातियों के वोटों को प्रलोभन देकर खरीदने के लिये कहने को अनेको प्रकार के लुभावने नियम बनाकर उनके उत्थान के कार्यक्रम बनाकर और इस प्रकार का एक ढकोसला और ढोंग रचकर यह संशोधन लाये हैं ।

पिछले बीस सालों में इस कानून के तहत अनेकों प्रकार की घोषणाएं इस सरकार ने की हैं। उनको देखा जाय तो पता लगेगा कि उनके पीछे कितने घोटाले हुए हैं कभी दलित वर्ग संघ के नाम से ये घोटाले सामने आये हैं कभी अमक सौसायटीके नाम से आये हैं, विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों के रूप में सामने आये हैं भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के नाम से आये हैं, समाज कल्याण के नाम से आये हैं और इस तरह से नाना रूपों में हमारे नाम पर करोड़ों रुपया बहाया गया है, लुटाया गया है। नष्ट किया गया है । यह जो करोड़ों रुपया हमारे नाम पर खर्च किया गया है चाहे खान पान के लिय, चाहे रहने के, मकानों के लिये, छात्रवृत्तियों के लिये, कोलोनियों के बसाने के लिये उस सबको अगर आज देखा जावे तो हालात वहीं के वहीं हैं, वे कोलोनियां ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। 34135 कोलोनियां बनी हैं। उनके लिये एक भी मंत्री या सरकार का प्रतिनिधि यह नहीं कह सकता कि जो निर्माण कराया गया वह सार्थक हुआ ।

इसके साथ साथ यह कहा जाये कि इन्होंने इस प्रकार के नियम बनाये हैं कि सर्विसेज में 12½ पर्सेन्ट सीटें रिजर्व रखी हैं, हरिजनों को नौकरियों में आगे लाकर प्रोत्साहन दिया जायेगा, तो उपाध्यक्ष महोदय, अनेक बार इस प्रकार के आश्वासन हरिजनों को दिये गये हैं परन्तु उन पर कोई अमल नहीं होता है। जब इनको लेने का प्रश्न आता है तो आज भी यह कोटा, प्रतिशत इन 20 सालों में मुकम्मिल नहीं हुआ है। इससे यह साबित होता है कि यह सब दिखावटी है, ढोंग है । जो हमारे लिये नियम बनाये गये हैं वह सब दिखावटी हैं।

(श्री श्रवणलाल)

हमारे नाम के ऊपर पैसा खर्च करके पैसा हड़पना चाहते हैं। इसके कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। सवाई माधोपुर एक बहुत बड़ा जिला है जिसको कि बैकवर्ड घोषित कर रखा है और सैन्ट्रल ने इसको घोषित कर रखा है। इसके बावजूद भी सवाई माधोपुर जिले में, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर ताज्जुब करेंगे, वहां एक भी होस्टल नहीं मिलेगा। इतना बड़ा जिला है जबकि वहां पर तीन सीटें शिड्यूल्ड कास्ट्स की हैं और चार सीटें शिड्यूल्ड ट्राइब्स की हैं। किन्तु उनके लिये इस प्रकार का सरंक्षण वहां नहीं मिलेगा। वहां के विद्यार्थियों के लिये जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं कोई छात्रावास नहीं हैं जिसमें वे रह कर पढ़ने लिखने का काम कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, जितना पैसा हमारे नाम पर खर्च किया जाता है, चाहे वह किसी भी रूप में खर्च किया जाये, उसको अगर आप पढ़ाई के साधनों पर ही खर्च कर देते तो हरिजनों के लड़के, हरिजन विद्यार्थी आगे बढ़ते। उनके लिये स्कूलों में इस प्रकार की व्यवस्था कर देते कि आपके द्वारा खर्च किया जाने वाला पैसा उनके पढ़ने लिखने में खर्च होता। अमुक अमुक स्कूलों में उनके लिये इस प्रकार की व्यवस्था कर देते या एक दो संस्थाएं इस प्रकार की खोल देते कि हरिजनों के लड़के, हरिजन विद्यार्थी वहां पर निःशुल्क शिक्षा पा लेते तो मैं समझता उपाध्यक्ष महोदय, इस पैसे का सदुपयोग हो सकता था और हमारे हरिजन भाई पढ़ लिख कर समानता ला सकते थे और आज वे अपने समाज में शिक्षा का एक अच्छा वातावरण बना सकते थे। इस तरह का वातावरण न हो कर हमारे नाम पर करोड़ों रुपया आप खर्च कर देते हैं चाहे वह खादी बोर्ड हो, ग्रामोद्योगी संस्था हो या अमुक अमुक प्रकार की कोई संस्थाएं हों। इन संस्थाओं में अधिकतर शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग हैं लेकिन मैं आपसे पूछता हूं इनके कर्ताधर्ता कौन हैं? इन संस्थाओं के नाम पर मौज करने वाले कौन हैं और काम करने वाले कौन हैं? ये हरिजन रात दिन काम करते हैं और इनको कितना पैसा मिलता है, कितनी मजदूरी मिलती है। इन संस्थाओं को जो पैसा मिलता है उसको हड़पने वाले कौन हैं? इस प्रकार हमारे नाम पर इन संस्थाओं के द्वारा, इन चन्द व्यक्तियों के द्वारा पैसा हड़पा जा रहा है, ये चन्द व्यक्ति हमारे नाम पर कलंक साबित हुए हैं। जितना भी पैसा मिला है येन केन प्रकारेण हमारे नाम पर खाकर के जागीरें कायम कर ली हैं। यह स्थिति नहीं होती और इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, इस प्रकार का संरक्षण नहीं होता तो हमारे हरिजन परिवार अधिक सक्षम साबित हो सकते थे। हो सकता है किसी समय, किसी इलैक्शन में हार जाते तो हमरे मुंह पर तमाचा लगता। हम इस भारत के नागरिक हैं और भारत में रहते हैं। हमारा अधिकार है। जब दूसरे आदमी जीतकर आ सकते हैं तो हमारा इतना बहुमत होते हुए भी हमारा आदमी क्यों नहीं आ सकता? मेरे से एक पूर्व वक्ता ने यहां कहा हमारे 51 आदमी यहां बैठे हैं। इस समय हो सकता है यहां बैठे हों। आज इस प्रकार से यह कानून लागू नहीं होता तो आज भी हमारे आदमी जो आज 51 यहां बैठे हैं वे 75-100 की संख्या में होते

(श्री श्रवणलाल)

अधिकतर हमारे ही आदमी होते । हमारे आदमियों को आप फुसलाने वाली चीजें कहते हैं । आप कहते हैं — तुम्हारे बच्चों को पढ़ायेंगे । भूमिहीनोंको भूमि देंगे । नौकरियों म प्राथमिकता देंगे । इस प्रकार आप उनको आगे लाने के लिये, उनके उत्थान के लिये काम करेंगे । इस प्रकार आप ढकोसले का शंख बजाकर इन भोले भाले हरिजनों को काश्तकारों को, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को बहकाते हैं और इन बातों से आप उनका मन जीत लेते हैं और उनकी उन्नति का नाम लेकर मठाधीश बन जाते हैं । आदिम जाति सेवक संघ का नाम रखकर आप मठाधीश बने हुए हैं । आपने कितनों को अधिकारी बना रखा है ? यह कहा जाता है हम उनको संरक्षण दे रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं आपने कई बार इस प्रकार के आश्वासन दिये हैं । 28 प्रतिशत रिजर्वेशन का आपने यहां ऐलान किया है । और दूसरी तरफ हम देखते हैं — दो तीन दिन के अन्दर इस प्रकार के बान लगा देते हैं कि ये आश्वासन पड़े रह जाते हैं । एक तरफ रिजर्वेशन का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ नियुक्तियां नहीं करते हैं तो आपकी इस 28 प्रतिशत की घोषणा को क्या शहद लगाकर चाटें ?

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी का 39 मिनिट का समय है । दूसरे भी साथी बोलने वाले हैं । उनको ऐतराज होगा इसलिये आप 2-3 मिनिट में ही भाषण समाप्त करें ।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने कहा, उसे मैं मानता हूं । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स से सम्बन्धित है और इस प्रकार प्रत्येक सदस्य को अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार है, वे अपनी भावना इस पर व्यक्त करना चाहते हैं । इसलिय समय और भी बढ़ाया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, प्रत्येक को अधिकार है, इसलिये तो कह रहा हूं ।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको आज्ञा शिरोधार्य करता हूं । यह सदन 12 बजे तक भी चला है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण शुरू कर दीजिये ।

श्री श्रवणलाल : मैं यह कह रहा था, उपाध्यक्ष महोदय कि हरिजनों के साथ में इस प्रकार का बर्ताव होता है, चाहे वे सर्विस में हों या और कहीं । मैं आपको एक उदाहरण दूं । जयपुर के अंदर एक स्वीपर था। वह यहां सर्विस में था। उसकी चपरासी पर नियुक्ति होती है याने वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। उसको किस तरह से परेशान किया गया। इसलिये परेशान किया गया कि वह स्वीपर था। उसकी नियुक्ति हुई थी तब यह पता नहीं था और चतुर्थ श्रेणी के पद पर वह नियुक्त हो गया। उसको नियुक्ति के बाद, कुछ समय बाद इसका जाकर के पता लगा। उसको सरप्लस घोषित कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है? फिर दुबारा उसका नम्बर आ जाता है। उसको ले लिया गया। तब तक भी यह मालूम नहीं हुआ कि वह स्वीपर था। उसके प्रार्थना-पत्र पर शिड्यूल्ड कास्ट का प्रमाण पत्र लगा था। इसलिये उनको यह मालूम नहीं था कि वह

(श्री श्रवणलाल)

प्योर हरिजन है। वह प्योर जाति से मेहतर है और सिर्फ मेहतर होने के नाते उसको किस प्रकार के आदेश दिये जाते हैं। उसको सर्विसेज से टर्मीनेट कर दिया जाता है। कई प्रकार के आदेश दिये जाते हैं। उसको अमुक अमुक स्थान पर पहुंचाया जाता है। एक एक जगह ही नहीं पांच पांच जगह उसका स्थानान्तरण किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, समयाभाव है वरना मैं उन पांचों स्थानों के नाम आपको बताता।

श्री उपाध्यक्ष : स्थानों के नाम के बिना ही बोल दें। यह तो संविधान का संशोधन है।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय यह कहा जा रहा है कि हम हरिजनों को ऊंचा लाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस बात को आप सुन लें कि इस प्योर मेहतर को किस तरह से परेशान किया जाता है और कहां कहां भेजा जाता है और उसको बाद में फिर सरप्लस घोषित कर दिया जाता है जब कि उसी विभाग के अन्दर रिक्त स्थान हैं। सिर्फ उसके हरिजन होने की बाधा है। उसी डिपार्टमेन्ट में 8 अन्य व्यक्ति नियुक्त हो जाते हैं और उसको नहीं लिया जाता है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सरकार तो मरने के बाद भी लिस्ट में नहीं लेती है। संगरिया में मर गया उसको भी लिस्ट में नहीं लिखा।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही सदन के अन्दर इस प्रकार के आंकड़े . .

(2.38 म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

घोषित किये जाते हैं कि रिजर्वेशन के 12½ प्रतिशत कोटे को पूरा कर दिया गय है । मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं यह आपकी दी हुई लिस्ट है, यह आपके विभाग द्वारा दी हुई लिस्ट है। आपने कौनसे विभाग में कोटा पूरा किया है? आप ताज्जुब करेंगे 26 जिलों में 31 विभाग हैं, उन 31 विभागों में 15 विभाग ऐसे हैं जिनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं। सूचना तब प्राप्त होती है, जब कोटा पूरा होता है । इसलिये कोटा पूरा होने का सवाल ही नहीं है। 20 ऐसे विभाग हैं जिनके अंदर कोटा पूरा नहीं हुआ है। कहते हैं हमने साढे बारह प्रतिशत जो रिजर्वेशन किया था, वह पूरा कर लिया इसके लिये झूठे आंकड़े पेश कर माननीय मंत्री महोदय गुमराह करते हैं। साढे बारह प्रतिशत जो कोटा रखा है उसको पूरा किया है और उसको बढ़ाकर 28 प्रतिशत ले जा रहे हैं। गत सेशन के अंदर एक इस प्रकार की घोषणा की थी कि केवल हरिजन और शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राईब्स को ही भूमि आवटंन की जायगी, आज आप देखें सभापति महोदया, हर जगह गांवों में रहने वाले लोग भूमि के लिये लालायित हैं। इस मंहगाई के जमाने में अपने बच्चों के लालन-पालन में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है । आज हरिजन पटवारी के पास पहुंचता है तो वहां पर भी लिये दियें बिना काम नहीं चलता, तहसील के अन्दर जाता है तो उनके नाम से अलाटमेंट नहीं होता है वहां भी उसको लेना देना पड़ता है। इन्होंने पद्धति अपना रखी है कि जमीन का अलाटमेंट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर

(श्री श्रवणलाल)

सकते, क्योंकि जो जमीन है वह अगर हरिजनों को दे दी है तो इनकी माली हालत ठीक हो जायगी और हमारे समान आ जायेंगे तो हमारी खेती को कौन करेगा, उसमें हल कौन चलायेगा, पानी कौन देगा, फसल को कौन काटेगा। इसलिये हमारे हरिजन भाइयों को जमीन के अलाटमेंट का कोई प्रश्न ही नहीं है।

अब इन्होंने ऐसा किया है कि मान लो एक साल के अन्दर जमीन अलाट हो गई तो हो गई नहीं तो एक साल पूरा होने पर यह कहेंगे कि अब किसी प्रकार की कोई जमीन नहीं दे सकते हैं—अब जमीन सवर्णों को अलाट होगी इसलिये हरिजनों को जमीन मिलने वाली नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : हरिजनों की जमीन तो हरिदेवजी जोशी ने खोसकर बंगला बना लिया है। हरिजनों को कभी जमीन नहीं दी है और न देने वाले हैं।

एक माननीय सदस्य : आप भी आर्य साहब इसलिये आन्दोलन नहीं करते।

तहसील पट्टा नहीं देती। अब आप बताइये जमीन अलाटमेंट हो गई तो वह किसी प्रकार कब्जा नहीं लेने देते हैं। तहसीलदार बिना लिये कब्जा नहीं देते। इस प्रकार लाखों केसेज तहसील में रखे हुये हैं जो इस प्रकार के मामले हैं, किसी को 10 साल हो गये, किसी को 5 साल हो गये और किसी को 8 साल हो गये—जमीन अलाट हो चुकी है लेकिन कब्जा नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो घोषणा की है कि जल्दी से जल्दी जितनी जमीन हो चाहे वह जंगलात की हो, चाहे वह चारागाह की हो हर सूरत में तहसील के आदेश हो जाने चाहिये कि वह जमीन अलाट हो जाय। सभापति महोदया, मैं यह कहूंगा रिजर्वेशन का जहां तक सवाल है हमारे मंत्रिमण्डल में ही देख लीजिये कितना रिजर्वेशन है ? कितना रिजर्वेशन कर रखा है। 40 की फौज है और 2–3 हरिजन व्यक्ति हैं, वे भी ऐसे हैं जो इधर से उधर गये हैं और उनको बहुत थोड़ा सा पद दे दिया और वे बहुत खुश हो गये। करने धरने वाले कुछ हैं नहीं और करें धरें भी तो उनको डरा दिया जाता है कि तुम कुछ करोगे तो तुम्हारा पद छीन लिया जायगा।

इनके द्वारा एक षड्यन्त्र रच रखा है। हमारे हरिजन भाइयों को प्लाट नहीं देते हैं। ये झूठी बातों का समर्थन करते हैं। ये जितने सदस्य हैं, इनकी अन्तरात्मा वहीं की वहीं दबी रह जाती है। यहां पर किसी प्रकार की कोई बात कहें तो पार्टी मीटिंग में उसको दबा दिया जाता है इसलिये भी ये कहने वाले नहीं हैं और न ही ये करने वाले हैं। एक षड्यन्त्र रचकर जो आने वाली पीढ़ी है, जो जागरूक होने वाली है उसको भी दबा रखा है और इस प्रकार से दबे हुये ही चलते रहेंगे। रिजर्वेशन के नाम पर वोट खरीदते हैं और सोचते हैं हमारा मजमा जमता रहे और हम शासन करते रहें। सभापति महोदया, मान लीजिये संविधान के अन्दर जो संशोधन किया जा रहा है, हो सकता है अगर ये नहीं देते तो इनको डिफीट खानी पड़ जाती। मैं कहता हूं अगर ये नहीं करते तो अपने आप जागरूकता पैदा होती कि हम भी कुछ हैं, कुछ मानवता

(श्री श्रवणलाल)

रखते है, हम भी कुछ अधिकार रखते हैं और अधिकार रखने के बाद अपने पैरों पर खड़े होते हैं। जिस प्रकार एक पूंजीपति का लड़का वह सोचता है मेरे बाप की कमाई है, बहुत पैसा पड़ा हुआ है मैं तो मजे से गुलछर्रे उड़ाऊंगा। हर कार्य को पूरे इत्मिनान के साथ करूंगा क्योंकि मेरे बाप दादों की कमाई है इस तरह न तो उनका दिमाग काम करता है और न ही वे काम करना चाहते हैं इसी तरह शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के साथ होगा। इनकी भी वही आदत हो जायगी और आगे आने वाली पीढ़ी को कोई फायदा नहीं होगा। वे भी इसी तरह की होगी। सभापति महोदया, मैं इतना ही निवेदन करते हुये राज्य सरकार को एक और बात बताना चाहता हूं जहां, भूमि के आवंटन का सम्बन्ध है, भूमि के जो नियम बनाये हैं एक साल के अन्दर जल्दी से जल्दी वितरण की जानी चाहिये इसके साथ साथ जो ये संस्थायें बना रखी है – आदिम जाति संस्था, हरिजन जाति संस्था, कई नामों की संस्थायें हैं ये सब संस्थाओं को समाप्त हो जानी चाहिये। ये सब संस्थायें बिल्कुल समाप्त कर देनी चाहिये और इनमें जितना पैसा हो, चाहे किसी प्रकार बनाया हो भूमि हीनों को मकानों के लिये जरूरत नहीं है हम पक्के मकानों में रहे हमें जरूरत नहीं है, हमारे लिये कुओं के लिये पानी देने की व्यवस्था की जाय इसकी भी हमें जरूरत नहीं है जरूरत इस बात की नहीं है हम पक्के मकान में रहकर अपना स्टेन्डर्ड ऊंचा करें। जो पैसा हमें मिलता है चाहे वह राज्य सरकार से मिलता है या सेन्टर से मिलता है—हमारे पैसे का सदुपयोग होना चाहिये, उस सदुपयोग का एक इलाज है हमारे आने वाले बच्चों के लिये जो मौजूदा परिस्थितियों में पढ़ रहे है अलग से जिस प्रकार की मिलिटरी के स्कूल चलते है उसी तरह के दो तीन जगह जगह स्कूल खोले जायें और उनका पूरा खर्चा वहन किया जाय। हमारे बच्चों को जो पैसा मिलने वाला है और जो मिलता जा रहा है मान लें वह इस कार्य में खर्च करेंगे तो आने वाला भविष्य जरूर बलदायक होगा। भविष्य के लिए के इस प्रकार की योजना क्रियान्वित करनी चाहिये। इसके साथ साथ सभापति महोदया, मैं यह कहूंगा कि आपने जो नियम बनाया है, जहां पर मकानों की रहने की व्यवस्था है चाहे म्युनिसिपैलिटीज में हो चाहे यू० आई०टी० में हो 15 प्रतिशत कोटा निर्धारित कर रखा है। म गोकुल चन्दजी से पूछना चाहता हूं वे नगरपालिका के सदस्य रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कितने हरिजन भाइयों को अब तक प्लाट दिलाये हैं। यू० आई० टी० के अन्दर 20 साल के अन्दर पूरे एक हरिजन को दिलाया है– सिर्फ एक हरिजन को प्लाट दिला सके हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो पद्धति है एक तरफ आप कहते हैं 15 प्रतिशत का रिजर्वेशन है मकानों का, आज उस व्यवस्था में लीपा–पोती की जा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जैसे यह हरिजन कालोनी है वाल्मिकी कालोनी है, यह शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की कोलोनी है, यह नहीं होनी चाहिये क्योंकि भेदभाव आप स्वयं करते हैं क्रिवशन आप पैदा करते हैं। आज जब हम बोर्ड लगे हुये देखते हैं कि यह हरिजन कालोनी के नाम से यह कालोनी फलां फलां हरिजन के नाम से है। यह अलग नहीं होनी

(श्री श्रवणलाल)

चाहिये । उनको अमुक अमुक जगह पर प्लाट मिले और यह कहें कि अमुक अमुक जगह यह व्यवस्था हुई है यह नहीं होना चाहिये । हमारे बच्चें एक ही परिवार में रहें यह भी नहीं होना चाहिये। उनको सब जगह का समान वातावरण मिले । एक ही जगह रहने से उनका वातावरण चेन्ज नहीं होता है ।

उसके लिए जरूरी है कि हमें सवर्णो के अन्दर प्लाट्स दिये जायें जिससे हमारे बच्चे, हमारी फैमिली मेम्बर्स अपना वातावरण शिक्षा में और अनेक प्रकार के साधन हैं उनमें परिवर्तन करके अपनी आर्थिक स्थिति को और रहन-सहन को ऊंचा कर सकेंगे......

श्री भैरोंसिंह : किस का वातावरण ये ऊंचा करेंगे मिनिस्टरों के पी०ए० थे उन्हें भी मकान सवर्णो के अन्दर नहीं दिया ।

श्री मूलचन्द डागा : मकान क्या इन्सान बनाना चाहते हैं ।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : यह हिन्दुस्तान बन रहा है मकान नहीं ।

श्री श्रवणलाल : सभानेत्री महोदया, मैं कह रहा था कि इस प्रकार का वातावरण बनाया जाये चाहे म्युनिसिपैलिटी हो या अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट हो जो भेदभाव की नीति है, उसको नहीं अपनाकर हम लोगों को सवर्णों के साथ में प्लाट्स का एलाटमेन्ट किया जाना चाहिए ।

सभानेत्री महोदया, चाहे रिजर्वेशन का सवाल हो, चाहे भूमि का हो, चाहे और किसी का हो आज हमारा नाम जरूर आता है, हमारे नाम की घोषणा जरूर हो जाती है, हमारे नाम पर दुनिया भर का ढोंग रच कर उसका वातावरण पैदा किया जाता है कि हम हरिजनों को ऊंचा लाने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके भविष्य को ठीक करने के लिए इस प्रकार की योजनायें तैयार कर रहे हैं। कुछ समय पहले हमारे समाज कल्याण विभाग द्वारा एक सप्ताह मनाया गया था । वह सप्ताह हरिजनों के उत्थान के लिए मनाया गया था और वह सप्ताह कहां मनता है गवर्नमेंट होस्टल में। अगर यह सप्ताह किसी सवर्णो के मोहल्ले में मनाया जाता तो किसी प्रकार से उनके बच्चों के ऊपर और उनकी स्त्रियों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ सकता था। लेकिन वह सप्ताह हमारे गवर्नमेंट होस्टल के अन्दर उसके हाल के अंदर मनाते हैं। वहां पर कोई महिला नहीं आ सकती, वहां पर पिछड़े हुए वर्ग के जो देहातों में रहते हैं, गन्दी मोरियों में रहने वाले हैं, वह कोई नहीं आयेंगे वहां पर। और कोई नहीं आयगा तो आपके सप्ताह का जो कार्यक्रम है उसको कौन सुनेगा। सुनने वाले तो यहां भी सुनते हैं। जो गवर्नमेंट होस्टल में मनाया उसको तो यहां भी सुनते हैं। अगर सुनने से ही कार्य सिद्ध हो जाता तो यह पिछड़ापन नहीं रहता। उसके नाम पर 8 हजार रुपये खर्च कर दिये। 26 जिलों में 26 सप्ताह मनाये और 8 हजार रुपये खर्च कर दिये। वह पैट्रोल टी० ए०, डी० ए०, चाटन और भाषण के ऊपर खर्च कर दिये और नतीजा कुछ भी नहीं निकला। गरीब हरिजनों के नाम पर खर्चा मंढा जाता है कि आगे वाली पीढ़ी सोचेगी कि हमारे ऊपर भारत सरकार और राज्य सरकार ने इतना खर्चा किया था। लेकिन

(श्री श्रवणलाल)

उसका नतीजा निल है। इसलिये मैं सभानेत्री महोदया, आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि जो घोषणा है यह चाहे सीमित हो, कम हो लेकिन वह कार्यान्वित होनी चाहिये। उसको अमल में लाने के लिए राज्य सरकार को इमीडियेटली अपने हाथ में लेना चाहिये। सभानेत्री महोदया, इन्होंने स्वीपर्स के लिए कहा। जो स्वीपर्स हैं म्युनिसिपैलिटी के अन्दर जो सिर पर रखकर मैला ढोने की बात है और जो वह गन्दा काम करते हैं उनके लिए दुनियां भर की योजना बनाई है और उसके अन्दर भी काफी पैसा खर्च किया है। कुछ पैसा खा गए और कुछ औरों को दिला दिया। मेरे पास एक आदिम जाति सेवक संघ की रिपोर्ट है उसके अन्दर इसका एक हवाला दिया गया है। वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। बीकानेर के अन्दर और चूरू के अन्दर वहां की नगरपालिकाओं ने ऐसी सूचना दी कि इस मैले को ढोने के लिए ऐसे व्हीकल्स तैयार किये जायें कि जिससे सिर पर उस मैले को नहीं ले जाकर उसको ट्राली में ले जाया जाये। तो इन्होंने उसके अन्दर 1963-64 में 10 हजार रुपया मन्जूर किया और 10 हजार रुपया मन्जूर करके 33 913 रुपये की लागत से 241 गाडियां खरीदी। वह गाडियां खरीद करके म्युनिसिपैलिटी के किसी स्टोर के अन्दर डाल दीं। उनको काम में नहीं लाया गया है और इस के कारण से वह सब की सब गाड़ियां बेकार हो गयी और उसमें जंग लग गयी। उस रिपोर्ट में लिखा है मैं पढ़कर सुनाता हूं:

'इन दस नगरपालिकाओं के अंदर पहियों वाली गाड़ी मैला ढोने की योजना बिल्कुल असफल रही। उदाहरण के लिए बीकानेर नगरपालिका को 1961-62 62-63 और 63-64 में 5 हजार और 10 हजार याने करीब 15 हजार रुपया दिया गया। 33,913 रुपये की लागत से 241 पहियों वाली गाड़ियां खरीदी गयी परन्तु सभी गाड़ियां नगरपालिका के गोदाम में पड़ी थी तो उसमें से बहुत सी में इस्तेमाल में नहीं आने के कारण, लापरवाही के कारण, जंग लग गया और 1963-64 में सीकर नगरपालिका के द्वारा 15 हजार रुपया दिया गया जिसमें 6,964 रुपयों से 150 पहियों वाली गाड़ियां खरीदीं परन्तु इस्तेमाल के लिए भंगियों को एक भी गाडी नहीं दी गयी।'

तो जब वह गाड़ियां उनको इस्तेमाल के लिए नहीं दी तो क्या वह फिर नुमाइश के लिए भेजी गयी थीं?

श्री भैरोंसिंह: उन गाड़ियों में कांग्रेस वाले सफर करते होंगे।

श्री श्रवणलाल: हां। ऐसा कोई कह रहे थे कि एक मंत्री गाड़ी चली थी। वह भी काम में नहीं आई। अगर उसे काम में लेते तो उसका पैसा सदुपयोग में आ जाता।

श्री भैरोंसिंह: यह बैठ जाते तो गाड़ी टूट जाती।

श्री श्रवणलाल: उनमें से एक एक मिनिस्टरों को दे दी जाये।

श्री रामचन्द्र आर्य: यह उप-मंत्रियों को दे दी जाये।

श्री श्रवणलाल: जब तक आप पाबन्दी नहीं लगायेंगे कि जो भी नये फ्लाट्स

(श्री श्रवणलाल)

बनेंगे उनमें फ्लश की लेट्रीन नहीं होगी तो उनको नक्शा पास करके नहीं दिया जायेगा तब तक यह प्रथा कम नहीं हो सकती।

(समय –समाप्ति–सूचक घंटी)

फ्लश की लेट्रिन होने से सर पर जो मैला ढोने की बात है वह पद्धति खत्म हो जायेगी। मैं इतना ही कहकर जो इन्होंने हमारे नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया है उसका सदुपयोग नहीं हुआ है। पहले के कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं करके जो 10 साल की अवधि बढ़ाई है उसमें भी बू आती है कि हमारे नाम पर मन्जूर हुए पैसे को हड़प करके अपनी कुर्सियों को कायम रखने के लिए ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री जयनारायण सालोदिया : तीन बोल लिये हैं उधर से।

श्रीमती सभानेत्री : आपको भी समय मिल जायेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : तीन बोल लिये हैं और हमारी तरफ से कोई नहीं बोला है।

श्रीमती सभानेत्री : आपको भी समय मिलेगा मैं निवेदन कर रही हूं।

श्री शंकरलाल : मेरा नाम पहले बोला गया था।

श्रीमती सभानेत्री : मुझे उपाध्यक्ष महोदय से इसी नाम की आज्ञा थी

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): सभानेत्री महोदया,.....

श्रीमती सभानेत्री : आपको भी समय मिलेगा। पांच मिनिट आप बोल लें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो संशोधन आज विधान सभा के समक्ष रेटिफिकेशन के लिए प्रस्तावित किया गया है उसका समर्थन करते हुए मुझे बड़ा हर्ष है। रिपोर्ट्स संसद की सभा की पढ़ने का मौका मिला और उससे हमें यह जानकर खुशी हुई है कि किसी भी माननीय सदस्य ने इस संशोधन का विरोध नहीं किया है, और हमारे इस सदन के माननीय सदस्य जो भी अब तक बोले हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है, और समर्थन इसलिये किया है कि हिन्दुस्तान की संस्कृति के अनुसार पुरानी सदियों से एक वर्ग बहुत पिछड़ा हुआ है उसकी सुरक्षा इस संशोधन में की गई है और यह बहुत स्वागत योग्य है।

श्री विजयसिंह : किसी ने कैसे विरोध नहीं किया है आप लोग सुन रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। इन्होंने विरोध किया है।

श्री श्रवणलाल : मैंने इसका विरोध किया है।

श्री शंकरलाल : विरोध कर रहे हैं तो इसको पास नहीं कराना चाहते हैं क्या?

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सभानेत्री महोदया, पिछले 20 सालों से जो इस वर्ग को संरक्षण दिया गया है उससे इस वर्ग की काफी तरक्की हुई है। जो वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का है, उनको हम संविधान में प्रोटेक्शन दिया गया है।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

उसके फलस्वरुप हमें यह देखने को मिलता है कि राज्य सरकारों ने कई करोड़ रुपया इनकी हालत को सुधारने के लिए खर्च किया है। उसमें सबसे ज्यादा रुपया उनकी शिक्षा पर खर्च किया गया है। इसकी जरुरत थी, क्योंकि जब तक यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का वर्ग शिक्षित नहीं होगा, उनकी विचारधारा में परिवर्तन नहीं होगा और दूसरी जातियों के लोग जो सदियों से अपने आपको बहुत ही ऊंचा समझते आये हैं, उनके समक्ष इनको विचारधारा नहीं होगी तो चाहे कितना ही प्रोटेक्शन दो वह निस्सार हो जाता है। तो, सभानेत्री महोदया, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग की रिपोर्ट सालाना पेश होती है उस रिपोर्टस को हमने पढा है। उससे मालूम होता है कि जो भी सुरक्षा और धन इसमें प्रोवाइड किया गया है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को आगे बढाने के लिए, दूसरे वर्गों के समान रुप में उनको लाने के लिए, उनको ऊंचा उठाने के लिए जो भी प्रावधान किया गया उसमें जितना खर्च किया जाना चाहिये था और जितना उसका उपयोग होना चाहिए था उसमें कमियां भी देखी गई हैं, और उन कमियों को पूरा करने के लिए रिपोर्टस जब प्रस्तुत होती है तो विचार करने का मौका मिलता है।

तो, सभानेत्री महोदया, इस संशोधन के अनुसार 10 साल यानि 1970 से जनवरी, 1980 तक की अवधि बढाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है, और आज उस पर इस विधान सभा में विचार किया जा रहा है। हमें यह देखना है कि इस प्रोटेक्शन के तहत जो पिछले सालों में कमियां रही हैं तो आगे हम यह कामना करते हैं कि हमारे इस समाज से ऐसे सदस्य चुनकर आयें कि वे अपने दृढता से विचार व्यक्त करें। आज हम देखते हैं कि गांवों में 20 साल से प्रोटेक्शन के बाद भी इस वर्ग में अभी भी दृढ विचारों की कमी है और दूसरें वर्ग के समाज अपने को सोचने में संकोच करते हैं। अगर इतने सालों के प्रोटेक्शन के बाद भी विचारों में दृढता नहीं आई है और समान रुप से सोचने का विचार नहीं आया है और उनके विचार कमजोर रहे ह तो कितना ही प्रोटेकशन दिया जाए, पचास साल भी दिया जाय तो भी वह कमजोरी रहेगी, क्योंकि यह वर्ग सदैव से पिछड़ा हुआ रहा है, और दूसरे वर्गों ने इस पर इतना अत्याचार किया है कि जिसकी हद नहीं। उस अनटचेबिलिटी के पाप को मिटाने के लिए महात्मा गांधी ने सारी उमर अपनी जान खपा दी, और भी बड़े बड़े नेताओं ने, महात्मा पुरुषों ने, धर्म प्रवर्तक ने भी कहा है कि खून सबका बराबर होता है उसमें ऊंच नीच का भेद भाव कतई नहीं रहा है, और इस बारे में इतना भ्रम और अंध विश्वास पैदा कर दिया था कि इस अन्ध विश्वास को मिटाने के लिए 20 साल पहले जब यह संविधान लागू हुआ तो उस समय भी यह विचार हुआ कि 10 साल तक जो यह पिछडा हुआ वर्ग है इसको अगर कानूनी तरीके से सुरक्षा नहीं दगे तो यह दूसरी जातियों के बराबर नहीं आयेगा।

श्री परसराम गंगाराम : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्रीमती सभानेत्री : वे पाइंट ऑफ ऑर्डर दे रहे हैं।

श्री परसराम गंगाराम : आज जब इस सदन में यह प्रस्ताव आया है तो न तो मुख्य मंत्रीजी और न वित्त मंत्रीजी यहां पर हैं, एक बिचारे जोशीजी महाराज यहां पर बैठे हुए हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : विधि मंत्री भी बैठे हुए हैं।

श्री परसराम गंगाराम : शिडयूल्ड कास्ट की बात कोई सुनने वाला नहीं है तो आगे जाकर क्या करेंगे ?

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य यह पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह : आज करोड़पति का बिल पास हुआ होता तो सभी यहीं मिलते।

श्री रघुनाथ विश्नोई : संविधान के आर्टिकल्स 330, 331, 332, 333, 334 के अनुसार अवधि बढ़ाने के प्रावधान का जो बिल दोनों संसद सदनों ने पास किया है और आज इस विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत हुआ है उसका मैं जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं। मेरे विचार से इस अवधि के अन्दर जो कमियां रही हैं, जो यह समाज पिछड़ा हुआ रहा है, वे अपना प्रतिनिधित्व ऐसे लोगों को दें जो दूसरे वर्ग से अपने आपको निम्न न समझें। यह विचार जब आयेगा कि हम दूसरे वर्ग से किसी दरजे कम नहीं हैं तब इसका उद्धार होगा। दूसरे समाज को समान अवसर दिये हैं और इस प्रोटेक्शन के जरिये जो कमियां रही हैं उनको पूरा कराने में यह कानून मदद देगा और अपने आपको वे लोग मजबूत बना लें।

श्री विजयसिंह : अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो शिडयूल्ड कास्ट वाले को मुख्य मंत्री बनाना चाहिए।

श्री जयनारायण सालोदिया : सभानेत्री महोदया....

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभानेत्री महोदया, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्रीमती सभानेत्री : (श्री जयनारायण सालोदिया से) आप जरा बैठिये। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उधर से बोलने वालों पर जब तक टाइम की पाबन्दी न हो तो काम नहीं चलेगा। इसलिए स्पीकर्स की जो लिस्ट है उसके अनुसार करियेगा। नहीं तो आखिर में जाकर वही बात आती है।

श्रीमती सभानेत्री : (श्री नाथूराम से) आप स्थान ग्रहण करिये। समय का बंटवारा कैसे किया जा रहा है उसको देखकर उसके अनुसार ही कहा जायेगा। (श्री जयनारायण से) अभी आप बोलना प्रारम्भ रखिये।

श्री नाथूराम : नाम काफी हों तो सब को 5-5 मिनिट का समय देना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : मेरे ख्याल से उसके मुताबिक किया जायगा। आप स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : सबको टाइम देना चाहिए।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): भारत के संविधान में तेइसवां संशोधन लोक सभा और राज्य सभा के द्वारा किया गया है -- मैं इसका समर्थन करता हूं। इसी के साथ हम तेइसवें संशोधन के द्वारा जो प्रक्रियायें अपनाना चाह रहे हैं, उनके द्वारा हम एक वर्ग विशेष को कुछ खास सहूलियतें और रियायतें देना चाहते हैं -- उन पर भी हमें विचार

(श्री जयनारायण सालोदिया)

करना चाहिए। इसी तरह से भारत के संविधान में पहले दस साल का रिजर्वेशन अनुसूचित जाति के लोगों व अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर अम्बेदकर ने भारत के संविधान में रखा था। उसके बाद फिर दस साल हमने और बढ़ाये। यह हमारी उस ढीली नीति का प्रदर्शन है कि जिसके कारण हम दस साल के निश्चित कार्यक्रम को उस दस साल में पूरा नहीं कर सके और फिर हमें दस साल और बढ़ाने पड़े। इस प्रकार इस रिजर्वेशन..

श्री रघुनाथ विश्नोई : ''आगे भी नहीं होगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : के टाइम को हमने बीस साल तक बढ़ाया है। उसके बाद भी आज हम देखते हैं, बीस साल के बाद भी कि हमारा जो कार्यक्रम था, हमारा जो लक्ष्य था इन लोगों को अन्य समाज के लोगों के समान लाकर रखने का – वह पूरा नहीं कर सके। फिर हमें आज महसूस हुआ कि इन लोगों के लिए रिजर्वेशन रख कर, बीस साल तक उसकी अवधि बढ़ा कर इन लोगों को अन्य समाज के लोगों के समान लाना था वह नहीं कर सके, इस कारण ही आज फिर दस साल के लिए रिजर्वेशन इनके लिए बढ़ा रहे हैं। माननीय सभापति महोदया, यह रिजर्वेशन बढ़े, मुझे इससे दिक्कत नहीं है....

श्री रघुनाथ विश्नोई ; खुशी है।

श्री जयनारायण सालोदिया : लेकिन हमारा जो लक्ष्य है और लक्ष्य निर्धारित करके जो हमारा कार्यक्रम बनता है, जो प्लान बनता है उसकी हम पूर्ति नहीं करें और समय बढ़ाते रहें तो यह कोई सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। माननीय सभापति महोदया, जिस साल में हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिए दस साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं वह गांधी शताब्दी वर्ष है। गांधी शताब्दी वर्ष में हम असूनुचित जाति के लोगों के लिए, हरिजनों के लिए, पिछड़े हुए वर्गों के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं और उनके लिए दस साल के लिए रिजर्वेशन और बढ़ा रहे हैं – यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस साल हमें यह देखना है कि सरकार ने – चाहे प्रान्तीय सरकार हों, चाहे केन्द्रीय सरकार हो – इस साल के महत्व को देखते हुए कई कार्यक्रम निश्चित किये हैं लेकिन मुझे यह डर है और मैं यह देख रहा हूं, सरकार की उदासीनता की नीति के द्वारा मुझे यह भलीभांति जानकारी है कि यह साल भी हमारा चला जायगा और हम इसके लक्ष्य की पूर्ति नहीं भी कर सकेंगे। मैं, सभानेत्री महोदया, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की विशेष स्थिति है, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, यह एक बहुत पुराना मामला है। यह मैं भी महसूस करता हूं लेकिन हम यही कहते जायं और हमारी बचत के लिए, हम हमारी उदासीनता के लिए, हम हमारी चेतनाशून्यता के लिए यह सोचते चले जायं कि यह बहुत पुराना मामला है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि

Page No 99

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(3.12 म०प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वह इस तरह के लक्ष्य के आंकड़े इस सदन के सामने प्रस्तुत करें कि आपके लक्ष्य क्या हैं और आप उस लक्ष्य की पूर्ति कहां तक कर चुके हैं, और कितना काम करना इस सम्बन्ध में बाकी है और उसको आप कब तक पूरा कर देंगे, जिससे हमारे सामने एक पिक्चर आये, एक आइडिया हमारे सामने आये कि हम अमुक जगह तक पहुंचना चाहते हैं उसका पचास प्रतिशत हम पहुंच गये हैं और पचास प्रतिशत पहुंचने में इतना टाइम और लगेगा, और उसके लिए हमारा इतना यह कार्यक्रम है, यह प्लान है, यह योजना है, और हम एक निर्धारित लक्ष्य के आधार को लेकर चलरहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने भाषण बहुत सुने हैं, घोषणायें बहुत सुनी हैं लेकिन उन्हें जब तक हम कार्य रूप में परिणित नहीं कर सकते तब तक वह घोषणायें, वह भाषण, संविधान में संशोधन, एक्ट और नियम कुछ मदद नहीं कर सकते। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि जब तक इन लोगों का आर्थिक और सामाजिक, दोनों, दृष्टि से उत्थान नहीं होगा तब तक यह दूसरे समाज के लोगों के समान नहीं आ पायेंगे। उसके लिए हमें कार्यक्रम निर्धारित करने होंगे आर्थिक और सामाजिक उत्थान के, ताकि इनको हम विकसित कर सकें। इस सम्बन्ध में एक निवेदन और कर देना चाहता हूं कि सरकार के जितने भी बोर्ड हैं, जिनके द्वारा लोगों को सर्विस मिलती है, जो लोगों को अपाइन्टमेंट देते हैं ऐसे बोर्ड में जब तक इन लोगों के प्रतिनिधि नहीं होंगे तब तक उनमें इन लोगों को सर्विस नहीं मिल सकेगी, तब तक यह लोग ऊंचे ओहदों पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक इन लोगों को सुनने वाले कोई नहीं होंगे। हमें कतई उम्मीद नहीं है कि बाकी के लोग जो बैठे हैं उनके दिमाग में जो भावना भरी हुई है उसके कारण वह लोग इनका भला कर सकें। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के बोर्ड, जिनमें सरकार का पैसा लगा हुआ है, जो लाखों और हजारों आदमियों को एम्प्लायमेंट देते हैं, ऐसे बोर्ड जिनमें सरकार सदस्य नामजद करती है, जो कि कई तरह के बोर्ड हैं, बिजली बोर्ड है, यातायात निगम है, क्या नाम है, लोक सेवा आयोग है—इस तरह के बोर्ड जो भी हैं जिनमें सरकार का पैसा खर्च होता है, जिनमें सरकार सदस्य नामजद करती है उनमें जब तक इन लोगों का प्रतिनिधि नहीं होगा, इनका प्रतिनिधि जाकर नहीं बैठेगा तब तक इनके हितों की रक्षा नहीं होगी। इसी तरह से मैं नगर विकास न्यास के सम्बन्ध में कहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् म्युनिसिपैलिटी, विधान सभा, लोक सभा इन सबमें रिजर्वेशन दिया है लेकिन नगर विकास न्यास ऐसी लोकल बॉडी है, संस्था है जिसमें इन लोगों का प्रतिनिधि नहीं है? क्या कारण है? इसमें भी सरकार नामजद करती है लोगों को। मुझे पढ़कर बहुत दुःख हुआ, जयपुर नगर विकास न्यास का पुनर्गठन किया लेकिन उन लोगों, उन अल्प संख्यक लोगों का प्रतिनिधि उसमें नहीं रखा। मुझे इससे भी ज्यादा दुःख इस बात से हुआ कि इसके अभी स्वायत्त

(श्री जयनारायण सालोदिया)

शासन मंत्री और उप-मंत्री, दोनों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के हैं, ऐसा हेय काम करते वक्त उनकी कलम कैसे चली ? उनको शर्म नहीं आई ऐसा काम करते हुए। मंत्री और उप-मंत्री, दोनों, अनसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति से सम्बन्धित होते हुएभी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उनके द्वारा किये हुए आदेश में इन लोगों के हितों की रक्षा वह कर सकें तो फिर उनको मंत्रि-मण्डल में बैठने का अधिकार क्या है? जो लोग अनुसूचितजाति और अनुसूचित जन-जाति के प्रतिनिधि के रूप में इस विधान सभा में आते हैं और विधान सभा के सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में मंत्रिमंडल में जाते हैं, वह वहां जाकर इन लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकें—ऐसे निकम्मे और नाकारा मंत्री को इस्तीफा देकर मंत्रि-मंडल से बाहर आना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नगर विकास न्यास पर इसलिए जोर देता हूं क्योंकि आज राजस्थान में सबसे बड़ी आवास की जरूरत, आवास की समस्या यदि किसी के सामने है तो वह अनुसचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के सामने है, उनके सामने ही यह समस्या आती है। ऐसी स्थिति में यह ऐसी संस्था है जो आवास की व्यवस्था को देखती है, जो आवास के लिए प्लॉट एलॉट करती है, ऐसी संस्था है जिसमें सरकार सदस्य नामजद करती है और उसके लिए भी अनुसूचित जाति के मंत्री आदेश लिखते हैं और उसमें अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो गांधी शताब्दी वर्ष में इस सरकार के लिए और उन मंत्रियों के लिए कलंक की बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात आर्थिक मामले के सम्बन्ध में निवेदन करता हूं। सरकार आज मकान बनाने का ठेका देती है, सड़क निर्माण का ठेका देती है, लकड़ी का ठेका देती है, मोटर के लिए परमिट देती है, उनमें इन लोगों के लिए. यह जो आर्थिक नीति के जो इस तरह के सारे कार्यक्रम हैं उनमे रिजर्वेशन की दृष्टि से रिजर्वेशन रखा जाना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मोटर के परमिट जितने दिये जायं उनमें अट्ठाइस प्रतिशत रिजर्वेशन इनके लिए किया जाय, जितने ठेके दिये जायं मकान बनाने के, लकड़ी के उनमें अट्ठाइस प्रतिशत रिजर्वेशन इन लोगों के लिए रख कर इनको प्राथमिकता दी जाय जिससे इन लोगों की साइड चेंज हो और इन लोगों में यह धन्धे करने के लिए रुचि पैदा हो। जब इन लोगों में रुचि पैदा होगी तो इससे इनका स्तर ऊंचा उठ जायगा। यह भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटी में जो स्वीपर होते हैं, जो सफाई का काम करते हैं, उनकी तनख्वाह ढाई सौ, तीन सौ, चार सौ करनी चाहिए। इससे मैं महसूस करता हूं कि हमें देखना यह है, आज इस धन्धे को जो लोग पसन्द नहीं करते हैं और आज जो सिर्फ मोनोपोली हो रही है कि सफाई का काम, मैला उठाने का काम, झाड़ू लगाने का काम सिर्फ मेहतर जाति कर सकती है, मैं निवेदन करता हूं सरकार से कि इन कामों को करने वालों की तनख्वाह चार सौ, पांच सौ की जाय, फिर देखिये, कौन इन लोगों के हाथ में इन धन्धों को आने देते हैं। बहुत से क्वालिफाइड लोग यह काम करने लग जायेंगे। और शायद यह धन्धा इन्हीं के पास में रह जाय और वह लोग नहीं करें तो भी इन लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी होगी इस

(श्री जयनारायण सालोदिया)

धन्धे को करने के बाद भी कि यह लोग अच्छे मकानों में रह सकते हैं, गाड़ियों में घूम सकते हैं और अच्छी तरह से रह सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं । इसलिए मुझे आपत्ति नहीं है अगर पांच सौ रुपये में कोई स्वीपर का काम करता है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने बहुत घोषणाएं की हैं । सरकार घोषणाएं करने में बहुत एक्सपर्ट है, हमारे सुखाड़िया साहब जिस समय घोषणाएं करने का समय आता है, अखबारों में फोटो छपवाने का समय आता है तो विधान सभा में आ कर सीना तान कर फोटो खिचवाने के लिये घोषणाएं करते हैं पर जब काम करने का समय आता है तो बंगले में जा कर बैठ जाते हैं । यह हीन वृत्ति मंत्रिमण्डल की नहीं होनी चाहिये । आज अनुसूचित जाति और जन-जाति के लिये संकल्प पर यहां सदन में चर्चा चल रही है और मंत्रिगण यहां पर नहीं हैं । वास्तव में यह भी हमारी ही गलती है । सुखाड़ियाजी नरम हैं, कल देखा कि वे कितने नरम हुए, वे कल बहुत नरम थे, कोई उनको नरम करने वाला चाहिये । आज वे नरम नहीं हैं क्योंकि इन लोगों के द्वारा उनकी कुर्सी छिनने वाले नहीं है, कुर्सी उनकी कल छीनने वाली थी, अब उनकी कुर्सी छीनने वाली नहीं है, इसलिये आज वे यहां नहीं हैं । इसलिये मैं अनुसूचित जाति और जन-जाति के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी उन पर अपना प्रेशर रखें तभी आपका काम होने वाला है वरना ऐसे भाषणों से और इन दलीलों से कुछ भी होने वाला नहीं है, इनको सुखाड़ियाजी सुनने वाले नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग हमारे समाज में बहुत समय से काम कर रहा है परन्तु जैसा काम समाज कल्याण विभाग का होना चाहिये वैसा नहीं है, यह समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, समाज कल्याण मंत्री सब मानते हैं । पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग को अन्य विभाग वाले हेय दृष्टि से देखते हैं । शिक्षा विभाग का स्टेन्डर्ड है, पुलिस विभाग के तो कहने ही क्या हैं, पर समाज कल्याण विभाग को कोई नहीं पूछता । जहां समाज कल्याण विभाग का नाम आया तो उसके बजट में भी कटौती की जाती है । मन्त्रि-मण्डल में समाज कल्याण विभाग की बात आती है तो उदासीनता बरती जाती है, समाज कल्याण विभाग के प्रति मन्त्रिमण्डल की उदासीनता है इस कारण समाज कल्याण विभाग का काम उदासीनता से होता है । इस विभाग का बजट रखते समय कम से कम बजट इसके लिये रखा जाता है।

एक तरफ तो कहते हैं कि उस तबके को जो अशिक्षित है, अज्ञान है, जो गिरा हुआ है, पददलित है, उसकी सैकड़ों समस्याएं हैं, रहने के मकानों की समस्या है, सड़क की रोशनी की, सफाई की समस्याएं हैं, पर उन समस्याओं को मीट करने की जब बात आती है तो बजट में इनके लिये सबसे कम पैसा रखा जाता है और फिर उस पैसे को खर्च नहीं किया जाता है । समाज कल्याण विभाग ही राजस्थान में एक ऐसा विभाग है जिसमें कभी सप्लीमेंटरी बजट नहीं हुआ और जितने बजट पास किये जाते हैं वह भी पूरा उस बजट का पैसा खर्च नहीं किया जाता । यह भी सरकार की उदासीनता

(श्री जयनारायण सालोदिया)

का ही नमूना है। एक पिछड़े वर्ग को ऊंचा उठाने में जिस स्पिरिट से, जिस स्पीड से, डबल लगन से काम चलाना चाहिये उस तरह उस काम को चलाना तो दूर पर इस तरह की उदासीनता उस काम में सरकार की ओर से बरती जाती है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग के द्वारा सबसे बड़ा काम छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का होना चाहिये पर डीसेंट्रेलाइजेशन के नाम पर शिक्षा विभाग को यह काम दे दिया गया। यह घोर अन्याय है। शिक्षा विभाग इस काम को एक सप्लीमेंटरी काम, एक बेगार समझ कर करता है। शिक्षा विभाग अपने सब काम करने के बाद इस काम को करता है। समाज कल्याण विभाग के मंत्री की यह कमजोरी है, उनको मंत्रिमंडल के सामने अपनी मांग रखनी चाहिये, जब इसके लिये विभाग बना हुआ है तो फिर यह छात्रवृत्तियां इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो वह गलत है।

हमें खुशी है कि समाज कल्याण विभाग में ऐसे कुछ लोगों के होते हुए भी विभाग की मार्फत जब यह छात्रवृत्तियां देने का काम हुआ था तो अच्छा काम हुआ था। क्योंकि पहले समाज कल्याण विभाग द्वारा यह छात्रों को छात्रवृत्तियां देने का काम होता था तो समय पर फार्म मिल जाते थे समय पर पैसे मिल जाते थे पर जब से डीसेंट्रेलाइजेशन के नाम से ये छात्रवृत्तियां शिक्षा विभाग को दी गई तब से परेशानी ही परेशानी है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे मंत्रिमंडल में इस बात को ले जावें और समाज कल्याण विभाग की मार्फत ही छात्रों को छात्रवृत्तियों के पैसे बंटवाये जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट में एक बात और अर्ज कर देता हूं।

जब तक इन लोगों के हाथ में अधिकार नहीं होंगे तब तक न तो सरकार और न ही समाज इनकी कोई मदद करने वाला है। बादशाह खान का भाषण परसों तरसों अखबारों में पढ़ा कि सामाजिक क्रान्तियां, समाजवाद इस तरह के भाषणों से नहीं आती। इसके लिये तो ऐसे तबके के हाथों में सरकार होनी चाहिये जो पीड़ित हो, शोषित हो। ऐसे तबके के हाथ में अगर सरकार नहीं आयेगी तो सक्षम तबके के हाथ में अधिकार रहेंगे और वह ऐसे तबके को दबाने के लिये सत्ता का उपयोग करता रहेगा। इसलिये मैं अनुसूचित जाति के, अनसूचित जन-जाति के लोगों का, अल्प संख्यक गरीबों का, किसान और गरीब मजदूर तबको को आह्वान करता हूं कि हमें यह सोचना होगा कि सरकार किस तरह की बने। हमारी विचारधाराओं से मिलती जुलती सरकार बनेगी तो हमारी तरक्की होगी। इसलिये सरकार ऐसी विचारधारा के लोगों के हाथों में हो जो गरीब तबके से आते हैं, गरीब तबके की सुनते हैं। वही सरकार इन लोगों के दुख दर्द को अच्छी तरह सुन सकेगी।

सुखाड़ियाजी अपने आपको बहुत प्रगतिशील कहते हैं पर अभी उनके महाराज कुमार की शादी हुई थी तो उसमें मैंने सुना करीब 1500 आदमी बारात में गये, मैंने

(श्री जयनारायण सालोदिया)

सुना कि उसमें 10 हजार की बिजली जली, मैंने यह भी सुना कि उसमें 5 लाख का चढ़ावा मिला। यह निवेदन तो कैसे करूं कि वे प्रगतिशील नहीं है क्योंकि हरिजनों के दुख दर्द से घुल घुल कर कांटा हो रहे हैं यह सुना तो प्रतिकूल ही, पर अगर ऐसा है तो सुखाड़ियाजी बिल्कुल चवन्नीछाप समाजवादी हैं। एक तरफ कांग्रेस के नेता समाजवाद की बातें करें, दूसरी तरफ इस तरह....

श्री मूलचन्द डागा: स्वतन्त्र पार्टी ?

श्री जयनारायण सालोदिया: स्वतंत्र पार्टी तो है ही।

श्री मूलचन्द डागा: वह भी समाजवाद चाहती है ?

श्री जयनारायण सालोदिया: स्वतन्त्र पार्टी सही मानें में समाजवादी है आप तो नकली समाजवादी हैं।

यह तो मैंने अभी एक ही का समाजवाद बताया, उसमें आप तिलमिला उठे माथुर साहब के यहां की शादी का बताऊंगा तो न मालूम क्या होगा। वहां जो सुरा और सुन्दरी का प्रदर्शन हुआ, समाजवादियों की शादी में जो सुरा सुन्दरी का दौर दौरा हुआ, वह यहां रखूंगा तो आपके समाजवाद का जनाजा निकल जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जब तक सरकार के माइंड में चेंज नहीं आएगी, सरकार ऐसे लोगों के हाथ में नहीं आएगी जो इस तरह की विचारधारा रखते हों तब तक यह संभव है कि हमने चाहे 10 साल के लिए समय बढ़ाया और 10 साल के लिए भी समय बढ़ायें और 10 साल के लिए बढ़ायेंगे, यह मुझे उम्मीद है फिर भी तरक्की नहीं होगी इसमें एक और भी मंतव्य है कि यह समय नहीं बढ़ायें तो कांग्रेस कैसे आएगी। वोट अगर इन लोगों को मिलता है तो इन लोगों से ही मिलता है..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: आप इतना समय ले रहे हैं तो दूसरे माननीय सदस्यों को एतराज होगा।

श्री जयनारायण सालोदिया: एक मिनट। सुखाड़ियाजी ने यहां विधान सभा में घोषणा की थी कि हम राजस्थान नहर पर सवा लाख एकड़ जमीन इन लोगों के लिए सुरक्षित रखेंगे लेकिन आज तक वह घोषणा घोषणा ही रह गई और वहां जमीन की नीलामी भी हो रही है, जमीन पर लोग बस भी रहे हैं हमारी जाति के भूमिहीन लोगों को कितनी भूमि राजस्थान नहर में सुखाड़ियाजी ने दी ? उस घोषणा के बाद कितनी जमीन दी गई, यह मंत्री महोदय अपने जवाब में बतायें।

यह भी घोषणा की थी कि 12½ प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत रिजर्वेशन कर दिया दूसरे दिन सरकार ने नौकरियों पर बैन लगाकर 12½ परसेंट भी खतम कर दिया। तो फिर इससे क्या फायदा ? तो बिल्कुल निकम्मी घोषणा हुई जो कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकी। आपने अखबारों में छपवाने के लिए 12½ प्रतिशत से 28 प्रतिशत रिजर्वेशन कर दिया और उसके बाद बैन लगादी, एक भी नौकरी नहीं दी। सब सवा लाख एकड़ राजस्थान नहर में आपने जमीन

(श्री जयनारायण सालोदिया)

देने के लिए कहा था और एक एकड़ भी नहीं दिया। मैं अपने जिले की कहता हूं बिल्कुल होश-हवास के साथ कि एक बीघा जमीन भी एलॉट नहीं हुई, आपकी घोषणाओं के बाद। जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। मेरे जिले में एक बीघा जमीन भी एलॉट नहीं हुई। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री नाथूराम (बागीडोरा): उपाध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा 23 पर जो संशोधन लोक सभा व राज्य सभा से पास होकर आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के रिजर्वेशन के लिए 10 साल का जो समय बढ़ाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। वैसे आदिवासी हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, केवल रिजर्वेशन ही नहीं चाहते हैं, उसके बजाय वे शिक्षा, उद्योग और कृषि में उन्नति चाहते हैं लेकिन 20 साल में देखा गया तो आदिवासी और हरिजनों के लिए जो प्रान्त से और केंद्र से रकम दी जाती है, उनका सही उपयोग नहीं होता है, अधिकतर रकम का दुरुपयोग होता है। इसलिए जो उन्नति होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। जैसे शिक्षा के लिए सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है लेकिन आदिवासी और हरिजन जो गांवों में रहते हैं उनके लिए समय पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है और जिनको मिलती है वह भी अंतिम समय में, मार्च के आखिरी समय में मिलती है। सरकार ने कुछ व्यवस्था की है, फिर भी विशेष व्यवस्था की जरूरत है। आज छात्रावास कहीं भी हों, आदिवासी क्षेत्र हों या हरिजन बस्ती में हो, जितने आदिवासी और हरिजन विद्यार्थी पढ़ने के लिए वहां जाते हैं, उन छात्रावासों में उनकी पूरी भर्ती नहीं होती है। कुछ संख्या रखी है लेकिन जो लड़के गांवों से आते हैं उनको स्थान नहीं मिलता है, केवल नारा लगाते हैं कि हम उनकी भलाई कर रहे हैं।"

मैं पूछना चाहता हूं कि कानून जो बनाते हैं, उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। मैं समाज कल्याण मंत्री से निवेदन करता हूं कि पिछड़े हुए क्षेत्र के अंदर आज जहां जहां सेकेन्डरी व हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं, वहां पर आप छात्रावासों की संख्या पूरी बढ़ा नहीं पाते, तो जो विद्यार्थी शिक्षा पाकर आगे नहीं आयगें तब तक उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, न कभी आगे आयेंगे। जो आगे आए हैं उनके लिए सरकार पूरी तरह से व्यवस्था नहीं कर रही है। रिजर्वेशन कोटा फिक्स किया लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग ने पिछले समय में $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत वाले आदेश का कितना पालन किया? 28 प्रतिशत की घोषणा कर दी सरकार ने आज रिजर्वेशन कोटा निर्धारित किया है लेकिन पिछले समय में किस किस विभाग ने इस कोटे का पालन किया? आज प्रथम श्रेणी के आदिवासी व हरिजन हजारों की तादाद में पढ़े लिखे हैं लेकिन प्रथम श्रेणी में आने वाले किसी भी हरिजन आदिवासी को आगे नहीं आने दिया। इसके लिए किसकी गल्ती है? सरकार की गल्ती है? किस विभाग में किसने पालन नहीं किया और सरकार ने किन अधिकारियों को सजा दी? कोटा, बढ़ाया जाता है लेकिन पालन नहीं होता है कानून बनाया जाता है लेकिन पालन नहीं होता है। इसी तरह से भूमि सुधारों का कानून

(श्री नाथूराम)

बना लेकिन बड़े बड़े पैसे वालों के पास जमीन है। सदन में कई बार घोषणा की कि भूमिहीनों को जमीन देंगे लेकिन आदिवासी व हरिजन भूमि के लिए तरसते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग ने आज तक सर्वे कराया है कि राजस्थान में कितने आदिवासी व हरिजन भूमिहीन हैं ताकि उनको भूमि दे पायें? लेकिन आज तक ऐसा सर्वेक्षण नहीं हुआ। कई बार हमने सुझाव दिया। मैं साफ तौर से बताना चाहता हूं कि भारत सरकार का बैक्वर्ड क्लासेज का कमीशन है, उसने जगह जगह दौरा करके राज्य सरकारों व भारत सरकार को सुझाव दिए लेकिन जो राज्य सरकार को सुझाव दिए ह उनकी ओर राजस्थान सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पिछले समय जब कमी कमीशन की रिपोर्ट सदन में आई तो दो साल बाद ही आती है और वह भी समय निकल जाता है। इसलिये मैं समाज कल्याण मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो आयोग सुझाव देता है उन पर विभाग की तरफ से ध्यान देना चाहिए अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरासर विभाग की गल्ती रहेगी। अगर आप पूरी जिम्मेदारी से विभाग को संभाल सकें तो संभालना चाहिए वरना त्यागपत्र देना चाहिए क्योंकि जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा को राष्ट्रपति ने संविधान में शिड्यूल्ड एरिया घोषित किया है, लेकिन उनके अंदर आदिवासियों व हरिजनों की क्या स्थिति है? विभाग की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। छात्रावास खोले जाते हैं, वहां सवर्णों को अध्यक्ष व मंत्री बनाया जाता है, किसी हरिजन आदिवासी को उस स्थान पर नहीं रखा जाता है, संस्थाओं में गरीब बच्चों का पेट काटकर अपना पेट भरते हैं, उनके खिलाफ कई बार सुझाव दिया है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरे क्षेत्र में जो संस्था है, उसका 7 साल से चुनाव नहीं। अधिकारीगण व समाज कल्याण मंत्री जानते हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करते। एक तमाशा बना रखा है, आप आदिवासी व हरिजनों के नाम से आप खाली दुहाई क्यों देते हो? जहां आदिवासी क्षेत्र व हरिजन बस्तियां हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है ठीक व्यवस्था करना अगर विभाग की तरफ से कमी रहती है, लाखों रुपये का दुरुपयोग होता है, सरकार ध्यान नहीं देती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से शिक्षा के साथ साथ कृषि में सुधार। कागजों में तो काफी उन्नति हुई है। आंकड़ों में हम देखते हैं कि कृषि में काफी उत्थान हुआ है। भारत कृषि प्रधान देश है। नारे लगाते हैं कि सरकार समाजवाद लाने की कोशिश कर रही है। केवल नारों से समाजवाद नहीं आवेगा। आज राजस्थान और देश में हजारों और लाखों की तादाद में भूमिहीन हैं। भूमिहीन कौन हैं? वे ही पिछड़े वर्ग के लोग आदिवासी और हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग हैं। रात दिन इस कड़कड़ाती सर्दी में मजदूर काम करते हैं लेकिन उनको भूमि का अधिकार नहीं दिया जाता है। केवल कागजों में कानून पास कर लेते हैं। सीलिंग का कानून पास किया, सन् 1955 से सोचते सोचते सन् 59-60 में यह सीलिंग का कानून पास किया और फिर भी उसको लागू नहीं करते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि सरकार कुछ जमींदारों से डरती है। पिछले समय से इसको लागू किया होता तो भूमिहीनों को भूमि मिलती। लेकिन यह नहीं किया। जो लोग कड़ी सर्दी

(श्री नाथूराम)

और धूप में अपना पसीना बहाते हैं उनको भूमि के अधिकार नहीं मिलेंगे तो कृषि की उन्नति कभी हो नहीं सकती। आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर देश में सच्चा समाजवाद लाना है तो आदिवासी और हरिजनों को भूमि के अधिकार दीजिये और कोई क्रान्तिकारी कानून लायें। सीलिंग के कानून को ठप्प किया लेकिन आपको ऐसा कानून पास करें कि जो भूमि जोते वह ही उसका मालिक बने तब तो कृषि की उन्नति होगी और समाजवाद आवेगा वरना तो केवल नारों से तो समाजवाद आने वाला है नहीं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने बड़ी बड़ी भूमि के खण्ड इकट्ठे कर रखे हैं, अंगूरों की खेती करते हैं और एक तरफ आदिवासी और हरिजन भूमि के लिए तरस रहे हैं, कड़ी महनत करने पर भी उनके बच्चों का पेट नहीं भरता है, वे अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाते हैं, बड़ी बड़ी भूमि जिनके पास हैं उनसे लेकर कानून बना कर और आदिवासी हरिजनों और पिछड़े वर्ग में बांटेंगे और भूमि का अधिकार देंगे तो कृषि की उन्नति होगी और गरीब लोगों का भी निर्वाह हो सकेगा और समाजवाद भी आवेगा। इसलिए इसकी जल्दी से जल्दी व्यवस्था होनी चाहिए।

आर्थिक और सामाजिक उन्नति पिछले 22 वर्ष में नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसका कारण यह है कि भूमि का अधिकार नहीं दिया। इसलिये आदिवासी और हरिजनों और पिछड़े वर्ग को भूमि का अधिकार दे दीजिये ताकि वे खून पसीना एक करके अपनी माली हालत को सुधार सकेंगे, शिक्षा में भी वे आगे आवेंगे और उस हालत में दूसरे सवर्ण भाई भी उनसे किसी प्रकार का परहेज नहीं करेंगे। आज हम गांवों में देखते हैं कि हरिजनों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। अछूतों के पानी पीने के लिए और अन्य कानून बने हैं। लेकिन सरकार से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के बारे में कोई कार्यवाही की है, किसी पुलिस अफसर या किसी दूसरे अफसर के खिलाफ कोई कार्यवाही करके सजा भी दी है? एक भी उदाहरण हो तो बताइये? कोई उदाहरण नहीं है। एक तो नमूना बताओ कि फलां अधिकारी को सजा दी? कानून बन जाते हैं लेकिन पालन नहीं होते हैं। छआछूत जो करेंगे उनको सजा देंगे लेकिन एक तो नमूना बताओ। सरकार के पास कोई इसका जवाब नहीं है। समाज कल्याण मंत्रीजी आपकी जिम्मेदारी है सबसे ज्यादा। सर्वे नहीं करवा के विभाग के कानून का पालन नहीं किया तो आपकी सारी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं कि पहले पिछले वर्ष के जितने मंत्री आये वे सब निकम्मे रहे। उनके समान आपको भी निकम्मा नहीं बनना है। लाखों की तादाद में पिछड़े लोग हैं, उनकी भलाई की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और जो रिजर्वेशन का कोटा है उसका पालन आपको कराना है। अगर आप ऐसा नहीं करा सकते हैं तो सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। इसलिये मंत्री महोदय से, आपकी मार्फत, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले अधिवेशन में इसी विधान सभा में माननीय सदस्यों ने पिछड़े वर्ग के लिए सुझाव दिये थे, कमीशन ने सुझाव दिये थे, लेकिन वह समय निकल गया। अब आगे आने वाले समय में इस पोल को आगे न बढ़ायें।

(श्री नाथूराम)

उपाध्यक्ष महोदय, आज सर्विसेज के लिये लोक सेवा आयोग है लेकिन वहां पर भी पिछड़े वर्ग के लिये कोई प्रतिनिधि नहीं है। वहां पर भी पक्षपात होता है। वहां पर यदि एक प्रतिनिधि हो तो वह कम से कम यह तो ध्यान देगा और पिछड़े वर्ग के नवयुवकों को आगे लाने का प्रयत्न करेगा। आप रिजर्वेशन का नाम क्यों रखते हैं? रखते हो तो वहां भी एक प्रतिनिधि आप रख दीजिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्रपतिजी ने संविधान में शिड्यूल्ड एरिया घोषित किया डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की कुछ तहसीलें। उस शिड्यूल्ड एरिया में आदिवासी और हरिजनों के साथ साथ दूसरे वर्ग का भी अहित होता है, सेन्ट्रल कानून से कोई बात ऐसी बन जाय जिससे अहित होता हो तो उस कानून को बदला जाता है लेकिन हमारे समाज कल्याण मंत्री तो इस ओर ध्यान नहीं देते। उस शैडयूल्ड एरिया के लिए संविधान में प्रोविजन है कि किसी कानून के द्वारा जनता का अहित होता है तो कानून में तो संशोधन होता है लेकिन सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया जाता। मैं आपको एक विशेष बात बताऊं उस शिड्यूल्ड एरिया के लिए। माही नदी पर गुजरात सरकार कडाना डेम बना रही है। 7 मई, 1960 को मुरारजी भाई देसाई ने माही का शिलान्यास किया। करोड़ों की यह योजना थी उसको ठप्प कर दिया और नयी योजना बना कर कडाना बांध की योजना की स्वीकृति दिलाई। पिछली बार भी सदन में कहा कि राजस्थान सरकार पर उस शिड्यूल्ड एरिया में आदिवासी और हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों की रक्षा का भार है, पिछले समय माननीय सदस्यों ने सहयोग दिया इस कारण उस पर सर्वे तो जरूर हुई लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। रात दिन कडाना डेम का काम चल रहा है, लाखों की तादाद में हरिजनों और आदिवासियों की भूमि डूबेगी, करोड़ों का नुकसान होगा लेकिन सरकार चुप है। समाज कल्याण मंत्री और सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार की ओर से भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिए आदिवासी और हरिजनों की रक्षा के लिए कि उपजाऊ भूमि को गुजरात सरकार न डुबोये। पिछले समय मैंने बताया था कि एग्रीमेन्ट हुआ था वह निकम्मा था। पंगु एग्रीमेन्ट है। उसमें कोई दम नहीं है लेकिन राजस्थान सरकार उस एग्रीमेन्ट को खत्म नहीं कर रही है। उसका परिणाम तो मैं आगे इस सदन में लाऊंगा और माननीय सदस्यों की राय से वह एग्रीमेन्ट खत्म होगा। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण मंत्री और सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पिछड़े हुए इलाके में राष्ट्रपतिजी ने जो संविधान में प्रोविजन रखा है उस शिड्यूल्ड एरिया की रक्षा के लिये सरकार की ओर से कोशिश करके उस डूबते हुए क्षेत्र को बचाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज आदिवासी क्षेत्र में कहीं भूमि एलॉट होती है तो वहां नाम रहता है आदिवासी और हरिजनों का लेकिन दूसरों के नाम भूमि अलाट हो जाती है। माही कमान्ड, माही कमान्ड करके आदिवासी और हरिजनों को भूमि नहीं मिली और ताकतवर लोगों ने भूमि पर कब्जा कर लिया। आज इसी

(श्री नाथूराम)

तरह से जो ताकतवर हैं वह तो जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं और गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों को मंजूरी से वंचित रखा है। आदिवासी क्षेत्र में शराब का कानून हाउस में पास किया लेकिन उसकी पालना नहीं हो रही है। पिछड़े वर्ग के लोग शराब नहीं पीते हैं लेकिन पालना नहीं होती है । सागड़ी प्रथा का कानून बनाया आज तक सर्वे नहीं की। आज भी जगह जगह सागड़ी प्रथा जारी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी मैंने इस हाउस में सुझाव दिये थे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री बी० एन० जोशी (समाज कल्याण मंत्री) : सर्वे किया है।

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल के भाषण पर चर्चा हो उस समय आप यह बात कहें तो अधिक उपयुक्त होगा। अभी यह बात कहना तो ज्यादा उपयोगी नहीं है।

श्री नाथूराम : आदिवासी हरिजनों की ओर ध्यान दिलाना है....

श्री उपाध्यक्ष : वे जवाब भी नहीं देंगे डिबेट का।

श्री नाथूराम : थोड़ा सा बता देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह अवसर है या नहीं यह तो देख लीजिये।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, म आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे संरक्षण के लिए जो दस साल का रिजर्वेशन बढ़ाया जा रहा है उससे कोई उन्नति नहीं होगी जब तक आर्थिक और सामाजिक उन्नति नहीं होगी तब तक पिछड़े वर्ग के लोगों का कोई उत्थान नहीं होगा–यह मैं आपके द्वारा इस सरकार को निवेदन करना चाहता हूं। आज सिर्फ रिजर्वेशन बढ़ा देने से यह नहीं होगा–पूरी तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों को छोटे-मोटे उद्योग धन्धों की तरफ, शिक्षा और कई अन्य उद्योगों में हर तरह से सरकार को ध्यान देकर पिछड़े तबके को आगे लाना होगा तभी जाकर आदिवासी और हरिजन भाइयों का भला हो सकेगा। केवल कानून बना देने से ही कोई भला नहीं होगा। केवल रिजर्वेशन बढा देने से ही गरीब पिछड़े वर्ग की उन्नति नहीं होगी जब तक कि आर्थिक और सामाजिक क्रांति के लिये सरकार कदम नहीं बढायेगी। यही मैं आपके द्वारा इस सरकार से निवेदन करता हूं और यह जो 23वां संशोधन है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनलाल वर्मा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरा समय बाकी है।

श्री मूलचन्द डागा : आपका कोई दल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको समय बाद में देंगे।

श्री किशनलाल।

(अनुपस्थित)

श्री कल्याण मल।

श्री कल्याणमल (जहाजपुर–सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में यह 23वां संशोधन संविधान का विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करता हुआ स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल कागजों पर, किताबों में संशोधन करने से यह रिजर्वेशन सफल नहीं हो सकता। रिजर्वेशन की जो सुविधायें कानून के अनुसार दी जाती हैं उनकी पालना हो यह आज आवश्यकता है। आज पिछड़ी जाति के लोग जमीन के लिये तरसते हैं। उनके पेट पालने तक, उनके बाल बच्चों के गुजारा करने के लायक या मजदूरी करने के लिये उनके पास कोई साधन नहीं है। तो मैं सरकार से यह निवेदन करूं कि जिस तरह से रिजर्वेशन लाने के लिये जो सहानुभूति वह रखती है उसी तरह से उसकी पालना हो और पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिये सहायता दे। आज जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा भी नहीं मिल पाती है और इसलिये नहीं मिल पाती है कि जहां प्राइमरी स्कूल हैं, वहां के स्कूलों में मास्टर आधा समय भी उपस्थित नहीं रहते हैं। यह भी एक तरह से सरकार की जिम्मेदारी है कि इन लोगों पर नियन्त्रण रखे।

दूसरे, आज पिछड़े समाज के लोगों में से कई अपने परिवार को त्याग कर, छोड़कर के देश रक्षा के लिए सीमा पर लड़ने के लिए जाते हैं। मगर आज सीमा पर लड़ने वाले जवानों के परिवारों के लिए गुजर-बसर करने के लिए कोई जमीन नहीं मिल पाती है। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल संशोधन लाना ही पर्याप्त नहीं है। इसकी पालना भी होनी चाहिए।

आज कई लोग जमीन के लिये तड़पते हैं। उनको जमीन नाममात्र को कागजों में एलॉट हो जाती है। जो पैसे वाले लोग हैं वे जबर्दस्त हैं और वे इन गरीबों को कब्जा नहीं लेने देते हैं। उनकी इस तरह की कई मजबूरियां हैं। तो सरकार को यह संशोधन लाने के बजाय इसके साथ साथ इसकी पालना करवाई जाये। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस संशोधन का समर्थन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता। समय 7 मिनिट।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेण्डमेन्ट आ रहा है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं जब 16 साल का था तब मैंने अपने घर वालों के विरोध के बावजूद भी हरिजनों का काम किया था। जब कहीं भी हरिजनों के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था तो हमने हमारे स्कूलों में इनको पढ़ाया है। इतना सब होते हुए भी मैं अब इसका विरोध कर रहा हूं। तो प्रश्न उठता है क्यों? इन 20 सालों में आपने इनके लिये क्या किया? इन 20 सालों के बाद भी ये सिर पर मैला ढोते हैं। क्या इन लोगों के धन्धे में पूरी मदद दी गई है? क्या जितने हरिजन भूमिहीन हैं उनको भूमि मिली है? उनको क्या अलग अलग बस्तियों में नहीं बसाया जा रहा है? क्या इनके अलग होस्टल्स नहीं चल रहे हैं? क्या इनमें जो बहुत शिक्षित हैं उनको अच्छी जगह मिल रही है? समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने जो यह काम कर रहे हैं क्या इनमें अपनी भावनाएं डाली हैं? क्या हम लोगों ने जो एम० एल ए ज० और एम० पी ज० हैं, क्या उनने अपनी भावनाएं

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

इनमें डाली हैं ? जिस शराब रूपी दैत्य ने इस जाति का सर्वनाश किया है, उसको हटाने का क्या हमने प्रयास किया है ? विधान सभाओं और लोक सभा में क्या इनको अच्छी जगह मिली है ? तो प्रश्न उठता है नहीं। जब 20 वर्षों में कुछ नहीं किया तो इन 10 वर्षों में क्या कर लेंगे ?

मैं आपको जैसे चावल का एक दाना देखा जाता है कि वह पक गया है या नहीं, आपको दिल्ली ले चलता हूं। हमारे बाबुजी, जगजीवनरामजी को आप जानते हैं। वे भारत सरकार के मंत्री हैं। जब प्रेसीडेन्ट का नाम आया तब उनका नाम अध्यक्ष के लिए, उनका नाम मंत्री के लिये, उनका ही नाम। यह भी तब जबकि उनकी स्मरण शक्ति ने जवाब दे दिया है। लोग पूछ सकते हैं कैसे जवाब दे दिया ? अगर जवाब नहीं दिया होता तो दस साल तक इनकमटैक्स की बकाया नहीं रखते। इतना होते हुए भी बाबजी मंत्री चल रहे हैं। कोई दूसरा आदमी नहीं है। हमारे यहां ले लीजिये। जो मंत्री चल रहे हैं वे ही आज भी मंत्री हैं। दूसरा कोई मंत्री नहीं है। किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इसी तरह से एक मांडलगढ़ के महतर के बच्चे का उदाहरण है। उसने किसी तरह से 11वीं कक्षा पास की। जनियर क्लर्क के लिये वह हर पंचायत समिति में भेजा गया लेकिन सबने कहा हमारे यहां जगह नहीं है। मैं इन विकास पंचायत समितियों को दोष नहीं देता। मैं कई दफा कह चुका हूं कि ये विनाश पंचायत समितियां हैं–विकास पंचायत समितियां नहीं। इनके द्वारा विनाश ही होने वाला है। इतना होते हुए भी आपने ध्यान नहीं दिया। हरिजन मैला ढोते हैं। हरिजन स्त्री-पुरुष जो मैला अपने सिर पर ले जाते हैं वह उनके सिर से टपकता हुआ जाता है, लेकिन अभी तक आपने नहीं सोचा है। क्या हमने सोचा है कि मेहतर का धन्धा मंत्री के धन्धे के बराबर है ? आइये जो मंत्री हैं वे नियम बना लें कि वे सप्ताह में चार दिन सफाई का कार्य करेंगे, जो उप मंत्री हैं वे दो दिन और जो विधायक हैं वे सप्ताह में एक दिन सफाई का कार्य करेंगे। लेकिन यह कौन करता है ?

श्री मूलचन्द डागा : अब फ्लश बन गये हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अच्छा हो कि आप मेरे बीच में न बोलें। मुझे समय वैसे ही कम मिला है। फ्लश कहां बन गई हैं ? आप चलिये मेरे साथ मैं आपको बताऊं हमको इस तरह की स्थिति से शर्म आनी चाहिए। कोई निष्ठा नहीं है इन आजादी के बीस सालों में आपने मेहतरों की अलग बस्तियां बनाई हैं उनके लिये अलग छात्रावास कायम किये हैं। आपने कभी उनको अन्य जातियों के बीच में प्लाट नहीं दिये।

आज आप समाजवाद की बातें करते हैं आपके कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं वे हरिजन हैं। उनको हरिजनों के प्रति कोई लगाव नहीं है उन्होंने कभी इस बात को नहीं कहा कि हरिजनों की जो आज इतनी दशा खराब है उसका मुख्य कारण उनमें शराब का प्रचलन ज्यादा होना है। उन्होंने कभी शराब बन्दी करने की बात नहीं की। जो राज्य शराब के पैसे से और जुए के पैसे से चलता है उस राज्य का भला नहीं हो सकता। हमारे देश में जब तक अमेरिका से अन्न आयगा तब तक हमारे देश के लोगों का मानस नहीं

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

बदलेगा। इसी प्रकार चाहे आप कितने ही वर्षों का संरक्षण क्यों न दे दें इनका भला नहीं हो सकता। मैं ऐसे विधायकों को भी जानता हूं जो केवल आज तक हस्ताक्षर करना ही जानते हैं। बीस साल में आप आज विधायक ऐसे हैं, जो हस्ताक्षर करने के अलावा और कुछ लिखना नहीं जानते इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। अगर आपको हरिजनों का कल्याण करना है, आदिवासियों का कल्याण करना है तो आप यह निश्चय कर लें कि हिन्दुस्तान में अमेरिका का गेहूं नहीं आयगा। मैंने जब यह सुना कि हमारे यहां यह गेहूं नहीं आ रहा है तो मुझे खुशी हुई लेकिन बाद में पता चला कि वह तो आ रहा है तो आखिर वहां का अन्न खाकर हमारे बालक क्या बनेंगे:

"बालक ये बणसी कई, ज्ञानी करो विचार
अमेरिका को दान की दूध पकोड़ी खार।"

जब तक हम इन चीजों को बाहर से लेते रहेंगे तब तक न इनका स्वाभिमान बढ़ेगा और न देश का। आप चाहे कितने ही सालों तक इनको संरक्षण देते रहें इनमें स्वाभिमान नहीं आ सकता। मैं अपने क्षेत्र के ऐसे हरिजनों को जानता हूं जो आज भी जमीन के लिये तरसते रहे हैं। आज जमीन एलोट किनको होती है जिनके पास पहले से जमीन है। आज हाथ से खेती करने वाले को जमीन एलोट नहीं होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सत्ताधारी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं आपने अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिये पांच 'म' वालों को स्थान दे रखा है महाजन, मेहतर, मुसलमान, महिला और मुलाजिम। आप इन पांचों मक्कारों के बल पर शासन कर रहे हैं। आपके शासन के हरिजन एक बहुत बड़े स्तम्भ हैं। हमारे भारत के संविधान में जो इनको अधिकार मिले हैं उसके कारण इनमें किसी प्रकार की जागृति नहीं आई है। आप गांधी का नाम मत लीजिये। गांधी का नाम लेने वाला तो एक ही व्यक्ति है जो उसका चेला कहला सकता है वह है फ्रन्टियर गांधी जो यहां एक पोटली लेकर आये हैं उनको पास आज भी उतने ही कपड़े हैं जितने पहले थे एक पजामा और एक कुर्ता। ये ही एक गांधी के सच्चे शिष्य हैं। हम लोग जो किसी समय बीसियों पैवन्द लगाकर कपड़े पहनते थे आज देखिये ऐसे लोगों के पास मोटरें हैं बंगले हैं बैंक बेलेन्स हैं और नहरी जमीन इनके कब्जे में है। इस प्रकार से हमारे यहां अमेरिकन समाजवाद आया है। आज हरिजनों और आदिवासियों का उपयोग केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिये करना चाहते हैं। आज बीस साल होगये आज मैं उन्हीं व्यक्तियों को केबीनेट में देखता हूं हरिजनों और आदिवासियों के प्रतिनिधि के रूप में। हमारे यहां भी वे ही लोग आये हैं और दिल्ली में भी हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो बीस साल पहले मंत्रियों का कुर्सी पर विराजमान थे। और मैं यह कह सकता हूं जब तक ये लोग हैं, ये ही मंत्री रहेंगे, इनके अलावा दूसरों को स्थान मिलने वाला नहीं। जो कारण मैंने बताये हैं उनके कारण मैं इस बिल का विरोध करता हूं इसलिए भी विरोध करता हूं कि मेरे खुद के दिल में हरिजनों के प्रति बड़ा दर्द है। मैं आपको ऐसे अधिकारियों के नाम बता सकता हूं जिन्होंने हरिजन लड़कों को अपने लड़कों के समान रखा। हमारे डेवलपमेन्ट कमिश्नर श्री भंडारी हैं। इन्होंने एक चमार के लड़के

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

को अपने यहां रखा है वह उस बच्चे को ऐसा रख रहे थे कि उनके अपने बच्चे में और उस बच्चे में वे किसी प्रकार का फर्क नहीं था। इसके बावजूद कई ऐसे भी हैं जो इन लोगों से घृणा भी करते हैं। मैं आप से यही कहना चाहता हूं आप इस तरह से इनके सामने टुकड़े मत फेंकिये इसलिये मैं इस दस साल की अवधि का विरोध करता हूं। मैं नहीं अनुभव करता इस प्रकार के संशोधन से किसी प्रकार की चेतना इनमें आ पायेगी। आज जब कि आप इनके लिए अलग छात्रावास चला रहे हैं, मेरा निवेदन है कि इनके होस्टल जनरल होस्टल के साथ हों इनके लड़कों को आप पचास रुपये साठ रुपये और सौ रुपये तक की छात्रवृत्ति दीजिये लेकिन अलग होस्टल मत खोलिये, नहीं तो ये हमेशा के लिये मेहतर ही रह जायेंगे। इनकी बस्ती अलग मत बसाइये, नहीं तो ये हमेशा के लिये मेहतर हो रह जायेंगे। आपने इनको बीस सालों यही दिया है अलग बस्तियां, अलग होस्टल्स, अलग कुए। अब भी आप भगवान के नाम पर गांधी शताब्दी वर्ष में इन चीजों को तो रोकिये।

इसके साथ साथ आप राजस्थान में पूर्ण शराब-बन्दी कीजिये। मैं यह सुन रहा हूं कि जो नीति शराब-बन्दी की सरकार ने घोषित की है उसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है राजस्थान सरकार ऐसा नहीं करेगी। अगर करती है तो यह मनोहरसिंह जीवित नहीं रहेगा। यहां शराब चालू नहीं रह सकता। मेरे मन में आदिवासी और हरिजन लोगों के प्रति ममता है। इन लोगों की जो हालत बिगड़ी है, उसका मुख्य कारण शराब का प्रचलन है। अगर आप शराब को फिर जारी रखना चाहेंगे तो यह मनोहर सिंह प्राण दे देगा। मुझे विश्वास है कि सुखाडिया साहब फिर से चालू नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, खुशहाली कर बन्द हो इसके लिये गंगानगर के किसानों ने आन्दोलन किया और हमारी सरकार ने इस खुशहाली कर को बन्द कर दिया लेकिन जो यह सर्वनाश करने वाली शराब है उसको आप बन्द नहीं करना चाहते। जब आपको दो करोड़ रुपया शराब की आमदनी केवल गंगानगर डिस्ट्रिक्ट देता है उसको आप बन्द करने के लिए कदम नहीं उठाते। यह कदम क्यों आप उठाने लगे, इससे तो आपको पैसा मिलता है, आपका खजाना भरता है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं इसीसे हमारा सर्वनाश होने वाला है। आज वे लोग शराब पीयेंगे तो उनके बच्चे भी पीना सीखेंगे फिर आप सोचिये जब कॉलेज का बच्चा शराब पीने लग जायेगा तब इस देश की क्या हालत होगी कभी आपने इस बारे में भी ध्यान दिया है ?

इन्हीं शब्दों के साथ चूंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है इस संविधान संशोधन अधिनियम का विरोध करता हूं। और निवेदन करता हूं मैंने जो बातें कही हैं उस पर आप ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन सिंह।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में संशोधन करके हरिजनों और आदिवासियों के लिये संरक्षण की अवधि दस साल और बढ़ाने जा रहे हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। इस बारे में किसी का भी विरोध नहीं होना चाहिए। सभी सदस्य-

Page No 113

(श्री मदनसिंह)

गण ने यह कहा कि इन बीस सालों में कुछ नहीं हुआ दस साल फिर मिलेंगे अगर इनको दस साल का समय और नहीं मिला तो मुश्किलें पैदा हो जायेंगी।

एक बात यह कही गई कि हरिजनों की जो बस्तियां अलग अलग बसा रहे हैं वह नहीं होनी चाहिए। मैं इसके विरोध में हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अलग बस्तियां अगर इन लोगों की नहीं होंगी तो इनमें ताकत नहीं आयेगी। हरिजन आकर यदि मेरे मोहल्ले में रहता है तो उसको लोग दबोच लेंगे। अगर अलग बस्तियां होती हैं तो वे अपने यहां मनचाहे सुधार करवा सकते हैं, वोट के लिये उनके पास जाना हर व्यक्ति को पड़ेगा इससे वोट की शक्ति उनको मालूम होगी। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि जिन लोगों को हरिजनों को जमीन मिली है उनको दस साल तक लगान की माफी होनी चाहिए। सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि जिन हरिजनों को जमीन दी गई है उनसे दस साल तक लगान नहीं लिया जायगा। राज्य सरकार द्वारा जो भी जमीन उन लोगों को दी गई है वह जमीन अच्छी जमीन नहीं है। उसको उपजाऊ बनाने के लिये काफी महनत करनी होगी। मुझे ऐसा अनुभव है कि कुछ जमीन ऐसी भी मिली है जिन पर अभी तक हरिजनों को कब्जा तक नहीं मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, सभी पार्टियों से मेरा निवेदन है जहां तक हरिजनों और आदिवासियों की बेहबूदी का ताल्लुक है इसमें किसी भी राजनीति को नहीं लाना चाहिए। मैं कह सकता हूं आर० एस० एस० ही एक एसी संस्था है जहां हरिजन स्वयं सेवकों में और दूसरा जाति के स्वयं सेवकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। वे सब भाई भाई की तरह रहते हैं, एक साथ खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाता। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी भी ऐसी है जिनमें भी किसी प्रकार का जाति के कारण भेदभाव नहीं बरता जाता। इसलिये कम से कम ठीक ढंग से हमें यह सोचना पड़ेगा कि इनकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कैसे ठीक हो। इसके लिए ऐसी कमेटी विधान सभा से भी तय हो और फिर विचार करें कि ऐसे कौन कौन हैं जो समाज को तैयार करें। मेरे भाई शंकराचार्यजी के लिये कह रहे थे तो यह कह कर तो सवर्णों को और ज्यादा भड़काना है। हमें तो ऐसे आदमी चाहिए जो शान्तिपूर्वक लगन से समाज में जाकर समाज का मानस बदले। शंकराचार्यजी तो बहुत दूर रहे। आज तो जो आपको राजनैतिक दृष्टि से शोषण करना चाहते हैं वे आपके कांग्रेसी ही आपको दूर रखना चाहते हैं। आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री के लड़के की शादियां, लड़कियों की शादियां आपके यहां नहीं हो सकती। वे बनियों के यहां, अग्रवालों और जैनियों के यहां जाकर कर सकते हैं जहां करोड़ों रुपया टीके का मिलता है उनको। पर हरिजन की किसी लड़की के साथ वे शादी नहीं करेंगे। इसलिए एक तरह का हिपोक्रेसी का वातावरण बनाकर आप चलना चाहते हैं। हम भी देख रहे हैं ये सारी तथ्यहीन चीजें हैं।

आज का हरिजन जो कुछ थोड़ा बहुत उठा है अपनी ताकत से और अपनी थोड़ी बहुत एकता से उठा है। आपकी वजह से नहीं उठा है, न कांग्रेस की वजह से उठा है

Page No 114

(श्री मदनसिंह)

न जनसंघ या कम्युनिस्ट की वजह से उठा है उसका विकास हुआ है थोड़ा पर व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ। वोट मांगने जाते हैं तब उनके घरों में आप जाते हैं, बातचीत भी करते हैं, कुछ काम भी करते हैं, आज वोट कौंसिल हो जावे तो धर्म से कहता हूं आप में से कोई भी हरिजनों के घर में बैठने को तैयार नहीं होंगे। केवल वोट ही उनका आधार है, हरिजन बस्तियों के गठन का आधार है। उनके बोर्डिंग और संगठन का ही आधार है। तो इस दृष्टि से मैं तो कहता हूं कि उनके बोर्डिग भी अलग होने चाहिये ताकि लड़कों म ताकत आवे, उनका संगठन बन सके। आज संगठन के बलबूते पर ही गंगानगर के लोगों ने कान पकड़ कर सरकार से अपनी मांगें मनवाली उसी तरह से अगर आपका अपना संगठन मजबूत रहा तो आप अपनी बातें मनवा सकेंगे। मैं चाहता हूं इसके लिये दस वर्षों तक इनका अलग से संगठन बना रहे। इसलिए हरिजन बन्धुओं से कहता हूं कि आप भी अपना संगठन अलग से बनाये रक्खो। आप भीउनके घरों में नहीं जाते हरिजनों को अगर अपने साथ रखकर खिला पिला सकते हैं तो राजपूत ही ऐसी कौम है जो एसा कर सकती है जो अपने बच्चों में और हरिजन बच्चों में फर्क नहीं करते। एक साथ सोते हैं, एक साथ एक पलंग पर एक जमीन पर उठते बैठते हैं। ऐसे एक नहीं पचासों और हजारों हैं। आप उनसे कतराते हैं। यहां बैठकर सत्यता से बात करो। केवल कुछ नारे इधर से लग गये, कुछ उधर से लग गये। फिर भी विरोधी दल में जो हरिजन भाई हैं वे किसी के लालच से बैठे नहीं हैं। आज कांग्रेस में जाने का क्या अर्थ है सिवाय सत्ता के प्रलोभन के और इसके कि वहां रहने से हमारा काम बन जावेगा। विरोधी दल के पास तो सत्ता नहीं है पैसा नहीं है। पर संगठन है, प्यार मुहब्बत है। कानोता हाउस था इसका उदाहरण कि उनके साथ खाते पीते थे उनकी पत्तलों तक को उठाते थे। उनकी थालियों में साथ खाना खाया। पर आज आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उस वक्त कोई वोट का सवाल नहीं था। अगर आप यह भी कहें तो···

श्री मोहनलाल मोदी : उस वक्त तो वोट की बड़ी बड़ी कीमत थी।

श्री मदनसिंह : हमें जरूरत नहीं थी। आपको पता है क्या कीमत है उनकी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज भी हरिजन भाई यह सब नहीं सोचते। मोदीजी, आज भी आपने अपने आगे पीछे मोदी लगा रखा है, हरिजन आप अपने को कहते आज भी शरमाते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : आप ठाकुर हटा दें तो मैं मोदी हटा लूं।

श्री मदनसिंह : मैं तो ठाकुर रहूंगा। मैं तो चाहता हूं कि राजपूत रहें। पर हम हरिजनों के साथ बैठ सकते हैं खा सकते हैं। फौज म रहे हैं हम और फौज में यह सब किया है, वहां भेदभाव नहीं है। जयपुर दरबार की मिसाल दूं। उनके यहां भंगी बटलर हो सकता है, पर आपके यहां भंगी नहीं घुस सकता।

श्री मोहनलाल मोदी : आपके राज में हरिजनों को जितना दबाया जाता था वह स्थिति आज है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : ये ठाकुर और मोदी तो ओहदे हैं। इनका जाति से संबंध नहीं है।

श्री लालूराम सुलानियां : आपने आज भी कौनसे हरिजन को अफसर या फाइनेन्स मिनिस्टर या होम मिनिस्टर बना दिया है। आजादी आ गई फिर भी आप हरिजनों से लाभ ही उठाना चाहते हो, उनके नाम का नाजायज फायदा लेना चाहते हो। यह क्या कम है? वही बेगार और रूप में और उससे भी गलत रूप में आप आज ले रहे हो।

श्री मदनसिंह : मैं मान लेता हूं हमारे बड़कों ने उनको लूटा है, खोसा है, बेगार ली है किला बनाने के लिये। जैसे चीन के लिये ली जाती है वैसे ली गई है।

श्री मोहनलाल मोदी : कितनी बेगार आपके राज में उनसे ली जाती थी।

श्री उपाध्यक्ष : ये तो स्वीकार कर रहे हैं।

श्री मदनसिंह : आज भी आप क्या उनसे बेगार नहीं ले रहे हैं। आज भी उनसे टट्टी उठाने का काम नहीं लेते हो आपकी कान्स्टीट्यएन्सी में।

श्री मोहनलाल मोदी : वह बेगार में शामिल नहीं है। आपके वक्त में जूते मारते थे उनको और जूते मार मार कर बेगार लेते थे।

श्री मदनसिंह : यह तो आदत हुई। मोदीजी की आज तक आदत पड़ी हुई है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है लोग प्रैक्टिकल नहीं हैं। कानून बना सकते हैं, समय बढ़ा सकते हैं पर इससे इनकी हालत सुधरने वाली नहीं है। इसके बारे में मेरा सुझाव है क्रियात्मक रूप से कुछ करना हो तो कि राजस्थान में एक ऐसी समिति बने जिसमें सत्ताधारी दल और विरोधी दल के लोग बैठकर सीरियसली सोचें कि समाज की दृष्टि में किस ढंग से इनको ऊपर लाया जा सकता है और अर्थ के जो विशेषज्ञ हैं वे यह सोचें कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है।

मैंने यह भी सुझाव रखा था कि हरिजनों को जमीन जहां मिले वहीं फौजी को भी मिले इसलिये कि फौज में कोई भेदभाव नहीं है। दांता रामगढ़ में जहां हरिजनों को और फौजियों को पास पास में जमीनें मिली हैं वहां ये डटकर अपने विरोधियों का मुकाबला करते हैं। फौजियों के कारण इनको वहां कोई सता नहीं सकता और इसलिए उनके पास जमीनें सही सलामत रह गई हैं। बाकी और जगह उनसे जमीनें लोग छीनते जा रहे हैं। अगर उनका संगठन हो या ये फौजियों को साथ लेकर चलें फिर देखते हैं कौन उनकी जमीन की तरफ आंख उठाता है।

आज कांग्रेस में और अन्य सभी पार्टियों में भी राजनैतिक आधार पर इनको समर्थन मिल रहा है। चुनाव के वक्त उनके दुख दर्द को सुनने वे आते हैं, बाद में कोई कुछ नहीं पूछता। जो कुछ थोड़ा बहुत पूछते हैं वे भी वोट की खातिर उनको पूछते हैं। चुनावों के बगैर उनका भला करने की आदत न कांग्रेस वालों की है न औरों की है। जोशीजी की नीयत भी उनके साथ ठीक बरताव करने की नहीं है। जोशणजी को पूछो तो कहेंगे कि यह भंगण है, दूर रह और जोशीजी यहां विधान सभा में आकर हिपोक्रेसी के चक्कर में पड़ते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और

Page No 116

(श्री मदनसिंह)

नहीं हो सकती। हिम्मत हो तो कुछ काम करिये। कमेटी बनाइये इस तरह की जिसमें कोई पार्टीमेन का लेवल न हो एक उनके हित का प्रोग्राम बनाय और उसे कार्यरूप में परिणित करें। आज तो बीस साल हो गये, तीस साल हो सकते हैं, आगे और भी समय बढ़ाया जा सकता है। यह सब आपने पोलिटिकल बेसिस पर नारा लगाया है। जब तक कुम्भाराम आपके साथ थे, सारे जाट आपको अच्छे लगते थे। आज कुम्भाराम निकल गया तो जाट बुरा हो गया। आज राजपूत आपको बुरे लगते हैं, आपकी राजनीति के अनुकूल जिस दिन हो जावेगा, उस दिन राजपूत अच्छा हो जावेगा, ब्राह्मण बनिया बुरे हो जावेंगे। इसलिये मैं कहूंगा कि पोलिटिकल मोटिव को लेकर जातिवाद को आप प्रोत्साहन न दें। जितना जातिवाद को आपने पनपाया है और बढ़ावा दिया है उतना किसी ने नहीं। आज इस जातिवाद और सम्प्रदायवाद के लिये कांग्रेस जिम्मेदार है। अन्यथा हरिजन हमारी स्कूलों में पढ़ रहे थे। उठ रहे थे, कोई भेदभाव का विचार नहीं था। आपके संविघान का सबसे बड़ा रचियता हरिजन था। क्या उसे कांग्रेस ने लिखाया पढ़ाया था? यहां बैठा है आपमें हरिजन मंत्री। उनको क्या कांग्रेस ने पढ़ाया लिखाया है। तो आपकी पार्टी की तरफ से कोई ठोस प्रोग्राम इनके उत्थान के लिये हो, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको राजनैतिक दृष्टि से आप न देखें। इन्दिराजी दबने लगीं तो जगजीवन रामजी को अध्यक्ष बना दिया। बाकी नहीं तो एक समय जगजीवनरामजी का प्रस्ताव हमारे यहां के हरिजन ने रखा था। पर उस वक्त उनके विचार थे कि यह हरिजन हमारे सिर पर नहीं आ सकता। बात मैं सही कह रहा हूं।

श्री अमृतलाल यादव : आपको मालूम नहीं है। इन्दिराजी कमजोर पड़ गई इसलिये जगजीवनरामजी को अध्यक्ष बनाया, मैं कहता हूं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ऐसी इच्छा थी कि इनको अध्यक्ष बनाया जावे, इसलिये बनाये गये थे।

श्री मदनसिंह : मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। आप उनके नजदीक हैं। आपको ज्यादा मालूम है। आपकी बात मान लेता हूं। पर आज इनको यह भी बर्दाश्त नहीं है कि एक हरिजन भाई ने दो लाख का मकान बना लिया तो सारा हाउस उस पर टूट पड़ा। कहने लगे कि उनका मकान बेईमानी से बना है। मुझे इसका जांच इन्चार्ज बना दिया जावे तो मैं बताऊं कि किस विधायक का मकान उन मन्त्री जैसा नहीं बना है। इसलिये जिस विधान सभा भवन को पवित्र मंदिर कहते हैं वहां ऐसी हिपोक्रेसी लोग करते हों यह ठीक नहीं है। इन कांग्रेस वालों की तो आदत पड़ गई आज अगर चरण सिंहजी और कुम्भारामजी कांग्रेस से नहीं निकलते तो आपकी इज्जत नहीं होती। आपको इन कांग्रेस वालों ने बहुत चूसा है। विधान सभा में कहते हैं हम सच कहने आते हैं। ये कुछ थोड़ा बहुत आपके लिये करेंगे तो पोलिटिकल बेसिस पर करेंगे नहीं तो ये आपसे बात करने वाले नहीं हैं। अन्तरात्मा की बात करता हूं अगर ये दिल से कुछ करना चाहें तो दो साल में काफी हो सकता है। हरिजनों का संगठन तगड़ा हो जावे तो इनको पता लग जावे। ये कहते हैं सीकर डिस्ट्रिक्ट की बात। मैं बता रहा

(श्री मदनसिंह)

हूं वहां साहूकार मोदीजी का संगठन है। मोदी का वोट मोदी को दिया जा रहा है। उन पर आज झूठ का असर हो गया है। यहां बैठकर आपकी बात करते हैं। यहीं सोशलिज्म है। वहां हरिजनों को दबाने में इनका बड़ा हाथ रहा है।

श्री मोहनलाल मोदी : यह बिल्कुल गलत कह रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : मैं मोदीजी, आपके इलाके में गया हूं। वह मुझे भी मालूम है आप जो कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : अभी सहकारिता मन्त्री पर आरोप लगाने लग गये हैं। मैंने भी आपका हाउस में तरीका देखा है हाउस में तारीफ कर दिया करते हैं और काम निकालने का हुआ तो, नहीं तो बदनाम करते रहते हैं।

श्री मदनसिंह : अच्छा है, यह गुण तो है। वे कौनसे काम लेते हैं। वे कौनसे माई का लाल मिनिस्टर हैं जिसने दांता ठाकुर को 5 हजार की थैली दी हो। दांता ठाकुर तो जनता के काम जाता है। 10 मिनट भी बात नहीं करता और कहता हूं करना है या नहीं, जनाब कांग्रेस में जाकर भी आपकी नहीं चलती है। उपाध्यक्ष महोदय, इनका काम तो यह है कि फलां फलां आदमी का ट्रांसफर कर दो। मोदीजी (श्री मोहनलाल मोदी) आपके कारनामे खोलूंगा तो आप…

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं कि इनके क्यों कारनामे खोले जांय…

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : उन मीणा जाति को उकसा कर आपने 5-5 कतल करवा दिये।

श्री मोहनलाल मोदी : शरम आनी चाहिये आपको कतल कराने वाले आप हैं और नाम हमारा लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आपस में बात नहीं करें। ऑर्डर प्लीज। आपस में बात नहीं करें।

श्री मदनसिंह : अब दर्द हुआ कुछ। मैं हरिजनों की बात कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ज्यादा समय लिया उसकी तो मैं क्षमा चाहता हूं। 10 साल का लगान हरिजनों का माफ होना चाहिये और उसके लिये एक कमेटी मुकर्रर होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपकी तरफ से पोलिटिकल इश्यू बनाने का नहीं है?

श्री मदनसिंह : हरिजनों को मैंने कहा वोट नहीं चाहिये। जिस रोज मेरा वोटिंग होगा उस दिन ये स्वतः आ जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री किशनलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम था इनके पहले।

श्री उपाध्यक्ष : नाम बोल दिया था उस समय आप उपस्थित नहीं थे।

श्री किशनलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझ रहा था कि एक इधर से चल रहा और एक उधर से चल रहा है।

Page No 118

श्री उपाध्यक्ष : आपको बाद में अवसर दियाजायगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के 23 वें संशोधन विधेयक, 1969 जो पार्लियामेंट से पारित किया गया उस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। परन्तु साथ साथ मुझे इस विधेयक का स्वागत करते हुये बड़ा भारी दुख होता है जब विधान बना और 26 जनवरी, 1950 को विधान बनकर फोर्स में आया उस समय 10 साल का प्रोवीजन रखा गया था और 10 साल रखने की मंशा भी यही थी कि अनुसचित जाति व अनसूचित जन-जाति के लोगों को इतना विकसित कर लेंगे और विकास कर देंगे कि वे सवर्णों के मुकाबले आ जायेंगे और यह रिजर्वेशन समाप्त कर दिया जायगा परन्तु हम यह कर नहीं सके और उसके बाद में 1959 में फिर 10 साल बढाये और 10 साल भी अब समाप्त होने जा रहे हैं और उसमें भी विकास नहीं कर सके और अब 10 साल और बढा रहे हैं जो कान्स्टीटयूशन में अमेन्डमेंट ला रहे हैं उससे यह स्पष्ट हम मान रहे है कि हमारी गलती है, हमारी त्रुटि है। गांधी शताब्दी के अवसर पर मान रहे है कि इन 20 सालों में अनुसूचित जाति व अनूसचित जन-जाति की प्रगति जितनी करनी चाहिये उतनी नहीं की, इतना विकास नही किया कि ये हमारे लेवल में, हमारे इक्वल हो सके। अबप्रश्न यह उठता है कि 10 साल का और जो रिजर्वेशन ब ाया गया है इन 10 सालों में इनको इतना योग्य बना सके कि हमारे समान आ सके इसके लिये हमें विचार करना है, सोचना है और इसके लिये मैं चाहता हूं केन्द्रीय सरकार और जो प्रोविन्सेज की गवर्नमट्स हैं वे योजना बनायें और योजना में यह तय करें कि इन पंचवर्षीय योजना में इन पांच वर्षों में उनको क्या तरक्की करनी है जिससे ये हमारे लेवल में आ सकें और दूसरे पांच साल में किस प्रकार आगे बढ सके इसलिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो सामने आ रही है उसमें यह देखना है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति का कितना विकास कर सकेंगे और उनके विकास में हमें सबसे पहले उनको प्राथमिकता देनी है। अगर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति को प्राथमिकता नहीं देते हैं और योजनाओं में और योजनाबद्ध तरीके से 10 सालों में तरक्की नहीं करते है तो हम कसूरवार होंगे और इसके लिये हम जिम्मेदार है। इसलिये हमें अब कुछ इनकी प्रगति के लिये ठोस कदम उठाना है और जो समाजवाद को अपना लिया है। कांग्रेस का विभाजन होकर अब हम इस इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में समाजवाद को लाने के लिये दृढ संकल्प हैं तो हमें यह प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि इन गरीब से गरीब तबके को आगे बढ़ाना है। सिर पर मैला ढोने की जो कु-प्रथा है जिससे हमारा सिर झुक जाते है, हमें शरम आती है। अगर दुनियां में हमारा इस प्रकार का नकशा खीचा जाय तो हमारे हिन्दू समाज के लिये बड़ी कलंक की चीज है मैं तो यह कहूंगा जबतक इन अनुसूचित जाति व अनसूचित जन जाति का कल्याण नही कर सकेंगे जब तक इसमें सबका सहयोग न हो। कोई कांग्रेस इसको अकेली आगे नहीं बढा सकती है। कांग्रेस और जितनी संस्थायें है उन सबको मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा और उस वातावरण में यह प्रयत्न करना पड़ेगा कि छूआछूत की जो भावना है उसको हटानी पड़ेगी, सामाजिक उत्थान करना पड़ेगा और सामाजिक उत्थान के लिये

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

इन रिजर्वेशनों से कोई भी विशेष प्रगति नहीं होगी जबतक हम समाज में जाकर पिछड़े हुये लोगों के उत्थान के लिये प्रयत्न नहीं करेंगे तवतक कुछ नहीं होगा । हम देखते है अभी तक ग्राम पंचायत में जायें, मैं गया भी हूं और मैंने देखा है वार्ड में पंच जो अनसूचित जाति व अनसूचित जन-जाति के हैं वे अलग बैठते हैं। गांवों में मीटिंग की जाती है तो अनुसूचित जाति व जन-जाति के जो लोग हैं वे अलग खड़े होते हैं यह स्थिति है । आज वे कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं । शहरों एवं नगरों में कोई चाय की होटल हो तो वह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति की हो नहीं सकती । अभी तक हिन्दू समाज का मानस नहीं वन पाया है । शादी का तो प्रश्न ही कहां ? क्या मिनिस्टर और क्या एम० एल० ए० उनमें करने की शक्ति है कहां, परन्तु यह स्थिति भी नहीं कि उनके साथ बैठने तक के, दिमाग लोगों का नहीं वन पाया है इसलिये मैं चाहता हूं कि छूआछूत का जो भूत है इसको मिटाया नहीं जाता तवतक देश में प्रगति हो ही नहीं सकती । जो कानून बनाया है अनटचेबिलिटि एक्ट

(4-30 म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडांवत, सभानेत्री, पदासीन)

इसको बहुत कम लोगों ने माना है । मैं कहता हूं इसको नॉन-बेलेबिल बनाना चाहिये । इसका पनिशमेंट 7 वर्ष का होना चाहिये । मैं समझता हूं यह कोशिश करनी पड़ेगी, जातिवाद को समाप्त करना पड़ेगा। जवतक जाति प्रथा को समाप्त नहीं करेंगे तबतक हिन्दू जाति में जो यह कलंक है वह मिट नहीं सकता । अगर समाज की प्रगति करना चाहते हैं तो हमें जातिवाद को नष्ट करना पड़ेगा और इसके लिए वातावरण बनाना पड़ेगा, कानून भी बनाना पड़ेगा तव जाकर कुछ प्रगति कर सकते हैं, यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जितनी भी पार्टी के लोग चाहे वह किसी भी पार्टी के हों उन्हें इस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को आगे बढाने के लिए, विकसित करने के लिए पूरी तरह से कोशिश चाहिए ।

मैं अब भूमि सुधार के बारे में कहूं कि अगर उन्हें जमीन भी अलाट राजस्थान नहर में या और भी कहीं अलाट की गयी है तो उसको वह खुद काम में नहीं ला सकते । बेनामी ट्रान्जेक्शन्स हो रहे हैं और ऐसे क्षेत्रों में ऐसे अधिकारी मुकर्रर कर दिये हैं कि जिनका दिमाग जातिवाद से प्रेरित है। ऐसे अधिकारी हमारे बाड़मेर में भी हैं और दूसरी जगह भी हैं। तो ऐसे अधिकारी जो कि जातिवाद से प्ररित हैं अगर उनको रखकर अलॉटमेंट के अधिकारी उन लोगों को दिलायें तो कभी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति को जमीनें नहीं मिल सकती। जहां भी जमीनें मिली हैं चाहे राजस्थान नहर में हो या और कहीं हो, जमीन तो उनके नाम से है लेकिन वह उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं आज सीलिंग कानून के बारे में भी हमारी गवर्नमेंट ने निर्णय कर लिया लेकिन क्या हम जमीन उनको दे सकेंगे या नहीं और अगर देंगे तो उनको मिल सकेगी या नहीं, यह भी प्रश्न विचारणीय है।

Page No 120

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

इसलिये राजस्थान गवर्नमेंट को यह सोचना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति को लाभ मिले और जो उनके नाम से कोई जमीन का दुरुपयोग करता है तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। अगर सख्त कदम नहीं उठाया और हम कमजोर रहे तो हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। तो हमें राजस्थान सरकार को दस वर्षों में अनसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की सामाजिक प्रगति, इनकी आर्थिक प्रगति और इनकी राजनैतिक प्रगति और इनकी राजनैतिक चेतना जगानी है तो इसके लिए पूरी तरह से प्रयास करना है और पूरी तरह प्रयास करने के लिए बहुत ही हिम्मत के साथ में और बहुत ही प्रगतिशील कदम उठाकर ही हम इस चीज को कर सकते हैं।

मैं सभापति महोदया, महात्मा गांधी के शब्द कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब यह महसूस करें कि इस देश में ऊंच-नीच वर्ग का भेद नहीं हो जिसमें सभी मिल-जलकर रहेंगे और छुआछूत और जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। महात्मा गांधी के हम अनुयायी हैं हमें उनके कदमों पर चलना है और उनके कदमों पर चलकर ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की प्रगति कर सकते हैं। अभी श्री मनोहरसिंहजी मेहता ने कहा और उन्होंने अपना एक दृष्टिकोण रखा। मैं भी यह दृष्टिकोण रखता हूं कि इनके जो हास्टल्स हों, वह गवर्नमेंट हास्टल्स होने चाहिएं। कोई इनका अलग हास्टल नहीं होना चाहिए। अलगाव की भावना रखी तो यह हमेशा अलग रहेंगे। यह बिल्कुल सही दृष्टिकोण है।

शराबबन्दी की बात कही। मैं भी इस दृष्टिकोण को रखता हूं कि शराब के बारे में जो गवर्नमेंट का निर्णय है उस पर वह अटल रहे। अगर अटल नहीं रहती है तो हम गवर्नमेंट पर प्रेशर डालेंगे और गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। जो निर्णय गवर्नमेंट ने लिया है उससे वह बदल नहीं सकती।

बैटरमेंट लेवी के बारे में कहूंगा। बटर-मेन्ट लेवी लगाई और रेन्ट रेट का रिवीजन हो तो उनमें सही दृष्टिकोण रखना होगा। गंगानगर जिले का मुद्दा है और उसमें यदि पूंजीपति किसान सीलिंग से अधिक की जमीन गरीबों को नहीं मिलने देते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे••

श्री नत्थीसिंह: यहां भी पूंजीपति किसान उधर ही बैठे हैं इधर नहीं हैं। सूरत देख लें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : तो सभापति महोदया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की प्रगति करना है और इसकी प्रगति करने के लिए हमें जितनी भी संस्थायें हैं कम्यूनिस्ट हैं, भारतीय सोशलिस्ट पार्टी है जितनी भी लेफटिस्ट पार्टी हैं वास्तव में जो कहते हैं कथनी और करनी में अन्तर नहीं होन चाहिए।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इसका समर्थन करता हूं और यही निवेदन करता हूं कि यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के विकास में हम पूरी तरह से जोर लगायें, हमारी शक्ति लगायें और हमारा जीवन इसके लिए अर्पित कर दें।

श्रीमती सभानेत्री : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा-सु०) : चेयरमेन महोदया, भारत के संविधान में 23वें संशोधन का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। चेयरमेन महोदया, हमको यह भी आज सोचना पड़ेगा कि 20 साल के इस लम्बे अर्से में जो पिछड़े हुए लोगों को सुविधायें एक नाटकीय ढंग से दी गयीं उससे कितने पिछड़े हुए लोगों को सहयोग और साधन मिले। जब तक पिछड़े हुए समाज का सरकार आर्थिक विकास नहीं कर सकेगी तब तक हरिजनों का उत्थान नहीं हो सकेगा। चाहे 20 साल ढोंग रचा और 10 साल नाटक और कर लें जब तक गिरे हुओं को आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समाज का उत्थान नहीं करेगी तब तक यह समाज आगे नहीं बढ़ सकेगा। आज दस साल का सरकार रिजर्वेशन का सवाल संशोधन के लिए यहां लायी है, मैं इसका समर्थन जरूर करता हूं लेकिन आने वाले दस सालों में पिछड़े हुए समाज को क्या हम ऊंचा उठायेंगे मुझे ऐसी आशा कम है। राज्य के मुख्य मंत्री जो यहां मौजूद बैठे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या 20-22 सालों की आजादी में गांवों में बसे हुए और पिछड़े हुए हरिजनों को क्या आप हरिजनों को शुद्ध पीने का पानी दे सके हैं ? आप नहीं दे सके। क्या हरिजनों की आर्थिक स्थिति खेती के द्वारा, उद्योग धंधों के द्वारा आप उस समाज को ऊंचा उठा सके हैं ? नहीं उठा सके हैं। माननीय चेयरमेन महोदया, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि उद्योग धंधों के द्वारा उस समाज का शोषण किया गया है। सोसाइटीज़ के द्वारा उस वर्ग का शोषण किया गया है। और पूंजीपतियों के एजेन्ट सोसाइटीज़ में क्लर्क बनकर और सदस्य बनकर पिछड़े हुए हरिजनों के घर घर में कर्जदार (उनको) बना दिया है और सरकार चाहती है और सरकार की पॉलिसी है कि कभी भी यह समाज ऊंचा न उठे। और सरकार सोचती है कि जब तक वह इस सरकार का गुलाम नहीं रहेगा तब तक सरकार चल नहीं सकती। इसलिए दस सालों का जो संशोधन लाया गया है, यह इसलिए लाया गया है कि खास तौर से समाज को दबोचा रखा जावे। इस लालच से दबोचा जाये जैसे एक कठोर भैंस को चाटा देकर इसकी धार निकाली जा सके। चेयरमेन महोदया मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी गोली काण्ड हुआ है वहां पर हरिजनों की हत्या ज्यादा हुई है। यह बिलकुल सही बात है और पिछले दिनों में जो गंगानगर के चरू में गोली काण्ड हुआ है उसमें हरिजनों की हत्या होने कि संख्या अधिक है। चेयरमेन महोदया, मैं इस संशोधन का समर्थन करते हुए कुछ ऐसे सुझाव रखना चाहता हूं कि आपने पिछड़े हुए समाज का जितना शोषण किया है उतना भूतपूर्व राजाओं और किसी विदेशी हुकूमत के वक्त में शोषण नहीं हुआ है। उन लोगों ने हरिजनों को बेगारी बनाये रखा, लेकिन आज 20 साल की आजादी के बाद इनके जन-प्रतिनिधि आपकी सरकार के बेगारी बने हुए बैठे हैं, गुलाम बने हुए हैं। मैं सुखाड़ियाजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन्हें चाहे मंत्री बनाये लेकिन आप इनको अपने दिल में इज्जत का

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

स्थान दें। अपनी आत्माओं को टटोलें कि जितने सारे बैठे हुए हैं वे आपके राज्य के बेगारी बने हुए बैठे हैं। मैं आपकी बेगार की भावना से नाराज हूं। मैं आपके मंत्री बनाने से नाराज नहीं हूं। आप और हरिजन मंत्री बनाय। अमृतलाल यादव जब से राजस्थान बना है तब से मंत्री हुए बैठे हैं। वे बड़े बेगारी हो सकते हैं और छोटे बेगारी दूसरे हैं, लेकिन उनकी जो आत्मा है वह आत्मा मर चुकी है, क्योंकि उन्होंने रिजर्वेशन के द्वारा अपने पिछड़े हुए समाज को गुलाम बना रखा है। पुराने राजाओं और जागीरदारों के वक्त में हरिजनों को 2-4 बीघा जमीन देकर उनको बेगारी बनाया जाता था। यह मैं नहीं कह रहा हूं यह पुराने जागीरदारों के आंकड़े कह रहे हैं। गांवों में हरिजनों को दो-चार बीघा जमीन देकर बेगारी बनाया जाता था। जब गांवों में बड़ा बेगारी बनाया जाता था तो उसको कोतवाल कहते थे। उसको 3-4 बीघा जमीन ज्यादा देते थ।

तो चेयरमेन महोदया आज 20 साल की आजादी के बाद भी यह पिछड़ा हुआ समाज उसी जगह बैठा हुआ है। मैं इस बात को मानता हूं कि थोड़ा बहुत उद्धार हुआ है लेकिन जब दूसरा समाज ऊंचा उठा है तो हरिजन भी ऊंचे उठे हैं। तो अन्तर इतना ही है। जितना दूसरा समाज आगे बढ़ा है उतना ही यह समाज भी आगे बढ़ा है। उनका शोषण उसी तरह से हो रहा है जैसा कि पहले होता था। सुखाड़ियाजी, आप चाहे राजस्थान में इसको 30 साल के लिए और बढ़ा लें लेकिन हमारा जो उत्थान है उसके इस तरह से होने की मुझे उम्मीद नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर आप उत्थान चाहते हैं, अगर आप उनको ऊंचा उठाना चाहते ह तो हमारा आर्थिक विकास कीजिये। इसकी जरूरत नहीं है कि समाज कल्याण के द्वारा या और किसी के द्वारा बोडिंग चलाये जायें या और कुछ करें। उससे हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। हरिजनों के लिए आपने अलग बोर्डिंग रख दिये, आपने हरिजनों के लिए अलग बस्तियां कर दीं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आखिर आप इस देश का क्या करना चाहते हैं? आप पर जिम्मेदारी है, आप जिम्मेवार आदमी हैं, जो आदमी आत्मा को खरीदना जानता है, आत्मा को टटोलना जानता है वह हैं। मैं इसके लिए तो आपको बधाई देता हूं। विरोधी दल के नेता चाहे अपने आपको कुछ भी मानें, उनके प्रति वफादारी जरूर है, इज्जत है लोगों की, लेकिन सुखाड़ियाजी से जहां मुकाबला करने का सवाल है उनके मुकाबले का राजस्थान में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। वे जानते ह कि समाज का कौनसा व्यक्ति कितना कमजोर है। इसीलिए तो आप राजस्थान के मुखिया हैं और समाज के मुखिया रहेंगे, लेकिन आप समाज का उद्धार नहीं कर सकते हैं, आप समाज को ऊंचा नहीं उठा सकते हैं, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। माननीय सुखाड़ियाजी, मैं आज खास तौर से आपकी तरफ इशारा करूंगा क्यों कि आपके सिवाय कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि

Page No 123

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

आज आपने छुआछूत के लिए इतने नियम बना रखे हूं—मैं बिल्कुल साफ शब्दों में आपसे पूछना चाहता हूं कि छुआछूत के आन्दोलन में जो लोग शहीद हुऐ हैं, क्या आपने उनके परिवारों को एक या दो रुपया पेन्शन दी है? नहीं दी आज तक।

और मैं यह कहना चाहता हूं, चेयरमैन महोदया, कि छुआछूत को मिटाने में वे ही लोग मारे गये थे, चेयरमैन महोदया, जो कि कांग्रेस के आदमी थे, लेकिन आज वह कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। चेयरमैन महोदया, मैं यह बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। जो सीमान्त गांधी है जो कि 22 साल की आजादी के बाद भारत के आये हैं, ये शब्द उनके हैं। उन्होंने कहा है कि आज हिन्दुस्तान में जो कांग्रेस है वह गांधी की कांग्रेस नहीं है। वह विदेशी हुकुमत की कांग्रेस है। इस देश में गांधी की औलाद की कांग्रेस नहीं है। ये शब्द मेरे नहीं सीमान्त गांधी के हैं।

चेयरमैन महोदया, म यह भी बात चाहता कि इस समाज का उत्थान हो और इज्जत से हो, लेकिन हमारी सरकार इस समाज का उत्थान नहीं चाहती है। यह तो सिर्फ उनको राजी कर उनका शोषण करना चाहती है। वह इसलिए चाहती है कि इनकी मदद से यह सरकार राज्य करती रहे। वह जानती है कि इस समाज को बनाये रखने कि दिशा में ही हम राज्य चला सकते हैं। यह हम लोगों को एक लालच दिया गया है, एक ... दया गया है।

आज तक, सुखाड़ियाजी, बीकानेर जिले के नहीं, राजस्थान के गांवों में बसने वाले हरिजनों को आप पानी की सुविधा दे सके हैं? नहीं दे सके हैं। मैं चेलेन्ज के साथ कहता हूं। हरिजन गांवों मे आज भी कुत्तों के साथ खेली में पानी पी रहे हैं। आप कहते हैं कि 20 साल की आजादी के बाद हमने हरिजनों को ऊंचा उठाया है तो मेरा चेलेन्ज है कि हरिजनों के आर्थिक विकास का जहां तक सवाल है आपने उन्हें ऊंचा नहीं उठाया है। मैं यह बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। आप राजस्थान के किसी भी गांव में चले जायं और देखें कि क्या हरिजन और सवर्ण समान रूप से पानी पी रहे हैं। हरिजन पशुओं के साथ खेली में पानी पी रहे हैं।

सुखाड़ियाजी, खास तौर से मैं आप से कहना चाहता हूं। मेरा जी आप पर ही चलता है। क्या आपने हरिजन भूमिहीनों को भूमि दी है? क्या आपन हरिजनों के खेतों में पानी दिया है? आपने नहीं दिया है। यह आपके बस की बात नहीं है। वहां पर उन्हीं लोगों ने जमीनें ली हैं जो पूंजीपति और पूंजीपति के दलाल हैं और पूंजीपतियों के एजेन्ट हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस साल सूरतगढ़, और गंगानगर में पूंजीपतियों को जमीनें मिली हैं। एक पूंजीपति ने 90 मुरब्बे जमीन ली है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। एक एक आदमी ने ली है। उन्होंने क्यों ली है, क्योंकि वे इस राज्य के और इन पूंजीपतियों के एजेन्ट हैं, इसलिए ली है, लेकिन हरिजनों को मिली हो यह आप नहीं कह सकते हैं। चेयरमैन महोदया,

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

उस गांव में जितने भी हरिजन थे जो कि उस गांव के रहने वाले थे उनके नाम से तहसीलदार से दस्तखत करा लिये और 90 मुरब्बे ले लिए। मैं चाहता हूं, सुखाड़ियाजी, कि आप पूंजीपतियों के दलालों को आगे नहीं बढ़ने दें। पूंजीपतियों के जो दलाल हैं वे आपके लिए ढील नहीं देंगे। इसलिए आप इस तरह की हरकत न करें और भूमिहीनों को जमीनें दें और इस समाज को ऊंचा उठायें और जो लोग शहीद हुए हैं, कांग्रेस के लिए और छूआछूत को मिटाने के लिए, उनके परिवारों के लिए भगवान का नाम लेकर सोते समय एक मिनट के लिए सोचें जिससे इस देश का और समाज का कल्याण हो। हमें तो आपके पास आने का मौका मिलता नहीं है और मिले भी कहां से क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है...

श्री रामनारायण चौधरी : इधर आजाओ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय सदस्य कह रहे हैं रामनारायणजी चौधरी कि इधर आ जाओ..

श्री नत्थीसिंह : बेगार के लिए नहीं आना चाहते हैं आपके दिमाग को ठीक करने के लिए आना चाहते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक ही था उधर का जिसकी सफेद टोपी कल यहां पर डाली गई थी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इधर आ जाओ तो आप मेरे से बाद में आये हो।

जहां आजादी के लिए कांग्रेस के लोग शहीद हुए थे उसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय रामनारायणजी चौधरी चाहते हैं कि कांग्रेस के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया जो लोग शहीद हुए हैं उन लोगों के लिए कांग्रेस ने क्या किया? क्योंकि यह कांग्रेस वह नहीं है, महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह कांग्रेस पूंजीपतियों की है। चेयरमेन महोदया, पिछले दिनों जहां गंगानगर में शहीद हुए उसी जगह रायसिंहनगर में देश की आजादी के लिए बीरबल मोची सबसे पहले शहीद हुआ था, लेकिन वह रियासत का जमाना था और सादुलसिंहजी राजा थे तो उन्होंने स्पेशल पुलिस भेजकर फायरिंग किया और वहीं पर 101 आन्दोलनकारियों की सूची तैयार की थी जिन्होंने अपने हाथ काट कर खून से हस्ताक्षर किये थे इस झण्डे को हम रायसिंहनगर की तहसील पर लगायेंगे। तो सबसे पहले वह आगे गया और शहीद हो गया। उसके बाद में उसकी घरवाली आगे आई और उसने झण्डा पकड़ा। तो क्या उस बीरबल शहीद के परिवार के लिए कुछ किया आपने? नहीं किया। यह आपके बस की बात नहीं है।

माननीय चेयरमेन महोदया, आज उस इलाके में बहुत बड़ी समस्याओं को लेकर और देश की बेरोजगारी को लेकर इन्कलाब का नारा उठाया तो उसी जगह से शुरूआत हुई है। वहां पर कितने खून हुए हैं, कितने हरिजनों को मारा गया है और कांग्रेस की मौजूदा सरकार में...

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

....उनके परिवारों के लिए कुछ सोचा है? आप कुछ नहीं सोच सकते हैं। यह सरकार पूंजीपतियों की दलाल है और उनके एजेंन्ट के रूप में काम कर रही है उसके द्वारा पिछड़े हुए लोगों को उठाने का सवाल ही नहीं आता है।

मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि 10 साल की व्यवस्था भारत सरकार और राजस्थान इसमें करने जा रही है तो इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि अगर सरकार हरिजनों को ऊंचा उठाना चाहती है, उनका आर्थिक विकास करना चाहती है तो आज राजस्थान की असेम्बली में जितने जी पिछड़े हुए वर्ग के सदस्य हैं उनका एक बोर्ड बनाना चाहिए राजस्थान लेवल पर। उनके हाथ में यह पावर देना चाहिए कि आप इस समाज के हित में सोचें, इस समाज को ऊंचा उठाने के लिए, आपका विकास करने के लिए आपके दिमाग में क्या योजना है वह बताएं। ऐसा एक राजस्थान का बोर्ड बनना चाहिए। उसके बाद में जिला लेवल पर और तहसील लेवल पर ऐसा बोर्ड बनना चाहिये ताकि इस समाज के जो जन-प्रतिनिधि हैं वे उसके लिए कुछ कर सकें। नहीं तो, चेयरमैन महोदया, हम चाहे, एम० पी० हो जायं और एम० एल० ए० हो जायं हम किसी दूसरे के गुलाम बनकर बैठ जायेंगे और हमारे समाज के बारे में कुछ नहीं सोच सकेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसा क्यों सोचते हैं?

पंचायत में सरकार द्वारा हरिजनों को रिजर्वेशन दिया है। चेयरमैन महोदया, ग्राम पंचायत में उसी हरिजन का काप्शन किया जाता है जो सरपंच के घर पर झाड़ू देता है, उसके घर की सफाई करता है, ऐसे लोगों को उस ग्राम पंचायत में मेम्बर बनाते हैं। उसके बाद आता है तहसील पंचायत के काप्शन का सवाल। चेयरमैन महोदया, यही हाल उस काप्शन में है। तहसील भर के सरपंच इकट्ठे होकर सोचते हैं कि ऐसे हरिजन को काप्शन में लेना है जो खुद अपने समाज के प्रति कुछ सोच नहीं सके और गुलाम बन कर बैठा रहे। वहां भी ऐसे व्यक्ति को काप्शन में लेते हैं। इसी तरह से हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस है, जब उसमें टिकट देने का सवाल आता है तो ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो देश की गुलामी में तो शरीक हुए लेकिन देश की प्रगति और देश की आजादी में शरीक नहीं हुए। आप नाराज मत होना। जिस तरह से आप सोचते हैं, उसी तरह से जब बचपन में हम मीटिंग करते थे तो उस वक्त जो राजा-महाराजा या जागीरदार होते थे, वह जहां हमारी मीटिंग चल रही होती वहां पर कमर पर तलवार बांधे आते और मीटिंग में बैठ कर सुनते, कुछ जो दारू पीये हुए होते वह लोग भड़कते भी थे। मैं सोचता हूं कि आपके चेहरे उन राजा-महाराजा और जागीरदारों के लोगों से मिलते जुलते चेहरे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपके चेहरे में फर्क है?

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : आप में ऐसे भी चेहरे हैं जो चेहरे देश और समाज

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
के बारे में सोचने वाले हैं और जिनके चेहरे और आत्मा में टीस है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अगर नाम लूं तो आप में आपस में गडगड़ हो सकती है......

श्री रामचन्द्र आर्य : यह है गिरधारी-लालजी ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया: मेरा यह सुझाव है। मैं इस पर ज्यादा नहीं कह कर इस तेइसवें संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले दस साल में समाज की प्रगति हो सकती है, आर्थिक विकास हो सकता है। यह कह कर म अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : समय काफी हो चुका है। अब मंत्री महोदय उत्तर देने को खड़े हो जायं ।

श्री किशनलाल : मेरा भी नाम था।

श्रीमती सभानेत्री : मेरे सामने लम्बी सूची पड़ी है। समय को आप देखियेगा, पांच बजने वाले हैं। बेहतर है कि अब उत्तर दे दिया जाय ।

श्री बिरदाराम : मुझे भी बोलना है।

श्री मूलचन्द डागा: बिरदारामजी को टाइम दे दिया जाय। यह बात गड़बड़ है।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज ?

श्री मूलचन्द डागा : तीन मिनिट का टाइम इनको दे दीजिये ।

डॉ० गंगासहाय : जिन लोगों को टाइम नहीं दिया है उन लोगों को टाइम दे दिया जाय ।

श्रीमती सभानेत्री : आप लोग सहयोग दीजिये। माननीय सदस्य ! आप सुनियेगा। अगर आप लोग सहयोग दें तो मैं तीन तीन, चार चार मिनिट का सभी को टाइम दे सकती हूं। लम्बा भाषण देंगे तो लम्बी सूची है, सबको समय नहीं दिया जा सकेगा ।

श्री मूलचन्द डागा : तीन तीन, चार चार मिनिट दे दीजिये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तीन मिनिट में तो सिर्फ इन्ट्रोडक्शन होगा।

श्री मूलचन्द डागा : इन्ट्रोडक्शन नहीं होगा, सारी बातें कह दी जायेंगी । मैंने चार मिनिट के लिए मांग की थी ।

श्रीमती सभानेत्री : मैं पांच पांच मिनिट का समय देती हूं। आप सहयोग दें। मैं चार मिनिट पर घंटी बजा दूंगी ।

श्री लालूराम सुलानिया: सभानेत्रीजी, सदन के सामने—..

श्री बिरदाराम : म निवेदन करता हूं.....

श्री लालूराम सुलानिया : परिगणित जाति और परिगणित जन-जाति.....

श्रीमती सभानेत्री : एक एक माननीय सदस्य बोलें। दोनों एक साथ नहीं बोलें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : दो का एक साथ नाम पुकारें, एक इधर से और एक इधर से ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य श्री बिरदारामजी बोलेंगे । आप बोलिये ।

श्री बिरदाराम (जालोर-सु०) : हमारा निवेदन है कि शिड्यूल कास्ट्स और आदिवासियों के वास्ते जो सरकार ने दस साल की मियाद बढ़ाई है उसके वास्ते हमारा समर्थन है । हमारी जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार उससे हम लोगों को जो सहायता मिलती है उससे हमारा जरूर सुधार हुआ है । यह नहीं कि सुधार नहीं हुआ हो । हमारे लोगों में से काफी पढ़े-लिखे हुए हैं, कुछ के मकान भी हैं । लेकिन देहाती इलाके में गांवों में जाकर देखते हैं तो देहाती इलाके में गांवों में वही पहले वाली झोंपड़ी है, वही चाल-चलन है, वही रहन सहन है । देहातों में रहने वाले लोगों की हालत में फर्क नहीं पड़ा है । मेरा निवेदन है कि जो शिड्यूल कास्ट्स, पिछड़ी हुई जाति और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, इनके वास्ते मैं निवेदन करूं कि एक ऐसी कमेटी मुकर्रर की जाय । वैसी कमेटी हर जिलेवाइज और तहसीलवाइज हो । वह कमेटी हमारे लोगों के वास्ते मुकर्रर की जाय जो यह देखे कि कौन लोग बेकार हैं, बेकारी किन में बढी है और जो आदमी बेकार बैठे हैं, जो मजदूर नहीं हैं उनके वास्ते नौकरियाँ दी जानी चाहिए सरकार के द्वारा । उनको उद्योग में, इन्डस्ट्री में लगाना चाहिए । जो नौकरियों में सरकार ने साढ़े बारह प्रतिशत रखा था और जिसको मुख्य मन्त्रीजी ने अट्ठाइस प्रतिशत किया है तो वह अट्ठाईस प्रतिशत का रिजर्वेशन उद्योग धन्धे में भी मिलना चाहिए, यह मेरा निवेदन है । इसके अलावा जो बिजली मिलती है, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को, जितनी बिजली दूसरे लोगों को मिलती है उतनी नहीं मिलती है । इसलिए उसमें भी......

(4.55 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

साढ़े बारह प्रतिशत, अट्ठाइस प्रतिशत बिजली शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को मिलनी चाहिए । इसके अलावा जो लोन मिलता है, ट्रैक्टर के लिए वह शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के वास्ते नहीं मिलता है । मेरा निवेदन है कि शिड्यूल कास्ट्स के लोगों को ट्रैक्टर मिलने चाहिए क्योंकि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग गरीब हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है जमीन है । जब उनके पास साधन नहीं है तो साधन के बगैर वह खेती कैसे कर सकते हैं । जमीन के लिए भी मेरा निवेदन है कि जमीन के शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को एलॉट होना मुश्किल होता है । वह लोग गरीब हैं, फिर भी उनको जमीन एलॉट नहीं हो सकती और एलॉट भी होती है तो कब्जा दूसरे लोगों का होता है और काश्त दूसरे लोग ही करते हैं । उसको काश्त करने के वास्ते कोई जमीन नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार की तरफ से इन सब बातों को देखने के लिए एक कमेटी नियुक्त की जाय....

श्री मूलचन्द डागा : आप तो एक चिट्ठी लिख कर दे दो ।

Page No 128

श्री बिरखाराम : पढ़ाई के वास्ते में अर्ज करूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के जो लड़के पढ़ते हैं और उनका फर्स्ट डिवीजन आता है तो उनको फर्स्ट डिवीजन का इनाम नहीं मिलता है। उनको कहा जाता है कि तुमको छात्रवृत्ति मिलती है इसलिए इनाम नहीं ले सकते। शिड्यूल्ड कास्ट्स के होने की वजह से उनको छात्रवृत्ति मिलती है और वह फर्स्ट डिवीजन लाते हैं तो उनको इनाम क्यों नहीं मिले? इससे उनको उत्साह नहीं मिलता है। इसलिए उनको छात्रवृत्ति भी मिले और इनाम भी मिले—दोनों ही मिलने चाहिएं। दोनों नहीं मिलें यह सरासर अन्याय है।

इसके साथ ही शिड्यूल्ड कास्ट्स के वास्ते अलग कॉलोनी है, हरिजन बस्ती है लेकिन दूसरी कॉलोनी बसी है उनमें हरिजनों के लिए कितने प्लॉट मिले हैं, कितने उनके मकान हैं? उनमें उनका मकान नहीं है, प्लॉट पर कब्जा नहीं है। हरिजन कॉलोनी में उनको एक छोटा सा मकान दे दिया है, जिसमें खुद को रहना है, सामान रखना है लेकिन उसके लिए जगह नहीं है। दो चारपाई आ सकती है, चार नहीं आ सकती। मैं निवेदन करता हूं कि जो दूसरी कॉलोनी बसती है उनमें शिड्यूल कास्ट्स के वास्ते साढ़े बारह प्रतिशत, अट्ठाइस प्रतिशत प्लाट मिलना जरूरी है। कर्जा भी उनको इसी हिसाब से मिलना जरूरी है। इससे उनका सुधार हो सकता है।

होस्टल जो है, सार्वजनिक होस्टल अलग है और न्यारा होस्टल शिड्यूल्ड कास्ट्स के वास्ते बनाते हैं तो उससे शिड्यूल्ड कास्ट्स के लड़कों पर अच्छा असर नहीं पड़ सकता है। अगर दूसरे लड़कों के साथ उठते बैठते हैं, तो जो उनका दिल खुलता है उन पर अच्छा असर होता है। इसलिये सार्वजनिक होस्टल में उनको रखना चाहिये, इससे अच्छा वातावरण बनता है। यह सरकार से निवेदन करके आशा करता हूं कि सरकार जरूर करेगी। यह कहें कि सरकार नहीं करेगी क्योंकि मैं पार्टी का हूं यह सही नहीं है। मुझे आशा है कि सरकार जरूर करेगी..

श्री नत्थीसिंह : तीन पर्सेन्ट सरकार में जगह मिली है जबकि अट्ठाइस पर्सेन्ट किया है।

श्री मूलचन्द डागा : यह भी कांग्रेस ने किया है। यह कांग्रेस का ही शासन है जिसने किया है।

श्री बिरखाराम : यह भी मैं निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के राज्य में कुछ हुआ है। लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के साथ अब भी भेदभाव का वातावरण चल रहा है। सरकार कहती है कि भेदभाव नहीं हो, लेकिन फिर भी भेदभाव है। मैं निवेदन करता हूं कि अगर होटल में जायं तो किसी को तो चाय कप में दे देते हैं और किसी को गिलास में देते हैं। वैसे इसके लिए, भेदभाव मिटाने के लिए सरकार का कानून है, उसके वास्ते सरकार के नियम बनाये गये हैं लेकिन नियम बन जाने के बाद भी भेदभाव होता है। अगर कोई केस बनाते हैं तो उल्टा केस उसी पर जाकर पड़ता है क्योंकि गवाह नहीं होते हैं, गवाह बिक जाते हैं और इस कारण 182 का केस उल्टा उसके ऊपर चलाया जाता है। एक तो भेदभाव बरता जाता

Page No 129

(श्री बिरदाराम)

है दूसरे उसके ऊपर 182 का केस कई जगह चलाया जाता है। इसलिए इस सरकार को सोचना चाहिए कि जो नियम बनाये हैं सरकार ने, या कानून बनाया है उसका पूरा पालन होना चाहिये, उसको अमल में लाना चाहिये। नहीं अमल में आये तो कानून नहीं बनाना चाहिये। इसको सरकार देखें। इसके अलावा जो जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के साथ अन्याय हुए हैं उनकी ओर भी देखना चाहिए। हमारे मेहतर लोगों को कहते हैं, नीच हैं....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय आधा घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री बिरदाराम : वह लोग टट्टी साफ करते हैं दूसरे भी अपने बाल-बच्चे होते हैं जो बूढ़े होते हैं उनकी टट्टी खुद साफ करते हैं, कोई बाहर का आकर नहीं कर सकता है। मेहतर को सूंघ नहीं आती है इसलिए वह दूसरों की टट्टी साफ करता है। समय वह आने वाला है कि उसके साथ इस तरह से भेदभाव रखने से वह यह काम करना छोड़ दे तो कौन करेगा इस काम को, घर वालों को ही करना पड़ेगा तो उस हालत में घरवालां ने हीज टट्टी उठावणा रो काम करणों पड़ेगा। महतर टट्टी उठा कर कचरा उठा कर बाहर डालते हैं उसके बाद बाहर से कौन उठाता है ?—वही काश्त करने वाले उसे उठा उठा कर अपने खेतों में, अपने मुरब्बों में डालते हैं। महतर के तो हाथ धूल जाते हैं पर किसानों को तो फावड़े से खोद खोद कर उस टट्टी को, उस कचरे को खाद के रूप में खेत में मिलाना पड़ता है उस वक्त उसकी कम्पी उड़ती है, वह उस मैले की कम्पी उड़ उड़ कर उसके मुंह में जाती है उसके सारे शरीर में लगती है, उसके कपड़ों में पड़ती है, पेट में जाती है, फिर भी वह तो शुद्ध और महतर को नीचा समझा जाता है। यह नहीं होना चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो आदमी चमड़े का काम करता है चमड़े का काम करने वाला, बेचने वाला, व्यापार करने वाला वह तो शुद्ध और चमड़े का पकाने वाला, चमड़े को शुद्ध करने वाला अछूत, नीचा उसी चमड़े के नगारे मंदिरों में बजते हैं। तो शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ भेदभाव है, वह ठीक नहीं है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार की तरफ से एक कमेटी ऐसी बनाई जाय, जो भूमिबन्धक बैंकों से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को कर्जा दिलाये। जो भूमि बन्धक बैंकों से कर्जा मिलता है उसमें छः छः, सात सात महीनों तक कर्जा नहीं मिलता है चार सौ, पांच सौ रुपया खर्चा पड़ जाता है और फिर कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से कर्जा मिलता है। तो सरकार को इसके लिए एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिये कि जिसके द्वारा इन लोगों को जल्दी से कर्जा दिलाया जाय। कुए खोदने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए इन लोगों को कर्जा दिया जाय। यह स्कीम है सरकार की, यह कमेटी के जरिये करें तो कामयाबी हो सकती है। इसके लिये जो कमेटी बनायें उसमें शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी लेने चाहियें। नगरपालिका है, कमेटियां बनी हैं, जोधपुर

(श्री बिरदाराम)

वगरह में तो उनमें शिड्यल्ड कास्ट के कितने आदमी लिये ? नहीं लिये उस कमेटी में इनके आदमियों को लेना चाहिये क्योंकि गरीब के दुख को गरीब ही जानेगा, झोंपड़ी वाले के दुख को झोंपड़ी वाला ही जान सकता है, घायल की गति को घायल ही जान सकता है। इन जातियों के आदमियों को कमेटियों में लें तो वे इनके दुख दर्द को दूर कर सकते हैं।

तो यह प्रस्ताव सरकार ने रखा है, उसको हमारा समर्थन है और सरकार को धन्यवाद है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लादूराम सुलानियां।

श्री लादूराम सुलानियां (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज भारत के संविधान का 23वां संशोधन जो दोनों सदनों ने पास कर दिया है, उस पर हमारे यहां इस सदन में विचार हो रहा है। मैं आपके द्वारा सदन के सभी गण्य मान्य सदस्य और मन्त्रिमण्डल के सदस्य बैठे हैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हरिजनों के प्रति जिन लोगों की जैसी भावना है, वैसे विचार रखते हैं मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ, दूसरे देश का हमारा देश गुलाम था, उस वक्त हमारे देश के कार्यकर्त्ताओं ने, सेनानियों ने इस बात की मांग की कि हमारा देश आजाद हो जाय, उस आजादी की लड़ाई में हमारे देश में बसे हुए परिगणित जाति के, जनजाति के लोगों ने भी उतना ही हिस्सा लिया जितना कि दूसरी जाति के लोगों ने लिया। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आजादी प्राप्त करने के बाद, देश का विभाजन होने के बाद, जब देश का संविधान बना तो यह निर्णय लिया गया कि हमारे देश के परिगणित जाति के, अनुसूचित जाति के लोगों को हम संरक्षण देंगे और उनको सबके बराबर लायेंगे। इस प्रकार का संविधान की धारा 42 और 48 में भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर अम्बेदकर ने अंकित की है। उसके अनुसार हमारे ऐसे पिछड़े हुए लोगों को सुविधाएं मिली हैं, उसमें यह रखा था कि ये लोग 10 साल में सम्हल कर समाज में बराबर आ जायेंगे और इसी भावना से, शुरू से इसी आधार पर, सारे देश म और राजस्थान में छुआछूत कानून बनाया गया, और ज्यादा सुविधा देने की बात पैदा हुई। आज लोग कहते हैं कि सरकार हमें पैसा नहीं दे पाई, हमको जमीन नहीं दी, हमको मकान नहीं दिये और ये सारी हमारी समस्याएं हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जितनी भी सुविधाएं हैं, हमारे लोगों के लिये जो रिजर्वेशन रखा है उसका मूल अर्थ है उपाध्यक्ष महोदय, उस मूल अर्थ को सारे के सारे राज्य को चलानेवाले जो उधर बैठे हैं और हम जो राज्य को चेतना देनेवाले विरोधी दल के हैं, उन दोनों के बीच में इस बात का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाये कि असलियत क्या है और हम क्या चाहते हैं ? आप देना क्या चाहते हैं और हम लेना क्या चाहते हैं। मैं इसके बारे में, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर जो हमको अधिकार मिलने

(श्री लादूराम सुलानियां)

चाहियें वे भारत की आजादी के साथ मिल ही गये। उसमें तो सरकार और गैर सरकार क्या देगी। हमें जो विशेषाधिकार दिये गये, हम पिछड़ी जाति, जन जाति और बेकवर्ड क्लासेज के लिये जो भी अधिकार कानून के द्वारा हमें मिलने चाहिये थे, जो दिये गये, वे इसलिये दिये गये कि हम दस साल में समाज के दूसरे आदमियों के साथ बराबर आ जायेंगे हमारे लिये जो साढ़े बारह प्रतिशत रिजर्वेशन रखा गया वह इसलिये कि दस साल में हम समाज के दूसरे वर्गों के बराबर आ जायेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, माननीय उपाध्यक्षजी, कि ये जो हमारे मूल अधिकार थे वे तो हमारे जो अधिकारी बने बैठे हैं, और सरकार बना बैठे हैं, उन्होंने दवा लिये और बाकी रह गया रिजर्वेशन। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी मस में 20 आदमी खाना खाते हैं और उन 20 आदमियों में 5 आदमी कमजोर हैं, तो बीस आदमी एक मीटिंग बुलाकर यह तय करते हैं कि हमारे यहां 5 आदमी कमजोर हैं, इनको साल भर के अन्दर शक्तिशाली बनाने के लिये यह करना चाहिये कि इन लोगों को खाने के लिये कुछ ज्यादा देना चाहिये और कुछ पौष्टिक खुराक देनी चाहिये। तो वे यह तय करते हैं कि हमें जो खाना मिलेगा, जो भोजन मिलेगा उसमें से कुछ पौष्टिक फल वगैरा इन पांच आदमियों को ही दिये जायं, अगर हम लोग पाव भर आटा खाते हैं, तो इनको सवा पाव की रोटियां दी जायं, अगर हम लोग छटांक भर घी खाते हैं तो इन पांच जनों को सवा छटांक घी दिया जाय, अगर हम चार फल खाते हैं तो इनको पांच फल खाने को दिये जायं, ताकि ये जो पांच कमजोर आदमी हैं, वे साल भर के अन्दर शक्तिशाली बन जाय, और हमारी बीस आदमियों की ही एक शक्तिशाली टीम बन जाय। इस तरह का प्रबन्ध वे लोग अपनी मेस में करते हैं। तो हमारे भारत के जो नेता थे, उन्होंने इसी सिद्धांत को लेकर हम लोग, जो पिछड़े हुए थे, उनके लिये कुछ विशेषाधिकार रखे ताकि उन अधिकारों के द्वारा हम गरीब लोग जो पीछे रह गये हैं समाज के दूसरे वर्गों से, जो कमजोर रह गये हैं, वे दूसरे वर्गों के बराबर आ सकें। इस सिद्धांत को लेकर यह विशेष अधिकार रखे गये थे।

यह निश्चित भारतीय संविधान के अन्दर किया था लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जहां सबको पाव आटा मिलता था 5 व्यक्तियों को पाव आटा, वह खत्म करके छटांक आटा कर दिया। जो पाव आटा खाने वाला है, उसको छटांक आटा देंगे तो वह कैसे तन्दुरुस्त रह सकता है? उन्हें कह दिया कि भैय्याजी तुम्हारे लिए रिजर्वेशन हो गया है, यह खाओ, आप खाओ एक छटांक घी और हमारी जाति अपने रिजर्वेशन के नाम पर एक पैसे का घी, तो क्या एक छटांक आटा खाकर कोई जिंदा रह सकता है? मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारे मूल अधिकारों को छीन लिया। आज मंत्रिमंडल की बात को लीजिए। आज कहते हैं कि विधान सभा में आपका रिजर्वेशन है। कहते हैं 31 सीटें हरिजनों को दी हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की अलग हैं।

(श्री लादूराम सुलानियां)
मंत्री मंडल में प्रतिनिधित्व करने के लिए मंत्री रखे हैं, ठीक है, आप कहते हैं जनसंख्या के आधार पर हमारे एम० एल० एज० में से जो मिनिस्टर्स बने हैं, वह 20 साल के अन्दर कहां गए ? रिजर्वेशन कहां गया ? सारे के सारे खा गए ? मूल अधिकार खा गए ? रहा क्या ? हमारे लिए रिजर्वेशन ? एक तिलक निकाल दिया। इससे समाज जिंदा नहीं रह सकता। हम सन्तुष्ट नहीं हो सकते। आज हम मुख्य मंत्री व जोशीजी पर जोश लगाते हैं। कहते हैं समाज कल्याण मंत्री हो, अधिकार दो। अधिकार क्या हैं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप दो रोटी खाते हैं और हमको चौथा टुकड़ा देते हो। दो रोटी आप हजम करते हो, यह जनतंत्र प्रणाली नहीं है। इसको आप समाजवाद कहना चाहते हैं ? आप कहते हैं कि जमीन मुफ्त देते हैं ? कौनसे गांव म जमीन मुफ्त दी ? आप राजस्थान म इस बात का पता लगायें कि जितनी फोरेस्ट के बीड़ हैं, सवर्ण और हरिजन नेता मिलकर हरिजनों को चूसते ह। कहते हैं कि यह बीड़ तुड़वादी, इतने रुपये लाकर मुख्य मंत्री को थैला भट करेंगे, जोशीजी के गले में नोटों की माला पहनायेंगे। कितने बीड़ दिए ? इन बीड़ों के नाम पर कितनी मालायें आपने पहनीं ? आपन कभी विचार नहीं किया। कितने मकान, कितनी बस्तियां व कुएं अलग बनाए ? हम खुशी के साथ आपकी बात का समर्थन करते हैं लेकिन आप रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं, मूल अधिकार.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मैं डिबेट में कम भाग लेता हूं, दो तीन मिनिट ज्यादा बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष: इसलिए आपके दल के माननीय सदस्यों से कहा था कि समय का ध्यान रखें उन्होंने रखा नहीं, समय का पूरा ही उपयोग कर लिया फिर भी आपको छूट थी इसलिए.......

श्री लादूराम सुलानियां: बहुत ध्यान रखा, अधिक समय नहीं लूंगा। आज आपने बस्तियों का निर्माण करवाया ? कौनसी बस्तियां हरिजनों की सम्पूर्ण करवाई ? कौनसे कुएं सम्पूर्ण करवाए ? कौनसे छात्रावास संपूर्ण करवाये ? आपने जमीन अलॉट की, कौनसे हरिजनों को जमीन दे दी ? जमीनें ली होंगी तो आप लोगों ने, मंत्रिमंडल के लोगों ने फार्म बनाये होंगे, कांग्रेस दल के हारे हुए नेताओं ने, उनको फार्म दिये होंगे, धर्मशाला सड़क पर मिल जाये तो उस पर कब्जा करते हैं, किस गांव में हरिजनों को, या बांदीकुई की मिसाल दूं, मेरे गांव में भूमिहीन हरिजनों को नहीं दी। लालसोट व दौसा में एस० डी० एम० ने कहा कि हरिजन के पास हल-बैल नहीं हैं इसलिए जमानत कैंसिल की जाय। खैर उनके खिलाफ में कुछ नहीं कहना चाहता। विशेष अधिकार हरिजनों को मिले हैं, आपने 20 साल में क्या पूरा किया ? अब आप और 10 सालों में क्या करना चाहते हैं ? आप गारंटी दें 10 साल के अन्दर यह करेंगे और नहीं करेंगे तो हम यह सजा भोगेंगे, तो इस बात का फैसला हो सकता है, विश्वास हो सकता है। इस बात का आप हमें आश्वासन दें। पिछले विश्वासों को आप खा गए।

(श्री लादूराम सुलानियां)

राजस्थान के मुख्य मंत्री क्या विश्वास देना चाहते हैं ? हरिजनों के साथ कितना अत्याचार होता है; खुली हत्या होती है, हरिजनों को काट देते हैं, क्या आपने हत्यारों को बरामद किया ? क्या हरिजनों को किसी गांव में मंदिर में जाने देते हैं, कुओं पर जाने देते हैं ? होटलों में जाने देते हैं ? आप समाज कल्याण विभाग का माल खाने के लिए हरिजन मिनिस्टर बन गए हमने कई आरोप लगाए सदन में, किसी आरोप का जवाब दिया ? कांग्रेस दल के माननीय सदस्य आपको कहते हैं कि सरकार में ये कमियां हैं, सरकार सुनती है ? मैं उन महानुभावों से प्रार्थना करूंगा कि जिनको मालूम है कि सरकार में गल्तियां हैं, सरकार कमजोर है, उनको सरकार से त्यागपत्र देना चाहिए। मैं नहीं कहता कि कौनसे दल में जायं; अलग दल बनालें लेकिन ऐसी निकम्मी सरकार जिन्होंने हरिजनों के साथ आज तक साथ नहीं दिया, हरिजनों का प्रतिनिधित्व करने बैठे हैं, उनको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हम ऐसी सरकार के साथ नहीं रहेंगे। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी सरकार सब कुछ करेगी। आपकी सरकार डमडमी बजायेगी, सांप निकालेगी, बिच्छू निकालेगी, क्या करेगी ? 20 साल में क्या दिया ? भीखाभाई उठकर पधार गए!....

श्री उपाध्यक्ष : वह सदन में हैं।

श्री लादूराम सुलानियां : खड़े होकर बोलें। 5-6 साल से फाइल पड़े हैं कि हरिजन विधायकों को प्लाट्स देंगे जयपुर में, आज तक दिया ? क्या आश्वासन देते हो ?

श्री भीखाभाई : नियमों में प्रावधान कर दिया। पहले तो प्रावधान भी नहीं था। 1967 के अंदर जब राष्ट्रपति शासन आया उस बीच में शिड्यूल्ड कास्ट्स को जो प्राथमिकता थी, वह हटा दी थी, उसको रेस्टोर किया। 15 प्रतिशत रिजर्वेशन कर दिया।

श्री लादूराम सुलानियां : आपको हरिजन विधायकों को गांधी शताब्दी वर्ष में अलग देना चाहिए। आप एश्योरेन्स दें।

श्री भीखाभाई : अगर सब लोग एक होवें तो जिस प्रकार भारत सरकार ने दिल्ली में डी० डी० ए० योजना बनाई है, जिसमें एम० पीज० को प्लाट्स देने की बात है, उसी प्रकार का प्रावधान राजस्थान में भी किया जा सकता है और कोई कठिनाई नहीं हो सकती बशर्ते एक प्रकार की नीति निर्धारित करने का प्रश्न है, चिंतन किया जाय तो हो सकता है।

श्री लादूराम सुलानियां : लेकिन मंत्री महोदय को मालूम होना चाहिए कि सारे विधायक एक नहीं हैं ? अगर सारे सदन के विधायक एक नहीं होते तो सदन में कैसे बैठते हैं ? सदन में जितने विधायक बैठते हैं उनको आपको एक ही नजर से देखना चाहिए। दूसरों को कानी आंख से न देखें। आप मंत्रिमंडल की कुर्सी पर बैठे हैं; मंत्रिमंडल किसी पार्टी का है जरूर लेकिन उनके लिए दो करोड़ लोग बराबर हैं। हम सब एक हैं।....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट।

Page No 134

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वादविवाद के समय आप यह चर्चा कर सकते हैं। इस समय संविधान में संशोधन का प्रश्न विचाराधीन है, आप विषयांतर हो रहे हैं, समय काफी हो गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप भाषण समाप्त करें।

श्री लादूराम तुलानियां : उपाध्यक्ष, मैं विषयांतर नहीं था। हरिजनों की बात थी। हम चाहते हैं कि इन 10 सालों में राजस्थान का मंत्रिमंडल, मुख्य मंत्री, क्या आश्वासन देना चाहते हैं। इस आश्वासन के साथ आपको सारी कमियां एक साल दो साल में पूरी करना चाहते हैं या नहीं। रिजर्वेशन बढ़ाया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कई लोग यह भी कह देते हैं कि कांग्रेस को हरिजनों और आदिवासियों से ज्यादा वोट मिलते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी तब भी हम लोगों को फायदा मिलेगा। आप एश्योरेन्स क्या देते हैं? हमारे मूल अधिकारों को भी आप खा गये, उनको तो उगलिये और विशेष अधिकार देना चाहते हैं वह दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासहायजी।

श्री गंगासहाय (कठूमर-मु०)**:** उपाध्यक्ष महोदय....

एक माननीय सदस्य : मेरा अभी तक आपने नाम ही नहीं लिया। शायद आप मेरा नाम भूल गये हैं।

श्री गंगासहाय : शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये संरक्षण की अवधि बढ़ाई जा रही है उसका तो मैं स्वागत करता हूं। यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बीस वर्ष इस देश में कांग्रेस का शासन रहा है, इन बीस वर्षों के बाद भी हरिजन और आदिवासियों को राजनैतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ा नहीं किया जा सका। ऐसा क्यों हुआ? आगे आने वाले वर्षों में भी यह शासन हरिजनों को और आदिवासियों को अपने पैरों पर खड़ा कर दे मुझे तो कम से कम इस शासन से कतई उम्मीद नहीं है। परन्तु मैं यह निवेदन करूंगा कि यह दोष केवल कांग्रेस का ही नहीं है। विधान सभा में बैठने वाले सब ही हरिजन और आदिवासी सदस्यों का भी दोष है चाहे वह विरोधी पक्ष के हों या शासक पक्ष के। सब ही प्रतिनिधियों का यह कर्तव्य था कि हरिजनों को आदिवासियों को आर्थिक और सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये जोर दिया जाता तो आज दस वर्ष के लिये और संरक्षण बढ़ाने की आवश्यकता और नौबत ही नहीं आती। बीस वर्ष गुजर गये, दस वर्ष और आंख मीचते निकल जावेंगे। उन लोगों को अपना कर्तव्य समझना चाहिये कि कम से कम गांधी शताब्दी वर्ष में यह प्रतिज्ञा करें कि जब तक हम अपने समाज को संगठित नहीं कर पायेंगे और उनकी आर्थिक हालत, सामाजिक हालत और राजनैतिक हालत को नहीं सुधार पायेंगे उनको उस दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ा न कर लेंगे तब तक दम नहीं लेंगे वरना हम अपने देश, जाति और समाज को दिये गये वचनों के प्रति झूठे साबित होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, 1969 का वर्ष घोषणाओं का वर्ष रहा है। केन्द्रीय

(श्री गंगासहाय)

सरकार ने विशेष कर कांग्रेस ने कई घोषणायें की हैं। आज कांग्रेस तीन टुकड़ों में बंट गई है—इन्डीकेट, सिन्डीकेट और डुप्लीकेट। कांग्रेस की केन्द्रीय सरकार ने अलग अलग घोषणायें कीं। राजस्थान सरकार भी पीछे रहने वाली नहीं थी। गत सत्र में सुखाड़ियाजी ने यह घोषणा की थी राजस्थान में 12½ परसेन्ट रिजर्वेशन के बजाय 28 परसेन्ट को स्थान देंगे। दूसरी घोषणा यह की कि गांधी शताब्दी वर्ष है जिनके पास जमीन नहीं है उन हरिजन और आदिवासियों को जमीन दी जावेगी। यह केवल राजनैतिक स्टन्ट था। एक घोषणा थी। पंचायतों के चुनाव आ रहे थे। हरिजन और आदिवासियों को केवल गुमराह करने के लिये यह साजिश की गयी थी और उसके लिये यह घोषणा। इसलिये मैं शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विधायकों से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस सरकार से उम्मीद मत करो। ये जो आपको हमको आश्वासन दे रहे हैं। वे अपनी कुर्सी को बचाने के लिये दे रहे हैं और अपने हित साधन के लिये दे रहे हैं। इनको शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स से कोई लेना देना नहीं है केवल अपनी कुर्सी बनाये रखने के लिये इनके साथ यह धोखा है। विरोधी दल के लोगों ने सन् 1967 में यह साबित कर दिया। हरिजन और आदिवासी लोग जनता में अपनी जगह बनाने जा रहे थे उस समय यह नारा था कि कांग्रेस को ठोकर मारो और वास्तव में अधिक जीत कर भी आये। यह बात सुखाड़ियाजी को कब सहन होने वाली थी। उनको यह भय था कि यदि हरिजन और आदिवासी जनता में घुल मिल जावेंगे तो फिर मेरी सरकार के पाये गिर पड़ेंगे। उन्होंने षड़यंत्र रचा कि उन लोगों को खरीद लेना चाहिये। वे धोखे में आगये प्रतिनिधि लोग और उन्होंने सुखाड़ियाजी को अपने आपको बेच दिया सुखाड़ियाजी बीस वर्ष से जब से शासन में आये हैं मैं निरन्तर उनको देखता रहा हूं और उनकी जांच करता रहा हूं और मैंने यह पाया है कि हमारे को केवल अपने मतलब और कुर्सी के लिये ही साथ रखते हैं और उन्होंने हरिजनों और आदिवासियों को हमेशा नीचे ही गिराया है अपने शासन में उनको बढ़ाया कभी नहीं। उन लोगों का उत्थान और जनता में घुल मिलना उनको अच्छा नहीं लगता और उसी कारण से उन्होंने षड़यन्त्र रच कर उन लोगों को खरीद लिया और उनका नैतिक चरित्र गिराया। सुखाड़ियाजी गांधीजी के चेले हैं यह कहते हैं गांधी शताब्दी वर्ष में उन्होंने यह घोषणा की। हरिजनों और आदिवासियों को एक लाख एकड़ भूमि देना चाहते हैं। 90 हजार एप्लीकेशन्स पहुंच चुकी हैं लेकिन आज तक डिस्पोजल नहीं हुआ। हर एक जिले में आज तक कलेक्टरों को भी मालूम नहीं है कि कितनी भूमि हरिजनों और आदिवासियों को गांधी शताब्दी वर्ष में अलाट करेंगे। यदि सुखाड़ियाजी सच्चे माने में हरिजनों और आदिवासियों का उत्थान चाहते हैं और उनको समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कराना चाहते हैं तो सीलिंग कानून आज से दस वर्ष पूर्व पास किया था उस कानून को उसी दिन से जिस दिन वह पास हुआ था, उसी तारीख से उसको लागू करिये, उसको उसी तारीख से रिट्रास्पेक्टिव

(श्री गंगासहाय)

इफेक्ट दिया जाय और जितनी जमीन पर कब्जा हुआ है उसको अवैध करार दिया जाय और हरिजनों और आदिवासियों को उनका कब्जा दिया जाय ।

हरिजनों और आदिवासियों को जमीन अलाट की गयी लेकिन आज तक उनका उस जमीन का कब्जा नहीं दिलाया गया। सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। लोगों ने जबरदस्ती से हरिजनों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है लेकिन उनका डिस्पोजल नहीं किया। इस वर्ष में कर दिया जाना चाहिये ।

तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि हरिजनों की जमीन का बेचान हो रहा है, धड़ाधड़ रजिस्टरियां हो रही हैं। पटवारी और कानूनगो दो मिल कर उनकी जमीनों को दूसरों को बेच रहे हैं। षड़यंत्र करते हैं, पैसा लेते हैं और सैटलमेंट की परचियों के सुधार के सम्बन्ध में दावा करते हैं तो वे अपने पक्ष में करा लेते हैं और हरिजनों को उससे वंचित कर देते हैं। हरिजनों के पास आवश्यक जीवन निर्वाह के योग्य जमीन हो, उससे अतिरिक्त हो तो वे बेचें। उसके पास इतनी जमीन तो बचे कि वह अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकें ।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा नौकरियों के संबन्ध में। सरकार ने 28 परसेन्ट की घोषणा कर दी। जब तक समाज कल्याण मंत्री हर विभाग से पता न लगालें कि किस किस विभाग में आज तक 12½ प्रतिशत के कोटे के हिसाब से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जगह दी है तब तक यह 28 परसेन्ट की घोषणा भी केवल घोषणा मात्र है और एक ढोंग है ।

इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हरिजनों को सचमुच उठाना चाहते हैं तो कुटीर उद्योगों को स्थान देना चाहिये और इसके लिये एक योजना बनानी होगी। लोन पहले दिया जाता था वह उद्योग विभाग ने देना बन्द कर दिया है। ग्रामोद्योग की नयी टेक्निक देकर, नये तरीके का शिक्षण देकर कोओपरेटिव बेसिस पर लोन देकर उनको पैरों पर खड़ा करें...

श्री उपाध्यक्ष : ओर्डर प्लीज ।

सदन की अनुमति से बैठक का समय आध घंटा और बढ़ाया जाता है ।

श्री गंगासहाय : जब तक हरिजन आदिवासी अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, स्वलम्बी नहीं बनगे, समाज में सम्मानित स्थान ग्रहण नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार म निवेदन करना चाहूंगा सुखाड़ियाजी रिहेबीलिटेट करने में काफी होशियार हैं। जिन एम० एल० एज० को जनता ने ठुकरा दिया है उनकी भरण पोषण की उन्होंने व्यवस्था कर दी है। किसी को किसी का चयरमैन किसी कोकोरपोरेशन का का चेयरमैन बना दिया जब इसके लिय हम कहते हैं कि इसमें शिडयूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने लोगों को लिया है जवाब मांगते हैं। तो कहा जाता है कि एक को भी नहीं। ये जो उनके इस प्रकार के हथकण्डे हैं इस गांधी शताब्दी वर्ष में इससे बढ़कर और लज्जा की बात और नहीं हो सकती ।

(श्री गंगासहाय)

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अनुसूचित जाति एवं जन-जाति आयुक्त की जो रिपोर्ट 1965-66 की है उसके पेज 112 पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस कास्ट के कितने लड़के पढ़ने लगे हैं बीकानेर में 100 के पीछे 15, चूरू में 25, गंगानगर में 30 इस प्रकार से ये बच्चे पढ़ते जाते हैं। शहरों में यह प्रतिशत है तो आप इससे यह अन्दाज लगा सकते हैं कि गांवों में इसका प्रतिशत क्या होगा? जब तक हम इनको अच्छी शिक्षा नहीं देंगे ये लोग आगे नहीं बढ पायेंगे न हम लोगों में जागृति ही आ सकती है।

अब मैं समाज कल्याण विभाग के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं इस विभाग पर अब तक दस करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। जब मैं इस विभाग में था बहुत कम लोग इसमें काम करते थे उनकी संख्या गिनती लायक थी आज इस विभाग में एक हजार से अधिक की फौज इकट्ठी कर रखी है। इस पर सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च होता है इसमें से अधिकतर पैसा टी० ए० और डी० ए० में खर्च हो जाता है। समाज कल्याण विभाग की सर्विस को मैं एक तरह से शहर की गन्दी बस्तियों के समान मानता हूं। मैंने इस समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों को बहुत नजदीक से जाकर देखा है जहां अजमेर के छात्रावास का जिक्र करना चाहता हूं वहां एक एक लड़के के पास एक थाली होती है न कटोरी है न उनको किताबें रखने के लिये, कपड़ा रखने के लिये कोई साधन है, सब अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं। उस छात्रावास के जो पहले सुपरिन्टेन्डेन्ट थे उनके बारे में यहां तक शिकायत थी लड़कों को जो कपड़े दिये गये उनको बदल लिया कम्बलें दी गईं वो उन्होंने बेच खायीं और कम्बल के छोटे छोटे टुकड़े करके लड़कों को दिये, चद्दर जो दी गई वह बेच खायी इस तरह के लोगों को आपने इनके छात्रावास में लगा रखा है। मैंने ये सब चीजें आंखों से देखी हैं मंत्री महोदय जांच करेंगे सब सबूत पेश करूंगा वे कम्बलों के टुकड़े मौजूद हैं। जिस प्रकार का आटा दिया जाता है उसका नमूना मौजूद है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इनके जो अलग अलग छात्रावास के भवन हैं वे खत्म होने चाहियें। उनको कपड़े इस प्रकार के दिये जाते हैं जिसमें वे अपने आपको अन्य छात्रों से हीन भावना का ख्याल करते हैं इसीलिये वे पढ़ने में कमजोर रह जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि समाज कल्याण विभाग पर जो आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं वह बचाकर इनके लिये अन्य जनरल होस्टल्स में इनके लिये व्यवस्था होनी चाहिये उनमें इनके लिये सीटें बढ़ाई जायं। इन लड़कों को जनरल होस्टल में अधिक छात्रवृत्ति देकर रखा जाय इनको टेक्निकल शिक्षा दी जाय तो मैं यह निश्चित मानकर चलता हूं इन आगामी दस वर्षों में ये लोग बड़े बड़े ऊंचे स्थान पर आपको मिलेंगे। अन्यथा यह आपका केवल धोका मात्र है आपको कागजी घोषणाओं का कोई असर नहीं होने वाला है। इतना कहते हुए मैं निवेदत करूंगा मैंने जो बातें रखी हैं सरकार उस पर विचार करेगी और उसके अनुकूल कदम उठायगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनलाल वर्मा।

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति को संरक्षण किये जाने के संबंध में जो विधेयक आया है इसमें दस साल तक और संरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। इसके लिये जो संविधान में 23वां संशोधन किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। वैसे संरक्षण की अवधि बीस साल की थी जो समाप्त हो रही है। इस समय में इन जाति के लोगों की आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिये सरकार ने काफी प्रयत्न किये गये जिसका कुछ फल भी मिला है। फिर भी देखा जाय जो हमारे संविधान का मकसद था सभी जाति के लोगों को समान स्तर पर लाया जाय वह स्थिति अभी तक नहीं आ पायी है। यह मैं मानता हूं कि इनका स्तर ठीक किया गया है लेकिन अभी तक और संरक्षण की जरूरत है इसी वास्ते यह संशोधन आया है, अभी तक जो स्तर संविधान के जरिये प्राप्त होना चाहिए था वह प्राप्त नहीं हुआ इसलिए इस अवधि को बढ़ाया जा रहा है। अगर ईमानदारी से इस वर्ग के लोगों को उठाने के लिये प्रयत्न किये जायं तो मैं समझता हूं इस अवधि को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पिछले दिनों यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ईमानदारी और सच्चाई के साथ यह काम नहीं हुआ। यही कारण है इनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाया। ये लोग अभी तक काफी पिछड़े हुए हैं यह वक्त और इसलिए बढ़ाया गया है कि इनके पिछड़ेपन को दूर किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम इनकी सामाजिक स्थिति की ओर नजर डालते हैं तो समाज में आज भी इनके साथ छूआछूत का बर्ताव किया जाता है। इनके बारे में कागजों पर कार्यवाही अवश्य हुई है लेकिन वास्तव में काम कुछ नहीं हुआ है। इस गांधी जन्म शताब्दी वर्ष में इसके लिये इस प्रकार के कार्यक्रम किये जा सकते थे जो छूआछूत को मिटाने में सहायक होते जैसे शामिल भोजों का आयोजन, मन्दिर प्रवेश आदि ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके कारण इस छुआछूत की समस्या के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा होती। यह खेद की बात है कि इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं किये गये। इस तरह के आयोजन सामाजिक और धार्मिक आयोजनों से लोगों में उत्साह पैदा होता आज भी हम देखते हैं धार्मिक आयोजनों में इन जाति के लोगों को बहुत पीछे स्थान मिलता है इससे इनमें हीन भावना पैदा होती है। यह भी मिटनी चाहिये।

इसके अलावा, हम यह भी चाहते हैं कि जो लोग अपने नाम के आगे जो सरनेम लगाते हैं व्यास, शर्मा, जैन आदि यह नहीं लगाये जाने चाहिएं इससे साफ तौर से हरिजन और अन्य जाति के लोगों में भेद मालम होता है। वास्तविक रूप में अगर हम छूआछूत को मिटाना चाहते हैं तो यह कदम तो तुरन्त उठाया जा सकता है सरनेम कोई भी नहीं लगावे.....

श्री उपाध्यक्ष : इसकी शुरूआत आप अपने नाम से ही करें।

Page No 139

श्री किशनलाल वर्मा : मैं अपने विधान सभा सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि इस चीज को सरनेम नहीं लिखने की प्रथा को अपने से ही शुरू करें । मैं तो इसके लिये तैयार हूं अपने नाम के आगे मैं तो वर्मा लिखता हूं जो किसी जाति का द्योतक नहीं है । मैं इसको भी हटाने को तैयार हूं ।

इसके अलावा मैं यह भी समझता हूं कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के साथ जो व्यवहार किया जाता है वह भी बहुत दुःखद है । अभी कुछ दिनों पहले की बात है नीम का थाना के पास बस में बैठे हुए चार आदमियों को जो इस जाति के थे एक एक करके मार डाला गया । बस में जहां पचास साठ आदमी बैठे हुए थे सुरक्षा दल के लोगों ने उनको एक एक करके बस से उतारते हुए किसी को तलवार से, किसी को लाठी से, किसी को गोली से इस तरह से चार आदमियों को मार डाला यह घटना 20 सितम्बर, 69 की है । वह बस नीम का थाना से खेतड़ी की तरफ जा रही थी । इस प्रकार से इस जाति के लोगों के सरे आम सड़क पर निकाल कर मार डाला गया, यह बात हमारी सरकार के लिये बड़े शर्म की बात है । इसके लिए मैं कहता हूं कि हमारे लोगों पर असर नहीं हुआ । अभी गंगानगर में गोलीकाण्ड हुआ । इसमें निर्दोष आदमी मारे गये । इसी तरह आदिवासी लोग मारे जावें और हमारी सरकार पर असर नहीं होता और इनकी हिफाजत के लिय कोई इन्तजाम किया नहीं जावे और सरकार की लापरवाही के कारण और पुलिस की गैर जिम्मेदारी के कारण वार-दातें हो जावें और आग की कार्यवाही नहीं हो तो यह बड़ी चिन्ता की बात है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसी हत्यारी सरकार का समर्थन काहे को करते हो ? त्यागपत्र देकर अलग हो जाओ ।

श्री किशनलाल वर्मा : मेरे अकेले के त्यागपत्र देन से कुछ नहीं होगा । यह तो वक्त आवेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पाप को बर्दाश्त करने वाला पापी होता है । सरकार पापी है, इस सरकार के पाप को बर्दाश्त करना महा पाप है ।

श्री किशनलाल वर्मा : पाप करने का समर्थन नहीं करता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समर्थन तो कर रहे हो न, फिर और क्या कर रहे हो ?

श्री किशनलाल वर्मा : मैं तो उनकी बातें सदन में रख रहा हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही तो कमजोरी है । अन्तरात्मा का इन्जेक्शन लो आप ।

श्री मूलचन्द डागा : उनके चक्कर में मत बह जाओ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने तो सुखाड़ियाजी को चक्कर में ले लिया ।

श्री किशनलाल वर्मा : उनको बसाये जाने की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है । जगह जगह जहां कहीं बड़े बड़े शहर हैं । यू०आई०टी० काम कर रही है, नगर परिषदें काम कर रही हैं वहां शिड्यूल्ड ट्राइब और शिड्यूल्ड कास्ट को बसाने की तरफ ध्यान नहीं

(श्री किशनलाल वर्मा)

दिया जाता। प्लाटों का कोटा उनको नहीं दिया जाता है। भीखाभाई ने कहा कि 15 प्रतिशत का कोटा रिजर्वेशन रखा हुआ है। पर वास्तव में देखा जावे तो एक प्रतिशत भी उनका पालन नहीं हुआ। आगे होगा इसकी मझे भी उम्मीद नहीं है। सरकार में जो लोग बैठे हैं वे ध्यान नहीं देते। कितनी बार कहा, बताओ पर कोई असर इन पर नहीं होता है और बराबर धांधलीबाजी चलती रहती है। समय गुजारते रहते हैं, और ध्यान नहीं दिया जाता। यह भी शर्म की बात है। लज्जा की बात है। यू० आई० टी० में जितने भी अलॉटमेन्ट प्लॉटों के हैं उनमें धांधली चलती है। भूमि के आवंटन के लिए हमने बताया था कि उसमें शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। इसी प्रकार उनको बसाने के लिये प्लॉटों के आवंटन में भी शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को और ट्राइब्स के लोगों को यू०आई० टी० में प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है ताकि ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ जो उनका कोटा है, हक है, अधिकार है, वह मिल सके। बाकी उनके भरोसे काम छोड़े तो होने वाला नहीं है और वहां पर पार पड़नेवाली नहीं है यह बात निश्चित रूप से है।

दूसरी तरफ यह भी बताऊं कि एक छात्रावास की जमीन के लिये, हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने एक सम्मेलन मे आश्वासन दिया था और पूरी तरह बताया था कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जयपुर में जमीन दे दी जावे। 1½ साल का समय हो गया वैसे तो 15 साल हो गये पर आज तक छात्रावास के लिये जमीन नहीं दी गई है। इसके लिए बार बार लिखता भी रहता हूं पर सुनवाई नहीं होती है। जो भी जमीन दी जाती है पैसे वालों को, धनी लोगों को दी जाती है। जो संस्थाएं पैसे वालों की हैं, धन वालों की है उनको तो घर बैठे ही जमीनें देदी जाती हैं। पर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लियें इनके बच्चों के पढने के लिये छात्रावास के लिये जमीन देने की कोई सुनवाई नहीं होती है। वक्त और टाइम निकाला जाता है और चकमा देकर समय और वक्त निकालते हैं।

श्री लादूराम सुलानियां : आपका मतलब यह है कि पैसे वालों को भाव के बाहर पैसा लेकर देते हैं।

श्री किशनलाल वर्मा : मैंने बताया है कि जो शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रावास के लिए जमीन मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्लॉट में ही राजी हो जावेंगे क्या कैबिनेट में आपका एक भी आदमी नहीं है।

श्री लादूराम सुलानियां : करना क्या है इनको ?

श्री किशनलाल वर्मा : यह तो हमारी सरकार को और नेता के सोचने की बात है। हम ही लोगों ने उनकी सरकार बनाई थी देसे देखा जावे तो। वरना उस वक्त इनकी हालत खराब थी। सरकार बनाने के बाद हमको वे भूल गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हीयर हीयर।

श्री किशनलाल वर्मा : यही बात नहीं, उस वक्त बात भी करते थे। पर अपना

Page No 141

(श्री किशनलाल वर्मा)

मतलब निकलने के बाद आज बात भी नहीं करते, कोई पूछता भी नहीं है। फिर यह भी बताना चाहता हूँ कि यह सरकार बनाने वाले बदल भी सकते हैं इस सरकार को।

(हीयर हीयर की आवाज)

यही शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों के साथ अन्याय चलता रहा, बेईमानी उनके साथ चलती रही, विश्वासघात और धोखा-देही चलती रही तो यह भी बताना चाहता हूँ कि यह सरकार चलने वाली नहीं है।

(हीयर हीयर)

आज वक्त बदल गया है बहुत। ये लोग जो धोखा देकर इस तरह लोगों को बहका कर गलत रास्ते पर ले जाने का काम किया है वह मालूम है और पता है। मैं वह भी बता देना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : के कुछ कहने पर शोरगुल अश्रव्य ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस तरह दबाने की कोशिश मत करो। बोलने दो इनको। पाली मिल का यह मजदूर नहीं है, जिसको आप दबा दोगे।

श्री किशनलाल वर्मा : 28 प्रतिशत सुरक्षित स्थान सर्विसेज में रखने की बात कही है इसका तो मैं स्वागत करता हूं। पर साथ साथ इस पर बैन भी लग गई और इस तरह इसका कोई अर्थ नहीं रह गया। जो कुछ थोड़ा बहुत पहले मिलता था वह भी बन्द हो गया। इसके अलावा शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स का कोटा था वह भी पूरा नहीं होता है और उसकी पूर्ति जनरल कोटा के कर दी जाती हैं और इस प्रकार सर्विसेज में पूरी तरह से रिज़र्वेशन का पालन नहीं किया जाता है। खास तौर से बड़ी ऊंची जगहों पर। पी० एस० सी० में सर्विसेज का सिलेक्शन करती है उसमें भी पूर्णरूप से उसका पालन नहीं होता है। इस कठिनाई को हल करने का एक ही रास्ता है कि पी० एस०सी० में शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के प्रतिनिधि भी होने चाहियें ताकि वे ईमानदारी से सच्चाई से इस नियम का पालन करा सकें।

इसके अलावा, दूसरी जो औथोरिटीज हैं उनमें भी शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के प्रतिनिधि होने चाहियें ताकि नौकरियों में सही कोटा उनको मिल सके।

इसके अलावा, शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिये व्यापार और उद्योग धन्धों की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ऋण भी इनको आज मिलना चाहिये जिससे इनकी माली हालत ठीक हो सके, छोटे मोटे उद्योग धन्धे ये कर सकें।

जमीनें जो अलाट होती हैं वे पहले तो पूरी होती नहीं और जो होती भी हैं तो अच्छी जमीनें नहीं होतीं। गंगानगर जिले में इसी कारण से आन्दोलन हुआ और जिसने इस तरह का रूप लिया। सीलिंग कानून इसके लिये आवश्यक है पास जरूर हो गया है यह पर अच्छी तरह से इसको भी लागू किया जाना चाहिये। जो जमीन पड़ी हुई है वह भूमिहीन किसानों में शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के किसानों में बांटी जावे ताकि उनकी समस्या हल हो सके।

(श्री किशनलाल वर्मा)

इसके अलावा, मेरा यह कहना है कि शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स का शोषण किया जाता है उनके प्रति अन्याय किया जाता है उसको कम किया जावे। समाजवाद को सफल बनाने के लिये खास तौर से ध्यान दिया जावे ताकि समाजवाद सफल हो सके। नहीं तो समाजवाद सफल नहीं होगा।

विधान सभा की एक कमेटी भी बनना जरूरी है ताकि जो कुछ खामी कहीं है उसकी तरफ ध्यान दिलाया जाता रहे।

इसी तरह समाज कल्याण विभाग में हमें प्रतिनिधित्व दिया जावे। मैं स्वयं के लिये बताऊं कि मैं किसी कमेटी में नहीं हूं इसी तरह से बहुत सी बात है जो समाज कल्याण विभाग हमारे ही हित के लिये बनी हुई है उस तक में हमें प्रतिनिधित्व नहीं दियाजाना बड़ी खटकने वाली बात है।

यह जो अवधि बढ़ाने का संशोधन रखा गया है इसका मैं समर्थन करता हूं। और साथ ही यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार ईमानदारी और सच्चाई से हमारी तरफ ध्यान दे। हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को तेजी से सुधारने में योग दे ताकि आगे फिर रिजर्वेशन बढ़ाने की जरूरत ही न रहे। और जो मकसद संविधान की इन धाराओं का है उनको पूरा करने के लिये और शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों की आर्थिक और सामजिक स्थिति को समाज के अन्य अंगों के समान स्तर पर लाने के लिये पूरा प्रयत्न किया जावे ताकि रिजर्वेशन बढ़ाने की आगे जरूरत न रहे, इस दिशा में ईमानदारी से सच्चाई से काम किया जावे इतना ही कह कर मैं इस संशोधन का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगाराम।

श्री डूंगराम राजोरिया (दौसा-सु०): उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में संशोधन का जो संकल्प हमारे सामने प्रस्तुत है जिसमें दस साल के लिये और रिजर्वेशन की बात कही गई है यह लोक सभा और राज्य सभा से पारित होकर यहां हमारे सामने आया है। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं लेकिन इस संकल्प का समर्थन इसलिये नहीं कर पा रहा हूं कि इन कौमों के लिये अगर 10 साल में इनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनैतिक स्थिति सुधारने के बाद और कोई विशेष सहायतें इन कामों के लिये दी जातीं तो इस संकल्प का समर्थन करना उचित था इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस सरकार ने 10 वर्ष का वचन दिया था और जिस वक्त आजादी हासिल की गई थी इन्हीं लोगों के दुःख दर्द को देखते हुये, इन्हीं लोगों के पिछड़ेपन को देखते हुये, इन्हीं लोगों की मुसीबतों को देखते हुये ध्यान में रखते हुये जो 10 वर्ष का रिजर्वेशन रखा गया था आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिये तो ये चीजें इन लोगों को 10 वर्ष में उपलब्ध नहीं कराई गईं उन कौमों का सबसे बड़ा अन्याय हुआ। जो पार्टी शासन करती चली आ रही है इस 20 वर्ष से उसकी अयोग्यता का सीधा सादा प्रमाण हमारे सामने है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो लोग राजाओं के

Page No 143

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

राज में जागीरदारों के टाइम पर उन राजाओं और जागीरदारों के एक मुसाहिब के रूप में या दूसरे साइड में या गुरु के रूप में जो लोग थे वे लोग भी आज उन कौमों के ऊपर उसी तरह हावी हैं जैसे आज के 20 वर्ष पहले हावी थे। आज भी उन कौमो के लिये उसी तरह खिलवाड़ खेला जा रहा है जिस तरह पहले खेला जाता था। पहले उन लोगों के साथ खिलवाड़ था कि राजपूतों की तरह से घृणा की दृष्टि से देखा करते थे वे ही ब्राह्मण लोग जो राजाओं के जमाने में राजाओं के गुरु थे उन लोगों को यह कहते थे कि यह एक चौथी श्रेणी के लोग हैं, चौथे वर्ग के लोग हैं और यह एक ऐसा वर्ग है जिसको छूने से, देखने से अन्य तीन तीन वर्ग लोगों द्वारा एक बहुत बड़ा अशुभ और कलंक माना जाता था। आज भी वे लोग उन कौमों के साथ उसी प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं, राजनीति में भी वही दायरा अपनाया है। आज उन कौमों के लिये यह कहा जाता है, हम बाहर सुनते हैं और यहां भी सुनते हैं ये कौमें गई बीती हैं, इन कौमों के धर्म नहीं हैं, ये कौमें किसी को मानती नहीं हैं वही चीज हमारे सामने है। आज एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ले जाया जाता है और वे ही लोग उनको बदनाम करते हैं। उनकी बदनामी की वायरस शुरू से बनी हुई है किसी प्रकार फेर बदल नहीं हुआ है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो संविधान में संशोधन किया गया है उस संशोधन को मैं जहां तक समझता हूं नहीं किया जाना चाहिये यह कभी नहीं किया जाना चाहिये। इन कौमों को खुला छोड़ दिया जाना चाहिये। आज की परिस्थितियों में खुला छोड़ दिया जाना चाहिये। इन कौमों में वह क्रान्ति पैदा हो जो लोग आज इतने धनाढ्य बने हुये हैं, उनके सिर फोड़ कर उनका धन छीन लिया जाय। जो आज के जागीरदार हैं, वे उनकी मखौल उड़ाते हैं और शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स का दमन करते थे वे ही लोग आज इस सरकार में हैं उनमें वही की वही बू है उससे ज्यादा है। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं यह रिजर्वेशन नहीं होना चाहिये। हम यह चाहते हैं यह रिजर्वेशन नहीं होना चाहिये। अपने पैरों पर खुद खड़े हों। आज लोग मिसाल देते हैं बंगाल की। अगर सरकार का यही रवया रहा तो बंगाल जैसी स्थिति हो सकती है। बंगाल में काम होता है वही यहां रहेगा। आप यह चाहते हैं आपका धन आपके बेटे पोते रखेंगे, नहीं रख सकते हैं उनसे छीन लिया जायगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं जो 20 साल में इनका कुछ नहीं हुआ, जागृति पैदा नहीं हुई, होगी लेकिन अब होगी। आज नहीं 5 साल बाद होगी। जो बेईमानी से धन इकट्ठा किया हुआ है, आज भी 500-600 बीघा जमीन ये नये जागीरदार ले रहे हैं। खुदकाश्त के नाम पर आज ये लोग जमीनें ले रहे हैं। उन जमीनों को लेकर बैठे हुये हैं शरम आनी चाहिये।

प्रधान मंत्रीजी कहती हैं, यू० पी० में जाती हैं तो कहती हैं मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। जो गुप्त सरकार है उसका दोष है। एक दूसरे पर दोष लगाने की कोशिश करते हैं। सारे भारतवर्ष का

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

सत्यानाश किया है । आर्थिक स्थिति किसी राज्य की बड़ाई हो, यह बात नहीं है, राज्य की सुरक्षा की हो नहीं की । सुरक्षा में भी पीछे रहे हैं । केवल अपना घर भरने के अलावा अपना कुछ नहीं किया है । इसलिये उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हुं भारतवर्ष में एक इस तरह का बेईमानी का रवैया बनाया है जैसे ये लोग बेईमानी करते हैं वैसे दूसरे लोग भी देखा देखी करते हैं ।

सब लोगों को इस कांग्रेस ने बिगाड़ कर रख दिया है । ऐसे लोगों को समाज से बाहर निकाल देना चाहिये, काला मूंह कर देना चाहिये । ऐसा इतिहास में....

श्री बरकतुल्लाखां : समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : लिखा जायगा "सारा हिन्दुस्तान जो स्वालम्बी था उसका सत्यानाश कर दिया....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाता है ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जो संविधान में संशोधन पर विचार हो रहा है उस संशोधन को वापिस लिया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी स्थिति यह हो रही है कि अगर यह कांग्रेस सरकार यह सोचती कि हमारे देश को सुदृढ़ बनाना है, हमारे देश को मजबूत बनाना है, हमारे देश के रहने वाले लोगों को मजबूत बनाना है, तो जो तबका आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, राजनीतिक स्थिति से ठीक नहीं है उस तबके को ऊंचा उठाना है ताकि समय पड़ने पर हमारी मदद कर सके, हमारे देश को योगदान दे सके लेकिन आप लोगों में हिम्मत नहीं है । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि मंत्री महोदय यह बतायें कि इन बीस सालों में इन कौमों के साथ आपने क्या रियायतें की हैं । सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता था भूमि के अलाटमेन्ट के बारे में । आज यह कहा जाता है कि गांधी शताब्दी वर्ष में हम हरिजनों को जमीनें देंगे । मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता था कि आप हरिजनों को जमीनें देना चाहते हैं तो 66 के कब्जे आपने रेगुलेराइज क्यों किये । जितनी जमीन थी उसे बड़े कौम के लोगों ने कब्जे में कर लिया है और हरिजनों के लिए अब आप कहते हैं कि हम उनको जमीन देंगे । और जितनी भी जमीन थी सारी रेगुलेराइज हो गयी । आपने 3 लाख एकड़ जमीन को रेगुलेराइज कर दिया । आप कौनसी जमीन देंगे ? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जमीन अब बची ही कहां है जो उनको दोगे । उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इनकी सरकार में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग बैठे हुए हैं उनके दिखावे के लिए इस तरह की बातें करके और इनको बहकावे में डालकर सरकार में बने रहना चाहते हैं । आप यह बतायें कि आप 5 साल की मिनिस्ट्री के लिए इस देश के लिए अन्याय क्यों करते हैं । आप जनता को इतना कमजोर क्यों बनाना चाहते हैं । आपके पास पैसा इकट्ठा है

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

उसको आप बाहर निकाल करके क्यों नहीं देते । इससे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन कौमों का किसी भी क्षेत्र में न राजनैतिक क्षेत्र में, न आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में और न ही सामाजिक स्थिति में किसी प्रकार का विकास हुआ है। विकास एक ही हुआ है कि हम लोगों को राजनीतिक में रखकर अपनी सरकार बनाये रखने की आपकी स्कीम है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि हमें बड़ा दुख है। जब भी हम देखते हैं अपनी कौमों के लोगों को तो वह बड़े निराश दीखते हैं। जो लोग समझते थे कि आजादी मिलने के बाद हमको कई प्रकार की सहुलियतें मिलेंगी लेकिन वह आज भी वहीं के वहीं है । उनको आज भी मजदूरी करनी पड़ती है। आज भी वह अपनी औरतों को मजदूरी के लिए ले जाते हैं। वह रात को सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो उनको फिक्र होती है कि हमको मजदूरी पर जाना है। और यह लोग ऐश करते हैं । हमारे हिन्दुस्तान का गरीब तबका यह नहीं समझता था। अभी थोड़े ही दिनों की बात है पांच सात रोज की कि मद्रास में गरीब तबके की झोंपड़ियां जला दीं। आंध्र में भी यही हालत है और हमारे सारे प्रदेशों में यही पोजीशन है और ऐसी स्थिति बनाने का दारोमदार इस कांग्रेस पर है और जो 20 साल से शासन करती आ रही है उनकी आंखें नहीं खुली हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस राजस्थान सरकार से यह निवेदन करूंगा कि अगर यह 10 साल का रिजर्वेशन मन्जूर करते हैं और उस पर स्वीकृति देते हैं तो 10 साल में यह क्या क्या कर पायेंगे वह मंत्री महोदय अपने उत्तर में बतायें । मंत्री महोदय इस तरह से काम नहीं चलेगा । मंत्री महोदय आप जरा इधर उधर बातें मत करें । आपको डिपार्टमेन्ट सौंप दिया है। आप दो साल के और हैं । दो साल बाद आप आने वाले नहीं हैं । और दो साल के पहले ही चले जायं ऐसा भी हो सकता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप यह कहते थे कि शहरों में जितनी भूमि अलॉट होगी उसमें 15 परसेन्ट भूमि का अलॉटमेन्ट मैं करा दूंगा । नगर विकास न्यास में भी एक शिड्यूल्ड कास्ट का मेम्बर भी होगा। कल परसों ही जयपुर के नगर विकास न्यास का गठन हुआ है उसमें शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी लिया है? जब आपने कोई सदस्य ही उसमें नहीं लिया है तो कैसे मिलेगी 15 परसेन्ट भूमि ? हमारे भीखा भाई पन्द्रह बीस साल से मिनिस्टर चलते आ रहे हैं चिलम चट्टी यह भी कुछ नहीं कर पाते हैं । इसलिए ऐसे लोगों को मिनिस्टर बनाने के बाद वह क्या कर सकते हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो 10 साल बढ़ा रहे हैं इसमें आप कुछ करना चाहते हैं, करना चाहेंगे या करेंगे उस तरह का अपने भाषण में उल्लेख करें और ऐसा नहीं किया तो हमें यह 10 साल का प्रावधान नहीं चाहिए। समाज कल्याण बोर्ड का चेयरमेन कौन है ? किसी शिड्यूल्ड कास्ट के मेम्बर को नहीं रख कर उसका चेयरमेन एक रानी को बना रखा है....

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, पहले निर्णय हुआ था कि हर बोलने वाला माननीय सदस्य 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके लिये कुछ कहें तो आपको बुरा लगता है।

श्री उपाध्यक्ष : यह सभी माननीय सदस्यों के ध्यान में है।

श्री डूंगाराम राठोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से समाज कल्याण बोर्ड का चेयरमेन शिड्यूल्ड कास्ट का होना चाहिए, न कि एक रानी। यह भी गलत परम्परा है।

तो उपाध्यक्षजी मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इन कौमों का उत्थान करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ कीजिए। जब तक आप इन कौमों के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक इन कौमों का विकास होने वाला नहीं है। मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता था कि जो भी बजट में प्रावधान होता है उस पैसे को क्या आपने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को आपने दिया है? आपने सहकारिता में केवल शेयर्स जमा करने के और किसी शिड्यूल्ड कास्ट की सहकारी समिति को बढ़ावा दिया है और उसको मजबूत बनाया है। आपने किसी संस्था को चलाया है? फिर आप कैसे कहते हैं कि 10 साल और बढ़ाते हैं। यह सहूलियतें नहीं हैं केवलमात्र बहाना है अपनी कुर्सी बनाये रखने का। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप व्यक्तिगत लोन देते हैं। आपने इन कौमों के लिए भी कुछ रुपया दिया है? नहीं दिया है। फिर किस आधार पर आप बातें करते हैं। हम सरकार में बैठकर और आपके सामने बैठकर यह मांग करें और आप उनको पूरी नहीं करें तो हमारे यहां बैठने का क्या लाभ है। हमारी जातियों को ऊपर उठाने की ओर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की आपकी पोजीशन नहीं है, आप नहीं करना चाहते हैं तो हमें यह सहूलियत नहीं चाहिए। हम तो सिटें लेंगे और आपको बाहर निकाल देंगे तभी आपके दिमाग दुरुस्त होंगे। तो इसलिये मैं निवेदन करना चाहता था कि अगर आप इन कौमों का उत्थान करना चाहते हैं तो सारे भारतवर्ष में इस तरह का वातावरण होना चाहिए कि इन कौमों को ज्यादा से ज्यादा फेसेलिटीज मिलनी चाहिए, उनको रोजगारों के लिए तकावी मिलनी चाहिए। तमाम की सोसाइटी......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बनाकर किस प्रकार से काम किया जाना चाहिए ताकि इनका विकास हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि हमारी आर्थिक स्थिति को अगर आपको सुधारना है तो जो कारखाने गवर्नमेन्ट सेक्टर में चल रहे हैं उनको गवर्नमेन्ट सेक्टर में नहीं लेकर क्योंकि उनमें नुकसान होता है तो इनकी सोसाइटी बनाकर इन लोगों को देदें ताकि ये लोग उसकी देख-रेख कर सकें और अगर उनमें प्रॉफिट हो तो ये लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें और साथ में आपका काम कर सकें।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आयात और निर्यात के जो लाइसेंस दिये जाते हैं वे इन कौमों को मिलना चाहिये। इनको भी लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा जो निर्यात में चीजें भेजी जाती हैं उनमें जो इनको कोटा लाइसेन्स औरों

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

को मिलता है उसमें इनका भी प्रतिशत होना चाहिए । आज क्या पोजीशन है कि जो भी कोटा लाइसेन्स की जितनी भी चीजें मिलती हैं वे उन्हीं लोगों को मिलती है जो लोग आज ताकतवर हैं । उन्होंने कारखाने खोल रखे हैं । आप सब उन लोगों को दे देते हैं । गरीबों को रोजगार के लिए देना चाहिए । वे लोग इन्हीं से कार्य कराते हैं । आप जितनी चीजें उनको देते हैं उनको वे किसी कारखाने में काम में नहीं लेते हैं और ब्लैक में बेच देते हैं । इसलिये कोटा लाइसेन्स भी उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो कि गरीब हैं ।

इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पिछड़ी हुई जाति का आप विकास करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले गवर्नमेंन्ट सर्विस में उनको स्थान दें । गवर्नमेन्ट सर्विस में जब तक उनको स्थान नहीं देंगे तो जो ब्राह्मणवाद यहां पर बैठा हुआ है वह कोई उन लोगों को सुविधा नहीं दे सकता है । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं हमारा जो 28 पर्सेन्ट का हिसाब आपने बताया है तो उस से सब ऑफिसेज में हमारे व्यक्ति हों ताकि इस कौमों के लिए जो सुविधाजनक बातें हों उनको वे सुनें और उनको दें । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इन कौमों की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो गवर्नमेन्ट सर्विस में 28 परसेंट उनको दें ताकि उनको जो दिक्कतें हैं उनको वे पूरा कर सकें और जिस प्रकार की दिक्कतें होंगी उनको दूर कर सकें । इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, आत्म-संतुष्टि का जो परिणाम होगा । वह बड़ा भयंकर होगा । सारी बातों से यह मालूम हुआ है कि बदलते हुए जमाने में बिलकुल तेजी के साथ बदलना होगा । यदि हम जमाने के साथ नहीं बदलेंगे तो जमाना हमको बदल देगा ।

यह मालूम हुआ है कि तिलक नगर और गांधीनगर बनाये गये हैं, जितनी भी नई बस्तियें, तो उनमें पहले लोग सभी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को देना चाहिए । आप 1,000-1,200 रु० हरिजनों को देना चाहते हैं तो उससे मकान नहीं बनेंगे लेकिन जितने भी बड़े ऑफिसरों को देते हैं उतना उनको देना चाहिये । तिलकनगर और गांधीनगर बने हैं तो निरन्तर 20 साल तक सारा पैसा इन जातियों को दिया जाय ताकि इनका आर्थिक कल्याण हो सके, यह नहीं हो कि थोड़ा थोड़ा इनको दें ।

28 पर्सेन्ट की बात कहते हैं तो आपको पूरी सर्विस में आज जो पहले से हैं उनका 28 पर्सेन्ट का कोटा जब तक न हो जाय तब तक दूसरों की भर्ती न की जाय जब तक कि खास जरूरत न हो । आप यह समझते हैं कि ये लोग इसी प्रकार से चलते रहेंगे । समाज में जो आर्थिक भेद है, जो अप्राकृतिक भेद है, जो ढांचा है वह क्षीण हो चुका है । अगर समाज को आगे नये

(श्री मूलचन्द डागा)

डालना है और आगे बदलना है तो हमें करना होगा। मैं सारी सर्विसेज के बाबत कहता हूं। जितने भी प्राइवेट उद्योग और पब्लिक सेक्टर उद्योग हैं उनमें इसको पूरा करना होगा, चाहे वह महाराजा उम्मेद मिल्स हो। हमको लेबर लाज में संशोधन करना होगा कि पहले इन लोगों को काम दिया जाय। हम जातिवाद की भावना से, विचारधारा से ऊपर उठना नहीं चाहते हैं तब तक यह नहीं होगा।

हम लोग चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें। अभी इन्दिराजी ने नया नारा दिया है कि "क्विट पावर्टी"। यह दिमाग में बात आ गई है कि गरीबी खत्म हो। आज हिन्दुस्तान की यह आकांक्षा है कि गरीबी मिटे तो असन्तोष नहीं फैलेगा। इसलिये जो विरोधी भाई बारबार यह कहते हैं कि कांग्रेस में नयापन आ गया है और नयापन आने के बाद एक नये जमाने को लाना चाहते हैं। इसीलिये हमारे भाई सभी कहना चाहते हैं। लेकिन हम क्या करें। हमारी कुछ परम्पराएं जो हैं, जो रूढ़िवादी लोग हैं और शंकराचार्य जैसी चीज जो बोलने वाले हैं वे रोड़ी अटकाते हैं। आज भी मंदिर में बलि चढ़ाई जाती है। इस प्रकार के जो पुरानी संस्कृति के कुछ पुजारी हैं दकियानूसी ख्यालात के जो प्रतिक्रियावादी हैं, जो पुरानी ख्यालात के रूढ़िवादी लोग हैं उन्होंने इस समाज को रोक रखा है। उस समाज के बन्धनों को तोड़ने का भार हमारे सब पर है। केवल 5-10 लोगों पर नहीं है। हिन्दुस्तान में ही नहीं अमेरिका में जो लूथर जो नीग्रोज का हितैषी था उसको मार दिया गया था। हिन्दुस्तान में कांग्रेस का ही यह काम नहीं है कि इनको उठाये। गांधीजी ने कहा था कि हरेक कांग्रेसी को ही क्या हरेक व्यक्ति को आगे बढ़कर देश को उपर उठाना चाहिए। आपको भी हिम्मत और हौसला कैसे हुआ ? हम एक कदम और आगे बढ़े हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपने स्थानों से अनुसूचित जाति के लोगों को चुनाव लड़ाती है।.....

श्री डूंगाराम राजोरिया : आपने किसी प्रकार का नहीं किया तो आगे क्या आशा करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक के लिए नहीं कहता हूं। समाज में कोई ऐसी पार्टी है जो कि अनुसूचित जाति के लोगों को चुनाव लड़ाये। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो हम चुनावों में आते हैं तो उन चुनावों के अन्दर जो धनराशि खर्च होती है सबसे बड़ा सवाल उसका होता है। तो हम साधनों का बटवारा करना चाहते हैं। यह हमारा उद्देश्य है। लोगों ने साधनों की जमाबन्दी की हुई है उन साधनों का बंटवारा हो जायेगा और बिल्कुल समाजवाद के तरीके से बंटवारा हो जायेगा। जब हमारे सारे साधन बंट जायेंगे उस समय हम कह सकते हैं कि गरीबी के कारण जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो दबा हुआ समाज है वह आगे आ सकता है। लेकिन इस काम के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो अनसूचित जाति के भाई हैं जो अभी भी आगे बढ़े हुए हैं उनको अपनी आत्मा को टटोलना चाहिए। वे समाज के हित के कामों को भूल गये हैं। आप एक में भी यह बात कहने की हिम्मत

Page No 149

(श्री मूलचन्द डागा)

नहीं है कि जो लोग समाज में आगे बढ़े हुए हैं वे अपनी जाति और समाज की सेवा करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। जो हमारे समाज का यह कलंक है उसको मिटाने का काम दो-चार नेताओं पर ही नहीं छोड़ा जा सकता है, एक दो पार्टियों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। यह समूचे लोगों का काम है और समूचा समाज ही कर सकता है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो आर्थिक मतभेद हैं उस मतभेद को मिटाने का काम कांग्रेस का है। लेकिन यह बात है कि अच्छी भूमि का एलाटमेंट उन लोगों को नहीं हुआ है। पाली जिले में हजारों बीघा उन लोगों को दे दी गई है जिनके पास में हजारों बीघा जमीन मौजूद थी। हम यह चाहते हैं कि उन लोगों के चंगुल से वह जमीन निकाल कर इन गरीब लोगों को देना चाहिए। इसके लिए आपको मजबूत कदम उठाना पड़ेगा। धीरे धीरे कदम उठाकर काम करना कारगर नहीं हो सकता है। धीरे धीरे चलने वाला अपने स्थान पर समय पर नहीं पहुंच सकता है। तेज चाल से हमको चलना होगा और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा नहीं तो जमाना हमको पीछे धकेल देगा। अगर हम पीछे रह गये तो लोग क्या समझेंगे। कोई भी इस बात को नहीं कह सकता है इसको और 20 साल बढ़ा दें या 30 साल बढ़ा दें। कौन हिम्मत के साथ यह कह सकता है कि आने वाले जमाने में 30 साल या 40 साल का भी एमेन्डमेन्ट हो सकता है। एक भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि यह संशोधन पास न हो। गरीबी खत्म करने का काम हम कर रहे हैं तो गरीबी अपने घर से खत्म होगी। बोलते कुछ हैं और आचरण कुछ करते हैं, तो बोलने और आचरण में जो फर्क है वह एक आडम्बर है जो आत्मा के अन्दर, जो व्यवहार में फर्क है वह आडम्बर है। यह आडम्बर पूर्ण हमारी जो कार्यवाही चल रही है, इस व्यवस्था को खत्म करना होगा। आज तिलमिलाते हुए इन्सानों की आवाज एक तरफ है कि आगे बढ़ती हुई गरीबी को मिटाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी समाजवाद के प्रति विशेष प्रगतिशील विचार रखते हैं, हम आपके पेपर्स देखते है। उनमें आप बहुत सी बात कहते हैं। आप केवल एक बात कह दीजिये आपके विचार है उनमें, जो कि हम बार बार कहते हैं कि हम संरक्षण नहीं चाहते। आज भी जो हमारे भाई बोल रहे हैं, उन सबका एक ही विचार है कि हम नहीं चाहते कि संरक्षण दिया जाय। हम चाहते हैं कि जो मानव के अधिकार हैं, उनका संरक्षण मानवता है और समाजवाद दूसरे रूप में मानवता ही है। आज मानव मानव में जो भेद करना चाहते हैं, जो आर्थिक भेद करना चाहते हैं उनको मिटाने की ताक़त पैदा करना शुरू करिये। आज जो डिस्पेरिटी है उस डिस्पेरिटी को कम करिये। अगर डिस्पेरिटी कम हो जाय तो चुनाव के मैदान में काम करने वाले और लड़ने वाले आगे आ जायेंगे। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप जो काम उठा रहे हैं उसको आप जरा तेजी से उठाइये।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। अकाल के कारण, भयंकर दुष्काल के

Page No 150

(श्री मूलचन्द डागा)
कारण हजारों विद्यार्थी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ने को तैयार हो चुके हैं। इसलिये इस स्थिति में ज्यादा जागरूक होकर राज्य सरकार को स्कालरशिप ज्यादा देनी चाहिये। कहीं यह न हो जाय कि पिछले साल के अकाल के कारण, इस साल के अकाल के कारण उन छात्रों की पढाई बन्द हो जाय। यह एक बहुत बड़ा सवाल है।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने एक नियम बनाया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के छः लोगों के पीछे दो आदमियों को काम पर लगाने का वायदा किया। छः लोगों के पीछे दो आदमियों को लगाने से वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर कर सकेंगे, छः में से दो आदमियों को लगाने से वह अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकेंगे। यह भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए एक तरफ यह बिल पास कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जन-जाति के लोग हैं, जो गरीब हैं और गरीबी के अन्दर दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, जिनकी स्थिति निम्नतम है उनको ऊपर उठाना होगा। अगर उनको आप धीरे धीरे उठायेंगे, तो कब तक उठा पायेंगे। साथ ही इधर से आप उनको थोड़ा ऊपर उठाते हैं उधर हम लोग और आगे उनसे बढ़ जाते हैं। उनका मकान बनता है टूटा फूटा जब तक हम वातानुकूलित मकान बना लेते हैं। उनके पास जब तक स्कूटर आता है तब तक हम कार खरीद लेते हैं और इस प्रकार उनमें और हममें फर्क उतना ही रहता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो मीनार बना रहे हैं उनको वहीं रोकिये, उनको भले ही नीचे न लायें लेकिन जो जमीन के ऊपर हैं उनको ऊपर उठाना चाहिए। मीनार बनाने वाले आदमी को और ऊपर बढ़ने मत दो, उसको रोक दो, वहीं रोक दो क्योंकि जब तक उसको वहां पर नहीं रोकेंगे तब तक डिस्पेरिटी मिटा नहीं सकते, फर्क को मिटा नहीं सकते हैं।

इसके अलावा, जो आप पच्चीस लाख इन्डस्ट्री के लिए लोन देते हैं उसको बन्द कर दें। लोन देने का तरीका है उसको बन्द करके हमारे लिए यह जरूरी है कि जनता को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ायें। इसलिए जो बड़े सेठिये और बड़े बड़े मकान बनाने वाले हैं उनको लोन मत दो। बड़े लोगों के लड़कों को स्कालरशिप मत दो। बड़े बड़े बंगले मत बनाओ, मकान मत बनाओ लेकिन गरीब आदमी जो है उसको प्राथमिकता दो, उसको प्रायोरिटी दो। अगर आप उसको प्रायोरिटी देंगे, तो नीचे का तबका ऊंचा उठेगा। हिन्दुस्तान में जो गरीब आदमी है वह ऊंचा उठता है तो न चीन आपकी तरफ आंख उठा कर देखेगा और न पाकिस्तान देखेगा। गरीब आदमी ऊंचा उठता है तो देश में समाजवाद आता है और उससे देश ऊंचा उठता है। यह आवाज जो है, गरीब की आवाज है। गरीब अगर आगे बढ़ कर मिनिस्टर बन गये हैं, कुछ बन गये हैं वह ऊंचे तबके के लोगों से बराबरी से मिलते हैं लेकिन गरीब लोगों के लिए दर्द उनके दिल में दब गया है। वह आराम-तलबी में पड़ गये हैं। उनके मकान बन गये हैं, उनको कार मिल गई है। मैं चाहता हूं कि वह समय की गति को पहचाने। जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको अपने को खुद को पहचानने की जरूरत है ।

श्री मूलचन्द डागा : जो लॉ मिनिस्टर हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि गरीबों के कितने मर्डर कसेज की आपकी तरफ से पैरवी होती है ? कौन पैरवी करता है ? आज जो लोग जेलों में जाते हैं वह गरीब जाते हैं । जेलों में वह लोग जाते हैं समाज के नीचे के तबके हैं, दबे हुए हैं और पददलित हैं । मालदार पैसे वाले और समृद्ध लोग नहीं आते हैं। मालदार चोर डाकू भी जेलों में नहीं आते हैं । मैं नहीं समझता हूं यह समाजवाद का तरीका है, समाजवाद का ढांचा है । मैं नहीं मानता कि इस प्रकार हम समाजवाद को पनपा रहे हैं । हम कहते हैं कि बाह्य रूप से भाषण देने से कुछ नहीं होगा.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जैसा आपका भाषण हो रहा है ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब से नई कांग्रेस आई है तब से देश में एक नई चेतना आई है । बम्बई के अधिवेशन के बाद में एक नया उत्साह आया है । अगर समाजवाद के सिद्धान्त के अनुसार इन्सान आगे बढ़ेगा, नीचे का तबका ऊपर उठेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा और ऊंचा उठेगा ।

श्री भैरोंसिंह : कांग्रेस में नई चेतना यही आई है जिसका गंगानगर में उद्घाटन किया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बम्बई से आने के बाद भादरा और सांगरिया में गोली चलाई है ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी (समाज कल्याण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के तेइसवें संशोधन विधेयक पर जो माननीय सदस्यों ने मुद्दे उठाये हैं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कैसे दे रहे हैं उत्तर ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं उनके सम्बन्ध में सदन को जवाब देना चाहूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जवाब तो एक ही मंत्री दे सकते हैं डिबेट का ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मेरा ख्याल कि मैं...

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट में पार्टीसिपेट कर रहे हैं । जवाब तो बरकत साहब देंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इसका समर्थन कर रहे हैं ? हमारी जानकारी के लिए यह बता दे कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं कि दस साल का जो किया है वह ठीक किया है ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : जी हां ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन सी धारा में किया है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : धारा 368 । 368 ऑफ इन्डियन कांस्टीट्यूशन ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 368 में नहीं किया है, उसमें नोटिफिकेशन किया है ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : है क्यों नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यह बता दें कि कौनसी धारा में संशोधन हो रहा है ?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : वह मेरे ख्याल में...

श्री सतीश चन्द्रअग्रवाल : (श्री बरकतुल्ला खां के उठने पर) आप बैठिये। आप यह बता दें कि कौनसी धारा में संशोधन हो रहा है।

श्री लादूराम सुलानियां : हरिजन मंत्री है वह यह नहीं जानते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संशोधन कौनसी धारा में किया जा रहा है।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : लॉ की तालीम देने की क्लास इस सदन को नहीं बनायें।

श्री लादूराम सुलानियां : हरिजन मंत्री हैं इसलिय इनको माफ कर दो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I pity the Hon'ble Minister who does not know what particular article of the Constitution has been amended.

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : मैं कहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि इसके लीगल आस्पेक्ट्स का जवाब इसके मूवर ऑफ रिजोल्यूशन माननीय लॉ मंत्री देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको मालूम नहीं है ?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : मैं समाज कल्याण विभाग से ताल्लुक रखने वाले मुद्दों का जवाब दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको मालूम नहीं है।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : जो बातें समाज कल्याण विभाग से ताल्लुक रखती हैं मैं उनका जवाब देने के लिये खड़ा हुआ हूं। आप सदन का समय व्यर्थ बरबाद न करें तो अच्छा रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बता दूं। (विराम) अच्छा रहने दीजिये।

श्री बिशम्भर नाथ जोशी : मैं सदन के सारे माननीय सदस्यों को, विभिन्न पार्टियों के जो सदन में रिप्रेजेंटेटिव्ज हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। वस्तुतः सर्वसम्मत समर्थन इस प्रस्ताव को मिला है, जैसा भारत की संसद में सर्वसम्मत समर्थन इस प्रस्ताव को मिला। मैं कहना चाहूंगा कि सर्वसम्मति से भारत की संसद में इसे समर्थन मिलने की हमारे सामने एक मिसाल कायम हुई है और यह समाज कल्याण के कार्य को एक राष्ट्रीय कर्तव्य, एवं पवित्र राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में देखने के कारण है..

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिये आर्टिकल कौनसा अमेंड हो रहा है वह भी आपने नहीं देखा।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : इस प्रश्न को सबने पार्टी से अलग मान कर देखा है........

श्री लालूराम सुलानियां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा..

श्री विशम्भर नाथ जोशी : मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं.....

श्री लालूराम सुलानियां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गरीब हरिजन मंत्री की बराबर तौहीन होती है यह हमें बुरा लगता है।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : आप विराजिये।

श्री लालूराम सुलानियां : इसलिए मेहरबानी करके किसी अच्छे जानकार को इनकी जगह नियुक्त कर दिया जाय ताकि हरिजनों का कुछ भला हो।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा था, असलियत में हम सब के लिए यह पवित्र राष्ट्रीय कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पूरा करने का भारत के संविधान के आर्टिकल 46 के अन्दर राष्ट्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकारों और केन्द्रीय सरकार पर दायित्व डाला है कि पिछले वर्ग के लोगों को संरक्षण प्रदान करें, उनके आर्थिक हितों को संरक्षण प्रदान करें। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि हममें से प्रत्येक सदस्य, जो इस सदन में बैठने वाले हैं, भारत के संविधान के प्रति वफादार हैं क्योंकि हमने यहां बैठने से पूर्व भारत के संविधान की शपथ ली है.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिसका आपको ज्ञान नहीं है।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : भारत के संविधान के प्रति शपथ लेने के कारण वफादार होते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई माननीय सदस्य.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसी धारा के अन्तर्गत लेते हैं शपथ ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : भारत के संविधान के प्रति शपथ लेने के कारण इसका विरोध नहीं कर सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसी धारा के तहत लेते हैं ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : 332 के तहत हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 332 में नहीं है। सुमित्राजी ने गलत बता दिया है, उन्होंने बहका दिया है।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : मैं कहता हूं कि कानून सीखना चाहें, आपको कानून सीखना है तो उसके लिए आप मेरे पास अलग से आ जाइये, आई विल टीच यू।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वकालात छोड़े हुए काफी अर्सा हो गया है।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : मैं अर्ज कर रहा था....

श्री बरकतुल्ला खां : उपाध्यक्ष महोदय, दस मिनिट के लिए समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्यों ?

श्री बिशम्भर नाथ जोशी : सबसे अधिक अगर नुक्ताचीनी हुई है और सबसे ज्यादा जिस बात पर स्ट्रेस दिया गया है वह यह है कि यद्यपि भारत के संविधान के अन्दर छूआछूत को दण्डनीय घोषित किया है लेकिन फिर भी उसके अनुरूप हमारा आचरण नहीं हो पाया है। इसलिए यह कहा गया कि सरकार इसको पूरा करने से विमुख रही है, पूरा नहीं कर सकी है और इसलिए बारबार संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। मैं बहुत ही विनयपूर्वक माननीय सदस्यों के समक्ष अपने विचार रखता हूं कि यह मानव स्वभाव है, और आप मानव स्वभाव और समाज शास्त्र से अच्छी तरह परिचित हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि असलियत में समाज कल्याण और समाज परिवर्तन कभी केवल राजाज्ञाओं, गजट नोटिफिकेशन और सरकारी हुकूमत के जरिये नहीं आ सकता है। असल में हिन्दू समाज में शताब्दियों से, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि हजारों वर्षों से इस बात के संस्कार चले आये हैं–अलगाव के, भेदभाव के संस्कार चलें आ रहे हैं और वह शताब्दियों और हजारों वर्षों पुराने हैं और इन संस्कारों के द्वारा हमारा स्वभाव विकृत हो गया है, नेचर बदल गई है और इसलिए यह संस्कार एक बीस साल की अवधि में पूर्ण-रूपेण मिटा देना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सम्भव नहीं है..

श्री लादूराम सुलानियां (फागी): यह आप गलत कहते हैं। जब सारे हिन्दुस्तान का राज बदल दिया, हिन्दुस्तान की जनता ने तो क्या सरकार इतनी निकम्मी और कमजोर है कि यह एक परम्परा को नहीं बदल सकती, जो समाज के अन्दर समाज के लिये घातक कुरीतियां व्याप्त हैं उनको दूर नहीं कर सकती। आप इस तरह की घोषणा करके संविधान की हत्या कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय ने जो शब्द कहे हैं, उन शब्दों को प्रोसीडिंग्स से कटवाया जाय।

श्री बिशम्भर नाथ जोशी : माननीय सदस्य ने मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की है......

श्री लादूराम सुलानियां: क्या मंत्री महोदय हरिजनों के यहां रोज खाना खाना पसंद करेंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आप अमृतलालजी को अपना समधी बनाना पसंद करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री लादूराम सुलानियां : जो महात्मा गांधीजी की जमात है, उसके मंत्री क्या गांधीजी के आदर्शों पर चलने के लिये तैयार हैं ? क्या आप हरिजन के यहां खाना खाने के लिये तैयार हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

सदन की अनुमति से सदन का समय इस संकल्प के पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

श्री बिशम्भर नाथ जोशी : जो कहा जाता है, उसका उत्तर दिया जाता है तो उसको सुनने का साहस नहीं, क्षमता नहीं कि उन बातों का राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाय उसको सुनें।

Page No 155

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: सरकार की ओर से उत्तर बाद में होगा, आपका उत्तर सरकारी नहीं है ।

श्री बिशम्भर नाथ जोशी: तो यह दस साल, बीस साल के लिये इसलिये बढ़ाया था कि जो कल्याण हम पिछड़ी जातियों का करना चाहते थे, वह पूरा नहीं कर पाये । मैं यह कहने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं कि पिछड़ी जातियों को समाज के दूसरे वर्गों के बराबर उठाने के कार्य का सम्पादन पूरा हो गया है ।

श्री लाढूराम सुलानियां: तो स्तीफा दे दो ।

(हंसी)

श्री बिशम्भर नाथ जोशी: मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, बाल-विवाह को रोकने के लिए कानून को बने हुए 30-40 वर्ष हो गये हैं लेकिन बाल-विवाह नहीं रुक पाये हैं, इसका कारण यह है कि समाज में व्याप्त पुराने संस्कारों को, रूढ़िवादी नियमों को, समाज की परिस्थितियों को, उसमें व्याप्त कुरीतियों को बदलने के लिये केवल सरकार के अध्यादेश, सरकार के कानून, डिग्रियां या सजाएं ही पर्याप्त नहीं होती जब तक कि जन मानस को सही दिशा में मोड़ नहीं दिया जाता । जन मानस को सही दिशा की ओर चलाने का दायित्व केवल सरकार पर नहीं इस सदन पर है, जिसमें दोनों ओर के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं । केवल कानून उसको नहीं बदल सकते ।

श्री लाढूराम सुलानियां: उपाध्याय महोदय, मंत्रीजी बार बार इन शब्दों को यूज करते हैं कि सरकारी अध्यादेश, सरकारी कानून से छूआछूत नहीं मिट सकती, इस तरह कह कर यह संविधान की मंशा की हत्या कर रहे हैं......

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज ।

श्री लाढूराम सुलानियां: मेरी बात सुन लीजिये । जोशीजी बार बार कहते हैं कि सरकारी अध्यादेश, सरकारी कानून समाज की इन कुरीतियों को नहीं मिटा सकते, कानून छूआछूत को नहीं मिटा सकते तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप किस खेत की गाजर मूली हैं । आप बार बार सदन में खड़े हो कर यह कहते हैं कि सरकार के कानून अस्पृश्यता को नहीं मिटा सकते तो इस प्रकार आप हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की तौहीन करते हैं हमारे अधिकारों का हनन करते हैं, यहां के 50 करोड़ हरिजनों की तौहीन करते हैं..

एक माननीय सदस्य: 50 करोड़ हरिजन ?

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज । स्थान ग्रहण करें ।

श्री लाढूराम सुलानियां: आप एक बात सुन लीजिये । आप दो शब्दों में एक बात साफ साफ कह कर बैठजाओ । आप यह कह दो कि मैं हरिजनों के यहां खाना खाऊंगा ।

श्री बिशम्भर नाथ जोशी: आप जो फरमाते हैं, उसको मैं जवाब के काबिल नहीं समझता ।

श्री बरकतुल्ला खां: किसी मिनिस्टर को खिलावें तो मैं तैयार हूं, मुझे खिला दो।

श्री लादूराम सुलानिया : इस्लाम धर्म को मानने वाले हरिजन को अछूत मानते ही नहीं। ये तो पंडित लोग, जोशी लोग ही हैं जो हरिजन को अछूत मानते हैं। ये तो ये जोशी लोग ही हैं, और यह समाज कल्याण विभाग का नमूना है कि क्लर्क जोशी, मिनिस्टर जोशी..

श्री बिशम्भर नाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, बहस इस स्तर पर नहीं जाने दी जानी चाहिये। सम्माननीय सदन की बहस इतने नीचे स्तर पर नहीं ले जावें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस स्तर पर कि आप ले जा रहे हैं।

श्री बिशम्भर नाथ जोशी : मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं यह दावा नहीं करता कि जो काम करना चाहिये था पिछड़ी जातियों के कल्याण का वह पूरा कर दिया है। उसमें काम करने को काफी बाकी है, क्योंकि यह एक बड़ी कठिन समस्या है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बैकवर्ड क्लासेज के कल्याण के लिये राजस्थान के राज्य ने जो कार्य किया है उसमें राजस्थान का राज्य भारत के अधिकांश राज्यों से अग्रगी है, यह मैं आंकड़ों से आपको प्रमाण देना चाहता हूं......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम भी आपको कहना चाहते हैं कि ठंडी हवा आ रही है, आपके पास तो हीटर है।

श्री बिशम्भर नाथ जोशी : राजस्थान का समाज कल्याण विभाग एडीशनल पोस्ट ग्रेज्युएट के लिये भी स्कोलरशिप देता है, जब कि भारत सरकार द्वारा 40 रुपया पोस्ट ग्रेज्युएट के लिये दिया जाता है। हमारे यहां पोस्ट ग्रेज्युएट के अलावा एडीशनल पोस्ट ग्रेज्युएट पोस्ट के लिये भी स्कालरशिप देते हैं।

मैं उत्तर प्रदेश में गया था, वहां मैंने समाज कल्याण संस्थाओं का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश संख्या में राजस्थान से साढ़े चार गुना बड़ा है, जन कल्याण के कार्यों में अग्रणी माना जाता है। वहां मैंने देखा कि आगरा जैसे प्रमुख शहर में भी एक भी पिछड़ी जातियों के लिये राजकीय छात्रावास नहीं है, जब कि हमारे यहां एक एक तहसील में एक एक सब डिवीजन के हैड क्वार्टर पर समाज कल्याण विभाग के छात्रावास हैं।

(सरकारी पक्ष की ओर से की गई करतलध्वनि की तड़तड़ाहट में अश्रव्य)

राजस्थान में 223 छात्रावास चल रहे हैं, जयपुर जिले को ले लीजिये फुलेरा में छात्रावास है, बस्सी में छात्रावास है...

(तुमुल करतलध्वनि के कारण अश्रव्य)

श्री लादूराम सुलानियां : इन छात्रावासों में आपका कितना कमीशन हैं, आपका कितना योगदान है, यह तो बताओ, सारी कलई खुल जाय....

श्री बिशम्भर नाथ जोशी : यू० पी० में गवर्नमेंट के छात्रावास है, वहां जाकर मैंने संस्थाओं को देखा है, आपको इन्वीटेशन देता हूं, मेरे साथ चल कर देख सकते हैं। मैंने वहां के छात्रावासों को देखा, राजकीय छात्रावासों में बिजली का किराया, पानी का पैसा, एक क्लास फोर का सर्वेन्ट, एक

(श्री बिशम्भर नाथ जोशी)

कुक, रसोइया और मकान किराये के अलावा और कोई सुविधा नहीं दी जाती है और हमारे यहां राजस्थान में, मकान फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, खाना फ्री, कपड़े फ्री, किताबें कागज कलम सब फ्री दिये जाते हैं और विद्यार्थी के मां-बाप को पूरे साल भर में एक नया पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।

तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध म राजस्थान सरकार का जो पैटर्न है वह दूसरे राज्यों में नहीं है।

श्री लाबूराम सुलानियां : एक बात बता दीजिये...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, बीच में प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे।

श्री लाबूराम सुलानियां : जोशीजी डींग मार रहे हैं। जैसलमेर का छात्रावास का निरीक्षण मेरे साथ कर सकते हैं क्या ?

श्री बिशम्भर नाथ जोशी : माननीय सदस्यों ने इस बात पर नाराजगी प्रकट की है। एक तरफ फरमाया कि राजस्थान सरकार ने रिजर्वेशन 12½ से बढ़ाकर 28 तो किया मगर उसके साथ ही भर्ती पर बैन लगा दी और फायदा नहीं मिल पाया। जो आपने कहा, कुछ नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भर्ती पर बैन है वह आज की विशेष इकोनोमिक स्थिति में एक टैम्परेरी फेज है, कुछ महीनों के बाद यह बैन खत्म होगी। मगर 28 प्रतिशत जो रिजर्वेशन किया है, इट इज फोर एवर—जब तक रिजर्वेशन कायम है अगले 10 साल तक राज्य सरकार 28 प्रतिशत पर कायम रहेगी। इसलिए आपको पूरा फायदा मिलेगा।

हिंडौन से आने वाले माननीय सदस्य ने एक मिसाल दी पता नहीं कहां से लाए—एक स्वीपर की कमी कर दी। मेरे पास राजाज्ञा मौजूद है, पढ़कर सुनाता हूं। हमने तय किया है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के व्यक्तियों को रिट्रेंच नहीं किया जायगा, यह फैसला सरकार का है। आप केस बतायें मैं ठीक करूंगा।

श्री लाबूराम सुलानियां : माननीय जोशीजी को बताना चाहता हूं कि सैकड़ों शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के आदमियों की छंटनी की है और आपके दरवाजे पर रोते फिरते हैं, आप सुनते नहीं बात उनकी....

(शोरगुल)

श्री बिशम्भर नाथ जोशी : राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के व्यक्तियों को नौकरियों में किस किस वर्ष में कितना प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, उसके आंकड़े पेश करना चाहता हूं सिर्फ एक केटेगीरी को छोड़कर बाकी सारी केटेगीरीज में कोटा ओवरफुल हुआ है।

श्री लाबूराम सुलानियां : समाज कल्याण विभाग 30 साल से चल रहा है किसी साल में हरिजन डाइरेक्टर को एपाइंट किया है ?

श्री बिशम्भर नाथ जोशी : सिनियर आर० ए० एस० स्केल में या सिलेक्शन स्केल में कोई हरिजन नहीं होगा तो कसे हो सकता है ? सिलेक्शन स्केल में डाइरेक्टर का एपाइंटमेंट होता है। मैं विभाग का मंत्री हूं, मैं इस डाइरेक्टर को योग्य समझता हूं कि वह गुड्स डिलीवर करेंगे। काम कैसा है, व्यक्ति कौन है, इट इज नोट योर आउटलुक।

श्री लादूराम सुलानियां : ऐसी बात कही..

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री बिशम्भर नाथ जोशी : 1966-67 की भर्ती में बता रहा हूं। गजेटेड केटेगरी में 4.80 प्रतिशत,

(शोरगुल)

सबोर्डीनेट सर्विसेज में 904—16 प्रतिशत, क्लास 3—1.19 प्रतिशत, क्लास 4—404।

श्री डूंगाराम राजोरिया : गलत सूचना दे रहे हो।

श्री बिशम्भर नाथ जोशी : गजटेड पोस्ट्स 301...

(शोरगुल)

श्री डूंगाराम राजोरिया : व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय आंकड़े ऐसे दे रहे हैं जैसे फ्रन्टियर मेल चल रहा है, कोई बात हमने सुनी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : घर पर भी ऐसे ही चलते हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : किस विभाग में कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स के आदमी हैं, आंकड़े देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इसके लिये उचित होगा कि आप अलग से प्रश्न पूछ लें, उसका उत्तर आ जायगा। संभव नहीं होगा कि मंत्री महोदय इस समय सब का उत्तर दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो बिना प्रश्न उत्तर क्यों हो रहा है ?

श्री बिशम्भर नाथ जोशी : गजेटेड ऑफिसर 301 भर्ती हुई। 12.63 प्रतिशत। 12½ प्रतिशत से ज्यादा रिजर्वेशन..

(शोरगुल)

सबोर्डीनेट सर्विस 23.63 प्रतिशत...

(एक साथ कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री लादूराम सुलानियां : आप एक ही विभाग का बताइए। समाज कल्याण विभाग में कितने आदमी हैं, जिनमें से शिड्यूल्ड कास्टस के कितने है....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूं कि जो विचारणीय विषय है, उस संबंध में आप उत्तर दें, आंकड़ों का बाद में।

Page No 159

श्री विशम्भर नाथ जोशी : ये कहते हैं कि सरकार एनाउन्समेंट करके कोटा पूरा नहीं करती है। तब कह रहा हूं। आप चाहते हैं कि सच्चाई सुनी नहीं जाय, तथ्यहीन आरोप लगायें, उसका पर्दाफाश न हो।

श्री लाबूराम सुलानियां : आप अपने विभाग का बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री लाबूराम सुलानियां : कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स के आदमी हैं ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : आपने उत्तर सुना नहीं, सवाल पूछेंगे तो जवाब आएगा। 1967-68 में गजेटेड पोस्ट्स पर 301 में 39। इसका 12.63 प्रतिशत होता है। सबोर्डिनेट सर्विसेज 2674 में से 632।

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : पाइंट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में मंत्री महोदय ने सदन में बताया था, क्या उनको दुहराने की इजाजत आप दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाय जो पिछले सत्र में पूछा गया, तो उसका उत्तर मंत्री महोदय देंगे।

श्री भैरोंसिंह : इस सत्र में केवल एक बात पूछी गई है कि 28 प्रतिशत का अनाउन्समेंट करने के बाद कितने व्यक्तियों की आपने नियुक्ति की। आप बता रहे हैं पहले के सालों की। केवल 28 प्रतिशत की घोषणा करने के बाद आपने कितने लोगों को नियुक्त किया ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : शांति रखें तो जवाब मिल जायगा। 1968-69 के आंकड़े देता हूं। गजेटेड 7.88, सबोर्डीनेट 18.4 प्रतिशत, मिनिस्ट्रीयल..

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : इसका उत्तर दिलाया जाय। मंत्री महोदय इसका उत्तर दें कि 28 प्रतिशत का अनाउंसमेंट करने के बाद आपने कितनों की नियुक्ति की है ?

श्री नाथूराम (बागीडोरा) **:** कमिशन की रिपोर्ट के समय जो आपने जवाब दिया था वही दे रहे हैं। हमने सुझाव दिये हैं उसके बारे में बतायें। पिछली बात को क्यों दुहराते हैं ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : बताता हूं।

श्री नाथूराम : कुछ नहीं बता रहे हो। सदन का समय ले रहे हो।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : एक एक माननीय सदस्य को जवाब दूंगा। सुनने को तैयार हैं, तो बताऊं।

श्री भैरोंसिंह : एक एक बात का जवाब दें।

श्री नाथूराम : किन आदिवासियों को जमीन दी, माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए वह बतावें। आपके पास कोई जवाब नहीं है। हम चाहते हैं। कि सदन का समय बेकार न खोयें। पिछली बातों को दोहराने के बजाय विधि मंत्री जवाब दें।

श्री बिशम्भर नाथ जोशी : माननीय सदस्यों ने एक एक मुद्दा उठाया था। उनमें सुनने की क्षमता होनी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बता दें कि 28 प्रतिशत रिजर्वेशन की घोषणा करने के बाद राज्य सरकार की सेवाओं में आपने कितनी नियुक्तियां शिड्यूल्ड कास्ट्स व टाइब्स की की ? भूमि का एलॉटमेन्ट घोषणा करने के बाद कितनी शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के भूमिहीनों को भूमि दी ?

श्री बिशम्भर नाथ जोशी : बताता हूं। मेरे पास आंकड़े हैं।

श्री गोकुलचंद जाटव : व्यवस्था का प्रश्न है। 15 जनवरी को राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया है, उस पर विस्तार से चर्चा होनी है और हर साल परम्परा रही है सभी माननीय सदस्य उस पर विस्तृत प्रकाश डालते हैं, अपनी आपत्तियां प्रकट करते हैं, सब आगे आने वाला है। इस समय तो केवल जो संशोधन हमारे सामने है उसका समर्थन करना है, उस सिलसिले में मेरे ख्याल से न तो मंत्री महोदय ज्यादा सफाई देना चाहते हैं, क्यों कि ये बातें फिर आएगी जवाब दिए बिना पार नहीं पड़ेगी। इसलिए इस समय तो भारत के संविधान में संशोधन चाहते हैं, उससे ज्यादा कहना उपयुक्त न होगा।

श्री बिशम्भर नाथ जोशी : माननीय सदस्य चाहते हैं कि एक एक मुद्दे का जवाब दूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं चाहते हैं।

श्री बिशम्भर नाथ जोशी: आसन का जो भी आदेश होगा उसको मैं शिरोधार्य करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं आसन ने आपको अवसर दे दिया माननीय सदस्यों को उत्तर देने का। आपने उत्तर दे दिया। मैं समझता हूं सब संतुष्ट हैं।

कई माननीय सदस्य : सब सन्तुष्ट हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय विधि मंत्री।

विधि मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बी० एन० जोशी साहब का बहुत आभारी हूं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया: एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष: काफी देर हो गई है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जिस संशोधन विधेयक को पास करने जा रहे हैं यह समाज कल्याण मंत्री की बड़ी भारी तौहीन है कि उनको पूरा अवसर नहीं दिया गया। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह मंत्री की तौहीन है।

श्री बरकतुल्ला खां: (विधि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं कह रहा था कि माननीय बी० एन० जोशी साहब ने मेरे भार को काफी हल्का कर दिया है और जो जवाब मुझे देना चाहिए था। उसमें उन्होंने बड़ी मदद की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आखिर छीन लिया।

श्री बरकतुल्ला खां : अगर हम यह समझते हैं कि इससे हमने शिड्यूल्ड कास्ट और

(श्री बरकतुल्ला खां)

शिड्यूल्ड ट्राइब्स की प्रोब्लेम को हल कर दिया तो इससे बढ़कर गलती हम नहीं करते। मैं यह नहीं मानता हूं कि इस अमेन्डमेन्ट से हम मुश्किलों को आसान कर सकेंगे क्योंकि इस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि चाहे वह पार्लियामेन्ट हो, चाह असेम्बली हो, उसके अन्दर जो रिजर्वेशन किया गया है उसका मतलब यह है कि हरिजन भाई हैं शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो साथी हैं उनको कौंसिल ऑफ कन्ट्री में बैठने का मौका मिले। सबसे बड़ी चीज यह है कि उनको यह अधिकार मिला है। क्योंकि मुश्किल से दो एक जगह को छोड़ कर जनरल सीट्स से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मेम्बर जीत कर नहीं आये। शायद एक दो जगह ऐसी है जहां से जनरल सीट से चुन कर आये हैं।

एक माननीय सदस्य: हमारे इधर आये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: Integrate, but not necessarily Indicate,

श्री बरकतुल्ला खां: मैं वही बात कह रहा हूं। जरा आप शान्ति तो रखिए।

तो उपाध्यक्ष महोदय, बाकी देश भर में रिजर्व सीट्स से आये हैं और जनरल सीट्स से नहीं आये। तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संविधान के आर्टिकल 334 के नीचे जो अब तक अधिकार दिये गये थे रिजर्वेशन के वह 26 जनवरी के बाद समाप्त हो जाते हैं यदि इसके अन्तर्गत मियाद और नहीं बढ़ाई जाती है तो, और इसका मतलब यह भी होगा कि पिछले पचास वर्षों में जो इस सम्बन्ध में कोशिशें की गई हैं उन सब को समाप्त करना है। आपको मालूम होगा कि जब मोन्टिफ रिलीफ आये थे तो हिन्दु और मुसलमानों के बीच में एक दरार डाली गयी थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। अंग्रेज वहां भी नहीं रूका था। उसके बाद उसने कोशिश की कि हरिजन और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड टाइब्स के सेपरेट रिप्रेजेन्टेशन दिया और उसके ऊपर महात्मा गांधी ने फास्ट अनन्टु डेथ किया था तो पूना में डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा के बीच समझौता हुआ था। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो सेपरेट रिप्रेजेन्टेशन नहीं दिया गया और देश आजाद होने के बाद कॉन्सिटिट्युएन्ट असेम्बली में माइनोरीटेज की सबकमेटी बनायी थी उस सब कमेटी ने मुसलमानों के रिजर्वेशन को भी रखा। हम नहीं चाहते कि मुसलमानों का रिजर्वेशन हो। लेकिन जो रिजर्वेशन पहले आदिवासियों और हरिजनों के लिये नहीं था उसको पहली मर्तबा हिन्दुस्तान में इन्ट्रोड्यूज किया गया और इसलिये किया गया कि जो लोग समाज में नेग्लेक्टेड हैं, जो पिछड़ गये हैं; इतने पीछे चले गये हैं कि उनको इन्सान के अधिकार नहीं हैं, इन्सानों की तरह जीने और मरने का हक नहीं है उन्हें वह हक मिलने चाहियें। उनका पहला कर्तव्य यह है कि जो समाज का वीकर सेक्शन है, सोशियली जो वीकर सेक्शन है, इकोनोमिकली वीकर सेक्शन है, हरिजनों में तो दस हजार में से एक मिल

(श्री बरकतुल्ला खां)

सकता है लेकिन आदिवासियों में मुश्किल से मिल सकता है, तो ये सोशियली, इकोनोमिकली वीक है, दबाये हुए लोग हैं उनको पूरी तरह से ऊपर उठाया जाना चाहिए। उसका तरीका गवर्नमेन्ट ने सोचा जो तरीका सोचा वह यह था कि असेम्बली में रिजर्वेशन मिलना चाहिये, पार्लियामेन्ट में इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिये और सर्विसेज में इनका रिजर्वेशन मिलना चाहिए और जो इकोनोमीकल असिस्टेन्स इनको दे सकते थे वह देनी चाहिये। मैं समझता हूं, मैं एक चेतावनी आज आपके जरिये देना चाहता हूं कि यह काम केवल गवर्नमेन्ट का नहीं है। यह काम केवल किसी एक पार्टी का नहीं है किन्तु यह काम पूरे देश का है। अगर हमारा समाज उन रास्तों पर नहीं गया, अगर हमारे लोग इन्टीग्रेट नहीं हुए तो इन्टीग्रेट का आलटरनेटिव होता है डिस्इन्ट्रेग्रेशन या तो इन्टीग्रेट हो जावें, न हिन्दू, न मुसलमान, न हरिजन...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इन्डीकेट ने डिस्इन्टीग्रेट कर दिया है।

श्री बरकतुल्ला खां: इन्डीकेट के जरिए तो इन्टीग्रेट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके पहिले ही आप हो जावेंगे। तो आज हमारे मन में जो भावना है, और सदन में बैठ कर वर्षों के बाद इस बात की खुशी हुई जब मैंने हरिजन भाईयों और आदिवासी भाईयों को खड़े होकर अपने अधिकारों के बारे में मुस्तैद देखा। मैं उन बदकिस्मत लोगों में से हूं कि जहां मैंने देखा है कि जब हरिजन भाई जाता था तो आवाज लगाते थे पायस पायस। हमने यह भी देखा था कि हम खड़े हो तो वह दूर हट जाता था। एक डर और भय था तो वह निकल गया। यह समझ लेना कि कुछ लोगों का डर और भय निकल गया इससे हरिजनों की हालत ठीक हो गयी यह बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज अदब से अर्ज करूंगा कि अपने अधिकारों के लिए जो लोग याद नहीं रखना चाहते, जो अपने अधिकारों के लिये जान नहीं देना चाहते उनके अधिकार ज्यादा दिन तक नहीं रहते।

(करतल ध्वनि)

अगर लोग यह समझते हैं कि स्पून फीडिंग से जिन्दा रह सकते हैं और सरकार के कानूनों से जिन्दा रह सकते हैं तो यह उनकी भूल है। सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी और समझना पड़ेगा और आपको आपके अधिकार देने पड़ेंगे अगर आप अपने अधिकारों के लिये मस्तैद हैं, और जो सरकार नहीं दे पायेगी उसको समाज निकाल देगा। इस संशोधन के जरिये जो रास्ता अपनाया था एक उस पर चलने की कोशिश की है। कोन्स्टिचुएन्ट असेम्बली में यह प्रश्न उठा था परन्तु दस साल के लिये रिजर्वेशन किया था और उसके बाद चर्चा हुई तो आम तौर से लोगों ने कहा था कि कोन्स्टिचुएन्ट असेम्बली में जो लोग बैठे थे वे शायद बहुत ओप्टीमिस्टिक लोग थे जो यह समझते थे कि सेन्चुएरिज की बीमारी दस साल में दूर हो जायगी। मैं समझता हूं कोन्स्टिचुएन्ट असेम्बली में जो लोग बैठे हुए थे वे ज्यादा समझदार थे। दस साल का रिजर्वेशन देकर यह बताया कि दस साल बाद यह

(श्री वरकतुल्ला खां)

प्रोबलेम आने वाली है इस पर सोचना पड़ेगा, इस पर समझना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा और उसके बाद दस साल दिये । एक बार में ही पचास साल के लिये नहीं रख दिया । दस दस साल बाद पार्लियामेन्ट असेम्बली के सामने आइये और आकर इसको रेस्टोर कीजिये सुर्ख रू होकर खड़े होइये। इसको सब मेम्बर और वर्ग से पार्लियामेन्ट में सपोर्ट मिला और मैं आशा करता हूं कि सब ही लोग हमारे यहां भी यह बतायेंगे कि हम दूसरों का हक नहीं छीनना चाहते। राजस्थान के लोग इस बात के लिये तैयार हैं कि जो भाई उनसे कमजोर हैं उनको वे हक दें, परों पर खड़े होने का मौका दें, हमारे बराबर हो जावें और उनको यह मौका दें कि आपकी खास काबलियत हो तो हमारे साथ आगे बढ़ें ।

हम सीमा निर्धारित करना नहीं चाहते केवल यह चाहते हैं कि हम सब साथ साथ मिल कर युनाइटेड हिन्दुस्तान की जनता के नाते, युनाइटेड मुल्क के नाते एक फोरम बनाकर दुनियां के अन्य देशों के साथ हिस्सा ले सकें इसी तरह से हम इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि "यह सदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के परन्तुक की परिधि में आने वाले संशोधनों का, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (तेइसवां संशोधन) विधेयक, 1969 द्वारा प्रस्थापित हैं, अनुसमर्थन करता है"।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 7.2 बजे सायं दिनांक 21 जनवरी, 1970 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(ता० प्र० सं० 44 की सूची)

STATEMENT OF CHARGES

Statement of charges awarded against Shri Govind Lal Mathur, Education Extension Officer, Panchayat Samiti, Didwana (under suspension)

CHARGES

Charge I:—That the said Shri Govind Lal Mathur while functioning as officiating Vikas Adhikari, Panchayat Samiti, Didwana remained away from the Panchayat Samiti Headquarters from 28th May to 5th June, 1963 without drawing any regular tour programme, as mentioned in the statement of allegations.

Charge II:—That the said Shri Govind Lal Mathur while funcioning as officiating Vikas Adhikari, Panchayat Samiti Didwana committed serious irregularity in making payment of Rs. 29,250/- for construction of roads as mentioned in the statement of allegations.

Charge III:—That the said Shri Govind Lal Mathur while functioning as officiating Vikas Adhikari, Panchayat Samiti, Didwana committed finanical irregularity in making purchase of improved seed worth Rs. 10,000/- in an irregular manner, as mentioned in the statement of allegations.

Charge IV:—That the said Shri Govind Lal Mathur while functioning as officiating Vikash Adhikari, Panchayat Samiti, Didwana exceeded his powers in making officiating promotion of one Shri Jeth Mal, Village Level Worker as officiating A. R. O. and concealed the facts from the Collector, Nagaur as mentioned in the statement of allegations.

Charge V:—That the said Shri Govind Lal Mathur while functioning as officiating Vikas Adhikari, Panchayat Samiti, Didwana withdrew some certificates given by the Vikash Adhikari, Panchayat Samiti, Didwana to the S. D. O., Didwana for recovery of certain amounts in order to give the concerned parties from the recoveries and thus committed serious irregularity, as mentioned in the statement of allegations.

Charge VI:—That the said Shri Govind Lal Mathur while functioning as officiating Vikas Adhikari, Panchayat Samiti, Didwana pruchased education equipment worth Rs. 22,347·31 nP. in an irregular manner, altered certain dates beneath the signature in many documents relating to the said transaction, as mentioned in the statement of allegations.

Charge VII:—That the said Shri Govind Lal Mathur while functioning as officiating Vikas Adhikari, Panchayat Samiti, Didwana distributed a sum of Rs. 2,750/- among 9 cultivators individually on 25-3-63 and 28-3-63 for "Chawal Nirman" which is against rules, as mentioned in the statement of allegations.

Sd./-
for Director,
Primary & Secondary Education,
Rajasthan, Bikaner.

Page No 165

परिशिष्ट 2

(ता० प्र० सं० 47 की सूची)

मनोहरथाना परियोजना संचालक समिति के सदस्यों की सूची

नाम सदस्य	पद
1. श्री कैलाश चन्द्र पाठक	कार्यवाहक अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष
2. श्रीमती लीला देवी सक्सेना	सदस्या
3. श्रीमती शान्ति देवी जैन	सदस्या
4. श्रीमती विद्या देवी शर्मा	सदस्या
5. श्रीमती कोती देवी जैन	सदस्या
6. श्रीमती शारदा देवी जैन	सदस्या
7. श्रीमती वृजलता देवी	सदस्या
8. श्री चांदमल जैन	सदस्य

सरकारी सदस्य

1. श्री जिलाधीश महोदय, झालावाड़	सदस्य
2. श्री उप-जिलाधीश महोदय, अकलेरा	सदस्य
3. श्री कैलाश चन्द्र पाठक, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, मनोहरथाना।	कोषाध्यक्ष

Page No 166

परिशिष्ट 3

(ता० प्र० सं० 59 की सूची)

श्री भगवान सहाय त्रिवेदी, सम्पादक "राजस्थान विकास" पंचायत एवं विकास विभाग की नियुक्ति एवं शैक्षणिक योग्यता का विवरण

क्रमांक	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति का वर्ष, पद व विभाग	प्रथम नियुक्ति के समय शैक्षणिक योग्यता	पद व विभाग जहां अब तक नियुक्त रहे
1	2	3	4
1.	1949 में शीघ्रलीपिक (रिपोर्टर के पद पर प्रकाशन विभाग, भूतपूर्व जयपुर राज्य।	इन्टरमीडियट, साहित्य रत्न, शास्त्र प्रवेशिका, भिषक्, आयुर्वेद विशारद, आयुर्वेदाचार्य।	1. वर्ष 1951 से 1958 तक पत्रकार व उप-सम्पादक, जन-सम्पर्क विभाग, राजस्थान। 2. वर्ष 1958 से 1963 तक सम्पर्क अधिकारी (साहित्य), जन-सम्पर्क विभाग, राजस्थान। 3. वर्ष 1963 से अब तक संपादक, राजस्थान विकास (पंचायत एवं विकास) विभाग।

परिशिष्ट 4

(ता० प्र० सं० 48 की सूची)

सूची उन ठेकेदारों की जिन्होंने विभिन्न स्थानों से वर्ष 1965 में चारा सप्लाई किया

	नाम ठेकेदार 1	चारे की मात्रा 2	चारे की किस्म 3	दर 4	प्राप्ति अथवा नेगोसियेशन टेण्डर की तारीख 5
1.	सरदार करतारसिंह, कोटकपूरा	30,000 क्विं०	तूड़ी	9.35 पैसे	15-1-69
2.	पशु खाद्य उद्योग प्रा० लि०, दिल्ली	10,000 ,,	तूड़ी	9.44 पैसे	,,
3.	हैरीश एण्ड कम्पनी, भुगावली	20,000 ,,	तूड़ी	9.44 पैसे	,,
4.	अरविन्द एजेन्सी, मुकन्दगढ़	25,000 ,,	कड़बी बाजरा	13.90 पैसे	,,
5.	मध्य प्रदेश कैटल फोडर कम्पनी	80,000 ,,	तूड़ी	9.44 पैसे	,,
6.	चन्द्रभान रमेशचन्द्र	25,000 ,,	कड़बी	13.90 पैसे	,,
7.	यूनाईटेड फोडर कम्पनी, जयपुर	50,000 ,,	घास	19 रुपये	भीलवाड़ा ,,
				19.25 पैसे	अजमेर ,,
				20 रुपये	जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, पाली
				21 रुपये	बाड़मेर, झुन्झुनू
				21 रुपये	जैसलमेर, जालोर, चूरू

1	2	3	4	5
8. तेजासिंह खेमसिंह	25,000 क्वि०	तूडी	9.20 पैसे	26-3-69
9. पशु आहार विक्रेता संघ	75,000 ,,	तूडी	10.95 पैसे	25-4-69
10. अग्रवाल फोडर, कम्पनी	25,000 ,,	तूडी	10.95 पैसे	,,
11. देहली चारा सप्लायर्स	50,000 ,,	तूडी	10.85 पैसे	,,
12. मदनलाल करतारसिंह	50,000 ,,	तूडी	10.50 पैसे	,,
13. मदनलाल करतारसिंह	30,000 ,,	तूडी	10.50 पैसे	23-8-69
14. तेजासिंह	10,000 ,,	तूडी	10.50 पैसे	,,
15. पशु आहार विक्रेता संघ	25,000 ,,	तूडी	10.50 पैसे	,,
16. देहली चारा सप्लायर्स	10,000 ,,	तूडी	10.50 पैसे	,,
17. देवराज श्रीचन्द	10,000 ,,	तूडी	13.00 पैसे	,,
18. देहली चारा सप्लायर्स	25,000 ,,	तूडी	13.00 पैसे	,,
19. अशोक नगर भूसा सप्लाई कम्पनी	2,00,000 ,,	तूडी	9.85 पैसे	22-10-69

Page No 169

20.	रामभरोसे लाल सुरेश कुमार	50,000 क्वि०	तूड़ी	9.25 पैसे	22-10-69
21.	हरीश एण्ड कम्पनी	1,00,000 ,,	कड़बी	12.25 पैसे	,,
22.	सन्तोष कुमार राजकुमार	15,000 ,,	ज्वार कड़बी	12.50 पैसे	,,
23.	मोहनलाल एण्ड कम्पनी	1,00,000 ,,	तूड़ी	10.80 पैसे	8-12-69
24.	,, ,,	60,000 ,,	भूसा	11.80 पैसे	,,
25.	मक्खन लाल एण्ड कम्पनी	25,000 ,,	तूड़ी	10.75 पैसे	,,
26.	सन्तोष कुमार-राजकुमार	15,000 ,,	घास	19.50 पैसे	15-12-69

परिशिष्ट 5

(ता० प्र० सं० 56 की सूची)

जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समितियों द्वारा श्री गजानन्द डरोलिया, पत्रकार को अग्रिम दी गई राशि का विवरण

क्रमांक	पंचायत समिति	वर्ष जिसमें रकम दी गई	रकम जो दी गई	रकम किस निमित दी गई
1.	सवाई माधोपुर	1967	250 रु०	"जिला स्मारिक" पुस्तक में विज्ञापन व उसकी प्रतियों की खरीद
2.	करौली	1966	200 ,,	"जिला स्मारिक" पुस्तक की प्रतियों की खरीद
3.	टोडाभीम	1967	250 ,,	,,
4.	खंडार	1967	200 ,,	,,
5.	गंगापुर सिटी	1966	200 ,,	,,
6.	सपोटरा	1967	250 ,,	,,
7.	हिन्डौन	1966	250 ,,	,,
8.	नादोती	1967	315 ,,	,,

परिशिष्ट 6

(अ० प्र० सं० 50 की सूची)

Copy of letter No. D. 2286/F. 1 (f) (5) Dev/BR/57, dated Jaipur 16th September, 1957 from the Secretary to Government to the Commissioner, Devasthan Department, Rajasthan, Udaipur.

Sub : Categorisation of Temples.

Ref : Your Memo No. 7234, dated 28-6-57.

I am directed to inform you that the following five categories of temples have been fixed by the Government for administrative purpose:—

1. Direct Charge Temples:

Temples which are maintained out of the Consolidated Fund and managed directly by the Devasthan Department.

2. Aided Temples:

Temples which are given aid in cash or in kind or in both by the Government.

3. Self Supporting or Funded Temples:

Temples which depend mainly on resources or their own consisting of land revenue interest from investments, rent proceeds or the property attached and Bhet. This is also supplemented in some cases by Cash grant from the Government.

4. Suppurdgi Temples:

Temples which were constructed by the Rulers, Thikanedars or members of their family and handed over to individuals e. g. Mahants, Goswamis, Pujaris etc. for Sewa Puja and management.

5. Court of Wards Temples:

Temples which have temporarily been placed under the management of the Devasthan Department for one reason or another.

Sd/-

Deputy Secretary to Government.

परिशिष्ट 7

(अ० प्र० सं० 58 की सूची)

श्री गुरुदयालसिंह खेरा, व्याख्याता कृषि के विरुद्ध शिकायतों का विवरण

क्रमांक	शिकायत का विवरण
1.	दिनांक 8-5-67 को अवकाश पर होते हुए भी उसी दिनांक को उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करना ।
2.	दिनांक 11-7-67 व 12-7-67 को अवकाश का उपभोग बाद में उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करना ।
3.	दिनांक 29-5-67, 30-5-67 व 31-5-67 को अवकाश का उपभोग कर बाद में हस्ताक्षर करना ।
4	दिनांक 7-4-69, 8-4-69 व 9-4-69 को बिना अनुमति व सूचना के अनुपस्थित रहना ।
5.	दिनांक 18-12-63 को 1-30 बजे तक अनुपस्थित रहना ।

परिशिष्ट 8

(अ० प्र० सं० 60 की सूची)

हरजीराम बूरड़क,
सदस्य,
राजस्थान विधान सभा।

सी-2, एम० एल० ए० बंगला,
जयपुर—1
दिनांक 22-11-68

श्रीमान् झिंगरन साहेब,

मैं आपका ध्यान पंचायत समिति, लाडनूं की दिनांक 28-10-68 की बैठक की लिखी गई कार्यवाही की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें सरासर गलत कार्यवाही लिखी गई अर्थात जो बातें बैठक में नहीं हुई वह कार्यवाही में लिखी गई है और कुछ ऐसी कार्यवाहियां भी लिखी गई हैं जिन पर विचार करने का समिति को अधिकार तक नहीं है. उदाहरण के तौर पर एक आइटम कार्यवाही का यह है कि समिति की महिला सहवृत सदस्यों का त्याग-पत्र स्वीकार करके उनके स्थान पर उसी दिन से दूसरी सदस्याओं को सहवृत हो जाने की स्वीकृति दी गई है इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि समिति की कार्यवाही किस आधार पर लिखी गई है।

इस प्रकार से सारी की सारी कार्यवाही फर्जी लिखी गई है इसलिए आप इस कार्यवाही की तामील को तुरन्त रोक दिरावें और इसकी जांच आप स्वयं कर लिखावें। इस बैठक में प्रमुख महोदय की भी उपस्थिति बताई है इसलिए उनसे भी आप जानकारी करायें।

सधन्यवाद।

भवदीय
ह० हरजी राम बूरड़क।

आई० जी० झिंगरन साहेब,
जिलाधीश, नागोर।

———

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 20 जनवरी, 1970)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
3	अन्तिम से 8	ैक्स्ट	नैक्स्ट
4	" 13	महश	महेश
5	" 4	इमोल्यूमट्स	इमोल्यूमेन्ट
5	अन्तिम	जानका ी	जानकारी
6	" 8	सस्पे ड	सस्पेन्ड
7	" 5	न्क्वायरी	इनक्वायरी
7	" 3	गिरध रीलाल	गिरधारीलाल
8	अन्तिम	इस्तक्षप	हस्तक्षेप
9	" 4	वष	वर्ष
10	" 13	अनसार	अनुसार
14	9	भजी	भेजी
21	15	नियक्ति	नियुक्ति
25	7	क	के
29	अन्तिम से 4	इन्ट्राडयूज	इन्ट्रोडयूज
30	16	क ँ	करें
47	शीर्षक	अपस्थित	अनुपस्थित
52	11	विकाल अधिकारी	विकास अधिकारी
55	अन्तिम से 9	नियक्त	नियुक्त
59	" 11	कट्ठा	इकट्ठा
69	" 5	पने	पढ़ने
69	" 4	विशष	विशेष
75	" 2	पिजड	पिंजड़े
81	7	कायकाल	कार्यकाल
93	शीर्षक	सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र–20 जनवरी अधिसूचना व अध्यादेश	सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र–20 जनवरी, 1970

1	2	3	4
94	10	विधान सभा ो	विधान सभा ने
98	4	आ	हुआ
98	11	मामले के ति	मामले के प्रति
113	अन्तिम से 4	घमते है	घूमते हैं
121	2	चनाव	चुनाव
122	3	म	में
138	अन्तिम से 9	वीमा ी	बीमारी
138	„ 7	क्षेत्रीय	क्षत्रीय
140	7	व्यत्ति	व्यक्ति
145	14	गजर	गुजर
148	17	मान ीय	माननीय
165	3	संविधान म जो	संविधान में जो
169	4	दर्भाग्य	दुर्भाग्य
169	अन्तिम से 6	झठा	झूठा
173	4	बठक	बैठक
185	अन्तिम	भमि	भूमि
188	„ से 7	टट	टूट
191	„ से 7	अनसार	अनुसार
195	अन्तिम	खशी	खुशी
205	„ से 1	यह ा मैंने	यह जो मैंने
214	8	नकसान	नुकसान
218	अन्तिम से 16	स्कलो	स्कूलों
243	6	बनाय	बनाये
245	अन्तिम से 12	म	में
248	19	आन्दोलनकारी ो	आन्दोलनकारियों
255	अन्तिम से 4	जो ह	जो यह
315	शीर्षक	31	315
335	3	बिशुद्ध	विशुद्ध